नवम माला

4 अक्तूबर, 1990
आश्विन, 1912 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र—दूसरा भाग

(नौवीं लोकसभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

नवम माला, खण्ड 10, तीसरा सत्र—दूसरा भाग, 1990/1912 (शक)

अंक 23, गुरूवार, 4 अक्तूबर, 1990/12 आश्विन, 1912 (शक)

विषय	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव के बारे में	3—6
मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश के विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्मदाह किया जाना	
स्वर्गीय पटेल पर रखे गए पत्र	6—7
नियम 388 के अधीन प्रस्ताव—स्वीकृत	7
नियम 338 का निलम्बन	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	7
संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक	8—44
(अनुच्छेद 356 में संशोधन)	
पुरःस्थापित	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	8—9
खंडवार विचार	
पारित करने के लिए प्रस्ताव	
श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद	29, 32—33
श्री ए० के० राय	29—80

विषय	पृष्ठ

डा० तम्बि दुरै 30

श्रीमती बिमल कौर खालसा ... ... 30—32

श्री इन्द्रजीत 32

1 अक्तूबर, 1990 को जम्मू और कश्मीर में हंदवारा में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या और दुकानों को जलाए जाने के बारे में ... ... 44—46

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख-रेख के बारे में 47—75

महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों की स्थापना के बारे में ... ... 75—78

स्थगन प्रस्ताव ... ... 79—132

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश के विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्मदाह किया जाना

श्री बी० शंकरानन्द ... ... 79—88

श्री समरेन्द्र कुन्डू ... ... 89—91

श्री मदन लाल खुराना ... ... 92—94

श्री सोमनाथ चटर्जी ... ... 94—98

श्री इन्द्रजीत गुप्त ... ... 98—104

श्री कमल नाथ ... ... 104—107

श्री चित्त बसु ... ... 107—109

श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन ... ... 109—111

श्री हरि किशोर सिंह ... ... 111—112

श्री जगपाल सिंह ... ... 115—116

कुमारी मायावती ... ... 117—119

श्री उदय प्रताप सिंह ... ... 119—120

श्री डी०डी० खनोरिया ... ... 120—121

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ... ... 121—131

विषय						पृष्ठ
राज्य सभा के संदेश	...	...	...	...	...	132
नियम 377 के अधीन मामले	...	...	...	...	...	132—135
(एक) गांवों में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिए जाने की मांग						
श्री मान्धाता सिंह	...	...	...	...		132—133
(दो) जैनिथ कार्बन, मनियार मैटल्स आदि जैसी लघु इकाइयों को अधिक कच्चे माल की आपूर्ति किए जाने की मांग						
श्रीमती वसुन्धरा राजे	...	...	...			133
(तीन) पश्चिम बंगाल में सुन्दरवन क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की मांग						
श्री सनत कुमार मंडल	...	...	...			133—134
(चार) पंजाब में सिखों में व्याप्त असंतोष को दूर किये जाने की मांग						
स० अतिन्दर पाल सिंह	...	...	...	...		134
(पांच) देश में, विशेषकर उड़ीसा में शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिए अधिक धन दिए जाने की मांग						
श्री के० प्रधानी	...	...	...	...		134—135

लोक सभा

गुरुवार, 4 अक्तूबर, 1990/12 आश्विन, 1912 (शक)

लोक सभा 11.04 म० पू० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आज आप बहुत ही खुश हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, पहले आप अपनी सीट पर जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं, सोज जी, क्या आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे? पहले अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आप मुझे पहले आधा मिनट दे दीजिए, पहले मेरी बात सुनिए। आप मेरी अर्ज सुन लीजिए। मैंने एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है, हंदवारा में जो हुआ है··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : पहले मुझे अपना स्थान ग्रहण करने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : हंदवारा में 300 दुकानें जलाकर राख कर दी गयीं, 50 घर और कई भण्डार घर जला दिए। सरकारी सूत्रों के अनुसार 22 लोग मारे गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप सीट पर जाइए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्हें सीमा सुरक्षा बल ने बेदर्दी से मारा। मैं इस सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या वह निर्दोष लोगों में विभेद रखेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप जाइए, सीट पर मुफ्ती साहब देख लेंगे। सोज साहब, आप सीट पर जाइए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए। कृपया मुझे जो कुछ भी हंदवारा में हो रहा है उस पर एक वक्तव्य देने की अनुमति दें। वे निर्दोष लोगों को मार रहे हैं। मेरा एक प्रश्न है कि क्या वे निर्दोष लोगों के बीच विभेद करेंगे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सोज साहब, आप जाइए न। मैं मुफ्ती साहब को कह रहा हूं। वह इसके बारे में देख लेंगे, आप सीट पर जाइए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : पंजाब विधेयक पारित करने के बाद आपको मुझे अनुमति देनी चाहिए। कश्मीर जल रहा है, यह ज्यादा महत्वपूर्ण है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने कह दिया है, आप जो शासन के बारे में बता रहे हैं, वह मुफ्ती साहब देख लेंगे।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा; लेकिन आपको मुझे बाद में अनुमति देनी होगी। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मनोरंजन बाबू मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : आप पंजाब के मामले में व्यस्त हैं लेकिन भारत के मुख्य न्यायाधीश भारतीय उच्चायोग की अवहेलना की वजह से मारे गए। हम विदेश मंत्री से एक वक्तव्य चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : संतोष बाबू, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

11.08 म०पू०

स्थगन प्रस्ताव के बारे में

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश के विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्मदाह किया जाना

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचना देनी है कि मुझे देश के विभिन्न भागों में छात्रों पर की गई पुलिस की ज्यादतियों और आरक्षण नीति के बारे में सरकार के फैसले के विरुद्ध छात्रों द्वारा आत्मदाह करने के बारे में निम्नलिखित सदस्यों से दो स्थगन प्रस्ताव के नोटिस प्राप्त हुए हैं :—

(एक) श्री बी० शंकरानन्द

(दो) श्री हरीश रावत

मैं श्री बी० शंकरानन्द जिन्हें बैलट में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था, को निम्नलिखित रूप में प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं :—

"सम्पूर्ण प्रशासन के ठप्प हो जाने, छात्रों तथा युवाओं पर पुलिस द्वारा अत्याचार किए जाने, युवा लड़कियों तथा लड़कों द्वारा आत्मदाह के दुःसाहसपूर्ण कार्य किए जाने तथा मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन में बहुमूल्य जीवन नष्ट होने के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति।"

हां, श्री शंकरानन्द आप बोलिए।

[हिन्दी]

श्री मदनलाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : दो अक्तूबर को दिल्ली में जो कुछ हुआ है, उसमें कौन लोग दिल्ली से बाहर के आए थे और उन्होंने जिस तरह के भाषण यहां दिए, जिस तरह से दिल्ली को लूटा गया, उसमें क्या हो रहा है, सरकार की तरफ से ?

अध्यक्ष महोदय : खुराना साहब, जब स्थगन प्रस्ताव पर बहस होगी तो आप नहीं बोलेंगे क्या ? यह इसमें आ जाता है, आप बैठिए।

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोड़ी) : जिस रूप में मैंने यह दिया था वह यह था।

अध्यक्ष महोदय : यह स्थिति के अनुरूप है। आप इसे पढ़ सकते हैं।

श्री बी० शंकरानन्द : मैंने इसे सचिवालय को जिस रूप में दिया था वह इस प्रकार था :

"सम्पूर्ण प्रशासन के ठप्प हो जाने, युवा लड़कियों तथा लड़कों द्वारा आत्मदाह के दुःसाहसपूर्ण कार्य किए जाने तथा मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन में बहुमूल्य जीवन नष्ट होने के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति जो कि सम्पूर्ण समाज

[श्री बी० शंकरानन्द]

को प्रभावित करने वाले संवेदनशील मुद्दे से निपटने में प्रधानमंत्री का अतिशोचनीय जल्दबाजी दिखाना, अकुशलता और हठधर्मिता दिखाने के बारे में।"

महोदय, मैंने इस रूप में इसे दिया था। मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में कुछ आपत्तिजनक बात है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया कि उसको जिस ढंग से होना चाहिए। आप मंत्री रह चुके हैं। जो आपने अपने भाषण में देना है, वह तो देंगे ही।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने एलीगेटरी आस्पैक्ट को हटाया है।

[अनुवाद]

इससे जरूरत पूरी हो जाती है और मैं समझता हूं कि आप मुझसे सहमत हैं।

(व्यवधान)

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : महोदय, इसका अनुवाद उपलब्ध नहीं है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : ट्रांसलेशन हो रहा है। आप बैठिए।

[अनुवाद]

वे इस सम्बन्ध में कदम उठा रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : मैं नहीं समझता कि इस प्रस्ताव में कुछ आपत्तिजनक है।

अध्यक्ष महोदय : शंकरानन्द जी, आप इस बात से सहमत होंगे कि जिस तरह से मैंने इसे बनाया था उससे इसकी पूर्ति हो जाएगी।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपके भाषण के ऊपर कोई पाबंदी है, यह तो आप जानते हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : हम मंडल आयोग के प्रतिवेदन को स्वीकार नहीं करते हैं। यह कुछ और चीज है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शंकरानन्द जी, आप अब सभा की अनुमति ले सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : अध्यक्ष महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए सभा की अनुमति लेता हूं :

"सम्पूर्ण प्रशासन के ठप्प हो जाने, युवा लड़कियों तथा लड़कों द्वारा आत्मदाह के दु:साहसपूर्ण कार्य किए जाने तथा मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय के विरुद्ध आंदोलन में बहुमूल्य जीवन नष्ट होने के कारण उत्पन्न अभूतपूर्व स्थिति जोकि सम्पूर्ण समाज को प्रभावित करने वाले संवेदनशील मुद्दे से निपटने में प्रधानमंत्री का अतिशोचनीय जल्दबाजी दिखाना, अकुशलता और हठधर्मिता दिखाने के बारे में।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप अपना ही पढ़ रहे हैं।

[अनुवाद]

क्या अनुमति नहीं है ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री (रीवा) : मैं अनुमति का विरोध करता हूं। यह सही नहीं है।

[हिन्दी]

आप मौका दीजिए। मैं इस लीव को अपोज कर रहा हूं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : शास्त्री जी आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको भाषण देने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैं हाउस से पूछ रहा हूं, क्या इस लीव का कोई विरोध कर रहे हैं ?

श्री यमुना प्रसाद शास्त्री : मैं इस लीव का अपोज कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो अनुमति दिए जाने के पक्ष में हैं वे अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जायें।

अनेक माननीय सदस्य खड़े हुए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मुझे लगता है कि पचास से ज्यादा लोग हैं।

[अनुवाद]

इसलिए अनुमति दी जाती है। नियम 61 के अधीन अनुमति दी जाती है। संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के पश्चात् स्थगन प्रस्ताव को लिया जा सकता है।

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टूर) : आप कृपया उस चर्चा के लिए समय निर्धारित कर दीजिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : पंजाब के बाद लिया जाएगा।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : भोजनावकाश होगा।
(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लंच है, तो लंच के बाद लिया जाएगा।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मेरा सुझाव है कि इसे भोजनावकाश के तत्काल बाद लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

11.13 म० पू०

सभा पटल पर रखे गए पत्र

राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के लेखाओं सम्बन्धी विवरण आदि

[हिन्दी]

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालय के राज्य मन्त्री (श्री रशीद मसूद) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान, कलकत्ता के वर्ष 1985-86 के लेखाओं पर लेखा परीक्षा संबंधी टिप्पणियों के कारणों तथा किए गए उपचारात्मक उपायों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्र को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1536/90]

सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962, वित्त अधिनियम, 1990 तथा वित्त अधिनियम, 1989 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं, और राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान का वर्ष 1988-89 का वार्षिक प्रतिवेदन इत्यादि

[अनुवाद]

वित्त मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री अनिल शास्त्री) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 562 (अ), जो 8 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 20 जुलाई, 1984 की अधिसूचना संख्या 204/84-सी० शु० में कतिपय संशोधन किये गये हैं, जो उक्त अधिसूचना में चांदी बुलियन के अंत:स्थापन के बारे में है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) वित्त अधिनियम, 1990 की धारा 71 के अन्तर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 547 (अ), जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसका आशय जुलाई, 1990 के प्रथम दिवस को उक्त अधिनियम के अध्याय पांच के उपबन्धों के लागू होने की तारीख निश्चित करना है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) वित्त अधिनियम, 1989 की धारा 49 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 548 (अ), जो 5 जून, 1990 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यू० एस० डालर किराया टिकटों पर यात्रा करने वाले यात्रियों को 1 जुलाई, 1990 से अन्तर्देशीय विमान यात्रा कर से छूट दी गयी है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1537/90]

(4) (एक) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय लोक वित्त तथा नीति संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1988-89 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी०—1538/90]

———

11.14 म० पू०

नियम 388 के अधीन प्रस्ताव

नियम 338 का निलम्बन

(अनुवाद)

अध्यक्ष महोदय : अब, श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद बोलेंगे।

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 338, जहां तक इसका लोक सभा के चालू सत्र के दौरान संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 के पुर:स्थापन, विचार तथा पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने से सम्बन्ध है, का निलम्बन किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 388, जहां तक इसका लोक सभा के चालू सत्र के दौरान संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक, 1990 के पुर:स्थापन, विचार तथा पारित करने के प्रस्तावों पर लागू होने से सम्बन्ध है, का निलम्बन किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

11.15 म० पू०

संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक

(अनुच्छेद 356 में संशोधन)

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं विधेयक पुर:स्थापित करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : नियम 377 के तहत जो मैटर हैं उनको हम पंजाब बिल पारित होने के बाद लेंगे।

[अनुवाद]

सदन में अब मद संख्या 6 पर चर्चा की जायेगी जो संविधान (छिहत्तरवां संशोधन) विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के बारे में है।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

अध्यक्ष महोदय : विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घायें खाली कर दी जायें—

अब दीर्घायें खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है

"कि भारत के संविधान में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

(मत विभाजन संख्या 2) (समय.....11.20 म० पू०)

अग्रवाल, श्री जे० पी० अर्गल, श्री छविराम

अजित सिंह, श्री अली, श्रीमती सुभाषिनी

अडईकलराज, श्री एस० अहमद, श्री अनवार

अतीतन, श्री धनुषकोडी आर० अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

अस्तुले, श्री ए० आर० आचार्य, श्री वसुदेव

अम्बारासु इरा, श्री इन्द्र जीत, श्री

अमात, श्री डी० उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०

अम्बरी, श्री लेइता उमा भारती, कुमारी

अरुणाचलम, श्री एम० ओडेयर, श्री चनैया

कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कमल नाथ, श्री
कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
काबडे, डा० वेंकटेश
कामसन, प्रो० मिजिनलंग
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुन्डू, श्री समरेन्द्र
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
केसरी लाल, श्री
कोंतल, श्री राम कृष्ण
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोतम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुधेन्दु
खान, श्री आरिफ मोहम्मद
खुराना, श्री मदन लाल
गंगवार, श्री सन्तोष कुमार
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गाडविल, श्री वी० एन०
गामित, श्री छोतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरि, श्री सुधीर
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुजल
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुप्तादिन्नी, श्री वी० के०
गुप्त, श्री इन्द्रजीत
गुप्त श्री ब्रह्मपाल सिंह
गोमांगो, श्री गिरिधर
गौंडर, श्री ए० एस०
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्र शेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० बी०
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नूपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री बसई

चौधरी, श्री राम प्रसाद

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री प्रभात सिंह

जग पाल सिंह, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जनार्दनन्, श्री कादम्बूर एम० आर०

जमुना, श्रीमती जे०

जय प्रकाश, श्री

जयमोहन, श्री ए०

जसवन्त सिंह, श्री

जाटव, श्री मान सिंह

जायनल अबेदिन, श्री

जावाली, डा० बासवराज

जीवरत्नम, श्री आर०

जू देव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री श्रीकान्त

जोरावर राम, श्री

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

झिकराम, श्री मोहनलाल

टंडेल, श्री डी० जे०

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई

डोम, डा० राम चन्द्र

ढाकणे, श्री बबनराव

तारवाला, श्री अमृतलाल कालिदास

तारीफ सिंह, श्री

तिवारी, श्री जनार्दन

तिवारी, श्री बृज भूषण

तीरकी, श्री पीयूष

त्यागी, श्री के० डी०

थापा, श्री नन्दू

थामस, प्रो० के० वी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री एस० बी०

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

दानवे, श्री पुंडलीक हरि

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री भक्त चरण

दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्री नरसिंहराव

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवराजन, श्री बी०

देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराव
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेताम, श्री अरविंद
नेहरू, श्री अरुण कुमार
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
परांजपे, श्री बाबूराव
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारीलाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम

प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री बी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जॉर्ज
फर्नान्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बखरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाल गौड, श्री टी०
बाला, डा० असीम
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासव राज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव
बेग, श्री युसुफ
बेगा राम, श्री
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भक्त, श्री मनोरंजन
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मक्कासर, श्री शोपत सिंह
मणवर, श्री बलवन्त
मन्टोष, श्री पाल आर०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज

मलिक, श्री सत्यपाल

मल्लिकार्जुन, श्री

मसूदल हुसैन, श्री सैयद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाता, श्री चित्त

महावीर प्रसाद, श्री

महाले, श्री हरि शंकर

माडे गौडा, श्री वी०

मायकर, श्री गोपालराव

मिर्धा, श्री नाथू राम

मिश्र, श्री जनेश्वर

मिश्र, श्री बालगोपाल

मिश्र, श्री राज मंगल

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीणा, डा० किरोड़ी लाल

मुंजारे, श्री शंकर

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुरलीधरण, श्री के०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्रशेखर

मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण

मेघवाल, श्री कैलाश

मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह

मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०

मोहम्मद, श्री इ० एस० एम० पाकीर

याजदानी, डा० गुलाम

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव श्री छोटे सिंह

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री मित्रसेन

यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि

यादव, श्री राम शरण

यादव, श्री रामजीलाल

यादव, श्री शरद

यादव, श्री सूर्य नारायण

यादव, श्री हुकमदेव नारायण

यादवेन्द्र दत्त, श्री

युवराज, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रशीद मसूद, श्री

राउतराय, श्री नीलमणि

राकेश, श्री आर० एस०

राजखोवी, श्री

राजवीर सिंह, श्री

राजू, श्री एम० एम० पल्लम

राजू, श्री एस० विजय राम

राजू, श्री भू विजयकुमार

राजे, श्रीमती वसुन्धरा
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती बसवा
राघवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० मुंडु
राव, श्री के० एस०
राव, श्री जे० चोक्का
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री वी० कृष्ण
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री ए० वेंकट
रेड्डी, श्री एम० जी०
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
रेड्डी, श्री बी० एन०
रेड्डी श्री बोजा वेंकट
रेड्डी, श्री राजमोहन
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लोढा, श्री गुमान मल
लोधी, श्री गंगा चरण
बघेला, श्री शंकरसिंह
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एम० सी०
वर्मा, श्री ब्रजेश प्रसाद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
शंकरानन्द, श्री बी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शर्मा, श्री चिरंजी लाल
शर्मा, श्री धर्म पाल
शाक्य, डा० महादीपक सिंह
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०
शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई
श्रीकान्तम्मा, श्री एच० सी०
षण्मुख, श्री पी०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कान्त
साठे, श्री बसंत
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री ए० प्रताप
साव, श्री नन्द कुमार
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह, श्री सूर्य नारायण
सिंह, श्री हर गोविन्द
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिलवेरा, डा० सी०
सुंदरराव, श्री एन०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुम्बरई श्री बागुन
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेमा, श्री शिकिहो

सेल्वारासु, श्री एम०

सैनी, श्री गुरदयाल सिंह

सोज, प्रो० सैफुद्दीन

सोड़ी, श्री मानकूराम

सोरेन, श्री शिबू

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हीरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

प्रसाद, श्री आर० एस०

राजदेव सिंह, श्री

राय, श्री ए० के०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत-विभाजन का परिणाम इस प्रकार है—

पक्ष में : 380**

विपक्ष में : 3

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपने मत दिये :—

पक्ष में : श्री उपेन्द्र नाथ वर्मा, श्रीमती उषा सिंह, सर्वश्री मानवेन्द्र सिंह, मान्धाता सिंह, तसलीमउद्दिन, कालका दास, कपिल देव शास्त्री, अर्जुनभाई पटेल, के० राममोहन राव, आरिफ बेग, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता, डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव, सर्वश्री जनार्दन यादव, रामदास सिंह, रेशम लाल जांगड़े, डा० खुशाल परशराम बोपचे, नन्दलाल मीणा, तरित बरण तोपदार, नानी भट्टाचार्य, डा० तम्बि दुरै, सर्वश्री रामाश्रय प्रसाद सिंह, वामनराव महाडीक, अशोक आनन्द सव देशमुख, मनोरंजन सुर, डा० देवी प्रसाद लाल, कुमारी कमलाजी करेदुला, श्री सी० के० कुप्पुस्वामी, श्रीमती उमा गजपति राजू, सर्वश्री सुरेश कोडीकुन्नील, राजा अम्बान्ना नायक डोरे, डी० के० नायकर, एस० बेंजामिन, वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु, श्रीनिवास राव।

**विपक्ष में : श्री कृपाल सिंह और सरदार अतिन्दर पाल सिंघ।

381 यथा संशोधित।

अध्यक्ष महोदय : अब सदन विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

खंड-2 अनुच्छेद 356 का संशोधन

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) :

पृष्ठ 1, पंक्ति 6—

"चार वर्ष" के स्थान पर "चार वर्ष

और छः मास" प्रतिस्थापित किया जाय। (4)

अध्यक्ष महोदय : श्री खुराना, क्या आप संशोधन के बारे में बोलना चाहेंगे ?

श्री मदन लाल खुराना : जी हां। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : महोदय, यदि आप उन्हें बोलने की अनुमति देते हैं, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन तत्पश्चात् आपको मुझे भी अनुमति देनी होगी। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : संतोष मोहन जी, आपको क्यों नहीं अलाउ करेंगे, जब आपका तरतीम है तो आपको अलाउ न करने का तो सवाल ही नहीं है, आप तो इतने एक्सपीरियंस्ड मेम्बर हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए, खुराना जी आप संक्षेप में बोलिए।

(व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। मेरा निवेदन यह है कि सवाल टाईमिंग का नहीं है कि चुनाव 6 महीने में हों या एक साल में हों। सवाल यह है कि चुनाव स्वतन्त्र और निष्पक्ष होने चाहिए। देश को तोड़ने वाली शक्तियां चुनाव में जीत कर ऐसे हालात न पैदा कर दें। इसलिए मैं जानना चाहता था कि पिछले छः महीने में सरकार ने क्या किया है और अगले 6 महीने की जो मांग हो रही है उसके अन्दर क्या करने जा रही है। मेरी जानकारी यह है कि अभी भी वहां ऐसी शक्तियां हैं, मैं बाहर की बात नहीं करना हूं, यहां भी आपने सुना, जो चुनाव लड़ने और शासन करने के ख्वाब देख रही हैं। ये शक्तियां चाहती हैं कि एक देश में दो विधान बनें। इनको अलग से विधान दिया जाए और निशान दिया जाए। ऐसी बातें जो करते हैं, मेरा निवेदन है कि इन बातों को समाप्त किया जाए। मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं, यह ठीक है कि जम्हूरियत में चुनाव होने चाहिएं। लेकिन जम्हूरियत में ऐसे हालात में चुनाव करा कर हम देश को तोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि सरकार को साफ तौर पर यह कह देना चाहिए, क्योंकि परसों जैसे होम मिनिस्टर ने कहा है कि पाकिस्तान इसके पीछे है। पंथक कमेटी अगर पाकिस्तान में बैठकर पंजाब के चुनाव करवाएगी और इस तरह के हालात पैदा करेगी तो मेरा कहना है कि यह ठीक नहीं है। मैं अपनी अमैंडमेंट विदड्रा करने को तैयार हूं अगर सरकार यह कहे कि इस तरह की शक्तियां जो इस देश के अन्दर दो विधान और दो निशान बनाना चाहती हैं उनको सख्ती से दबाया जाएगा और जब तक पंजाब में ठीक हालात नहीं होते तब तक पंजाब में चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। यह मैं कहना चाहता हूं।

स० अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : अध्यक्ष महोदय, मदन लाल खुराना जी ने हम पर आक्षेप किया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या पंजाब में साम्प्रदायिक दंगे हुए? क्या किसी ने रथ यात्रा निकाली? आप धर्म की राजनीति से अलग करने की बात करते हैं, क्या बी० जे० पी० धर्म का इस्तेमाल नहीं कर रही है? (व्यवधान) मैं अपनी पार्टी की ओर से कहना चाहता हूं कि इस हाउस के जरिए राष्ट्र को धोखा न दें और रथ यात्रा को स्थगित करने का भरोसा दें। आप रथ यात्रा के बारे में अपना स्टैंड स्पष्ट करें। आप यह भी भरोसा दें कि राजनीति में धर्म का हस्तक्षेप नहीं करेंगे।

दूसरी बात, मदन लाल खुराना जी हमको देशद्रोही बनाने का यत्न कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि यह राष्ट्र हमको बतौर सिख के एक्सैप्ट करता है या नहीं? इनकी पार्टी का क्या स्टैंड है, हमें बताइए। मैं मांग करता हूं, मैंने पहली तारीख को भी मांग की थी कि हमें अपना विधान चाहिए। विधान का मतलब संविधान नहीं होता, विधान का मतलब कानून होता है। जब हिन्दू कोड बिल, मुस्लिम कोड बिल बन सकता है तो सिखों के लिए इस देश में कानून क्यों नहीं बन सकता? ये हमको हमेशा बुरी नजरों से देखते हैं, देशद्रोही नजरों से देखते हैं। इनके दिमाग में बीमारी है। ये अपने दिमाग साफ करें। मैं इनसे दोबारा मांग करता हूं कि ये राष्ट्र हित में रथ यात्रा स्थगित करने का भरोसा दें।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि बी० जे० पी० इस देश का विभाजन करने में पूरा जोर लगा रही है। हिन्दू और मुस्लिम को लड़ा रही है, पंजाब में हिन्दू और सिखों को लड़ा रही है। बी० जे० पी० पंजाब में इलैक्शन नहीं चाहती। मैं इनको कंडेम करता हूं।

श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र मेहता (मुम्बई उत्तर पूर्व) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने बी० जे० पी० के बारे में जो कुछ कहा, इसी सम्बन्ध में मैं इनको बताना चाहती हूं कि पंजाब में बी० जे० पी० के 52 लोगों की आज तक हत्या कर दी गई है। न हम सिखों को अलग मानते हैं और न हिन्दुओं को अलग मानते हैं। हिन्दू और सिख हैं, इनकी बेटियां हमारे घरों में हैं और हमारी बेटियां इनके घरों में है। हम किसी भी प्रकार से हिन्दू-सिख को अलग नहीं मानते। (व्यवधान) सिखों और हिन्दुओं को हम अलग नहीं मानते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

गृह मन्त्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : आम सहमति है कि राष्ट्रपति शासन की अवधि केवल छः महीनों के लिए बढ़ाई जा सकती है और इन छः महीनों में हमें चुनाव कराने चाहिए। अतः मैं श्री खुराना से यह अनुरोध करता हूं कि अपना संशोधन वापस ले लें।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : मैं, विदड्रा कर रहा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मेरा एक भाई सिख है और मैं यह नहीं कहता कि हिन्दू और सिख अलग हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खुराना जी, इस पर स्पीच नहीं होती है। आप नियम जानते हो। आप बैठ जाएं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या श्री खुराना ने अपना संशोधन वापस लेने के लिए सदन की अनुमति ली है ?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संशोधन संख्या 2, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

[हिन्दी]

श्री कृपाल सिंह (अमृतसर) : ···(व्यवधान) यह फैसला हो जाए कि किस दिन पंजाब के इलैक्शन होंगे। प्रधान मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट नहीं देते तो मैं यहां पर धरना दिए बैठा हूं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बुजुर्ग हैं और मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं।

···(व्यवधान)···

[अनुवाद]

इस समय श्री कृपाल सिंह आये और सदन में चलने के खाली स्थान (आइल) पर बैठ गये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

इस समय श्री कृपाल सिंह अपने स्थान पर वापस चले गए।

श्री अन्बारासु इरा : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। आप स्वयं हंस रहे हैं, क्योंकि आप जानते हैं आपका व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

अब मैं खंड 2 सभा के मतदान के लिए रखूंगा। खंड 2 को सभा के मतदान के लिए रखने से पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक संविधान (संशोधन) विधेयक है, अतः मत विभाजन द्वारा मतदान करना होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जाएं—

अब, दीर्घाएं खाली कर दी गईं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में

मत विभाजन संख्या—3 समय 11.32 म० पू०

अग्रवाल, श्री जे० पी०
अजित सिंह, श्री
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अन्तुले, श्री ए० आर०
अन्बारासु इरा, श्री
अमात, श्री डी०
अम्बरी, श्री लेइता
अरुणाचलम, श्री एम०
अर्गल, श्री छविराम
अली, श्रीमती सुभाषिनी
अहमद, श्री अनवार
अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी
आचार्य, श्री बसुदेव
इन्द्र जीत, श्री
उन्नीकृष्णन, श्री के० पी०
उमा भारती, कुमारी
ओडेयर, श्री चनैया
कटारिया, श्री गुलाब चन्द
कमल नाथ, श्री
कांबले, श्री अरविंद तुलसीराम
कापसे, प्रो० राम गणेश
काबडे, डा० वेंकटेश
कालवी, श्री कल्याण सिंह
काले, श्री सुखदेव नन्दाजी
कुमारमंगलम, श्री पी० आर०
कुरियन, प्रो० पी० जे०
केशरी लाल, श्री
कोटड़िया, श्री मनुभाई
कोडिकुन्नील, श्री सुरेश
कौल, श्रीमती शीला
कौशिक, श्री पुरुषोत्तम
खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल
खनोरिया, श्री डी० डी०
खां, श्री जुल्फिकार अली
खां, श्री सुखेन्दु
खान, श्री आरिफ मोहम्मद
गजपति, श्री गोपी नाथ
गांधी, श्रीमती मेनका
गांधी, श्री राजीव
गाडगिल, श्री वी० एन०
गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई
गायकवाड़, श्री उदयसिंहराव नानासाहिब
गिरि, श्री सुधीर
गिरियप्पा, श्री सी० पी० मुदाल
गुजराल, श्री इन्द्र कुमार
गुडाविल्ली, श्री वी० के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह

गोमांगो, श्री गिरिधर

चक्रवर्ती, श्री सुशान्त

चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति

चटर्जी, श्री सोमनाथ

चन्द्र शेखर, श्री

चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०

चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०

चांद राम, श्री

चार्ल्स, श्री ए०

चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई

चिदम्बरम, श्री पी०

चेन्नीथाला, श्री रमेश

चेन्नुपति, श्रीमती विद्या

चौधरी, श्री ईश्वर

चौधरी, श्री कमल

चौधरी, श्री दसई

चौधरी श्री राम प्रसाद

चौधरी, श्री रुद्रसेन

चौधरी, श्री लोकनाथ

चौधरी, श्री सैफुद्दीन

चौहान, श्री प्रभात सिंह

जग पाल सिंह, श्री

जटिया, श्री सत्यनारायण

जय प्रकाश, श्री

जयमोहन, श्री ए०

जसवन्त सिंह, श्री

जांगड़े, श्री रेशम लाल

जाटव, श्री थान सिंह

जायनल अबेदिन, श्री

जीवरत्नम, श्री आर०

जू देव, श्री दिलीप सिंह

जेना, श्री श्रीकांत

जोरावर राम, श्री

जोशी, श्री दाऊ दयाल

झा, श्री भोगेन्द्र

टंडेल, श्री डी० जे०

ठाकुर, श्री गाभाजी मंगाजी

डेनिस, श्री एन०

डेलकर, श्री मोहनभाई संजीभाई

डोम, डा० राम चन्द्र

डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक

ढाकणे, श्री बबनराव

तस्लीमुद्दीन, श्री

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास

तारीफ सिंह, श्री

तिवारी, श्री जनार्दन

तिवारी, श्री बृज भूषण

तीरकी, श्री पीयूष

त्यागी, श्री के०सी०

थापा, श्री नन्दू

थामस, प्रो० के० वी०
थोरट, श्री एस० बी०
दण्डवते, प्रो० मधु
दत्त, श्री अमल
दानवे, श्री पुंडलीक हरि
दास, श्री अनादि चरण
दास, श्री भक्त चरण
दिनेश सिंह, श्री
दीक्षित, श्री नरसिंहराव
देब, श्री संतोष मोहन
देवरा, श्री मुरली
देवराजन, श्री बी०
देशमुख, श्री चन्दूभाई
देशमुख, श्री सुदाम दत्तात्रेय
धनखड़, चौ० जगदीप
धवन, श्री हरमोहन
धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार
नन्दी, श्री येल्लैया
नाईक, श्री जी० देवराय
नाईक, श्री राम
नाथू सिंह, श्री
नायक, श्री नकुल
नारायणन, श्री पी० जी०
निकाम, श्री गोविन्दराव
नीतीश कुमार, श्री
नेगी, श्री सी० एम०
नेताम, श्री अरविन्द
नेहरू, श्री अरुण कुमार
पंडियन, श्री डी०
पंवार, श्री हरपाल सिंह
पटनायक, श्री शिवाजी
पटेल, डा० ए० के०
पटेल, श्री चन्द्रेश
पटेल, श्री नटुभाई एम०
पटेल, श्री राम पूजन
पटेल, श्री शान्तिलाल पुरुषोत्तमदास
पटेल, श्री सोमाभाई
परास्ते, श्री दलपत सिंह
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द

पासवान, श्री छेदी

पासवान, श्री राम विलास

पासवान, श्री सुकदेव

पुजारी, श्री जनार्दन

पुरोहित, श्री बनवारीलाल

पैरूमान, डा० पी० वल्लल

प्रधानी, श्री के०

प्रभु, श्री आर०

प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन

प्रसाद, श्री आर० एस०

प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास

प्रसाद, श्री हरि केवल

फर्नान्डीज, श्री जार्ज

फर्नान्डीज, श्री जॉस

फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक

बंगाली सिंह, डा०

बंसी लाल, श्री

बनातवाला, श्री जी० एम०

बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह

बर्मन, श्री पलाश

बशीर, श्री टी०

बसु, श्री अनिल

बसु, श्री चित्त

बानखेले, श्री किसनराव बाबूराव

बाल गौड, श्री टी०

बाला, डा० बसीम

बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला

बासवराज, श्री जी० एस०

बीरेन्द्र सिंह राव,

बेंजामिन, श्री एस०

बेग, श्री आरिफ

बेहेरा, श्री भजमन

बैठा, श्री महेन्द्र

बैस, श्री रमेश

बोपचे, डा० खुशाल परसराम

ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको

भक्त, श्री मनोरंजन

भजन लाल, श्री

भट्टाचार्य, श्री नानी

भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी

भागेय गोवर्धन, श्री

भाटिया, श्री राम सेवक

भारतीय, श्री सन्तोष

भारद्वाज, श्री परसराम

भूरिया, श्री दिलीप सिंह

मंजय लाल, श्री

मंडल, श्री सनत कुमार

मक्कासर, श्री शोपत सिंह

मणवर, श्री बलवन्त

मन्टोष, श्री पाल आर०

मरबनिआंग, श्री पीटर जी०

मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र

मलिक, श्री मंगाराज

मलिक, श्री सत्यपाल

मल्लिकार्जुन, श्री

मसूदल हुसैन, श्री सैयद

महाजन, श्रीमती सुमित्रा

महाता, श्री चित्त

महाबीर प्रसाद, श्री

महाले, श्री हरि शंकर

मायकर, श्री गोपालराव

मिर्धा, श्री नाथू राम

मिश्र, श्री जनेश्वर

मिश्र, श्री बालयोपाल

मिश्र, श्री राज मंगल

मिश्र, श्री सत्यगोपाल

मीणा, डा० किरोड़ी लाल

मीणा, श्री नन्दलाल

मुंजारे, श्री कंकर

मुखर्जी, श्रीमती गीता

मुखोपाध्याय, श्री अजय

मुण्डा, श्री कड़िया

मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र

मुरलीधरण, श्री के०

मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर

मेघवाल, श्री कैलाश

मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह

मेहता, श्रीमती जयन्ती नवीनचन्द्र

मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०

यादव, डा० एस० पी०

यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह

यादव, श्री चुन चुन प्रसाद

यादव, श्री छोटे सिंह

यादव, श्री जनार्दन

यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद

यादव, श्री मित्रसेन

यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि

यादव, श्री रामजीलाल

यादव, श्री शरद

यादव, श्री सूर्य नारायण

यादव, श्री हुक्मदेव नारायण

यादवेन्द्र दत्त, श्री

युवराज, श्री

रंगा, प्रो० एन० जी०

रशीद मसूद, श्री

राउतराय, श्री नीलमणि

राघवजी, श्री

राजवीर सिंह, श्री

राजू, श्रीमती उमा गजपति

राजू, श्री एम० एम० पल्लम

राजू, श्री भू० विजयकुमार

राजे, श्रीमती वसुन्धरा

राजेश्वरन, डा० वी०

राजेश्वरी, श्रीमती वासव

राघवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
रामअवध, श्री
रामधन, श्री
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सजीवन, श्री
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामचन्द्र, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री लालबाबू
राय, डा० सुधीर
राय, श्री हरधन
राय चौधरी, श्री सुदर्शन
राय प्रधान, श्री अमर
राव, श्री आर० गुंडू
राव, श्री के० राम मोहन
राव, श्री जे० वेंगल
राव, श्री श्रीनिवास
रावत, प्रो० रासा सिंह
रावत, श्री हरीश
रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र
रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर
रेड्डी, श्री पी० नरसा
लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री
लोढा, श्री गुमान मल
लोधी, श्री गंगा चरण
वघेला, श्री शंकर सिंह
वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ
वर्मा, श्रीमती ऊषा
वर्मा, श्री एम० सी०
वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद
वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास
वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद
विजयराघवन, श्री ए०
विश्वनाथम, डा०
वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०
शंकरानन्द, श्री वी०
शकीलुर्रहमान, डा०
शाक्य, श्री राम सिंह
शास्त्री, श्री अनिल
शास्त्री, श्री कपिल देव
शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद
शाह, श्री जयन्तीलाल वीरचन्दभाई
शाह, श्री बाबूभाई मेघजी
शिंगडा, श्री डी० बी०

शिवनकर, प्रो० महादेव

शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई

श्रीवास्तव, डा० शैलेन्द्रनाथ

सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद

सरोज, श्री सूरज प्रसाद

सहाय, श्री सुबोध कान्त

साठे, श्री वसंत

सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या

साय, श्री नन्द कुमार

सावे, श्री मोरेश्वर

सिगरावडीवेल, श्री एम०

सिंह, श्री अजय

सिंह, श्री उदय प्रताप

सिंह, श्रीमती उषा

सिंह, प्रो० एन० तोम्बी

सिंह, श्री ललित विजय

सिंह, श्री जगन्नाथ

सिंह, श्री धनराज

सिंह, श्री के० मानवेन्द्र

सिंह, श्री प्रताप

सिंह, श्री मानधाता

सिंह, श्री राधा मोहन

सिंह, श्री राम नरेश

सिंह, श्री राम प्रसाद

सिंह, श्री रामदास

सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप

सिंह, श्री सुखेन्द्र

सिंह, श्री सूर्य नारायण

सिंह, श्री हर गोविन्द

सिंह, श्री हरि किशोर

सिंह देव, श्री ए० एन०

सिलवेरा, डा० सी०

सुन्दरराज, श्री एन०

सुखबंस कौर, श्रीमती

सुर, श्री मनोरंजन

सुल्तानपुरी, श्री के० डी०

सूबेदार, श्री

सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव

सेट, श्री इब्राहीम सुलेमान

सेल्वगरासु, श्री एम०

सैनी, श्री गुरदयाल सिंह

सोरेन, श्री शिबू

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

होरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

प्रसाद, श्री आर० एस०

राय, श्री ए० के०

*सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन**, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 352†

विपक्ष में : 003

प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

---

*गलती से और गलत स्थान से विपक्ष में मत दिया।

**निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री समरेन्द्र कुण्डू, बेगाराम, सत्यपाल सिंह यादव, हर्षवर्धन, युसुफ बेग, राम शरण यादव, कालका दास, मदन लाल खुराना, मगन भाई मणिभाई पटेल, अर्जुनभाई पटेल, प्रेम प्रदीप, डा० महादीपक सिंह शाक्य, सर्वश्री सन्तोष कुमार गंगवार, माणिक साल्याल, डी०डी० खनोरिया, गिरधारी लाल भार्गव, तरित वरण तोपदार, प्रो० सफुद्दीन सोज, सर्वश्री कादम्बूर, एम० आर० जनार्दनन, रामाश्रय प्रसाद सिंह, डा० गुलाम याजदानी, सर्वश्री वामनराव महाडोक, अशोक आनन्द-राव देशमुख, पी० सी० थामस, के०सी० पलनीसामी, डा० देवी प्रसाद पाल, सर्वश्री चिरंजीलाल शर्मा, वी० कृष्ण राव, डा० चिन्ता मोहन, सर्वश्री पी० पैंचालैया, श्रीमती टी० मनेम्मा, कुमारी कमलाजी करेवुला, सर्वश्री धर्मपाल शर्मा, आर० एन० राकेश, पी० षण्मुख, एल० अडईकलराज, सी० के० कुप्पुस्वामी, एल० बलरामन, इ० एस० एम० पाकीर मोहम्मद, वाई० रामकृष्ण, डा० बासवराज जावाली, सर्वश्री एस० टी० पाटिल, सनफोर्ड मारक, के० एस० राव, जे० चौक्का राव, पी० के० चुंगन, ओस्कर फर्नान्डीज, राम प्रकाश, डी० के० नायकर, मोहनलाल झिकराम, प्रतापराव बाबूराव भोंसले, श्रीमती जे० जमुना, सर्वश्री शांताराम पोटदुखे, शिकिहो सेमा, ए० प्रताप साय, एम० जी० रेड्डी, राजमोहन रेड्डी, रामकृष्ण कोंतल, एस० विजय राम राजू वेंकट कृष्ण रेड्डी कासु, बोजा वेंकट रेड्डी, ए० वेंकट रेड्डी, बाबूराव परांजपे।

विपक्ष में : सर्वश्री कृपाल सिंह, राजदेव सिंह, हरभजन लाखा, बाबा सुच्चा सिंह, श्रीमती विमल कौर खालसा, स० अतिन्दर पाल सिंह।

†353 यथा संशोधित।

खण्ड 1—संक्षिप्त नाम

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1, पंक्ति 3,—

"छिहत्तरवां" के स्थान पर "सड़सठवां"

प्रतिस्थापित किया जाए।

(श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद)

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : मुझे 2 या 3 सदस्यों से यह अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि वे विधेयक पारित होने के समय बोलना चाहते हैं। अब श्री ए० के० राय केवल दो मिनट के लिए बोलें।

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मैंने पिछली बार भी अवधि बढ़ाने का विरोध किया था, मैं अब भी अवधि बढ़ाने का विरोध करता हूं। मैं समझता हूं कि यह एक गलत विधेयक है जो गलत समय पर गलत तरीके से लाया गया है और इससे गलत उद्देश्य ही पूरे होंगे।

हमने सुना है कि आम सहमति से सही निर्णय लिया जाता है परन्तु यहां पर हम बुद्धिमत्ता का अभाव देख रहे हैं। यह मूर्खतापूर्ण है। अगर सरकार गलती करे तो विपक्ष इसे ठीक कर सकता है; लेकिन, अगर सरकार और विपक्ष दोनों ही संयुक्त रूप से गलती करते हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि इसे कौन ठीक करेगा। बाहर लोग उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

माननीय गृह मंत्री ने इस सम्बन्ध में जो उत्तर दिया और प्रधान मंत्री भी उत्तर देना चाहते थे लेकिन, बाद में उन्होंने ऐसा नहीं किया, मैं नहीं जानता कि इस सम्बन्ध में उन पर कोई दबाव था या नहीं, मैं नहीं जानता कि उन्होंने यह स्पष्ट क्यों नहीं किया। हम विशेष रूप से यह जानना चाहते हैं कि वहां पर चुनाव संभव कराने के लिए पिछली बार अवधि बढ़ाने के बाद कौन से उपाय विशेष रूप से किए गए और इस कार्य में सरकार क्यों विफल रही और इस संबंध में क्या कमियां रहीं और क्या

[श्री ए० के० राय]

कठिनाइयां रहीं और इस बार इन पर काबू पाने के लिए वे क्या करेंगे। यह एक अत्यन्त विशेष प्रश्न है और सभा इसका उत्तर चाहती है। इसके बगैर, यह बहुत बड़ी गलती होगी और इसे इसी प्रकार कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाए।

डा० तम्बि दुरै (करूर) : आज का दिन बहुत दुखद है क्योंकि पंजाब में हमारे भाई लोकतांत्रिक प्रणाली से वंचित रहेंगे जोकि पहले वहां मौजूद थी। वाद-विवाद के दौरान वामपंथी गुटों सहित सभी वक्ताओं ने कहा कि वे शीघ्र चुनाव चाहते हैं लेकिन अन्ततः उन्होंने कहा है कि पंजाब में चुनाव के लिए अभी अनुकूल माहौल नहीं है।

स्थिति जो भी हो, मैंने वाद-विवाद के दौरान भी प्रधान मंत्री से अनुरोध किया था कि मुझे बताएं कि पंजाब में लोगों में विश्वास उत्पन्न करने के लिए उन्होंने क्या कदम उठाए हैं, क्या वह उनकी भाषा के विकास हेतु और अधिक धनराशि देंगे और क्या वह यह भी घोषित करेंगे कि अनुसूची में शामिल सभी राष्ट्रीय भाषाएं इस देश की सरकारी भाषाएं होंगी। केवल तभी अर्थात ऐसा विश्वास उत्पन्न करके ही वे देश के लोगों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं।

दूसरे, मैंने आर्थिक उपायों के सम्बन्ध में प्रधानमंत्री से पूछा था कि वे काम के अधिकार पर विधेयक कब ला रहे हैं और क्या वह इस सत्र में इसे पेश करेंगे। वह समझते हैं कि पंजाब पर संविधान संशोधन विधेयक को गंभीरतापूर्वक लिया जाए; लेकिन, वह देश में इस सम्पूर्ण समस्या के मुख्य कारण को भूल रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर वे इतनी रुचि लेंगे केवल तभी वह इस देश में आतंकवाद की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री और सरकार से पुनः अनुरोध करता हूं कि अगर संभव हो तो इसी सत्र में काम के अधिकार पर विधेयक पेश किया जाए, विधेयक, लोगों के कुछ वर्गों को सन्तुष्ट करने के लिए लाए जाते हैं उदाहरण के लिए कार्य-सूची में सम्मिलित परिषदों पर विधेयक। इसके अलावा अनेक रैलियां आयोजित की गई हैं जिनमें आपने भी भाग लिया है। जब हम अपनी अर्थव्यवस्था पर बोलते हैं, तो हम पेट्रोलियम की कमी का उल्लेख करते हैं। सरकार रैलियों के आयोजन पर करोड़ों रुपये व्यय कर रही है और इस कार्य में लगी मोटर गाड़ियों के लिए पेट्रोल का उपयोग कर रही है और इस प्रकार हमारी अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसलिए, मैं प्रधान मंत्री से पुनः अनुरोध करता हूं कि वह सुनिश्चित करें कि काम के अधिकार पर एक विधेयक लाया जाए और इस प्रकार देश में बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो और देश में सभी वर्गों की संस्कृति तथा भाषाओं के सम्मान के लिए कदम उठाए जाएं। (व्यवधान)

हम इस सर्वोच्च संस्था में हर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कभी-कभी हम समय का समायोजन करके विधेयक पारित कर रहे हैं परंतु ऐसा भी बातचीत करके ही किया जाता है। लेकिन, किसी ने समाचारपत्रों तथा दूरदर्शन को गलत सूचित किया कि यह सभा इस विधेयक को बगैर चर्चा के ही पारित करेगी, यह गलत है। ऐसा भविष्य में पुनः नहीं होना चाहिए। इसलिए मैं पुनः अनुरोध करता हूं: समाचारपत्रों को सूचित करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही कीजिए और यह सुनिश्चित करें कि इस सभा में जो कुछ होता है, उसकी दूरदर्शन गलत छवि प्रस्तुत न करे।

[हिन्दी]

श्रीमती बिमल कौर खालसा (रोपड़) : आनरेबल स्पीकर साहब, इस संविधान में अमैंडमैंट करने वाले बिल का मैं आरम्भ से विरोध करती आयी हूं और आज भी मैं पुरजोर विरोध करना

चाहती हूं। मैं सदन को बताना चाहती हूं कि जिस दिन प्रधान मंत्री साहब ने हम पंजाब के एम०पीज० की मीटिंग बुलाई थी, उस दिन प्रधान मंत्री जी के विचारों से ऐसा लगता था कि प्रधानमंत्री जी पंजाब में इलैक्शन कराने के पक्ष में हैं। मगर इनकी जो ये सहयोगी पार्टियां हैं : सी०पी०आई०, सी०पी०एम० और बी०जे०पी० ये पंजाब में इलैक्शन कराना नहीं चाहते, इसी वजह से प्रधानमंत्री जी को इनके सामने झुकना पड़ा। ये पार्टियां समझती हैं कि पंजाब में इनका कोई आधार नहीं है, पंजाब में ये इलैक्शन्स अपने बलबूते पर नहीं जीत सकते।

मैं आपको बताना चाहती हूं कि आज जो लोग पंजाब के बारे में प्रधानमंत्री जी को सलाह दे रहे हैं, इन्हीं लोगों ने भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी को भी मशवरा दिया था कि पंजाब में आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ रही हैं, आतंकवादी समाज विरोधी गतिविधियां करने के बाद हरमंदर साहब में शरण ले लेते हैं, छिप जाते हैं। इसीलिए उन्होंने दरबार साहब में ब्ल्यू स्टार आपरेशन करवाने का निर्णय लिया ताकि वहां से आतंकवादियों को बाहर निकाला जा सके। ये लोग समझते थे कि दरबार साहब में इस तरह के आपरेशन करके पंजाब का माहौल ठीक हो जायेगा, लेकिन उसका क्या परिणाम सामने आया, वह सारा देश जानता है।

इस तरह की कार्यवाहियों से पंजाब का माहौल ठीक होने की बजाय और खराब हो गया। पहले ये लोग कहते थे कि आतंकवादी, कार्यवाहियां करके दरबार साहब में जाकर छिप जाते हैं, मगर आज मैं पूछना चाहती हूं कि दरबार साहब को क्यों चारों तरफ से पुलिस ने घेर रखा है, सी०आर०पी० और बी०एस०एफ० ने क्यों उसके चारों तरफ घेरा डाल रखा है। क्यों सिक्खों को वहां मत्था टेकने जाने नहीं दिया जाता ? मैं समझती हूं कि इस तरह की कार्यवाहियों से पंजाब का माहौल ठीक होने की बजाए उल्टा खराब ही होगा। सरकार बताए कि वह पंजाब में इलैक्शन क्यों नहीं करवाना चाहती। क्या इलैक्शन न कराने से पंजाब का माहौल ठीक हो सकता है, उल्टा खराब ही होगा। मैं खुराना साहब से पूछना चाहती हूं कि उनकी पार्टी आज पंजाब में प्रेजीडैंट रूल एक्सटैंड करने के पक्ष में है; क्या इस तरह से पंजाब के माहौल को ठीक करने में किसी तरह की सहायता मिल सकती है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि पंजाब का माहौल अभी इलैक्शन कराने के लिए उपयुक्त नहीं है, मेरे विचार में वे खुद पंजाब का माहौल खराब कर रहे हैं। एक तरफ कहते हैं पंजाब का माहौल ठीक नहीं है, वहां इलैक्शन नहीं हो सकते, और दूसरी तरफ एन्टीरिजर्वेशन वालों को बढ़ावा देकर, वहां का माहौल और ज्यादा खराब करने में मदद पहुंचा रहे हैं। सरकार को इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। बुलेट के जरिये किसी भी समस्या को सोल्व नहीं किया जा सकता, पंजाब समस्या को भी बुलेट से हल नहीं किया जा सकता।

आज पंजाब में पुलिस का राज है। आप पंजाब जाकर देखिए कि वहां लोग पुलिस के जुल्मों से कितना तड़प रहे हैं। प्रेजीडैंट रूल एक्सटैंड कर दिए जाने से पुलिस वाले लोगों पर और ज्यादा अत्याचार करने लगेंगे। पुलिस वाले नहीं चाहते, वहां की अफसरशाही नहीं चाहती कि पंजाब में इलैक्शन हों। आज स्थिति यह है कि पुलिस वालों ने सारे कानून को अपने हाथ में ले रखा है। जो फैसला कोर्ट को करना चाहिए, वे फैसले आज पंजाब की पुलिस करती है, वहां के अफसर करते हैं। यहां तक कि मृत्यु दण्ड भी पुलिस वाले ही देते हैं। यदि आप वास्तव में पंजाब का माहौल ठीक करना चाहते हैं तो आज ही सदन में डिक्लेयर किया जाए कि पंजाब में आप कब इलैक्शन करायेंगे और उसके लिए माहौल कब ठीक होगा।

पंजाब के माहौल को ठीक करने के लिए आप क्या स्टैप्स उठाने जा रहे हैं, प्रेजीडैंट रूल

[श्रीमती बिमल कौर खालसा]

एक्सटैंड करने के बाद। दूसरे मेरा निवेदन है कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन हुए बहुत साल गुजर गये हैं, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इलैक्शन्स जल्दी से जल्दी कराये जायें और जो वर्तमान प्रबंधक कमेटी है, उसे हटाया जाये। आज स्थिति यह हो गयी है कि कोई भी सिक्ख वहां मत्था टेकने नहीं जा सकता। ब्ल्यू स्टार ऑपरेशन के बाद भी 6 जून को जब हम वहां मत्था टेकने के लिए गये तो पुलिस वालों ने हमें पकड़ कर जेल में बंद कर दिया। पंजाब की आज यह हालत है। इसके बावजूद कुछ लोग यहां कानून और संविधान की बातें करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं कि क्या भारत का संविधान इजाजत देता है कि किसी नौजवान को उसके घर से पकड़ कर कई-कई सालों तक जेल में बंद कर दिया जाये और उसके बारे में बिल्कुल कोई सूचना न दी जाये।

हमारे यहां गांव बुद्धगढ़ का एक नौजवान खुशविन्दर सिंह था, जिसे तीन साल हो गये, पुलिस वाले पकड़ कर ले गये थे, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है कि वह कहां है। उसके मां-बाप उसे ढूंढते फिर रहे हैं। वैसे ही एक कुलविन्दर सिंह उर्फ किड है, जो अपने मां-बाप का इकलौता बेटा है। पुलिस वाले सब के सामने उसे उठाकर ले गये थे। आज कहा जा रहा है कि वह फरार हो गया। न जाने कितने नौजवानों को उनके घरों से पकड़ कर ले जाया गया है, पुलिस वाले ले जाते हैं और कई-कई हजार, 40-50 हजार रुपये लेकर उन्हें रिहा किया जाता है। पंजाब में आज ऐसी हालत है। इसलिए मैं पूछना चाहती हूं कि सरकार आज ही सदन को बताये कि पंजाब में कब तक इलैक्शन करा दिये जायेंगे, पंजाब का माहौल आप कैसे ठीक करेंगे, पंजाब के माहौल को ठीक करने के लिए कौन से स्टैप्स उठाये जायेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत।

श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग) : अध्यक्ष महोदय, गृह मंत्री इस आशा से श्री खुराना से अपना संशोधन वापस लेने का अनुरोध कर रहे हैं कि हम छः महीनों के अन्दर चुनाव करवाने की उम्मीद कर रहे हैं। मेरी दृष्टि में, आशा को प्रकट करना काफी नहीं है। मैं गृह मंत्री से एक पक्का आश्वासन चाहता हूं और वास्तव में स्वयं प्रधान मंत्री से भी यह आश्वासन चाहता हूं कि छः महीनों के अन्दर चुनाव किए जाएंगे और आगे समय बढ़ाने की और मांग नहीं की जायेगी।

एक और आश्वासन यह दिया जा सकता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे, अन्यथा वही स्थिति होगी और दोनों में कोई अन्तर नहीं होगा। यह आश्वासन स्वयं प्रधानमंत्री को देना चाहिए।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, यहां सदन में यह पहले ही कहा जा चुका है कि सरकार पंजाब में चुनाव कराने के लिए सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए बहुत उत्सुक है। पहले, जब हम समय बढ़ाना चाहते थे, उस समय हमने यह कहा था। यह एक तथ्य है कि हमारा विश्वास नहीं किया जा रहा। जब हम कहते हैं कि हम चुनाव करवाएंगे, तो हो सकता है, कि कोई हमारा विश्वास न करे। (व्यवधान)

मुझे जो कहना है, वह मुझे कह देना चाहिए। मुझे यह कहने दें। इसलिए, इस पर काफी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने पंजाब में अकाली दल सहित सभी वर्गों के लोगों से बात की थी। अपने सहयोगी

दलों, भारतीय जनता पार्टी, सी० पी० एम०, सी० पी० आई० के साथ विस्तार से बातचीत की गई थी और यह सामान्य सर्वसम्मति बनाई गई थी कि पंजाब में स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं। इसलिए, मुख्य विपक्षी दल, कांग्रेस सहित सभी दलों का यही प्रयास होना चाहिए कि हम सब एकजुट होकर ऐसी राजनैतिक परिस्थितियां उत्पन्न करें ताकि आगामी छः महीनों में चुनाव संभव हो सकें।

जहां तक सरकार का संबंध है, प्रधानमंत्री ने पहले ही आश्वासन दिया है कि पंजाब में चुनाव करवाए जाएंगे। हम पंजाब की जनता को उसके लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित नहीं रख सकते। उन्हें अपने प्रतिनिधि चुनने का वैसा ही लोकतांत्रिक अधिकार है जैसे कि देश के अन्य भाग के नागरिकों को है। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं, विशेषकर उन सदस्यों को जिन्होंने चुनाव करवाने के लिए आवाज उठाई है, इस बात की कोई संभावना नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी, सी० पी० एम, सी० पी० आई० चुनाव करवाने के बारे में जनता दल का विरोध करें। यह निर्णय सर्वसहमति से लिया गया था कि अवधि बढ़ाना आवश्यक है। जब तक पंजाब में स्थिति सामान्य नहीं हो जाती और एक अनुकूल वातावरण उत्पन्न नहीं होता तब तक वहां स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकते। इसलिए, हमारा सम्मिलित प्रयास होगा कि पंजाब में ऐसी अनुकूल स्थितियां उत्पन्न करें कि वहां स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव हो सकें।

श्री कमल चौधरी (होशियारपुर) : स्वतन्त्र और निष्पक्ष चुनाव कैसे करवाए जा सकते हैं··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमल चौधरी, कृपया बैठ जाएं।

विधेयक को, संशोधित रूप में पारित करने के प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखने से पूर्व, मैं यह बता देना चाहता हूं कि यह संविधान (संशोधन) विधेयक है अतः इस पर मतदान मत विभाजन द्वारा होगा।

दीर्घाएं खाली कर दी जायें—

अध्यक्ष महोदय : अब, दीर्घाएं खाली हो गयी हैं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

लोक सभा में मत-विभाजन हुआ।

पक्ष में

(मत विभाजन संख्या 4) (समय·····11.55 म० पू०)

अग्निहोत्री, श्री राजेन्द्र
अतीतन, श्री धनुषकोडी आर०
अग्रवाल, श्री जे० पी०
बन्सुधे, श्री ए० आर०
अजित सिंह, श्री
अम्बारासु इरा, श्री
अडईकलराज, श्री एल०
अमात, श्री डी०

अम्बरी, श्री लेइता

अरुणाचलम, श्री एम०

अर्मल, श्री छविराम

अशोकराज, श्री ए०

अहमद, श्री अनवार

अहमद, श्री कमालुद्दीन

अहेर, डा० दौलतराव सोनूजी

आचार्य, श्री वसुदेव

इन्द्र जीत, श्री

उन्नीकृष्णन, श्री के०पी०

उमा भारती, कुमारी

एन्टनी, श्री पी० ए०

ओडेयर, श्री चनैया

कटारिया, श्री गुलाब चन्द

कमल नाथ, श्री

कांबले, श्री अरविन्द तुलसीराम

कापसे, प्रो० राम गणेश

काबडे, डा० वेंकटेश

कामसन, प्रो० मिजिनलंग

कालका दास, श्री

कालवी, श्री कल्याण सिंह

काले, श्री सुखदेव नन्दाजी

कासु, श्री वेंकट कृष्ण रेड्डी

कुण्डू, श्री समरेन्द्र

कुप्पुस्वामी, श्री सी० के०

कुमारमंगलम, श्री पी० आर०

कुरियन, प्रो० पी० जे०

केशरी लाल, श्री

कोंतल, श्री राम कृष्ण

कोटड़िया, श्री मनुभाई

कोडिक्कुन्नील, श्री सुरेश

कौल, श्रीमती शीला

कौशिक, श्री पुरुषोत्तम

खंडेलवाल, श्री प्यारेलाल

खनोरिया, श्री डी०डी०

खां, श्री जुल्फिकार अली

खां, श्री सुखेन्दु

खान, श्री आरिफ मोहम्मद

खुराना, श्री मदन लाल

गजपति, श्री गोपीनाथ

गांधी, श्रीमती मेनका

गांधी, श्री राजीव

गाडगिल, श्री वी०एन०

गामित, श्री छीतूभाई देवजीभाई

गायकवाड़, श्री उदयसिंहरावलानासाहिब

गिरि, श्री सुधीर

गिरियप्पा, श्री सी०पी० मुदाल

गुजराल, श्री इन्द्र कुमार

गुडादिन्नी, श्री बी० के०

गुप्त, श्री इन्द्रजीत

गुप्त, श्री जनकराज

गुप्त, श्री धर्मपाल सिंह

गोमांगो, श्री गिरिधर
गौडर, श्री ए० एस०
गोड़ा, श्री डी० एम० पुट्टे
चक्रवर्ती, श्री सुशान्त
चटर्जी, श्री निर्मल कान्ति
चटर्जी, श्री सोमनाथ
चन्द्रशेखर, श्री
चन्द्रशेखर, श्रीमती एम०
चन्द्रशेखरप्पा, श्री टी० वी०
चांद राम, श्री
चार्ल्स, श्री ए०
चावड़ा, श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई
चिदम्बरम, श्री पी०
चिन्ता मोहन, डा०
चेन्नीथाला, श्री रमेश
चेन्नपति, श्रीमती विद्या
चौधरी, श्री ईश्वर
चौधरी, श्री कमल
चौधरी, श्री दसई
चौधरी, श्री राम प्रसाद
चौधरी, श्री रुद्रसेन
चौधरी, श्री लोकनाथ
चौहान, श्री प्रभात सिंह
जग पाल सिंह, श्री
जटिया, श्री सत्यनारायण
जनार्दनन् श्री कादम्बुर एम० आर०
जमुना, श्रीमती जे०
जय प्रकाश, श्री
जयमोहन, श्री ए०
जसवन्त सिंह, श्री
जाँगड़े, श्री रेशम लाल
जाटव, श्री धान सिंह
जाफर शरीफ, श्री सी० के०
जायनल अबेदिन, श्री
जावाली, डा० बासवराज
जीवरत्नम, श्री आर०
जू देव, श्री दिलीप सिंह
जेना, श्री श्रीकांत
जोरावर राम, श्री
जोशी, श्री दाऊ दयाल
झा, श्री भोगेन्द्र
झिकराम, श्री मोहनलाल
टंडेल, श्री डी० जे०
ठाकुर, श्री बाबाजी मंगाजी
डामोर, श्री सोमजीभाई
डेनिस, श्री एन०
डेलकर, श्री मोहनभाई, संजीभाई
डोम, डा० रामचन्द्र
डोरे, श्री राजा अम्बान्ना नायक
ढाकणे, श्री बबनराव
तम्बि दुरै, डा०
तस्लीमुद्दीन, श्री

तारवाला, श्री अमृतलाल वल्लभदास

तारीफ सिंह, श्री

तिवारी, श्री जनार्दन

तिवारी, श्री बृज भूषण

तीरकी, श्री पीयूष

त्यागी, श्री के० सी०

थापा, श्री नन्दू

थामस, प्रो० के० वी०

थामस, श्री पी० सी०

थुंगन, श्री पी० के०

थोरट, श्री एस० बी०

दण्डवते, प्रो० मधु

दत्त, श्री अमल

दानवे, श्री पुंडलीक हरि

दास, श्री अनादि चरण

दास, श्री भक्त चरण

दासगुप्त, डा० बिप्लव

दिनेश सिंह, श्री

दीक्षित, श्री नरसिंहराव

देव, श्री संतोष मोहन

देवरा, श्री मुरली

देवराजन, श्री बी०

देशमुख, श्री अशोक आनन्दराव

देशमुख, श्री चन्दूभाई

धनखड़, डा० जगदीप

धवन, श्री हरमोहन

धूमाल, प्रो० प्रेम कुमार

नन्दी, श्री येल्लैया

नाईक, श्री राम

नाथू सिंह, श्री

नायक, श्री नकुल

नायकर, श्री डी० के०

नारायणन, श्री पी० जी०

निकाम, श्री गोविन्दराव

नीतीश कुमार, श्री

नेगी, श्री सी० एम०

नेताम, श्री अरविन्द

नेहरू, श्री अरुण कुमार

पंडियन, श्री डी०

पंवार, श्री हरपाल सिंह

पचेरवाल, श्री गोपाल

पटनायक, श्री शिवाजी

पटेल, डा० ए० के०

पटेल, श्री अर्जुन भाई

पटेल, श्री चन्द्रेश

पटेल, श्री नटूभाई एम०

पटेल, श्री प्रहलाद सिंह

पटेल, श्री मगनभाई मणिभाई

पटेल, श्री राम पूजन

पटेल, श्री शांतिलाल पुरुषोत्तमदास

पटेल, श्री सोमाभाई

परास्ते, श्री दलपत सिंह

परांजपे, श्री बाबूराव
पलनीसामी, श्री के० सी०
पांजा, श्री अजीत
पांडे, श्री राजमंगल
पाटिल, श्री उत्तमराव
पाटिल, श्री उत्तमराव लक्ष्मणराव
पाटिल, श्री एस० टी०
पाटिल, श्री बालासाहिब विखे
पाटिल, श्री बासवराज
पाटिल, श्री शंकरराव
पाटिल, श्री शिवराज वी०
पाटीदार, श्री रामेश्वर
पाठक, श्री हरिन
पाणि, श्री रवि नारायण
पाण्डेय, प्रो० यदुनाथ
पाण्डेय, डा० लक्ष्मीनारायण
पाल, श्री रूपचन्द
पासवान, श्री छेदी
पासवान, श्री राम विलास
पासवान, श्री सुकदेव
पुजारी, श्री जनार्दन
पुरुषोत्तमन, श्री वक्कम
पुरोहित, श्री बनवारी लाल
पेरूमान, डा० पी० वल्लल
पैंचालैया, श्री पी०
पोटदुखे, श्री शांताराम
प्रधानी, श्री के०
प्रभु, श्री आर०
प्रमाणिक, श्री राधिका रंजन
प्रसाद, श्री आर० एस०
प्रसाद, श्री वी० श्रीनिवास
प्रसाद, श्री हरि केवल
प्रेम प्रदीप, श्री
फर्नान्डीज, श्री ओस्कर
फर्नान्डीज, श्री जार्ज
फर्नान्डीज, श्री जॉस
फुंडकर, श्री भाऊसाहेब पुंडलीक
बंगाली सिंह, डा०
बंसी लाल, श्री
बनातवाला, श्री जी० एम०
बनेड़ा, श्री हेमेन्द्र सिंह
बर्मन, श्री पलाश
बलरामन, श्री एल०
बशीर, श्री टी०
बसु, श्री अनिल
बसु, श्री चित्त
बानखेले, श्री किशनराव बाबूराव
बाल गोड, श्री टी०
बाला, डा० असीम
बाली, श्रीमती वैजयन्तीमाला
बासवराज, श्री जी० एस०
बीरेन्द्र सिंह, राव

बेंजामिन, श्री एस०
बेग, श्री आरिफ
बेग, श्री यूसुफ
बेहेरा, श्री भजमन
बैठा, श्री महेन्द्र
बैस, श्री रमेश
बोपचे, डा० खुशाल परसराम
ब्रह्मभट्ट, श्री प्रकाश कोको
भक्त, श्री मनोरंजन
भजन लाल, श्री
भट्टाचार्य, श्री नानी
भट्टाचार्य, श्रीमती मालिनी
भागेय गोवर्धन, श्री
भाटिया, श्री राम सेवक
भारतीय, श्री सन्तोष
भारद्वाज, श्री परसराम
भार्गव, श्री गिरधारी लाल
भूरिया, श्री दिलीप सिंह
भोये, श्री रेवमा मोतीराम
भोसले, श्री प्रतापराव बाबूराव
मंजय लाल, श्री
मंडल, श्री सनत कुमार
मणवर, श्री बलवन्त
मंटोष, श्री पाल आर०
मरबनिआंग, श्री पीटर जी०
मलिक, श्री पूर्ण चन्द्र
मलिक, श्री मंगाराज
मलिक, श्री सत्यपाल
मल्लिकार्जुन, श्री
मसूदल हुसैन, श्री सैयद
महतो, श्री शैलेन्द्र
महाजन, श्रीमती सुमित्रा
महाडीक, श्री वामनराव
महाता, श्री चित्त
महाबीर प्रसाद, श्री
महाले, श्री हरि शंकर
मायकर, श्री गोपालराव
मिर्धा, श्री नाथू राम
मिश्र, श्री जनेश्वर
मिश्र, श्री राज मंगल
मिश्र, श्री सत्यगोपाल
मीणा, डा० किरोड़ी लाल
मीणा, श्री नन्दलाल
मुंजारे, श्री कंकर
मुखर्जी, श्रीमती गीता
मुजाहिद, श्री बी० एम०
मुण्डा, श्री कड़िया
मुण्डा, श्री गोविन्द चन्द्र
मुरलीधरण, श्री के०
मूर्ति, श्री एम० वी० चन्द्र शेखर
मूर्ति, श्री कुसुम कृष्ण
मेघवाल, श्री कैलाश

मेवाड़, श्री महेन्द्र सिंह
मेहता, श्रीमती जयवन्ती नवीनचन्द्र
मैथ्यू, श्री पलाई के० एम०
मोहम्मद, श्री इ० एस० एम० पाकीर
याजदानी, डा० गुलाम
यादव, डा० एस० पी०
यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह
यादव, श्री चुन चुन प्रसाद
यादव, श्री छोटे सिंह
यादव, श्री जनार्दन
यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद
यादव, श्री बालेश्वर
यादव, श्री मित्रसेन
यादव, श्री रमेन्द्र कुमार रवि
यादव, श्री राम शरण
यादव, श्री रामजीलाल
यादव, श्री शरद
यादव, श्री सत्यपाल
यादव, श्री सूर्यनारायण
यादव, श्री हुक्मदेव नारायण
यादवेन्द्र दत्त, श्री
युवराज, श्री
रंगा, प्रो० एन० जी०
रशीद मसूद, श्री
राउतराय, श्री नीलमणि
राकेश, श्री आर० एन०
राघवजी, श्री
राजवीर सिंह, श्री
राजू, श्रीमती उमा गजपति
राजू, श्री एम० एम० पल्लम
राजू, श्री एस० विजय राम
राजू, श्री भू० विजयकुमार
राजेश्वरन, डा० वी०
राजेश्वरी, श्रीमती वासव
राथवा, श्री एन० जे०
राठौड़, श्री उत्तम
राठौर, डा० भगवान दास
राणा, श्री काशीराम छबीलदास
राम अवध, श्री
राम धन, श्री
राम प्रकाश, चौ०
राम बाबू, श्री ए० जी० एस०
राम सागर, श्री (बाराबंकी)
राम सागर, श्री (सैदपुर)
राम सिंह, श्री
रामकृष्ण, श्री वाई०
रामचन्द्रन, श्री मुल्लापल्ली
रामदास, डा० आर०
राममूर्ति, श्री के०
राय, श्री एम० रमन्ना
राय, श्री कल्प नाथ
राय, श्री लालबाबू

राय, श्री हरधन

रायचौधरी, श्री सुदर्शन

रायप्रधान, श्री अमर

राव, श्री आर० गुन्डू

राव, श्री के० एस०

राव, श्री के० राम मोहन

राव, श्री जे० चौक्का

राव, श्री जे० वेंगल

राव, श्री वी० कृष्ण

राव, श्री श्रीनिवास

रावत, प्रो० रासा सिंह

रावत, श्री हरीश

रेड्डी, श्री आर० सुरेन्द्र

रेड्डी, श्री ए० वेंकट

रेड्डी, श्री एम० जी०

रेड्डी, श्री कोटला विजय भास्कर

रेड्डी, श्री पी० नरसा

रेड्डी, श्री वी० एन०

रेड्डी, श्री बोजा वेंकट

रेड्डी, श्री राजमोहन

लक्ष्मणन, प्रो० सावित्री

लोढा, श्री गुमान मल

लोधी, श्री गंगा चरण

वघेला, श्री शंकरसिंह

वर्मा, श्री उपेन्द्र नाथ

वर्मा, श्रीमती ऊषा

वर्मा, श्री एम० सी०

वर्मा, श्री धर्मेश प्रसाद

वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास

वर्मा, श्री रीतलाल प्रसाद

वर्मा, श्री शिव शरण

विजयराघवन, श्री ए०

विश्वनाथम, डा०

वेंकटेशन, श्री पी० आर० एस०

वेकरिया, श्री एस० एन०

शंकरानन्द, श्री बी०

शकीलुर्रहमान, डा०

शर्मा, श्री चिरंजी लाल

शर्मा, श्री धर्म पाल

शाक्य, डा० महादीपक सिंह

शाक्य, श्री राम सिंह

शास्त्री, श्री अनिल

शास्त्री, श्री कपिल देव

शास्त्री, श्री यमुना प्रसाद

शाह, श्री जयंतीलाल वीरचन्दभाई

शाह, श्री बाबूभाई मेघजी

सिंगडा, श्री डी० बी

शिवनकर, प्रो० महादेव

शेखड़ा, श्री गोविन्दभाई कानजीभाई

श्रीकान्त्या, श्री एच० सी०

श्रीवास्तव, डा० जैलेन्द्रनाथ

षण्मुख, श्री पी०

सईद, श्री पी० एम०
सईद, श्री मुफ्ती मोहम्मद
सरवर हुसैन, श्री
सरोज, श्री सरजू प्रसाद
सहाय, श्री सुबोध कांत
साठे, श्री वसंत,
सादुल, श्री धर्मन्ना मोन्डय्या
सान्याल, श्री माणिक
साय, श्री नन्द कुमार
सारण, श्री दौलत राम
सावे, श्री मोरेश्वर
सिंगरावडीवेल, श्री एस०
सिंधिया, श्री माधवराव
सिंधिया, श्रीमती विजयाराजे
सिंह, श्री अजय
सिंह, श्री उदय प्रताप
सिंह, श्रीमती ऊषा
सिंह, प्रो० एन० तोम्बी
सिंह, श्री ललित विजय
सिंह, श्री जगन्नाथ
सिंह, श्री तेज नारायण
सिंह, श्री धनराज
सिंह, श्री के० मानवेन्द्र
सिंह, श्री प्रताप
सिंह, श्री मानधाता
सिंह, श्री राधा मोहन
सिंह, श्री राम नरेश
सिंह, श्री राम प्रसाद
सिंह, श्री राम दास
सिंह, श्री रामाश्रय प्रसाद
सिंह, श्री लोकेन्द्र
सिंह, श्री विश्वनाथ प्रताप
सिंह, श्री सुखेन्द्र
सिंह, श्री हर गोविन्द
सिंह, श्री हरि किशोर
सिंह देव, श्री ए० एन०
सिदनाल, श्री एस० बी०
सिलवेरा, डा० सी०
सुन्दरराज, श्री एन०
सुखबंस कौर, श्रीमती
सुमन, श्री रामजी लाल
सुम्बरुई, श्री बागुन
सुर, श्री मनोरंजन
सुल्तानपुरी, श्री के० डी०
सूर्यवंशी, श्री नरसिंहराव
सेट, श्री इब्राहिम सुलेमान
सेमा, श्री शिकिहो
सेल्वारासु, श्री एम०
सैनी, श्री गुरदयाल सिंह
सोज, प्रो० सैफुद्दीन
सोढ़ी, श्री मानकूराम
सोनकर, श्री कल्पनाथ

सोरेन, श्री शिबू

सोलंकी, श्री सूरजभानु

हंसदा, श्री मतिलाल

हन्नान मोल्लाह, श्री

हरीश पाल, श्री

हर्षवर्धन, श्री

हीरा भाई, श्री

हेत राम, श्री

होटा, श्री भवानी शंकर

विपक्ष में

अतिन्दर पाल सिंह, स०

प्रसाद, श्री आर० एस०

राजदेव सिंह, श्री

राय, श्री ए० के०

अध्यक्ष महोदय : शुद्धि के अध्यधीन*, मत विभाजन का परिणाम इस प्रकार है :

पक्ष में : 432**

विपक्ष में : 69

"प्रस्ताव सभा की समस्त सदस्य संख्या के बहुमत से तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो-तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित हुआ।"

"विधेयक, संशोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित बहुमत द्वारा पारित हुआ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

———

*निम्नलिखित सदस्यों ने भी अपना मतदान किया :

पक्ष में : सर्वश्री बेगाराम, बाल गोपाल मिश्र, सैफुद्दीन चौधरी, श्रीमती वसुन्धरा राजे, श्रीमती सुभाषिनी अली, सर्वश्री शोपत सिंह मक्कासर, संतोष कुमार गंगवार, डा० सुधीर राय, अजय मुखोपाध्याय, तरित वरण तोपदार, राम सजीवन, डा० के० कालीमुथु, सूर्य नारायण सिंह, राम कृष्ण यादव, सुदाम दत्तात्रेय देशमुख, डा० देवी प्रसाद पाल, जी० देवराय, नाईक, कुमारी कमलाजी करेद्दुला, सर्वश्री सनफोर्ड मारक, अब्दुल समद और रेशमा मोतीराम भोये।

विपक्ष में : सर्वश्री किरपाल सिंह, हरभजन लाखा, बाबा सुच्चा सिंह, श्रीमती बिमल कौर खालसा।

**433 संशोधित रूप में।

12.00 मध्याह्न

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : आपको मुझे सुनना होगा। (व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्री पी० उपेन्द्र) : स्थगन प्रस्ताव पर हम 2.00 बजे चर्चा प्रारम्भ करेंगे। कृपया आप यह बताएं कि आप कितने घण्टों की अनुमति दे रहे हैं और किस समय मतदान होगा।

अध्यक्ष महोदय : हम चर्चा 2 बजे शुरू करेंगे। मैं सोचता हूं कि, ढाई घण्टे काफी होंगे।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : तीन घण्टे।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मतदान ठीक 5 बजे होगा। क्या इस पर सहमति है ?

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : कई सदस्य हैं जो इसमें भाग लेना चाहेंगे। इसलिए 5 बजे का समय हमें स्वीकार नहीं है। इसे 6 बजे कर दें। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा ठीक 2 बजे शुरू करेंगे। यह 6 बजे तक चलेगी और 6 बजे के बाद मतदान होगा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं चाहता हूं कि मेरी बातों का उत्तर देने के लिए प्रधानमंत्री यहां हों। मैंने एक स्थगन प्रस्ताव रखा है···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप लोग शांति से जाइए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप कृपया सदन में व्यवस्था बहाल करें।

अध्यक्ष महोदय : आप बोल सकते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह ना तो सेन्ट्रल हाल है ना ही उनके दल का आफिस। यहां अनुशासन नहीं है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप अध्यक्ष की भूमिका को नहीं समझते। क्या आप कृपया अपने स्थान पर जायेंगे ? आप अध्यक्ष नहीं हैं, मैं अध्यक्ष हूं···।"

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : देखिए मंत्री क्या कर रहे हैं। उन्हें उनके स्थानों पर बैठने दें। कश्मीर जल रहा है। निर्दोष लोगों की हत्याएं की जा रही हैं···(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपने जो कहा; ठीक है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आराम से बात करते हैं तो सुनते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं, बोलिए न।

12.05 म० प०

1 अक्तूबर, 1990 को जम्मू और कश्मीर में हंदवारा में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या और दुकानों को जलाए जाने के बारे में

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मैंने आज एक स्थगन प्रस्ताव और नियम 184 के अन्तर्गत भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, क्योंकि मैं चाहता था कि यह सभा एक संकल्प स्वीकृत करे जिसमें केन्द्र सरकार से कश्मीर में निर्दोष व्यक्तियों की हत्या, विनाश और घरों को जलाए जाने को रोकने के लिए कहा जाए। 1 अक्तूबर, 1990 को हंदवारा में सीमा सुरक्षा बल ने निर्दोष लोगों पर सीमा सुरक्षा बल के एक जवान की हत्या के बदले में अन्धाधुन्ध गोलियां चलाईं। उन्होंने घरों और दुकानों को आग लगा दी तथा लगभग 295 दुकानों, 38 मकानों और 25 खाद्यान्न भण्डारों को जला कर राख कर दिया और कई निर्दोष लोग इन जलती हुई दुकानों के अन्दर फंसकर रह गए। कल शाम इंडियन एक्सप्रेस में लिखा था कि मलबे में सात शव पाये गये और सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मरने वालों की संख्या 22 है। जबकि वास्तविक संख्या 30 से अधिक होगी। केन्द्र सरकार इन मौतों और विनाश की इस स्थिति पर गौर कर रही है और राज्य सरकार को उग्रवादियों और निर्दोष लोगों के बीच विभेद करने को नहीं कह रही है। मैं इस सरकार से कश्मीर पर अपनी नीति स्पष्ट करने के लिए कहता हूं। उसका वहां क्या करने का विचार है? मेरी राय में यह स्थिति युद्ध की स्थिति से भी बदतर है और कभी-कभी तो मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार ने कश्मीर के निर्दोष लोगों के विरुद्ध परोक्ष रूप से लड़ाई छेड़ रखी है। माननीय मंत्री को मेरे मुद्दों का उत्तर देने दीजिए। राज्यपाल ने कश्मीर के लोगों को काफी नुकसान पहुंचाया है, क्योंकि उनके सलाहकार वही लोग हैं, जिन्होंने भूतपूर्व राज्यपाल श्री जगमोहन के साथ काम किया था। अब, निर्दोष लोगों की हत्या करना नियमित कार्यकलाप हो चुका है। यह राज्यपाल उग्रवादियों और निर्दोष लोगों में विभेद करने में असमर्थ रहे हैं। इसीलिए इस समय वहां दो काले कानून चल रहे हैं—अशान्त क्षेत्र अधिनियम और सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम। ये दोनों काले कानून सुरक्षा बलों को मकान नष्ट करने या कुछ भी करने के लिए गोली चलाने का पूरा अधिकार देते हैं। राज्यपाल के प्रशासन ने उन कर्मचारियों के साथ जो आम हड़ताल पर गये थे, टकराव वाला रवैया अख्तियार किया है। अब आम आदमी परेशानी में है। राशन की दुकानें बन्द हैं, चिकित्सा सेवायें पूरी तरह से ठप्प हैं, बिजली और पानी की आपूर्ति भी खराब है। बैंक बन्द हैं और आम लोग बहुत मुश्किल का सामना कर रहे है। क्या राज्य चलाने का यही तरीका है? मुझे माननीय गृह मन्त्री से अपने प्रश्नों के उत्तर चाहिए अन्यथा मैं सदन से बाहर चला जाऊंगा। उन्हें मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : लोगों को मार दिया गया, हो गया न। सोज साहब आप बैठो न। मैंने आपको बोलने की इजाजत दे दी। अब यह बहुत गलत कर रहे हैं आप। आपने अपनी बात कह दी, अब बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय गृह मंत्री उत्तर दे रहे हैं।

गृह मंत्री (श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद) : महोदय, हंदवारा में परसों कई दुकानों और मकानों को आग लग गई।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : ये कोई 295 होंगे।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : माननीय सदस्य, श्री सोज अच्छी तरह जानते हैं कि सम्पूर्ण कुपवारा जिला ही काफी अधिक प्रभावित है। वहां काफी आतंकवादी गतिविधियां चल रही हैं, काफी लोग कुपवारा से घुसपैठ कर रहे हैं और वहां कई मुठभेड़ हुई हैं तथा पिछले चार दिनों में सुरक्षा बलों ने 158 ए० के 47 राईफलें जब्त की हैं तथा सीमा पर 150 लोग पकड़े गए हैं। यहां आतंकवादियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों की जल्दी-जल्दी कई मुठभेड़ हुईं और आतंकवादियों ने कई घातक हमले किए। हंदवारा में पुलिस थाने पर एक घातक हमला हुआ था। हमारे सीमा सुरक्षा बल और कश्मीर पुलिस के साथ घंटों तक मुठभेड़ हुई। सीमा सुरक्षा बल बाहर सड़क पर नहीं थे। और उन्होंने दुकानदारों से केवल अपनी दुकानें खाली करने के लिए कहा, ताकि वे अपने मोर्चे संभाल सकें। तब मुझे कहा गया—इस मामले पर जांच होनी चाहिए—उन्हने उनकी दुकानों पर हथगोले फेंके और दुकानों को आग लग गई। मैं इस बात से सहमत हूं कि उन्हें मजबूर किया गया, हमारे सुरक्षा बलों द्वारा ज्यादतियां की गईं और उसकी जांच होनी चाहिए। कई जांच हुई हैं और जो अधिकारी ज्यादतियों के लिए जिम्मेदार थे। उनके विरुद्ध कार्यवाही की गई। लेकिन वर्तमान घटना के सम्बन्ध में मैंने कई प्रकार से मालूम किया है कि वास्तव में मामला क्या है ? इसमें काफी भ्रान्ति है और राज्यपाल श्री सक्सेना ने इस मामले की जांच करने के लिए एक दल की घोषणा की है। (व्यवधान) श्री सोज, आप मेरी बात सुनें।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : सोज जी, आपको इस बात का पक्का पता नहीं है कि किसने यह अपराध किया। आपको यह पता होना चाहिए। आप कह रहे हैं कि सुरक्षा बलों ने यह किया है। आपको यह किसने बताया है ? सोज जी, मैं यहां हूं, मुझे सूचना मिली है। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की है। श्री गुलाम रसूल मलिक, जो कि विधान परिषद के सदस्य हैं, की हत्या की गई। क्या वह आतंकवादी थे ? आप सभा को गुमराह कर रहे हैं।

श्री इब्राहीम सुलेमान सेठ (मन्जेरी) : इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। (व्यवधान)

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : माननीय सदस्य श्री सुलेमान सेट जांच करने की मांग कर रहे हैं। (व्यवधान) मेरा कहना है कि जांच के आदेश तो पहले ही दिये जा चुके हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : यह तो ढोंग है। हम न्यायिक जांच चाहते हैं।

श्री मुफ्ती मोहम्मद सईद : मैं सभा के माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि जिसने भी यह गम्भीर अपराध किया है उसे निश्चित रूप से दण्ड दिया जाएगा। इसमें ढील देने का सवाल ही नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मुझे सूचित किया गया है कि श्री मोहम्मद शफी इस भवन के बाहर द्वार संख्या-एक के आगे धरना दे रहे हैं। मेरा अपने माननीय सदस्य श्री मोहम्मद शफी से अनुरोध है कि वह ऐसा न करें और सभा में अपना स्थान ग्रहण करें।

[हिन्दी]

मैं शफी साहब से निवेदन करूंगा कि मेहरबानी करके वे हाऊस में आ जायें।

[अनुवाद]

अब श्री गुमान मल लोढा।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। मैं सभा से बाहर जा रहा हूं। यह ठीक उत्तर नहीं है। (व्यवधान) इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। मैं बाहर जा रहा हूं।

तत्पश्चात् प्रो० सैफुद्दीन सोज सभा भवन से बाहर चले गये।

श्री जी० एम० बनातवाला : न्यायिक जांच की मांग स्वीकार नहीं की गई है। हम संतुष्ट नहीं हैं। इसलिए हम बाहर जा रहे हैं।

तत्पश्चात् श्री जी० एम० बनातवाला और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : अब श्री लोढा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बताया था कि मैं आपको अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

12.24 म० प०

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देखरेख के बारे में

श्री गुमानमल लोढा (पाली) : महोदय, मैं बहुत भारी मन और दुख के साथ इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश श्री मुखर्जी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में सरकारी दौरे पर गए थे। वापसी यात्रा के दौरान 20 तारीख को लंदन में जब उन्हें दिल का दौरा पड़ा, तो उनकी भारतीय उच्चायोग द्वारा लंदन में समुचित और पर्याप्त देख-भाल की व्यवस्था नहीं की गई। (व्यवधान)

जब समाचार पत्रों में यह खबर छपी कि यह एक आपराधिक रूप से अवहेलना का मामला है, जिसमें लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग ने इस बहाने पर उनके इलाज की व्यवस्था करने से इन्कार कर दिया कि वह राजकीय या सरकारी दौरे पर नहीं थे, तो मैं श्रीमती मुखर्जी से मिला और उनसे इस मामले पर विस्तार में चर्चा की। श्रीमती मुखर्जी ने उच्चायुक्त को बार-बार कहा था कि इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने स्वीकृति दी थी, जिसमें माननीय मुख्य न्यायाधीश को सरकारी कार्य पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लेने और लंदन से होकर वापसी की अनुमति दी थी। इसके बावजूद 20 तारीख को जब उन्हें दौरा पड़ा तो उन्हें एक अस्पताल में रखा गया था जो कि एक धर्मार्थ अस्पताल था, एक ऐसा अस्पताल था, जो कि तीसरे दर्जे में आता है। वहां कोई हृदय विशेषज्ञ नहीं था। यह हम सबके लिए शर्म की बात है कि उन्हें अस्पताल के अहाते में रखा गया और वह पूरे दिन आठ घंटे फर्श पर पड़े रहे। उच्चायुक्त उनसे मिलने नहीं गये। उच्चायुक्त का एक प्रतिनिधि सुबह आया और श्रीमती मुखर्जी ने उन्हें कहा कि कृपया किसी कमरे का इन्तजाम कीजिए। उन्होंने कहा कि वह कर देंगे। लेकिन उन्होंने और कुछ करने से इन्कार कर दिया और यह 10.30 म० पू० पर उच्चायोग वापस चले गये। पूरे दिन सुबह से शाम 5.30 म० प० तक वहां कोई नहीं था। तब 12 बजे श्रीमती मुखर्जी ने उच्चायुक्त को पुन: फोन किया और उन्हें बताया कि स्थिति बदतर हो रही है, उन्हें कोई कमरा नहीं दिया जा रहा, उनका उपचार नहीं किया जा रहा, वहां डाक्टर नहीं हैं, सिर्फ वहां ड्यूटी पर जो रजिस्ट्रार हैं, जो छात्र हैं, वे ही उन्हें देख रहे हैं इसलिए कृपया कुछ कीजिए। यह 20 से 25 तक हुआ। 20 तारीख की शाम को एक एक कमरा उपलब्ध कराया गया, किन्तु उन्हें जो बीमारी थी उसके उपचार की सुविधाएं वहां नहीं थीं, बल्कि उन्हें अस्थिचिकित्सा विभाग में रखा गया जिसका हृदय रोग से कोई सम्बन्ध नहीं है। यह बहुत शर्मनाक बात है कि चार दिनों तक यह भी परीक्षण नहीं किया गया कि हमारे मुख्य न्यायाधीश हृदय रोग से पीड़ित थे।

अन्तिम दिन, अर्थात् 24 को मुख्य न्यायाधीश की श्वास रुद्ध होने लगी और उन्होंने अपनी पत्नी के कहा कि जब वे भारत लौटेंगे तो वे प्रधान मंत्री से कहेंगे कि वे कृपया भारत के मुख्य न्यायाधीश या किसी और को विदेश न भेजें, यदि उच्चायुक्त उनके स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रख सकते। वे इतने परेशान थे कि उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय से किसी को बुला लेना चाहिए या उन्हें उनकी मातृभूमि भारत भेज दिया जाए, पर इसका भी प्रबन्ध नहीं किया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लन्दन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देख रेख के बारे में

4 अक्तूबर, 1990

[श्री गुमानमल लोढा]

मैं इस सभा को, माननीय अध्यक्ष को और संबंधित मंत्रियों को बताना चाहता हूं कि लंदन के उच्चायुक्त ने आपराधिक और लापरवाहीपूर्ण व्यवहार किया। यह एक सामान्य मृत्यु का मामला नहीं है। मैं इसे लापरवाही से हुई मृत्यु भी नहीं कहूंगा, किन्तु मैं यह जरूर कहूंगा कि उच्चायुक्त के पद पर बैठे एक जिम्मेदार व्यक्ति ने, चाहे कोई और व्यक्ति भी गया होता, इस तरह व्यवहार नहीं किया होता, जिस तरह उन्होंने किया। हमारे मुख्य न्यायाधीश का राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और प्रधान मंत्री के बाद चौथा स्थान है। उनकी इतनी भी देखभाल नहीं की गई। जितनी कि एक साधारण प्रथम श्रेणी के आई० ए० एस० अधिकारी या एक सचिव या एक अवर सचिव या कि एक संसद सदस्य या विधान सभा सदस्य की, की जाती। पांच दिनों तक मुख्य न्यायाधीश ने बिना किसी सहायता के जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष किया।

श्रीमती मुखर्जी ने मुझे बताया कि विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं थे। आखिरकार, चौथे दिन कोलम्बस या वास्को-डि-गामा की तरह अचानक यह खोज की गई कि उन्हें हृदय रोग था और चार दिनों तक कोई उपचार नहीं किया गया, परिणामस्वरूप पांचवें दिन उनका निधन हो गया और जिस स्थिति में उनका निधन हुआ, वह हम सबके लिए शर्मनाक है, सिर्फ आज के लिए ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी हमें धिक्कारेंगी।

इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि उच्चायुक्त ने जो किया, उस पर उपयुक्त कार्यवाही की जानी चाहिए। पहले उन्होंने बचने की कोशिश की। पहले उन्होंने कहा कि पैसे की मंजूरी नहीं दी गई थी और इसलिए उन्होंने इसकी अनुमति नहीं दी क्योंकि इसकी वापसी का कोई प्रावधान नहीं था। चार दिन लगातार उपयुक्त 'प्रतिपूर्ति' की बात करते रहे। क्या हम भारत के मुख्य न्यायाधीश की कीमती जिन्दगी इसलिए खो दें कि भुगतान राशि की वापसी होगी कि नहीं? क्या उच्चायुक्त यह निर्णय लेने में सक्षम नहीं है? कुछ सिक्कों के लिए हम अपने मुख्य न्यायाधीश को खो चुके हैं, जो 60 करोड़ जनता की न्यायपालिका के प्रमुख हैं। सारा विश्व हम पर हंस रहा है। लंदन के लोग पूछते हैं कि विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के मुख्य न्यायाधीश से क्या इस तरह का व्यवहार किया जाता है —और उन्हें 'मरने' पर मजबूर किया जाता है। महोदय, सिर्फ यही नहीं। जब शव यहां लाया गया तो, मुझे यह जानकर आघात पहुंचा कि शव पर नमक छिड़कने के लिए उन्हें मृतक को राज्य सम्मान भी नहीं दिया गया। परम्परा के अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को यदि सरकारी कार्य करते हुए मृत्यु हो जाए तो वे इस सम्मान के अधिकारी होते हैं। किन्तु यहां भी वरिष्ठतम न्यायाधीश के भरसक प्रयासों के बावजूद, कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। शव प्राप्ति और शव को श्मशान घाट तक ले जाने इत्यादि के प्रबन्ध भी इतने कम और खराब थे कि न्यायालय में प्रत्येक को इसकी शिकायत है। बार कौंसिल ऑफ इंडिया—सुप्रीम कोर्ट एसोशिएसन ने एक प्रस्ताव पारित किया। किन्तु किया यह गया कि "सिर को तो छोड़ दिया गया और पूंछ पकड़ ली गई" मुख्य दोषी को छोड़कर निर्दोष व्यक्ति को पकड़ लिया गया। लंदन में चिकित्सकों के पैनल में से एक चिकित्सक को हटा दिया गया, यह दिखाने के लिए कि कुछ किया गया है। किन्तु, चिकित्सक ने यह कहा उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह कहा कि "अगर मुझसे श्री मुखर्जी का इलाज करने के लिए कहा गया होता, तो मैं उन्हें उस अस्पताल में रखने की अनुमति कदापि न देता, क्योंकि यह एक धर्मार्थ औषधालय है। गरीब और बूढ़े लोगों का अस्पताल, जहां कोई भी उपचार उचित ढंग से नहीं किया

जाता।" इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि एक संसदीय समिति का गठन किया जाए। यह सिर्फ श्री मुखर्जी की मृत्यु का मामला नहीं है। किन्तु यह सम्पूर्ण न्यायपालिका के सम्मान का, कानून के सम्मान का और हमारे संविधान के सम्मान का मामला है।

श्री संतोष मोहन देव (पश्चिम त्रिपुरा) : हम आपका समर्थन करते हैं।

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : आप एक प्रस्ताव रख सकते हैं।

श्री गुमानमल लोढ़ा : महोदय, मैं यह कहूंगा कि एक संसदीय समिति बनाई जाए और सदस्यों की सहायता के लिए इसमें विशेषज्ञों को भी सम्मिलित किया जा सकता है। तब, सारे मामले की जांच की जा सकती है। तब तक, लंदन से उच्चायुक्त को तुरन्त वापस बुला लेना चाहिए। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही दुःखद और शर्मनाक कहानी है। माननीय सदस्य श्री लोढ़ा जी ने जो कहा है उसका एक अंश सही है। बिना किसी बहस के वहां से उच्चायुक्त को वापस बुला लेना चाहिए। क्योंकि, चाहे जो भी कारण रहा हो। भारत के उच्च न्यायाधीश के प्रति इस प्रकार उदासीन और उपेक्षापूर्ण व्यवहार करने का अधिकार किसी भी उच्चायुक्त को नहीं है चाहे मंजूरी मिले या न मिले। माननीय विदेश मंत्री यहां हैं। मैं नहीं जानता कि वहां उच्चायुक्त कौन है।

एक माननीय सदस्य : श्री कुलदीप नय्यर।

श्री चन्द्र शेखर : अगर इनके जैसे समाज उद्धारकों को ऐसे ऊंचे पद दिए जाएं, तो वे इसी तरह व्यवहार करेंगे। श्री कुलदीप नय्यर को लंदन में भारत के उच्चायुक्त के पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। पूरे मामले की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें तुरन्त बर्खास्त कर देना चाहिए और इस पर बहस करने का कोई तात्पर्य नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं; जिन्होंने उस दुःखद घटना का उल्लेख किया है जिसके परिणामस्वरूप भारत के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश की मृत्यु हुई। महोदय, मुझे श्रीमती मुखर्जी से बात करने का मौका मिला और उन्होंने विस्तार से बताया कि वहां अस्पताल के अधिकारियों में गम्भीरता का पूर्ण अभाव था — इससे भी अधिक गम्भीर बात यह है कि लंदन में उच्चायुक्त सहित उच्चायोग के अधिकारियों ने भी लापरवाही दिखाई। भारत के मुख्य न्यायाधीश घण्टों तक स्ट्रेचर पर पड़े रहे। फिर, उन्हें एक सामान्य रूम में रखा गया फिर एक केबिन में। उनके उपचार के लिए किसी विशेषज्ञ को बुलाने का कोई प्रयास नहीं किया गया। यहां तक कि रोगी मुख्य न्यायाधीश की पत्नी को यह सूचित भी नहीं किया गया कि क्या कदम उठाये जा रहे हैं। उन्हें मिलने के समय के दौरान ही अन्दर जाने दिया गया। उन्होंने कहा कि 2.30 म० प० पर उन्हें जाने दिया। तब तक, वे स्वयं बदहवासी में अस्पताल के अधिकारियों को अपने पति की हालत जानने के लिए लगातार फोन करती रहीं। मुझे सबसे अधिक आघात इस बात से पहुंचा। हमारा वहां इतना बड़ा कार्यालय है, इतना बड़ा प्रतिष्ठान है, फिर भी भारत के मुख्य न्यायाधीश बीमार पड़े हुए हैं; और किसी ने उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया, चिकित्सक सुलभ

[श्री सोमनाथ चटर्जी]

कराने का प्रयास नहीं किया। उस अस्पताल में जहां वे दाखिल थे, अगर वहां कक्ष और केबिन उपलब्ध नहीं थे, तो उपचार का अन्य स्थान ढूंढने का कष्ट भी नहीं किया। मुझे बताया गया कि यह एक मुफ्त अस्पताल है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना से जुड़ा हुआ है, वहां बाहरी लोगों को सामान्य तौर पर नहीं देखा जाता। फिर उन्हें वहां से क्यों नहीं अन्यत्र ले जाया गया और एक निजी नर्सिंग होम में क्यों नहीं भेजा गया ? क्या यह उच्चायुक्त का कर्तव्य नहीं था ?

महोदय, हमने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति खो दिया है। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश इस देश का कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। यह उच्चतम पद है जिस पर भारत के मुख्य न्यायाधीश आसीन होते हैं। यह एक अत्यन्त चिंता का मामला है वहां हमारा इतना बड़ा कार्यालय है परन्तु वहां जाने पर इतने बड़े व्यक्ति की भी बिल्कुल परवाह नहीं की गई। यह सोचकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि एक आम भारतीय नागरिक जिसे लंदन में भारतीय उच्चायोग की सहायता की आवश्यकता है, का क्या होगा।

एक अन्य निंदनीय बात यह है कि मुख्य न्यायाधीश की पत्नी को यह याद दिलाया गया कि चिकित्सा प्रदान करने और यहां तक कि परिवहन सुविधा प्रदान करने में कठिनाइयां हैं क्योंकि इन भुगतानों के लिए पहले से ही व्यवस्था करनी होती है। यह एक गंभीर मामला है। उन्हें बार-बार यह याद दिलाया जाता रहा कि "आप निजी दौरा कर रहे हैं। चूंकि भारत के मुख्य न्यायाधीश निजी दौरे पर थे इसलिए जब तक हमें दिल्ली से स्वीकृति नहीं मिल जाती है और भुगतान के लिए कोई व्यवस्था नहीं हो जाती है तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता।" इस प्रकार का रवैया हम माफ नहीं कर सकते हैं और हमें इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। इस कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों को दंड देना चाहिए। इस दिशा में सरकार को अपेक्षित कदम उठाने चाहिएं। उन्हें हमें विश्वास में लेना चाहिए कि वे इस बारे में क्या सोचते हैं। हम चाहते हैं कि स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश की याद में उनके सम्मान स्वरूप हमें सभी संभव कदम उठाने चाहिएं। उनके परिवार के सदस्यों को विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मुझे विश्वास है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समुचित कदम उठाएगी कि उनके परिवार के सदस्यों को और कठिनाइयां न हों क्योंकि उनके साथ एक दुखद घटना घटी है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक गम्भीर मामला है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह एक अत्यन्त गंभीर मामला है। मैं अपने मित्रों सर्वश्री सोमनाथ चटर्जी और गुमान मल लोढा द्वारा व्यक्त किए गए विचारों के साथ एक-दो और बातें जोड़ना चाहता हूं। उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री के० के० वेणुगोपाल श्रीमती मुखर्जी से मिले थे और आठ पृष्ठ की एक रिपोर्ट भेजी है। मेरे पास वह रिपोर्ट है। लेकिन आज मैं उसे सभा पटल पर नहीं रखना चाहता हूं। मेरी आशा है कि सरकार कल तक श्री कुलदीप नैयर जो वहां हमारे उच्चायुक्त हैं, को वापिस बुलाने का कार्य करेगी। जो कुछ श्रीमती मुखर्जी ने कहा है उस पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं उन्हें जानता हूं। वह बहुत ही विनम्र और भगवान से डरने वाली महिला हैं। उन्हें शामिल करते हुए इस मामले पर और आगे जांच करने का कोई कारण नहीं है। श्रीमती मुखर्जी ने जो श्री के० के० वेणुगोपाल को बताया उसे उन्होंने अपने हाथ से लिखा है और निश्चित रूप से इस

रिपोर्ट को सच माना जाना चाहिए। इस मामले में आगे कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं है। यदि श्री वेणुगोपाल की रिपोर्ट कुछ हद तक सही है तो मैं श्री चन्द्रशेखर के वक्तव्य का समर्थन करता हूं। श्री लोढा और श्री सोमनाथ चटर्जी राजनीतिक दलों के सदस्य हैं और उन्होंने जो कुछ कहा है वह राजनीतिक हो सकता है लेकिन श्री वेणुगोपाल, जो उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ने व्यक्तिगत तौर पर श्रीमती मुखर्जी से बात की थी और रिपोर्ट स्वयं लिखी थी। यदि इस रिपोर्ट में कुछ भी सत्य है तो श्री कुलदीप नैयर को तत्काल पद से हटा देना चाहिए। उन्हें तत्काल वापिस बुला लेना चाहिए। मैं कल तक इस रिपोर्ट को इस आशा के साथ रोक कर रखता हूं कि सरकार आज रात अथवा कल तक कोई कार्यवाही करेगी और कल हमें बताएगी कि उसने क्या कार्यवाही की।

कृपया श्री कुलदीप नैयर द्वारा जारी वक्तव्य देखिये।

अध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने कोई वक्तव्य जारी किया है ?

श्री पी० चिदम्बरम : उन्होंने एक रिपोर्ट भेजी है। यह सभी समाचार पत्रों में शब्दशः प्रकाशित हुई है। विदेश मंत्री यहां उपस्थित हैं। (व्यवधान) उन्होंने कहा है कि :

> "स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश श्री मुखर्जी को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के बारे में जो विवाद उठाया गया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि उन्हें सभी संभव सुविधाएं दी गई थीं।"

अगली पंक्ति पर मुझे घोर आपत्ति है :

> "वह संयुक्त राज्य अमरीका से एक निजी दौरे पर 20 सितम्बर को पहुंचे।"

उनका 'निजी दौरा' कहने का क्या अर्थ है ? क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश गैर-सरकारी व्यक्ति हैं ? निजी दौरा क्या है ? यदि श्री गुजराल अथवा माननीय प्रधानमंत्री वहां जाते हैं तो क्या यह दौरा केवल इसलिए निजी दौरा होगा कि ब्रिटेन की सरकार ने उन्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया है ? मुख्य न्यायाधीश 24 घटे मुख्य न्यायाधीश रहता है। वह साल के 365 दिन मुख्य न्यायाधीश है। कोई भी दौरा निजी और सरकारी नहीं हो सकता है। यदि दौरा सरकारी तौर पर किया गया हो तो उन्हें पूरी चिकित्सा सुविधा दी जाती। इस एक पंक्ति के कारण कि मुख्य न्यायाधीश का यह निजी दौरा था, उच्चायुक्त को तत्काल वापिस बुलाया जाए। मैं इसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं आपसे अपील करता हूं कि यदि सरकार यह वक्तव्य नहीं देती कि उच्चायुक्त को तत्काल वापिस बुलाया जाए तो मुझे वह रिपोर्ट कल सभा पटल पर रखने की अनुमति दी जाए। दूसरे यह जांच करने के लिए कौन उत्तरदायी है और कौन नहीं है एक संयुक्त संसदीय समिति नियुक्त की जाए और सरकार को स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश के परिवार को सहानुभूति और समर्थन देने के लिए हर संभव कार्य करना चाहिए। मुझे याद है कि जब न्यायाधीश फजल अली की मृत्यु हुई थी तो सरकार ने सभी नियमों से हटकर उनके परिवार को विशेष सहायता दी थी। कल कांग्रेस (आई) अध्यक्ष और विपक्ष के नेता ने माननीय प्रधानमंत्री को यह कहते हुए पत्र लिखा था कि कम से कम वह सुविधाएं तो श्री मुखर्जी के परिवार को दी ही जाएं। हम चाहते है कि सरकार यह घोषणा करे कि उच्चायुक्त को तत्काल वापिस बुला लिया जाएगा, इस मामले की जांच की जाएगी और कम से कम वह सुविधाएं श्री मुखर्जी के परिवार को दी जाए जो न्यायाधीश फजल अली के परिवार को दी गई थीं। ये हमारी मांगे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : यहां हमारे सहयोगियों ने जो कुछ कहा है, उसका समर्थन करते हुए मैं उच्चायुक्त पर अनिवार्य रूप से तथा तुरन्त कार्रवाई करने पर जोर देना चाहता हूं। निस्संदेह, इससे श्री मुखर्जी वापिस नहीं आ सकते हैं। इस मामले का दूसरा पहलू भी है। इस दुखद स्थिति का कारण बरती गई लापरवाही और यह आपराधिक कार्य है। मैं श्रीमती मुखर्जी के अलावा अन्य एक-दो व्यक्तियों से भी मिला हूं जो उस समय लन्दन में थे और अभी दिल्ली में हैं। उन्होंने बताया है कि श्री मुखर्जी के निधन के पश्चात् जब कुछ अन्य भारतीय मित्र उत्तेजित होकर श्री कुलदीप नैयर से इस संबंध में बातचीत करने गये तो उन्होंने कहा कि—मैं इसका प्रमाण नहीं दे सकता मुझे यह रिपोर्ट मिली है—कोई भी वृद्ध व्यक्ति जो यहां आता है और बीमार हो जाता है, उनके लिये इससे अधिक कुछ भी करने की मुझसे आशा नहीं की जा सकती है।" मैं नहीं जानता कि उन्होंने इन शब्दों का प्रयोग वास्तव में किया है अथवा नहीं। लेकिन, मुझे पता है कि जब श्री मुखर्जी रॉयल फ्री हॉस्पीटल में भर्ती थे, तो उच्चायोग से कोई भी व्यक्ति उन्हें देखने नहीं आया। रॉयल फ्री हॉस्पीटल कोई चैरिटेबिल हॉस्पीटल नहीं है। यह अस्पताल ब्रिटेन की नेशनल हेल्थ सर्विस स्कीम के अंतर्गत चलाया जाता है। यह केवल उन्हीं लोगों का निःशुल्क इलाज करता है, जिन्होंने अपना बीमा करा रखा है। लेकिन, प्रश्न यह है कि वहां किसी विशेषज्ञ चिकित्सक को उनकी जांच के लिये नहीं बुलाया गया। क्या इस संबंध में पता लगाना भारतीय उच्चायोग का कार्य नहीं था? उच्चायोग का कोई भी उत्तरदायी अधिकारी उन्हें देखने वहां नहीं गया। पहले दिन केवल एक बार उच्चायुक्त उन्हें देखने गये और उसके बाद उच्चायोग का कोई भी व्यक्ति यह भी देखने और पता लगाने नहीं गया कि वे कैसे हैं और क्या हो रहा है। मेरे विचार से तीसरे दिन यह सुझाव दिया गया कि उन्हें वहां से हटा कर किसी निजी अस्पताल में भर्ती करा दिया जाए। लेकिन, कुछ भी नहीं किया गया। इसके लिए बहाना यह बनाया गया कि भुगतान वापस लेने के बारे में क्या होगा। हो सकता है कि उन्हें बहुत अधिक भुगतान करना पड़ा होगा। यह प्रश्न का दूसरा पहलू है। विदेश मन्त्री अभी यहां हैं। यदि वर्तमान नियम और कानून जो उन्होंने बनाये हैं, और जब इस स्तर का जब कोई अति महत्वपूर्ण व्यक्ति गम्भीर रूप से बीमार हो जाता है और जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा होता है, तो उन्हें उचित चिकित्सा उपलब्ध कराने का प्रश्न होता है और वैसी स्थिति में ये नियम और कानून उपयुक्त चिकित्सा उपलब्ध कराने से इसलिये रोकते हैं कि उन्हें भुगतान वापस होगा या नहीं, यह बहुत अजीब बात है। मैं समझता हूं कि यदि कोई केन्द्रीय मन्त्री अथवा प्रधान मन्त्री निजी यात्रा के दौरान विदेश में बीमार पड़ जाते हैं—ईश्वर न करे ऐसा हो—मुझे शक है कि उनका इलाज दूतावास अथवा उच्चायोग द्वारा उसी तरह करवाया जाएगा जिस तरह श्री मुखर्जी का किया गया है। महोदय, यह बड़े दुख की बात है। इसलिये मैं नहीं समझता कि संसदीय समिति द्वारा इस संबंध में जांच से कोई फायदा होगा। निस्संदेह, हम चिकित्सा के मामले में कुछ भी कहने में सक्षम नहीं हैं सिवाय इसके कि उनके इलाज की दिशा क्या होनी चाहिये थी उन्हें उस संस्थान से हटा कर दूसरे संस्थान में ले जाया जाए। यह सलाह देने के लिए और उनकी समुचित जांच के लिए किसी भी विशेषज्ञ को नहीं बुलाया गया था। लेकिन उच्चायुक्त इसके लिये पूरी तरह जिम्मेदार हैं और यदि उन्होंने वास्तव में ऐसी टिप्पणी की है जिसे लंदन से हाल ही में आए एक भारतीय सम्पत्ति ने कहा है कि "मैं किसी वृद्ध व्यक्ति के लिए, जो यहां आकर बीमार पड़ जाए, इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता था" यह बहुत ही दुखद है। मेरे विचार से सरकार को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिये और इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए। मैं यह कह सकता हूं कि पूरा सदन करोड़ों लोगों की भावनाओं को परिलक्षित कर रहा है। उन्हें इस मामले में तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी

उच्चायुक्त के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और उन्हें वापस बुला लिया जाए। यदि आपके नियम और कानून में ऐसी विसंगतियां और विरोध हैं, तो उनमें तुरंत आमूल परिवर्तन किया जाए।

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : वे इसकी स्वयं स्वीकृति दे सकते थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वे कुछ भी कर सकते थे। हर व्यक्ति यह जानता है कि इस राशि के भुगतान की वापसी हो जायेगी। ब्रिटेन में उच्चायुक्त होना कोई मजाक नहीं है, इंगलैंड में उच्चायुक्त का एक महत्वपूर्ण दर्जा होता और उनके पास इतनी शक्ति होती है कि वह यह कह सकते हैं कि ऐसे इलाज करवाने का निर्देश दिया जा सकता है और अपने उत्तरदायित्व पर वह भुगतान की वापसी करवा सकते हैं। मैं इसका कोई अर्थ नहीं समझ पा रहा हूं।

हम सभी इस मामले के प्रति चिंतित हैं और सरकार को तुरंत इसपर कार्रवाई करनी चाहिए।

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अध्यक्ष महोदय, जो कुछ भी हुआ है उसका मुझे बेहद दुःख है। दूसरे दिन मैं जब उनके निवास पर शोक व्यक्त करने गया, हमारे साथ हमारे मित्र श्री दिनेश गोस्वामी भी थे और श्रीमती मुखर्जी ने जिस तरह से निष्ठुरतापूर्वक की गई लापरवाही को सुनाया, उसे सुनकर कोई भी इतना द्रवित हो जाएगा कि वह अपने दुःख को दबा नहीं सकता था। मैं भी हृदय रोग का मरीज हूं और मैं इन सारी प्रक्रियाओं से गुजर चुका हूं। यदि इस बीमारी में अथवा इससे संबंधित अन्य बीमारियों में तुरन्त और उचित देख-रेख न की जाय तो खतरा पैदा हो सकता है।

यहां हमारे मुख्य न्यायाधीश का मामला था और तकनीकी आधार पर कहा जा सकता है और अपने सरकारी वक्तव्य में उनकी पत्नी ने कहा है कि चूंकि वे निजी यात्रा पर थे इसलिए हम कुछ भी अधिक नहीं कर सके यह वास्तव में दुखद बात है। ऐसी बात देश के एक साधारण नागरिक के मामले में भी नहीं कही जानी चाहिए। हमारे दूतावास और उच्चायोग किसलिए हैं यदि वे घर से दूर घर का आभास नहीं दे सकते और अपने लोगों की देखरेख नहीं कर सकते? क्या अपनाया क्या यह दृष्टिकोण मानवीय है? एक उच्चायुक्त या राजदूत दूसरे देश में जाने वाले लोगों के लिए पिता के समान होता है। उनके अधिकारी उनसे प्रेरणा लेते हैं। यदि सर्वोच्च व्यक्ति का दृष्टिकोण ही इतना क्रूर हो जैसा कि बताया गया है, यदि इसमें अंश भी सच्चाई है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि माननीय विदेश मंत्री इसे गम्भीरता से लेंगे और वे स्वयं भी अपने अधिकारी के ऐसे व्यवहार से आहत महसूस करेंगे और उन्हें माफ नहीं करेंगे। न तो मैं और न यह सभा ऐसी घटित घटना की कल्पना कर सकता है।

महोदय, आप अध्यक्ष हैं। आप, हममें से कोई भी व्यक्ति अथवा कोई मंत्री किसी सम्मेलन में भाग लेने के लिए जाता है। यहां मामला यह है कि वे सरकारी यात्रा एक सम्मेलन में भाग लेने अमरीका गए थे। स्वाभाविक है कि उन्हें लौटना होगा। लौटने के लिए सबसे उचित मार्ग लंदन होकर है। क्या आप यह कह सकते हैं कि लंदन में वह सरकारी यात्रा पर नहीं थे। इस मामले की भ्रांतिपूर्ण और अजीब बातों को मैं नहीं समझ सकता। हमारे मित्र ने ठीक ही कहा है कि राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति या हमारे कोई मंत्री जहां कहीं भी जाते हैं, वे सरकारी व्यक्ति होते हैं। इसलिए क्या आप कह कहते हैं कि सिद्धान्त: और तकनीकी तौर पर वे ठीक थे या नहीं? फिर भी, यदि यह मान लें कि किसी तकनीकी

[श्री बसंत साठे]

कारण से विदेश मंत्री या प्रधान मंत्री यह कह सकते हैं कि उन्हें, भुगतान की गई इस राशि की वापसी नहीं मिल सकती है।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : मैं ऐसा कभी नहीं कहूंगा। आवश्यकता नियम की नहीं शिष्टता की है।

श्री गुमानमल लोढ़ा (पाली) : श्रीमती मुखर्जी को स्वीकृति मिली हुई थी।

श्री बसंत साठे : यह ठीक है। उनकी पत्नी ने बताया कि उन्हें स्वीकृति मिली हुई थी परन्तु वे इसे स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे। उन्होंने कहा, "मुझे सरकार से कोई सूचना नहीं है कि वे सरकारी यात्रा पर हैं। इसलिए, जो कुछ भी श्रीमती मुखर्जी ने कहा मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया।" यह उस उच्च और शक्तिशाली उच्चायुक्त का कथन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसी भी उच्चायुक्त में इतनी शक्ति निहित होती है कि वह स्वयं ही कोई निर्णय ले सकता है। जब ह्यूस्टन में मेरा इलाज चल रहा था तो राजदूत ने स्वविवेक से हमारी सहायता की। क्या उसने विदेश मंत्री से अनुमति ली थी? उसने एक अधिकारी को हमारी देख-रेख के लिए दूतावास से ह्यूस्टन एक अधिकारी को भेजा था। उन्होंने अपनी शिष्टता का परिचय दिया। ये सब तो राजदूत और उच्चायुक्त की सामान्य शक्तियां हैं। संसदीय समितियां इसमें क्या करेंगी? मैं नहीं जानता कि ऐसे कोई नियम हैं और यदि हैं भी तो उनमें संशोधन किए जाने की आवश्यकता है और यह उपयुक्त समय है जब उनमें संशोधन किया जाए। यह बहुत ही अशिष्ट और क्रूर कार्य था। मैं इससे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। वह पहले से ही हृदय रोग के मरीज थे। उन्होंने उन्हें बता दिया था कि वह हृदय रोग के मरीज है और उन्हें पहले भी दिल का दौरा पड़ चुका है। कृपया उनकी उचित ढंग से देखभाल कीजिये। ऐसा न करके हमने एक व्यक्ति खो दिया है। महोदय, यह ऐसा रोग है कि यदि इसका समय से उचित उपचार किया जाये तो रोगी को आसानी से बचाया जा सकता है। हमने एक अच्छे व्यक्ति को खो दिया है। उच्च अधिकारियों की जो वहां हमारे प्रतिनिधि हैं, लापरवाही और निष्ठुर व्यवहार के कारण हमने अपने मुख्य न्यायाधीश को खो दिया है जो एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। मैं इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि ऐसे व्यक्ति को वहां एक क्षण भी रखा जाये। इसकी जांच की जाये। वे कैसा भी स्पष्टीकरण दें, मुझे इसकी कोई चिन्ता नहीं है। महोदय, आप सभा का विचार जानते हैं। कृपया आप उन्हें वापस बुलाइये। आप इसकी घोषणा कीजिये कि हम इस सभा के विचार स्वीकार करते हैं। सभा प्रमुख है, सभा सर्वोच्च है। इस पर हम सबकी राय एक है। आप उन्हें तत्काल बुलाइए। उन नियमों के बारे में मत सोचिए जिनका आप पालन करने जा रहे हैं। मैं इस विचार का पूरी तरह समर्थन करता हूं कि उनके परिवार को सभी सुविधाएं और पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए।

श्रीमती विजयाराजे सिंधिया (गुना) : महोदय, मैं अपने और अपनी पार्टी के विचार व्यक्त करना चाहती हूं। इस दुखद घटना से समूची सभा को वास्तव में सदमा पहुंचा है। मैं समझती हूं कि इससे केवल निष्ठुरता ही नहीं होती बल्कि न्यायपालिका के प्रति कम सम्मान भी प्रदर्शित होता है। यदि न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया जाता है

तो मेरा सिर शर्म से झुक जाता है। दूसरे देशों के लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे ? मैं और अधिक विस्तार में नहीं कहना चाहती। मैं इस बारे में अपना और अपनी पार्टी का क्षोभ व्यक्त करना चाहती हूं। मैं इन विचारों से सहमत हूं जो यहां व्यक्त किये गये हैं और आशा करती हूं कि मंत्री महोदय तुरन्त कार्यवाही करेंगे और गलती सुधारने का प्रयास करेंगे। मुझे आशा है कि वह कम से कम बेचारी श्रीमती मुखर्जी से क्षमा-याचना करेंगे। उन्हें अपने पति की इस तरह की मृत्यु से कष्ट उठाना पड़ रहा है। क्या वह व्यक्ति राजदूत बने रहने के योग्य है जिसे भारत के मुख्य न्यायाधीश जैसे व्यक्ति की देखभाल करने की चिंता नहीं है। इसलिए, मुझे इस घटना से सदमा पहुंचा है। चूंकि मुझे अपनी दुखद भावनायें व्यक्त करने का अवसर मिला है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहती हूं कि उन्हें यथाशीघ्र राजदूत को वापस बुला लेना चाहिए। इस समय वह इतना ही कर सकते हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : अध्यक्ष महोदय, श्री सब्यसाची मुखर्जी एक महान व्यक्ति थे। वह आज हमारे बीच नहीं हैं। मैं यह नहीं कहना चाहता कि वह केवल मुख्य न्यायाधीश ही थे बल्कि वह हमारे देश के उच्चकोटि के विद्वान भी थे अनेक मामलों में उनके बड़े प्रगतिशील विचार थे। अध्यक्ष महोदय, शायद आप नहीं जानते कि वह इंडियन सोशलिस्ट ग्रुप, लंदन के सदस्य थे साथ ही हम सब श्री कुलदीप नायर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं। मैं इसमें विश्वास नहीं कर सकता। माननीय सदस्यों ने बार-बार चिंता व्यक्त की है। मैं आपको एक-दो बातें बताना चाहता हूं जो मुझे श्रीमती मुखर्जी से मालूम हुई हैं। श्री सब्यसाची मुखर्जी जब लंदन हवाई अड्डे पर उतरे तो उनकी टांगें कांप रही थीं, डाक्टरों ने उनका इलाज किया। वहां से उन्हें उनके मित्र के घर क्यों ले जाया गया ? उन्हें अस्पताल क्यों नहीं ले जाया गया ? उन्हें नेशनल हैल्थ हॉस्पीटल क्यों ले जाया गया ? मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ब्रिटिश सरकार को उनकी बीमारी के बारे में जानकारी दी गई अथवा नहीं। उन्हें बरामदे में रखा गया था। मैं नेशनल हैल्थ हॉस्पीटल के उन डाक्टरों को भी धन्यवाद देता हूं जो उस समय उनके उपचार के लिए मौजूद थे। उन्होंने उन्हें कमरा प्रदान किया था। परन्तु पुनः कहा गया कि श्री सब्यसाची मुखर्जी को फिर उनके मित्र के घर ले जाया जाएगा। मैं इस बात का विश्वास क्यों नहीं करता कि श्री कुलदीप नायर इतने निष्ठुर थे क्योंकि वह मानवाधिकारों की रक्षा कर रहे थे। वह मुख्य न्यायाधीश को केवल एक बार देखने गए। वह अपने प्रतिनिधि श्री सलमान हैदर को ही क्यों भेजते रहे ? श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जिन बातों का उल्लेख किया है, वे हमें बताई जानी चाहिएं। यह बहुत आवश्यक है। यह दुःख की बात है कि एक महान व्यक्ति का, जिससे हमारा घनिष्ठ संबंध था, निधन हो गया। हम इस बात से सहमत हैं कि इस मामले की जांच की जानी चाहिए।

इसलिए मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि हमें इस घटना की आज या कल संक्षिप्त जानकारी दें और इसकी जांच कराई जानी चाहिए ताकि प्रत्येक बात स्पष्ट हो सके।

डा० ताम्बि दुरै (करूर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने साथियों की इस बात से सहमत हूं कि हमारे स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश श्री सब्यसाची मुखर्जी के साथ लंदन में जो निष्ठुर व्यवहार किया गया था उस पर कार्यवाही की जानी चाहिए। इस निष्ठुरता के कारण हमने देश के एक महान व्यक्ति को खो दिया है। यह आवश्यक बात है कि यह उनकी निजी यात्रा थी अथवा सरकारी। चूंकि वह मुख्य न्यायाधीश के पद पर थे इसलिए उच्च आयुक्त को उन्हें अधिक महत्व देना चाहिए था। दरअसल मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे उच्च आयुक्त को देश के साधारण व्यक्ति के साथ भी वैसा

[डा० ताम्बि दुरै]

ही व्यवहार करना चाहिए।

इसलिए मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि इस मामले में आवश्यक कार्यवाही की जाए। विदेश मंत्री एक नेक और अनुभवी व्यक्ति है, उन्हें अन्य उच्च आयोगों के बारे में शिकायतें प्राप्त होती हैं क्योंकि हमें भी अनेक शिकायतें मिलती रहती हैं कि जब हमारे लोग बाहर जाते हैं, तो कुछ जगह उनके साथ उचित व्यवहार नहीं किया जाता। अब समय आ गया है कि यदि इस दिशा में कोई बाधा आती है, तो हमें अपने कानूनों में परिवर्तन करना चाहिए।

हमें इंगलैंड में अपने उच्च आयुक्त के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करनी चाहिए और मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस मामले की जांच करेंगे।

श्री संतोष मोहन देव : मैं सभा की भावना से पूरी तरह सहमत हूं परन्तु मैं विदेश मंत्री महोदय से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। वर्ष 1980 में मैं एक शिष्टमंडल के साथ मास्को गया था तो वहां हमारे एक सदस्य, श्री बैरव मोहन्ती की मृत्यु हो गई। मैंने होटल सोवियत्सकया से वर्तमान विदेश मंत्री को टेलीफोन किया। आधा घण्टे के अन्दर वह होटल में आ गए।

श्री एडुआर्डो फैलीरो (मारमागाओ) : वह बड़े अच्छे और शिष्ट राजदूत थे।

श्री संतोष मोहन देव : डाक्टर आए, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी मृत्यु के बाद भी मैंने देखा था कि वर्तमान विदेश मंत्री ने यह सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए थे कि उनके शव को यहां लाया जाए और इसके लिए व्यवस्था की थी। निस्संदेह उस समय हमारी सरकार थी। जब वह विदेश मंत्री हैं और इंगलैंड में उच्च आयुक्त उनके मित्र हैं, इस तुच्छ आधार पर अर्थात वह सरकारी ड्यूटी पर नहीं थे, यह गम्भीर भूल कैसे हुई ?

मैं मंत्री महोदय को यह फिर बताना चाहता हूं कि जून में मैंने चार देशों—हैंगकाक, हांगकांग, मलेशिया और सिंगापुर की यात्रा की थी और जब मैंने उनसे बातचीत की तो उन्होंने मुझे इन देशों के दूतावासों के बारे में जानकारी दी। इन सब जगह मैंने देखा कि उनके राजदूत हमारी देखभाल करते हैं। यह मेरी सरकारी यात्रा नहीं थी। परन्तु यहां से उनका संदेश गया कि मैं भूतपूर्व मंत्री और सांसद हूं। यदि मेरे साथ इस तरह का व्यवहार किया गया है तो दूसरे व्यक्ति की उपेक्षा करना कुलदीप नय्यर जैसे व्यक्ति के लिये कैसे सम्भव है ? इसमें कोई संदेह नहीं हैं कि जाने या अनजाने में उन्होंने गम्भीर भूल की है जिसकी कीमत एक महान व्यक्ति की मौत से चुकानी पड़ी है।

अत: अन्य माननीय सदस्यों के साथ मैं भी शामिल हूं कि अन्य राजदूतों को भी एक स्पष्ट संकेत देने के लिए, कि उन्हें ऐसी गलतियां नहीं करनी चाहिएं, आपको कुलदीप नय्यर को अवश्य वापस बुला लेना चाहिए। आप उनको यहां अपने दल में कोई अन्य कार्य-भार सौंप सकते हैं; वे आपके शुभचिंतक हैं। किन्तु ऐसे व्यक्ति को मत रखिये जिसने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है। एक संकेत सभी दूतावासों को भी भेजा जाना चाहिए···(व्यवधान)··· मैं नहीं जानता कि क्या विदेश मंत्री दूतावासों को धन देने के मामले में बहुत सख्त हैं। मैं ऐसा नहीं सोचता। उन्होंने ऐसा कभी नहीं कहा होगा—नहीं, मैं भुगतान नहीं करूंगा। जब श्री मधु दण्डवते हैं, जब वे सीमा शुल्क के धन को ऐसे ही वापस

कर रहे हैं, तो वे इस विशेष व्यय का भुगतान क्यों नहीं करेंगे ? मैं नहीं जानता किन्तु सारा देश इस प्रश्न को पूछना चाहता है। हमने, मैंने और श्री भक्त ने यह विषय उठाया है और अब सारा सदन इसमें शामिल हो गया है। मैं माननीय विदेश मंत्री से निवेदन करूंगा कि वे अपने पुराने मित्र का बचाव न करें और खड़े होकर ऐसा कुछ न कहें जिससे और समस्यायें खड़ी हों। सरकार के पास पहले ही बहुत समस्याएं हैं। वे और समस्याएं पैदा न करें। मेरा यही एक निवेदन है।

श्री एडुआर्डो फैलीरो : कृपया यह ध्यान रखें कि आपके राजदूत भी उसी सम्मान के साथ व्यवहार करें जिसका प्रदर्शन आपने किया था जब आप मास्कों में थे।

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का समर्थन करता हूं जो इस विषय पर बोले हैं। लंदन में भारतीय उच्चायुक्त ने जो आपराधिक उपेक्षा दिखाई है उसकी निन्दा करने के लिए कोई उचित शब्द नहीं हैं मेरा मुद्दा यह है कि भारतीय उच्चायुक्त द्वारा चाहे कुछ भी आपराधिक उपेक्षा दिखाई गई हो, हमारे अपने देश में क्या होता है ? सरकार ने क्या किया ? सरकार स्वयं कोई वक्तव्य नहीं दे रही है। इस महान देश के मुख्य न्यायाधीश का निधन देश से बाहर हुआ और यह सरकार का कर्तव्य था कि जब सदन सत्र में हो, तो वह अपने आप वक्तव्य दे कि वास्तव में क्या हुआ है। तब इस देश के लोगों को सरकार से तथ्यों की जानकारी मिल जाती। किन्तु सरकार चुप थी। क्यों ? सब सदस्यों ने सदन में इस विषय को उठाया तब ही सरकार कुछ कह रही है। किसी पर भी दोषारोपण का प्रश्न नहीं उठता है। यह देश की गरिमा का प्रश्न है; भारत के मुख्य न्यायाधीश जो विदेश में थे, को दिल का दौरा पड़ा था। उस समय उन्हें अस्पताल के बलियारे में रखा गया और वे वहां कई घण्टे तक पड़े रहे। किसी भी डाक्टर ने उनकी चिकित्सा नहीं की; किसी विशेषज्ञ ने उनको नहीं देखा। उन्हें किसी गैर-सरकारी अस्पताल में ले जाना चाहिए था, या उन्हें उचित चिकित्सा सहायता दी जा सकती थी।

इसीलिए, सरकार को कुछ विशेष नियम बनाने चाहिए जिनका पालन विशिष्ट व्यक्तियों के विदेश जाने सम्बन्धी मामलों में चाहे वे सरकारी दौरे हों या गैर-सरकारी दौरे—किया जाए। किस प्रकार का शिष्टाचार उनके साथ निभाना चाहिए, उन्हें कौन-सी सुविधाएं उन्हें उपलब्ध कराई जाएं, इस पर विचार करना है। मैं हृदय से इस बात का समर्थन करता हूं कि वर्तमान उच्चायुक्त को तुरन्त इस देश में वापस बुला लिया जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उस देश में हमारे राजदूत के रूप में रहने का विश्वास खो दिया है।

डा० देवी प्रसाद पाल (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : भारत के मुख्य न्यायाधीश के असमय निधन पर सदन द्वारा व्यक्त किये गये भावों का मैं भी समर्थन करता हूं। मेरा उनके साथ 25 वर्षों से भी अधिक का व्यक्तिगत साथ रहा जब वे कलकत्ता उच्च न्यायालय की पीठ में और बार में थे। मैं भारत के मुख्य न्यायाधीश के घर गया था और उनकी पत्नी श्रीमती मुखर्जी से मिला था। जो घटनाएं मैंने उनसे सुनीं वे बहुत दुःखदायी हैं। मुझे आश्चर्य है कि ब्रिटेन में उच्चायुक्त ने इतनी गैर-जिम्मेदारी और उदासीनता से व्यवहार कैसे किया जब भारत के मुख्य न्यायाधीश अस्वस्थ थे। मैं सभी को वह सब बता सकता हूं जो मैंने श्रीमती मुखर्जी से सुना। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश वाशिंगटन से लंदन पहुंचे थे तो उस समय भी वे बहुत अस्वस्थ थे। जब यह कष्ट आरम्भ हुआ तो अस्पताल में ले जाने के स्थान पर उन्हें उनके मित्र के घर ले जाया गया; उन्हें उस लंदन के दो मुख्य अस्पतालों में

[डा० देवी प्रसाद पाल]

नहीं ले जाया गया जहां हृदय की बीमारी के मरीजों की उचित चिकित्सा की जाती है; उन्हें नेशनल हैल्थ हास्पिटल ले जाया गया जहां पर हृदय की बीमारी के गम्भीर मामलों की चिकित्सा नहीं की जाती थी। आरम्भ में, जब यह कष्ट आरम्भ हुआ, उन्हें सुबह 11 बजे से शाम 6.30 बजे तक गलियारे में प्रतीक्षा करनी पड़ी। मैंने श्रीमती मुखर्जी से यही सुना था। मैं उनके साथ एक घण्टे से अधिक समय तक रहा। वह घूमने वाली कुर्सी पर बैठे थे और अहाते में सुबह 11 बजे से शाम 6.30 बजे तक प्रतीक्षा करते रहे। इसके पश्चात्, उन्हें सन्धिजोड़ विशेषज्ञ के कमरे में ले जाया गया, उन्हें हृदय रोग सघन चिकित्सा कक्ष तक में नहीं ले जाया गया। वहां पर भी उन्हें कई घण्टों तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। फिर उन्हें सघन चिकित्सा कक्ष में ले जाया गया जहां पर उचित व्यवस्था नहीं थी। उनकी देख-भाल इस प्रकार की गई। सामान्यतया, इस प्रकार के मामले में, उच्चायुक्त ने यह बात उठाई कि धन कहां से आएगा। यह अत्यन्त दुखदायी है। उच्चायुक्त को यह मालूम होना चाहिए था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश वहां पर सरकारी दौरे पर गये थे। उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश का वहां पर यह सरकारी दौरा था या गैर-सरकारी। मैं सदन को यह बता सकता हूं कि उनका यह सम्पूर्ण दौरा सरकारी काम के लिए था क्योंकि लंदन में विश्व के मुख्य न्यायाधीशों की बैठक में उन्होंने भाग लिया था, और वे वहां से आ रहे थे; और सारा खर्च भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ऐसी स्थिति में उनकी पत्नी ने उच्चायुक्त से कहा था कि चाहे कुछ भी हो, चाहे मंजूरी आये या नहीं, आप कृपया उनकी उचित देखभाल करें और उन्हें उचित अस्पताल में ले जाएं; किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। जब भारत के मुख्य न्यायाधीश ने अपनी पत्नी को इस बारे में बताया था। उस समय, मंत्री की ओर से कोई सूचना आई थी। जब उच्चायुक्त को मंत्री की ओर से आई इस सूचना का पता चला था, कम से कम, तभी उन्हें भारत के मुख्य न्यायाधीश के लिए चिकित्सा की उचित व्यवस्था मुहैया करा देनी चाहिए थी। किन्तु कुछ भी नहीं किया गया।

मैं सदन से कह सकता हूं कि यदि उचित समय पर उचित देखभाल की जाती तो भारत के मुख्य न्यायाधीश का जीवन बचाया जा सकता था, यह कहना बिलकुल झूठ है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश शीघ्रातिशीघ्र भारत वापस आना चाहते थे; यह सही नहीं है। उच्चायुक्त ने तो उनकी ठीक प्रकार से देखभाल भी नहीं की; उन्होंने मुख्य न्यायाधीश के साथ केवल अपने प्रतिनिधि को भेज दिया।

1.00 म० प०

अब, यह स्थिति हो तो, यह सदन जानता है कि अगर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति वहां जाता है और अगर बिल उच्चायुक्त को भेजा जाता है तो उस स्थिति में मंजूरी लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतीक्षा करते समय, मुख्य न्यायाधीश को एक उचित अस्पताल में नहीं भेजा गया।

मैं मांग करता हूं कि इस तरह के मामले में उच्चतम न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश द्वारा एक जांच करवाई जानी चाहिए, अगर उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश हों तो बेहतर है क्योंकि यह घटना उच्चायुक्त की लापरवाही से हुई है।

श्री वसंत साठे : एक संसदीय समिति क्यों नहीं ?

डा० देवी प्रसाद पाल : हां, मैं संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा भी एक जांच की मांग करता हूं। यह मामला बहुत गंभीर है। उच्चायुक्त को तुरन्त वापस बुलाना चाहिए।

श्री वसंत साठे : उन्हें वापस बुला लें और संयुक्त संसदीय समिति जांच करेगी।

डा० देवी प्रसाद पाल : उच्चायुक्त एक आपराधिक कृत्य के दोषी हैं। जब उच्च न्यायाधीश की पत्नी उच्चायुक्त से अनुरोध कर रही थीं कि उच्च न्यायाधीश को अस्पताल ले जाने के लिए शीघ्र कार्यवाही करें, तब उन्होंने ऐसा व्यवहार कैसे किया ? किन्तु कुछ भी नहीं किया गया। इस तरह के मामले में, मैं आशा करता हूं कि यह सदन, सर्वसम्मति से इस बात पर सहमत होगा कि भारत के उच्च न्यायाधीश का मूल्यवान जीवन उच्चायुक्त की ओर से की गई लापरवाही के कारण नष्ट हो गया और उन्होंने इस तरह व्यवहार किया जो गैर-जिम्मेदाराना भी था। ऐसे उच्चायुक्त को वहां एक क्षण के लिए भी नहीं रहने देना चाहिए। उन्हें जल्दी से वापस बुला लेना चाहिए और एक उचित जांच करवाई जानी चाहिए और उच्चायुक्त के खिलाफ आवश्यक कदम भी उठाने चाहिए। मैं बहुत दुःख के साथ यह कहता हूं - अगर उच्चायुक्त ने सही समय पर सही कदम उठाए होते तो यह जिन्दगी आसानी से बचाई जा सकती थी। इन शब्दों के साथ, ऐसी कीमती जिन्दगी के बिछुड़ जाने पर, मैं दोबारा अपना दुःख व्यक्त करता हूं, जो सिर्फ उच्चायुक्त के कारण हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : कई माननीय सदस्य इस पर बोलना चाहते हैं। मैं सोचता हूं कि अब मुझे मंत्री जी को आमंत्रित करना चाहिए। मेरे ख्याल से सभी दलों के प्रतिनिधि बोल चुके हैं। अब हम गृहमंत्री को सुनें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि अब मंत्री जी को बुलाना बेहतर होगा।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तौरकी (बलीपुरद्वार) : अध्यक्ष जी, यह बहुत गम्भीर मामला है और यह आपके लिए भी, सरकार के लिए भी और हम सभी के लिए भी एक बहुत चिन्ता का विषय है। इससे सारे देश की बदनामी हुई है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाए उतनी ही कम है। हाईकमीशनर ने जिस तरह का व्यवहार उनके साथ किया उससे हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। उनके ऐसे व्यवहार को देश का कोई भी नागरिक बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इसके लिए उसको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए जिससे आगे के लिए कोई ऐसा सलूक किसी के साथ न कर सकें। हमारे देश के लोग जो विदेशों में रहते हैं, उनका भी इसके कारण सिर शर्म से झुक जाता है।

हमारे देश का जो एक नम्बर का आदमी था यानि कि मुखर्जी जी, उनके साथ जैसा सलूक हुआ उसके कारण वह आदमी हाई कमीशनर के पद पर रहने के लायक नहीं है। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हें सजा आज ही सुना कर सदन को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। इसके अलावा इस केस की पूरी इनक्वायरी भी की जानी चाहिए। इतना ही मुझे कहना है।

[अनुवाद]

श्री ए० के० राय (धनबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस पूरी घटना के प्रति अपना आक्रोश और दुःख प्रकट करने में अपने अन्य सहयोगी का साथ देना चाहूंगा।

सिर्फ आपराधिक लापरवाही की ही बात नहीं है, अपितु पूरे मामले से जो उनका दंभ प्रकट हुआ है, उसने हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। ऐसा लगता है कि उच्चायुक्त सरकार और हम सबको कुछ नहीं समझते और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि सरकार भी हमारी ओर ध्यान नहीं देती। मैं यह भी जानना चाहूंगा किस बात ने मंत्रालय को तथ्यों को सामने लाने से रोका और जैसा कि मेरे सहयोगी ने अपने वक्तव्य में कहा, जब माननीय मंत्री उच्चायुक्त की ओर से उत्तर देते हैं, मैं दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। उन्हें न सिर्फ उच्चायुक्त के आचरण की व्याख्या करनी चाहिए, कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, बल्कि उन्हें वक्तव्य देने और सदन को तथ्यों से अवगत कराने में हुई देरी का भी स्पष्टीकरण देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि उच्चायुक्त को तुरंत बर्खास्त कर दिया जाए। यह इन सब चीजों के लिए न्यूनतम सजा है और मैं सारे मामले में सरकार से भी एक स्पष्टीकरण की आशा करता हूं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सब पुरुष लोग बोल रहे हैं। एक महिला बोल रही हैं, आप सुनिए।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय अध्यक्ष जी, जैसे ही मैं खड़ी होती हूं, या बहुजन समाज पार्टी का कोई भी मेम्बर आफ पार्लियामेंट किसी भी विषय पर बोलने के लिए खड़ा होता है तो उसी मौके पर पहले ही चेतावनी दे दी जाती है कि आप किस पर बोलेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को यह बताना चाहती हूं कि जिस पार्टी और जिस समाज से मैं सम्बन्ध रखती हूं, 24 घण्टे मेरे सामने मेरे समाज की पिक्चर बनी रहती है, खड़ी रहती है। आज जैसे ही मैं हाऊस में आयी और मैंने सरकार की लापरवाही के बारे में अपने अन्य सदस्यों के माध्यम से जो भी कुछ सुना और मैंने पढ़ा भी तो मुझे काफी दुःख हुआ है और सरकार को इसके बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए और एक्शन भी लेना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे मालूम है कि कल आखिरी दिन सैशन का है, आपने 5 दिन के लिए जो सत्र बुलाया है। मैंने आज से दो दिन पहले जब अपनी बात सदन में रखनी चाही तो बड़े दुख की बात है कि एक तरफ तो हम दूरदर्शन में सब को बराबर का दर्जा देने की बात करते हैं लेकिन दूरदर्शन के माध्यम से··· (व्यवधान)···माननीय अध्यक्ष जी, आज आपको मेरी बात सुननी होगी, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूं···।

अध्यक्ष महोदय : मैं सुन रहा हूं, आप बोलिए न, मैं आपको कहां मना कर रहा हूं। आप विषयान्तर न होइए।

कुमारी मायावती : दूरदर्शन पर जो कुछ भी मेरे बारे में कहा जाता है कि मायावती ने जो कुछ भी बोला, स्पीकर ने फटकारा या उसको कार्रवाई से निकाल दिया तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मुट्ठी भर लोग इस देश के अन्दर, चाहे नौकरशाही ताकत हो, चाहे पोलिटिकल ताकत हो या आर्थिक

ताकत हो, हर क्षेत्र में वह छाये हुए हैं, अभी हमारे पी० उपेन्द्र जी तो यहां मौजूद नहीं हैं लेकिन सरकार को दूरदर्शन के माध्यम से सब पार्टियों को मान्यता देनी चाहिए। सही बात उनके दूरदर्शन के माध्यम से आनी चाहिए।

मैं आपका ध्यान खास तौर से इस देश के अन्दर, आरक्षण के विरोध में नहीं, आरक्षण के समर्थन में शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स···।

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, वह आ रहा है, उस पर बहस होगी, दो बजे के बाद।

कुमारी मायावती : उस पर काफी लम्बी बहस हो रही है लेकिन अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। अभी सदन के अन्दर जो कुछ भी चर्चा हुई, वह एक बड़े आदमी, बड़ी जाति, ऊंची जाति से सम्बन्ध रखने वाले व्यक्ति के बारे में थी, उस पर तो सदन को बड़ा दुःख होता है लेकिन आरक्षण के समर्थन में दबे कुचले लोग जो बेकसूर मारे जा रहे हैं, असामाजिक तत्वों के द्वारा तो सदन को उसके बारे में भी तो चिन्तित होना चाहिए, ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा।

[हिन्दी]

इस तरह की कोई बात होगी जिससे लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचेगी तो मैं रिकार्ड को देख लूंगा, आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप स्थगन प्रस्ताव पर बोलियेगा। स्थगन प्रस्ताव पर हो सकता है कि आपको बोलना पड़े तब आप इसको रखना। अब आप मेहरबानी करके बैठ जाएं।

कुमारी मायावती : एक मिनट। माननीय अध्यक्ष जी, मैं क्यों खड़ी हुई हूं, जो कुछ भी सदन में··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : स्वर्गीय सव्यसांची मुकर्जी के बारे में कह रही थीं, सो मैंने आप को उस पर इजाजत दी है।

कुमारी मायावती : मुझे दुख है, मेरी पार्टी की ओर से मैं दुख प्रकट करती हूं लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुजन समाज पार्टी को अन्य मामलों में इग्नोर न किया जाय और दूरदर्शन में सभी पार्टियों को बराबर हिस्सा मिलना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको कोई इग्नोर नहीं करता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री पी० सी० थामस। हालांकि श्री पी० सी० थामस एक अलग मुद्दा उठा

रहे हैं। फिर भी मैं उन्हें वह मुद्दा उठाने की अनुमति दे रहा हूं ताकि सदन और मंत्री जान जायं।

श्री पी० सी० थामस (मुक्तुपुजा) : इससे पूर्व मैं भी अपने दल की ओर से इस मामले पर चिंता व्यक्त करता हूं।

अन्य मुद्दा जो मैं उठाना चाहता था वह यह था कि कुवैत से कुछ व्यक्ति, कुछ भारतीय सड़क मार्ग से आए थे··· (व्यवधान)

श्री ए० के० राय : यह बहुत गंभीर मामला है। आपको इसे महत्वहीन बनाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि यह श्री गुजराल के मंत्रालय से संबंधित है, इसलिए इस मुद्दे को उठाने की मैंने अनुमति दी है···

(व्यवधान)

श्री पी० सी० थामस : कुछ भारतीय राष्ट्रिक कुवैत से कारों में आए थे। तुर्की, ईरान, इराक और पाकिस्तान पार करने के बाद वे हमारी सीमा तक पहुंचे। वे अमृतसर से 30 कि० मी० दूर एक स्थान जिसे वागाह बोर्डर कहा जाता है, वहां से आए। जब वे वहां पहुंचे तो हमारे अधिकारियों ने उन्हे परेशान किया। उनसे कहा गया कि वे अपनी कारें वहीं छोड़कर जाएं। जिन्होंने ऐसा करने से मना किया, उन्हें दो दिन और तीन रातें वहीं रुकने के लिए कहा गया। वे भोजन के बिना वहां ठहरे और किसी ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में भी उनका ख्याल रखा गया, किन्तु जब वे भारत में आए, तो उन्होंने पाया कि संबंधित अधिकारी भी कह रहे थे : "आप कुवैत क्यों गए थे ? यह हमारा काम नहीं है।" उन्होंने कहा : "आप यहां कारें छोड़ दो और जाओ। जो दूसरा दल आया, उसने अधिकारियों से बहस की। हम अपनी कारों के बिना नहीं जाएंगे क्योंकि हमारे पास सिर्फ यही बची है। हम हर चीज गवां चुके हैं; जो कुछ हमने कमाया था, वह सब कुछ हम गवां चुके हैं। यह एक अलग स्थिति है, आप ऐसे कानून नहीं लागू कर सकते।" उन्होंने कहा : "आपको अपनी कारें यहीं छोड़नी पड़ेंगी और पैदल चले जाएं।" वे धरने पर बैठ गए और सारा रास्ता रोक दिया। अन्त में, दूसरे दल में जो छः कारें आई थीं सिर्फ उन्हें जाने दिया गया। मैं विदेश मन्त्री तथा वित्त मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करता हूं क्योंकि यह एक ऐसी स्थिति है जिस पर अलग से विचार करना होगा। अगर कस्टम से संबंधित कुछ कानून उनके रास्ते में आते हैं, तो मैं सोचता हूं कि इस पर अलग ढंग से विचार करना होगा और उन्हें आवश्यक छूट देनी होगी··· (व्यवधान)

श्री सी० के० जाफर शरीफ (बंगलौर उत्तर) : मुझे सिर्फ एक बात कहनी है। संसद एक संस्था है। न्यायपालिका एक दूसरी संस्था है। उच्च न्यायाधीश न्यायपालिका का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब कुछ भावनाएं संसद में अभिव्यक्त की जाती हैं, तो यह उचित नहीं है कि हम सभी तरह के मुद्दों को उसमें ले आएं। हमें विषय की सीमा में ही रहना चाहिए। एक संस्था को दूसरी संस्था का आदर करना चाहिए··· (व्यवधान)

विदेश मन्त्री (श्री इन्द्र कुमार गुजराल) : इस शोकाकुल निधन पर मैं न केवल इस सदन के, अपितु श्रीमती मुखर्जी के भी दुःख में शामिल हूं। श्री मुखर्जी न केवल एक योग्य जज, एक प्रतिष्ठित

मुख्य-न्यायाधीश ही थे, अपितु उनमें मैंने अपना एक व्यक्तिगत मित्र भी खो दिया है। सौभाग्य से मुझे श्री मुखर्जी को कई वर्षों से जानने का गौरव प्राप्त है और जितना अधिक मैंने उनके बारे में जाना, उतना ही अधिक मैंने उन्हें प्रशंसा के योग्य पाया।

यह मेरा दुर्भाग्य था कि मैं उनके निधन के कुछ घण्टों पश्चात लंदन पहुंचा। वहां मैंने श्रीमती मुखर्जी को सांत्वना दी, जो उच्चायुक्त के यहां ठहरी हुई थीं। वे उच्चायुक्त के निवास पर थीं। मैं वहां उनसे मिला। वे वहां सारा दिन रहीं। मैंने और मेरी पत्नी ने काफी समय उनके साथ बिताया और हम उनके इस दुःख में शामिल हुए क्योंकि यह एक सामान्य मृत्यु नहीं थी; उनके लिए यह एक भारी व्यक्तिगत आघात था। हम सबके लिए और देश के लिए यह एक ऐसा नुकसान था जिसे बर्दाश्त करना बूते से बाहर की बात थी। वह उस दिन भारत वापस आयीं, क्योंकि शव पर लेप लगाया गया था। उच्चायुक्त की पत्नी और उप-आयुक्त उनके साथ दिल्ली आए, ताकि ऐसे समय में उन्हें सहारा दे सकें, जब इसकी उन्हें भारी आवश्यकता थी और उन्हें यह सहारा दिया गया। मेरे कई मित्र बहुत दुःखी हैं और उनका परेशान होना तर्क-संगत भी है क्योंकि जब ऐसा घटित होता है, तो स्वाभाविक रूप से हम सब परेशान और चिन्तित हो जाते हैं। श्री मुखर्जी की मृत्यु के पश्चात उस दिन वहां रहने के दौरान और फिर रात को वापिसी की यात्रा के दौरान मैंने सभी संबंधित घटनाओं पर गहन विचार किया। मैं इसका विवरण देकर सदन का समय नष्ट नहीं करूंगा। किन्तु मैं केवल यह कहना चाहूंगा कि बात वैसी नहीं हैं, जैसी बतायी गयी हैं। मैं केवल इसी के साथ यह बात समाप्त करूंगा। इसका पूरा विवरण भी है, किन्तु उस विवरण को बताने का शायद यह सही अवसर नहीं है। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि जांच कराई जाए और मैं इस जांच का कार्यभार श्री वेणुगोपाल को ही सौंपने को तैयार हूं। इसलिए, श्री वेणुगोपाल सारे मामले की स्वयं जांच करें और निष्कर्ष निकालें। सिर्फ तब ही मैं इस बारे में पुनः बात करूंगा···(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम (शिव गंगा) : क्या विदेश मन्त्री को श्रीमती मुखर्जी के शब्दों पर विश्वास नहीं है।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : श्री चिदम्बरम कई वर्षों से बहुत प्रतिष्ठित संसद सदस्य रहे हैं। वह मन्त्री के रूप में हमसे अधिक प्रतिष्ठित हैं और वह यह जानते हैं कि यह निर्णय लेने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और वह यह भी जानते हैं कि आवश्यकतानुसार, जिम्मेवारी को निर्धारित कर लेना चाहिए और मेरे विचार में श्री मुखर्जी स्वयं इसकी इच्छा नहीं करते, क्योंकि इस प्रकार के मामले में न्यायिक प्रक्रिया बहुत महत्वपूर्ण है···(व्यवधान)। उस दुर्भाग्यपूर्ण दिन जब श्री मुखर्जी लंदन पहुंचे थे, वह दुर्भाग्यपूर्ण दिन ही था, जब श्री कुलदीप नैयर स्वयं शल्य चिकित्सा के आपरेशन के लिए अस्पताल में थे। किन्तु, एक अफसर की नियुक्ति की गई थी, जो अस्पताल में या अन्यत्र हर समय उनके साथ था। उप-आयुक्त सभी दिन, रोजाना अस्पताल में दो बार गए थे। मैं ऐसा वक्तव्य दे रहा हूं, जिसमें आप शुद्धि कर सकते हैं···(व्यवधान)। इसका अर्थ किसी भी तरह से यह नहीं है कि मैं श्रीमती मुखर्जी के कथन को नकार रहा हूं। जांच इसलिए आवश्यक है, ताकि उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जा सके। किन्तु, इसके साथ, मैं यह कहूंगा कि जहां तक पुनर्भुगतान की राशि का प्रश्न है, मेरे विचार में, उस अधिकारी ने कुछ भ्रम फैला दिया। उसका स्पष्टीकरण मांगा जा चुका है तथा उत्तरदायित्व निर्धारित किया जा चुका है, क्योंकि उसने ऐसा कार्य अपनी मनमर्जी से किया, जो उसे नहीं करना चाहिए था। इसलिए, जहां तक इस मुद्दे की बात है, इससे संबंधित कोई नियम नहीं हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण

[श्री इन्द्रकुमार गुजराल]

है कि जब यह रुग्णता आई तो यह दो बार में आई जब श्री मुखर्जी हवाई जहाज से उतर रहे थे तो आखिरी सीढ़ी पर वे थोड़ा-सा लड़खड़ाए। इस पर उनके पास खड़े हुए अधिकारियों ने उन्हें सहारा दिया और उन्हें लेकर उतरे। दुर्भाग्य से वे मधुमेह के भी मरीज थे।

हवाई अड्डे के चिकित्सक को, जिसे वहां फौरन बुलाया गया था सबसे पहले यह आशंका हुई कि कहीं उन्हें मधुमेह तो नहीं है। इसलिए उसने अपनी समझ से सही दवाई दी। मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। इसके पश्चात्, श्री मुखर्जी अपने मेजबान के घर चले गए। दुर्भाग्य से, इस बीमारी का दूसरा हमला तब हुआ जब वह अपने मेजबान के साथ रह रहे थे। और तब मेजबान ने तुरन्त अपने चिकित्सक को बुलाया। उनके चिकित्सक ने भी उनको यही सलाह दी कि मरीज को एक अस्पताल-विशेष में ले जाएं क्योंकि उनका चिकित्सक निजी रूप से प्रैक्टिस करता था और उस अस्पताल के चिकित्सकों के पैनल में उस चिकित्सक का नाम था तथा वह अस्पताल—मैं यह सभी माध्यमों से जान पाया हूं और मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, अतः इसके लिए मेरे शब्दों का कोई अर्थ नहीं लगाया जाए —एक अच्छा अस्पताल माना जाता है। इसके पश्चात्, उन्हें किसी प्राइवेट अस्पताल में ले जाना कठिन हो गया, क्योंकि उनकी दशा ऐसी थी कि चिकित्सकों ने उन्हें एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल में ले जाना ठीक नहीं समझा। फिर भी···(व्यवधान)

श्री सन्तोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : उन्हें प्रमाण-पत्र न दिया जाए। यह एक प्रकार से जांच के बारे में पूर्व-निर्णय करना होगा···(व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : कृपया मुझे एक मिनट बोलने दें। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : सन्तोष मोहन जी, वे तो नहीं बोलना चाहते थे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मेरे पास इस समय जो भी सूचना है, वह मैं दे रहा हूं। किन्तु मैं यह कहता हूं कि इसमें जांच के अन्तिम निर्णय के संबंध शुद्धि की जा सकती है। मैं यही कह रहा हूं। इसलिए, मैं पहली सूचना के बारे में बता रहा हूं, क्योंकि मेरे विचार में माननीय सदस्य मुझसे यह आशा करते हैं कि मैं उन्हें इस सूचना से अवगत कराऊं।

श्री वसंत साठे : जब तक जांच पूरी नहीं होती, उच्चायुक्त के विरुद्ध आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मेरी बात को अन्तिम निर्णय के रूप में ही ले लिया जाए। मैं केवल उस सूचना से अवगत करा रहा हूं जिसकी मुझे जानकारी है और इसलिए, मैं फिर दोहराना चाहूंगा कि मैं एक जांच अफसर, मेरा आशय है एक न्यायाधीश, यदि आप चाहें तो श्री वेणुगोपाल को ही नियुक्त करने को तैयार हूं। मैं इसकी जांच कराने को तैयार हूं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : महोदय, ये दो भिन्न विषय हैं। आपको सदन की भावना की जानकारी होनी चाहिए। जांच और कौन से नियमों में संशोधन करना है इत्यादि, के बारे में बाद में बात की जायेगी। अब, हम यह कह रहे हैं कि श्रीमती मुखर्जी के वक्तव्य पर प्रत्यक्षतः, जिसे एक व्यक्ति ने नहीं, अपितु हम सबने और श्री वेणुगोपाल ने भी सुना···

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : वे कह रहे हैं कि न्यायिक जांच के लिए तैयार हैं।

श्री वसंत साठे : न्यायिक जांच तो बाद में होगी।

[अनुवाद]

मैं कह रहा हूं कि सबसे पहले तो आज हम यही चाहते हैं कि उच्चायुक्त को वापिस बुला लिया जाये। जांच बाद में कराई जा सकती है। अन्यथा हम अभी प्रस्ताव पेश करेंगे। (व्यवधान)। हम प्रस्ताव पेश करेंगे और सारी स्थिति उजागर करेंगे। यह क्या है ? महोदय, आप सदन को अपनी ही इच्छा से चलाने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं।

श्री चन्द्र शेखर (बलिया) : अध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव पेश करने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह निवेदन करूंगा कि वह श्री कुलदीप नैयर के व्यवहार के संबंध में अधिक सकारात्मक रहें, क्योंकि उन्होंने पत्र में जो लिखा है, उसमें उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश का ठीक प्रकार से ध्यान न रख पाने के बहाने ढूंढने का प्रयास किया है। यदि वह उच्चायुक्त के रूप में बने रहते हैं, तो कोई भी जांच प्रभावहीन रहेगी। इसलिए, जांच शुरू किए जाने से पहले इन्हें इस पद से हटा दिया जाना चाहिए।

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है मैं उससे सहमत हूं। श्री कुलदीप नय्यर ने कहा कि श्री मुखर्जी निजी दौरे पर थे। इसका क्या अर्थ है ? उन्हें यह बहाना क्यों बनाना पड़ा ? इससे हमारा उनके द्वारा की गई चूकों की ओर ध्यान जाता है। हम सहमत···

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : क्या वह सहमत हैं कि वह निजी दौरे पर हैं। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : नहीं, नहीं। महोदय उन्होंने यह लिखा है। (व्यवधान) श्री कुलदीप नय्यर ने ऐसा क्यों कहा ? वह बहुत ही गैर-जिम्मेदार व्यक्ति हैं।

श्री के० एस० राव (मछलीपटनम) : मंत्री महोदय उन्हें वापिस बुलाने की स्वीकृति दें। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि श्री मुखर्जी निजी दौरे पर थे। यह श्री मुखर्जी का अपमान है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : चौधरी जी, सुनिये, मंत्री जी रेसपांड कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, जहां तक निजी और सरकारी दौरे का संबंध है यह एक प्रकार की कूटनीतिक भाषा है, यदि किसी व्यक्ति को स्थानीय सरकार द्वारा निमंत्रण प्राप्त नहीं हुआ है तो उसे निजी दौरा कहा जाता है। (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यदि कोई व्यक्ति मर रहा हो तो इस प्रकार की बातें क्यों उठाई जाती हैं ? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : कूटनीति के सभी शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार के गम्भीर मामले में कूटनीति के शब्दों का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए और उच्चायुक्त द्वारा यह कहना पूर्णत: लापरवाहीपूर्ण है कि वह सरकारी दौरे पर नहीं थे और मुझे दुख है कि मेरे मित्र श्री गुजराल तकनीकी कारणों से उनके द्वारा प्रयोग की गई भाषा का समर्थन कर रहे हैं। यह उनकी मन:स्थिति का द्योतक है और इसमें सुधार किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह सब कहने की आवश्यकता क्या थी ?

अध्यक्ष महोदय : वह कह रहे हैं कि वह किसी का बचाव नहीं कर रहे हैं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं और नहीं कोई विचार प्रकट कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा० देवी प्रसाद पाल : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सत्य है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश ने यह कहा था कि जब वह भारत वापस जाएंगे तो उच्चायुक्त के लापरवाहीपूर्ण रवैये की शिकायत करेंगे। ऐसा उन्होंने अपनी पत्नी से कहा था।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : मैं किसी व्यक्ति का बचाव नहीं कर रहा हूं। मैंने सदन के समक्ष वह तथ्य प्रस्तुत कर दिये हैं जो मुझे पता हैं अथवा मुझे दिखाये गये। लेकिन मैंने यह भी कहा कि यदि आप चाहते हैं तो किसी न्यायाधीश अथवा श्री वेणुगोपाल द्वारा उचित जांच होने दें। जहां तक व्यय का संबंध है 'निजी' शब्द एक पत्र में लिखा गया था जिसे मैं आपको दिखाना चाहता हूं।

श्री वसंत साठे : नियम 171 के अन्तर्गत मैं एक संकल्प प्रस्तुत करता हूं। यदि आप इससे सहमत नहीं हैं तो मैं एक संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : पहले मुझे अपनी बात समाप्त कर लेने दीजिए। जांच करने वाले व्यक्ति का नाम घोषित करने दें। जांच के आदेश देने के बाद जिस भी प्रक्रिया का आप सुझाव देंगे, उसे मैं मान लूंगा।

श्री चन्द्र शेखर : श्री कुलदीप नय्यर अपने पद पर नहीं बने रह सकते हैं। मैं विचार-विमर्श द्वारा इसमें टाल-मटोल नहीं चाहता हूं।

श्री वसंत साठे : महोदय, मैं नियम 171 के अन्तर्गत अपना संकल्प प्रस्तुत करता हूं।

"कि यह सभा संकल्प करती है कि ब्रिटेन में हमारे उच्चायुक्त श्री कुलदीप नय्यर को तत्काल वापिस बुलाया जाए।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : रैंज्योलूशन के लिए कोई नियम होता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री चन्द्र शेखर : यदि वह सूचना चाहते हैं तो हम सूचना दे सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि मंत्री महोदय इस प्रकार का व्यवहार करेंगे तो यह दुर्भाग्यपूर्ण है। सदन अपनी भावनाएं प्रकट करना चाहता है और माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसके लिए सूचना दें और तत्पश्चात् संकल्प प्रस्तुत करें। मेरा कहना है कि संकल्प का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। इस मामले पर संकल्प की कोई आवश्यकता नहीं है; यह सदन की भावनाओं का प्रश्न है।

श्री वसंत साठे : यदि आप कोई जांच करना चाहते हैं तो जांच निष्पक्ष और उचित कैसे हो सकती है यदि वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच की जानी है वह उच्चायुक्त के पद पर बना रहे।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : साठे साहब, रैंज्योलूशन के बारे में नियम हैं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : चूंकि अभी जांच होनी है इसलिए मैं कम से कम कहूंगा। निष्पक्ष रूप से अभी यह निर्णय लिया जाना है कि कौन जांच करेगा, उच्चायुक्त को अवकाश पर जाने के लिए कहा जाना चाहिए। जांच होने तक उन्हें पद पर बने नहीं रहने दिया जा सकता है। माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इसे स्वीकार करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है उस बारे में हमें मंत्री महोदय के विचार यह सुनना चाहिएं।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा : मैं केवल इसी बात पर जोर देना चाहता हूं भारत के मुख्य न्यायाधीश ने उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश को लम्बी छुट्टी पर जाने के लिए कहा था क्योंकि उनके विरुद्ध जांच चल रही थी। विभागीय जांच थी। लेकिन यह एक गम्भीर आरोप है और मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जब माननीय मंत्री महोदय अगले दिन वहां गए तो सभी बातें स्पष्ट थीं, अस्पष्ट नहीं थीं। मैं श्रीमती मुखर्जी से मिला था और एक घण्टे तक उनसे बात की थी। वह पूरा समय रोती रहीं।

[श्री गुमान मल लोढा]

वह एक बात बार-बार कह रही थीं कि उनके पति बार-बार कह रहे थे कि यदि उन्हें यह सब पता होता तो वह यहां नहीं आते। जब वह भारत पहुंचेंगे तो वह माननीय प्रधान मंत्री जी से कहेंगे कि मुख्य न्यायाधीश को ऐसे सम्मेलनों में न भेजा करें जहां उच्चायुक्त एक साधारण नागरिक जैसे भी उनकी देखभाल नहीं कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चार दिनों में उन्होंने हर सम्भव प्रयास किये। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि माननीय मंत्री जी ने बहुत विनम्रता से अक्षम्य कार्य को बचाने का प्रयास किया है। यह हम सबके लिए शर्मनाक बात है।

दिल्ली विश्वविद्यालय के कुलपति श्री बक्शी ने कहा है कि उन्होंने उच्चायुक्त को एक तार भेजा है कि "हमें आपके इस कार्य से शर्म आ रही है।" यह घटना घटने के बाद उन्होंने कहा कि "मैंने उन्हें एक तार भेजा कि हमें आपके इस कार्य से शर्म आ रही है।" हम सभी यही महसूस करते हैं (व्यवधान) महोदय इस मामले को टालने का प्रयास नहीं करें। तत्काल निम्नलिखित कदम उठाएं :

(1) उच्चायुक्त को वापिस बुलाया जाना चाहिए; यदि उन्हें वापस बुलाने तक और कुछ कार्यवाही करनी है तो उन्हें लम्बी छुट्टी पर जाने के लिए कहा जाए;

(2) तत्काल एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए जो इस मामले की जांच करे और रिपोर्ट दे;

(3) श्रीमती मुखर्जी को सभी सम्भव वित्तीय और अन्य सहायता दी जानी चाहिए और भविष्य में यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि ऐसा फिर न हो और समुचित ध्यान दिया जाए। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : महोदय, क्या आप इस पर पूरी चर्चा की अनुमति दे रहे हैं? हम इसको मध्याह्न भोजनावकाश के बाद निपटा सकते हैं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस विषय को निपटाना है और आप इसे जानते हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : महोदय, मैं जानता हूं कि आप इस विषय को निपटाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री दिनेश सिंह (प्रतापगढ़) : महोदय, सबसे पहले मैं स्पष्टीकरण चाहता हूं। यदि मैंने मंत्री महोदय की बात उचित ढंग से सुनी है तो उन्होंने कहा है कि जब तक संबंधित सरकार किसी व्यक्ति को आमंत्रित नहीं करती है तब तक वह निजी यात्रा होती है। यहां मेरे और उनके बीच मतभेद है। मैं चाहता हूं कि उन्हें आशय समझे बिना इस प्रकार स्पष्ट रूप से नहीं कहना चाहिए। कोई भी सरकार किसी व्यक्ति को आमंत्रित कर सकती है और तब वह व्यक्ति उस सरकार के बुलावे पर जाता है। वह यात्रा उस व्यक्ति की वरिष्ठता और उसके पद के अनुसार राजकीय यात्रा हो सकती है तथा उसे संबंधित सरकार द्वारा आमंत्रित किया जा सकता है। जब हमारी सरकार किसी को भेजती है तो वह सरकारी यात्रा होती है निजी यात्रा नहीं। आप एक दूत को किसी देश के लिए भेजिए वह उसकी सरकारी यात्रा होती है, किसी राजदूत को भेजिये वह उसकी सरकारी यात्रा होती है, संसद सदस्यों को संयुक्त राष्ट्र भेजिए वह उनकी निजी नहीं सरकारी यात्रा होती है उन्हें संबंधित सरकार आमंत्रित

नहीं करती है। इसलिए आमंत्रण, सरकारी यात्रा और निजी यात्रा में अन्तर है। जब मुख्य न्यायाधीश दर्जे का व्यक्ति किसी देश की यात्रा करता है चाहे वह पूरी तरह निजी यात्रा क्यों न हो यह निजी यात्रा नहीं थी, वह रास्ते में थे—वह उस देश में कुछ सुविधाओं और शिष्टता के हकदार हैं। एक उच्च आयुक्त यह नहीं कह सकता कि वह निजी यात्रा पर हैं इसलिए उनका इससे कुछ लेना-देना नहीं है। वह फिर भी मुख्य न्यायाधीश हैं इसलिए उच्च आयुक्त को उन्हें पूरा सम्मान देना चाहिए। इसलिए यह बहाना अक्षम्य है कि यह निजी यात्रा है। इसे कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। मंत्री महोदय ने सभा के विचार को सुन लिया है। सभा के सभी पक्षों ने मांग की है कि उच्च आयुक्त को वापस बुलाया जाए। क्या मंत्री महोदय समझते हैं कि संसद के सभी पक्षों ने जिस उच्च आयुक्त को वापस बुलाने की मांग की है क्या वह उस देश में हमारे देश की हितों की रक्षा कर सकता है ? जिसके लिए उसे नियुक्त किया गया है ?

मेरा जांच और अन्य बातों से कोई संबंध नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि सभा में यह इच्छा व्यक्त की गई है कि किसी बात पर ध्यान दिये बिना कोई विशिष्ट व्यक्ति उस पद पर नहीं रह सकता है और मैं भी नहीं सोचता कि वह देश के हितों की रक्षा कर सकता है। इसलिए आगे बिना विचार किए हुए उसे तुरन्त ही वापस बुलाया जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : महोदय, नियम 170, 171 और 184 के अन्तर्गत संकल्प प्रस्तुत किये गये हैं। यदि कोई तकनीकी परेशानी है तो उसके लिए नियम 170 के उस भाग को निलम्बित करने के लिए हमने नियम 388 के अधीन एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ताकि हम उस संकल्प पर तुरन्त विचार कर सकें। (व्यवधान) महोदय, श्री मधु दण्डवते ने जो कुछ कहा है उसे मैं उद्धृत करना चाहता हूं—"नियमों से शिष्टता अधिक महत्वपूर्ण है।" इस प्रकार आज संसद में नियम की तुलना में निर्णय महत्वपूर्ण है और संसद का सर्वसम्मत विचार है कि उच्च आयुक्त श्री कुलदीप नय्यर को वापस बुलाया जाए। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह उच्च आयुक्त की वापसी की घोषणा करें। (व्यवधान) समूची सभा की यही मांग है। सभा सर्वोच्च है। इसलिए आप इस मामले को शुरू कीजिए और निर्णय की तत्काल घोषणा कीजिए।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर) : उच्चायुक्त श्री कुलदीप नय्यर कोई छोटा कर्मचारी नहीं है कि जिसको इंक्वायरी का नोटिस देना चाहिए और उसका एक्सप्लेनेशन मांगना चाहिए। यह तो हाई-पोस्ट है और उसी प्रकार का अपाइन्टमेंट होता है और प्राइमा-फेसी जब पता चलता है तो उन्होंने इस सभा गृह का विश्वास खोया है और इसलिए हम चाहते हैं कि उनको तुरन्त वापस बुलाया जाये और उनको वहां रहते हुए आगे काम न करने दिया जाये। यह सभा गृह की एक राय है और इसको सरकार को मानना चाहिए, यही हमारा आग्रह है।

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : यह सभा का सर्वसम्मत निर्णय है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय की बात सुनिए।

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : महोदय, मैं श्री दिनेश सिंह, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं की एक बात को स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि उस संदर्भ में वह किसी यात्रा पर नहीं थे। मैं यह बात मानता हूं।

दूसरे, यह प्रासंगिक विषय नहीं था। जब माननीय मुख्य न्यायाधीश लंदन पहुंचे तो उच्च आयोग के मंत्री ने उनकी अगुवाई की थी क्योंकि दुर्भाग्यवश उस दिन उच्च आयुक्त अस्पताल में भर्ती थे। इसलिए वह व्यक्तिगत रूप से उनके पास नहीं जा सके। मैं इसका विस्तार से उल्लेख नहीं करना चाहता हूं। (व्यवधान) मैंने इस सभा से और माननीय सदस्यों से कह दिया है कि यदि किसी जांच में जांच अधिकारी कहेंगे कि उन्हें वापस बुलाया जाना चाहिए तो मैं उसका पालन करूंगा। (व्यवधान)

कुछ माननीय सदस्य : जी, नहीं। (व्यवधान)

श्री हरिन पाठक : हम इससे सहमत नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : क्या आप सुझाव दे रहे हैं कि संसद किसी जांच अधिकारी से कम है ? (व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : जी नहीं, मैं यह बात कह रहा हूं। जब आप दण्ड दे रहे हैं तो पहले आप जिम्मेदारी निर्धारित कीजिए कि क्या वह जिम्मेदार थे अथवा नहीं। (व्यवधान) मैं चाहता हूं कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश अथवा श्री वेणुगोपाल द्वारा जांच कराई जाए, आप जो कुछ कहेंगे मैं उसका पालन करूंगा। (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : अध्यक्ष महोदय, श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक सुझाव दिया है। मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि हमें और आगे की परेशानी से बचने के लिए श्री इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव को मान लेना चाहिए। मेरे विचार से श्री चिदम्बरम और श्री साठे इस बात के सहमत होंगे कि उन्हें तुरंत अवकाश पर चले जाना चाहिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : जो भी जांच करे उसकी भी जांच की जाए।

श्री चन्द्र शेखर : उसकी भी जांच होगी।

श्री दिनेश सिंह : उस देश में उनका क्या दर्जा होगा ? (व्यवधान)

श्री चन्द्र शेखर : महोदय, मैं श्री दिनेश सिंह से अनुरोध कर रहा हूं कि जब वह अवकाश पर होंगे तो उस देश में नहीं रहेंगे। वह इस देश में रहेंगे। उसके बाद वह वहां निजी यात्रा पर जाएंगे। (व्यवधान) इसलिए मंत्री महोदय को श्री इन्द्रजीत गुप्त का सुझाव मान लेना चाहिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : उनसे तत्काल अवकाश पर चले जाने के लिए कहिए। (व्यवधान) कल तक उन्हें अवकाश पर चले जाना चाहिए। उन्हें अवकाश पर भारत चले आना चाहिए। (व्यवधान)

श्री इन्द्र कुमार गुजराल : आप यह भली-भांति जानते हैं और यह सभा भी जानती है कि मैं लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित इस सभा की, जो एक सर्वोच्च संस्था है, इच्छाओं का कितना सम्मान

करता हूं। मैं इसका बहुत सम्मान करता हूं। मैं श्री चन्द्र शेखर द्वारा दिये गये सुझाव पर ध्यान दूंगा। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जी, नहीं। (व्यवधान)

1.40 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.45 म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.48 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.48 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

(व्यवधान)

भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री सव्यसाची मुखर्जी की बीमारी के दौरान लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा दी गई सहायता और उनकी देखरेख के बारे में (—जारी)

श्री पी० चिदम्बरम (शिवगंगा) : महोदय, आज प्रातः भारतीय उच्चायुक्त तथा उनके अधिकारियों द्वारा मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय श्री मुखर्जी के प्रति दिखाई गई निष्ठुरता विषय पर तात्कालिक चर्चा हुई। सभा ने यह सर्वसम्मत मांग की कि···(व्यवधान)···आप यह कहने वाले कौन है कि यह मुद्दा समाप्त हो चुका है ? महोदय, सभी दलों के नेता तथा सभी सदस्य, जिन्होंने इस विषय में अपने विचार व्यक्त किए, उनकी यह सर्वसम्मत मांग थी कि उच्चायुक्त को तुरन्त वापिस बुला लिया जाना चाहिए। इसके पश्चात् श्री इन्द्रजीत गुप्त ने एक सुझाव दिया तथा प्रधानमंत्री ने उसका अनुमोदन किया कि इसके लिए बीच का रास्ता यह है कि उच्चायुक्त को छुट्टी पर चले जाने के लिए कहा जाना चाहिए। और इस सुझाव के प्रति विदेश मंत्री महोदय ने बड़े रहस्यपूर्ण ढंग से यह प्रतिक्रिया व्यक्त की कि वे इस सुझाव पर विचार करेंगे। उस समय अध्यक्ष महोदय ने सभा को स्थगित कर दिया। इसका यह तात्पर्य नहीं कि चर्चा समाप्त हो गई है। आज प्रातः मैंने यह कहा था कि अगर सरकार ने कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की तो मैं श्री के० के० वेणुगोपाल, अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सभा-पटल पर रखना चाहूंगा जो कि उन्होंने श्रीमती गीता मुखर्जी के साथ बातचीत करने के बाद तैयार की है। उनका यह भी कहना है कि उन्होंने उच्चायुक्त से बातचीत की है। मैंने श्री वेनुगोपाल से बातचीत की है तथा उन्हें बता दिया है कि मैं उनके द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सभा-पटल पर रखने जा रहा हूं। उन्हें इस रिपोर्ट के सभा पटल पर रखे जाने पर कोई आपत्ति नहीं; बल्कि इसके विपरीत उनका यह कहना है कि रिपोर्ट को सभा-पटल पर रखा जाए ताकि संसद तथा दुनिया के लोगों को यह पता चल सके कि उनकी क्या बातचीत हुई है। उच्चायुक्त कार्यालय द्वारा जो किया गया, यह रिपोर्ट उसका एक निन्दनीय अभ्यारोपण है। आज प्रातः विदेश मंत्री महोदय ने कहा

[श्री पी० चिदम्बरम]

कि उप-उच्चायुक्त दो बार अस्पताल गए। मगर श्रीमती मुखर्जी का यह कहना है कि :

> "उच्चायोग का कोई भी अधिकारी तब तक उन्हें मिलने नहीं आया जब तक कि उन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के कहने पर उप-उच्चायुक्त श्री हैदर को टेलीफोन नहीं किया; जो कि यह जानने के लिए स्वीकृति आदेश देखना चाहते थे कि क्या उनकी यात्रा को आधिकारिक माना गया है, अथवा निजी। श्री हैदर तब 23 तारीख को दोपहर में उनसे मिले। उसके पश्चात् भी उच्चायुक्त का कोई भी अधिकारी मुख्य न्यायाधीश अथवा श्रीमती मुखर्जी को 25 तारीख 8 बजे तक मिलने नहीं आया, जब उनकी मृत्यु हुई।"

विदेश मंत्री द्वारा स्पष्टत: गलत हिदायतों पर दिया गया वक्तव्य झूठा साबित हुआ है। अगर आप मुझे अनुमति प्रदान करें तो मैं अनुच्छेदानुसार रिपोर्ट पढ़ सकता हूं।

मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि चर्चा समाप्त नहीं हुई है। इसे पुन: आरम्भ किया जाए। अब जब कि प्रधानमंत्री भी आ गए हैं तो निर्णय न लेने का कोई बहाना नहीं है। हम तीन बातों की मांग करते हैं। पहली, यह कि उच्चायुक्त को तुरन्त वापस बुलाया जाए, दूसरे सरकार को अवश्य ही···(व्यवधान) मैं अपनी बात जारी रखूंगा···(व्यवधान)। मैंने अपने विचार समाप्त नहीं किए हैं। क्या आप उसे मेरी बात में बाधा डालने की अनुमति दे रहे हैं? मैं तब तक अपनी बात जारी रखूंगा जब तक आप मुझे बैठने के लिए नहीं कहते···(व्यवधान)। श्री कुन्डु प्रात: और मध्यान्ह पश्चात् के बीच अपना दृष्टिकोण बदल सकते हैं, परन्तु हम नहीं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : हम अपना दृष्टिकोण नहीं बदल रहे हैं।(व्यवधान)

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा संसदीय कार्य मन्त्री (श्री पी० उपेन्द्र) : जो कहा गया है, उसके प्रति मंत्री महोदय ने पहले ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी है।

श्री पी० चिदम्बरम : हम एक प्रस्ताव लाए हैं···(व्यवधान)। क्या आप उसे बैठने के लिए कहेंगे? मैं बोल रहा हूं। वह बाधा कैसे डाल सकते है?

नियम 388 के अन्तर्गत हमने एक प्रस्ताव दिया है। अगर इसकी स्वीकृति के रास्ते में तकनीकी अड़चनें डाली जाती है तो ऐसे मामलों के विषय में प्रो० मधु दण्डवते के शब्दों को उद्धृत करना चाहूंगा कि महत्व नियम का नहीं होता बल्कि मुद्दे का होता है। हमने प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : कृपया एक सैकिण्ड के लिए मुझे बोलने का अवसर दीजिए। जब आप अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं तो मैं बीच में बोलना नहीं चाहता।

श्री पी० चिदम्बरम : नियम नहीं बल्कि शिष्टाचार।

प्रो० मधु दण्डवते : यह ठीक है।

लन्दन में जो हुआ, उस सम्बन्ध में उनका यह कहना है कि वित्त मंत्री नियमों का उपयोग कर सकते हैं; मैंने कहा कि मेरे लिए नियम नहीं बल्कि शिष्टाचार अधिक महत्व रखता है। आप मेरे

शब्दों को उद्धृत कर सकते हैं परन्तु ठीक ढंग से।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रो० मधु दण्डवते ने जो कहा, मैं उसकी व्याख्या करना चाहूंगा। किसी दूसरे संदर्भ में उन्होंने जो कहा वह यह था कि महत्व नियमों का नहीं होता बल्कि मुद्दों का होता है।

हमने नियम 388 के अन्तर्गत नियम 170 को निलम्बित करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, जिसके अनुसार दो दिन का अन्तिम नोटिस आवश्यक है। नियम 170, 171 तथा 184 का प्रयोग करते समय पर्याप्त सावधानी का उपयोग करने का भी प्रस्ताव किया है। यह आप पर निर्भर करता है कि आपने उसे किस विषय के अन्तर्गत स्वीकार करना है। वास्तविक मुद्दा यह है कि इस सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव है तथा आज प्रात: जो भी सदस्य बोला उसने यही जोरदार मांग की कि उच्चायुक्त को वापिस बुलाया जाए। अब प्रस्ताव पर चर्चा की जाए। सरकार पीछे हटने के लिए तैयार नहीं तथा झूठी प्रतिष्ठा पर अड़ी हुई है और किसी को बचाना चाहती है परन्तु संसद में इस बात पर सर्वसम्मति है कि उच्चायुक्त को वापिस बुलाया जाए। श्री नय्यर को इंग्लैंड में भारत का प्रतिनिधित्व करने का क्या नैतिक अधिकार है जबकि भारत की संसद ने उनमें अविश्वास व्यक्त किया है। भारतीय संसद का यह कहना है कि उसे उनमें कोई विश्वास नहीं। श्री उपेन्द्र, तब आप सदन में उपस्थित नहीं थे जब प्रत्येक सदस्य श्री कुलदीप नय्यर को वापस बुलाने की मांग कर रहा था।

महोदय, मैं एक रिपोर्ट को **सभा पटल पर रखने की अनुमति देने का आपसे अनुरोध करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा पटल पर पत्र रखने की अनुमति मांगने पर मैंने कभी किसी के मामले में आपत्ति नहीं की। परन्तु, जैसे कि आप अच्छी तरह जानते हैं, प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अनुसार, जो भी व्यक्ति सभा-पटल पर पत्र रखने की अनुमति चाहता है, पहले उसे वे पत्र पीठासीन अधिकारी को देने पड़ते हैं, पीठासीन अधिकारी उनकी जांच करने के बाद उन्हें सत्यापित करता है।

मेरा सुझाव यह है कि इस मामले में भी इस प्रक्रिया को ही अमल में लाया जाना चाहिए।

श्री पी० चिदम्बरम : मैंने पहले ही उन्हें सत्यापित कर दिया है। आज प्रात: मैं उपाध्यक्ष महोदय के कक्ष में गया था तथा उन्हें सब कुछ बता दिया था।

श्री बसंत साठे : इस मामले को गरिमापूर्ण तथा शिष्ट तरीके से निबटाया जा सकता है। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हैं। कोई व्यक्तिगत बात नहीं की जा रही है। हम किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हैं चाहे वह उच्चायुक्त हो या कोई और। यह बात स्पष्ट होनी चाहिए। यह कोई मुद्दा नहीं है। वास्तविक मुद्दा उस तरीके का है जिसके कारण कि एक बहुत ही वरिष्ठ तथा न्यायपालिका के एक ऐसे प्रमुख व्यक्ति की दुखदायी मौत हुई, जो कि प्रोटोकोल के अनुसार देश का तीसरा सर्वोच्च व्यक्ति माना जाता है। यह लापरवाही का भी मामला है। इस मामले में कर्त्तव्य

**चूंकि अध्यक्ष महोदय ने पत्र को सभा पटल पर रखने की अनुमति नहीं दी, इसलिए इसे सभा पटल पर रखा गया नहीं माना गया।

[श्री बसंत साठे]

निभाने में कोताही बरती गई और वह भी एक सर्वोच्च अधिकारी अर्थात स्वयं उच्चायुक्त द्वारा जिन्होंने आधिकारिक रूप में वक्तव्य देते हुए यह दलील दी है कि वह एक निजी यात्रा पर थे; तथा इसीलिए उनके इलाज के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए जा सके क्योंकि प्रतिपूर्ति का कोई आश्वासन नहीं प्राप्त हुआ था। अब निश्चय ही प्रधान मंत्री इस बात से सहमत होंगे कि इस पद का और वह भी उच्चायुक्त के पद का व्यक्ति ऐसे व्यक्ति को डाक्टरी सहायता उपलब्ध न कराने के लिए बहाने बना सकता है जो कि पहले ही हृदय रोगी है। हमने उनकी पत्नी का वक्तव्य सुना और शायद प्रधान मंत्री महोदय ने भी प्रत्येक उस सदस्य को सुना जिन्होंने उनसे बातचीत की और जिनको उन्होंने यही बातें बताईं। परन्तु अभी भी आपने इसे अपनी प्रतिष्ठा का प्रश्न बना रखा है जैसे कि सरकार के लिए यह कोई सम्मान का विषय हो।

मेरा आपसे निवेदन है कि आप ऐसा न करें। ऐसा मैं दो कारणों से कह रहा हूं। जैसाकि मैंने पहले ही कहा है कि हम उस व्यक्ति के विरुद्ध नहीं। परन्तु इस सभा के आक्रोश, असहमति तथा आलोचना के पश्चात्, उच्चायुक्त के लिए अपने पद पर बने रहना क्या गरिमापूर्ण रहेगा? मैं इसे मत प्राप्त करने का मुद्दा नहीं बनाना चाहता, इसीलिए मैं प्रस्ताव पर जोर नहीं दे रहा हूं।

मैं केवल यह कह रहा हूं कि प्रधान मंत्री को स्वयं माननीय सदस्य श्री इन्द्रजीत गुप्त द्वारा दिए गए सुझाव को मान लेना चाहिए जिसे श्री चन्द्रशेखर और सभी ने स्वीकार किया था और वह यह है कि उन्हें कहना चाहिए कि वह पूरी जांच के दौरान छुट्टी पर चले जाएं। मेरा सुझाव है कि यह जांच संसदीय समिति द्वारा की जानी चाहिए। एक सुझाव दिया गया था कि हमें किसी न्यायाधीश से जांच करने के लिए कहना चाहिए। लेकिन मेरा कहना है कि जब न्यायपालिका इसमें सम्मिलित है—जब न्यायपालिका में उच्चतम व्यक्ति इसमें सम्मिलित है—यदि इस मामले की जांच के लिए किसी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो कल को लोग कहेंगे कि किसी न्यायाधीश विशेष ने उसके लिए कुछ सहानुभूति दिखाई थी। जब आम नागरिक इसमें शामिल होते हैं। हम हमेशा मामले की जांच उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश से कराने के लिए कहते हैं लेकिन जब या तो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश अथवा स्वयं न्यायाधीश इसमें सम्मिलित हो, मेरे विचार में यह संसद का कर्तव्य है कि वह इस मामले की जांच के लिए संयुक्त संसदीय समिति की नियुक्ति करे क्योंकि हम एक संस्था के किसी अन्य संस्था के प्रति ऋणी है। अतः महोदय, मैं दो बातों के लिए सुझाव देता हूं। प्रथम, कि प्रधान मंत्री को सभा द्वारा नियुक्त की जाने वाली संयुक्त संसदीय समिति द्वारा जांच पूरी हो जाने तक उच्चायुक्त को छुट्टी पर जाने के लिए कहने के लिए सहमत होना चाहिए। कम से कम ऐसा अवश्य किया जाना चाहिए।

श्री समरेन्द्र कुण्डू (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं वरिष्ठ साथी श्री साठे से अनुरोध करता हूं कि इस मामले पर चर्चा के दौरान जो सर्वसम्मति पैदा हुई थी उस वातावरण को खराब न करे। इस मामले पर चर्चा हुई थी और हमारा इस पर लगभग सर्वसम्मत विचार हो गया था। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बहुत ही सही सुझाव दिया था कि जांच···।

एक माननीय सदस्य : आप इस सभा का वातावरण खराब कर रहे हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : श्री चिदम्बरम ने कहा था कि श्री कुन्डू का सुबह कोई मत होता है और वह उसे शाम को बदल लेते हैं लेकिन जब हम सच कहने के लिए खड़े होते हैं तो आप उसे सुनने के लिए तैयार नहीं हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बिल्कुल सही कहा था कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती तब तक उच्चायोग को छुट्टी पर जाने के लिए कहना चाहिए। इस बात को श्री चन्द्रशेखर ने भी स्वीकार किया था और माननीय मंत्री ने कहा था, "मैं इस मामले को देखूंगा।" (व्यवधान)

श्री वसंत साठे: इसका अर्थ है कि आप संसद के विचारों का सम्मान नहीं करते··· (व्यवधान)

3.00 म०प०

श्री समरेन्द्र कुन्डू : भगवान के लिए, कृपया ऐसा न कीजिए। आप और श्री चिदम्बरम उलझ गए थे। कृपया मुझे एक मिनट का समय दीजिए।

उन्होंने कहा था : "मैं इसको देखूंगा और वह मेरी ओर ध्यान देंगे।" उसके बाद, अध्यक्ष महोदय ने मध्यान्ह भोजन के लिए सभा को स्थगित कर दिया था क्योंकि हमें भूख लगी हुई थी। इसी बीच, मैंने एक बार अध्यक्ष महोदय से बात की थी। मैंने कहा था : "क्या हो रहा है? कृपया इसे स्थगन प्रस्ताव के बाद कीजिए। मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा हूं।" इस पर, अध्यक्ष महोदय बिल्कुल प्रसन्न थे। अत: यह ठीक किया गया था। अब आप दोबारा इसे शुरू कर रहे हैं। (व्यवधान) कृपया दोनों मामले उठाने का प्रयास न कीजिए। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे : सम्पूर्ण सभा के विचार सुनने के बाद आपने क्या निर्णय लिया? आपने कहा था, आप इस पर विचार करेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, कार्यवाही वृतांत को सही रखने के लिए, सभा के दोनों वर्गों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों को सुनने के बाद, विदेश मंत्री ने कहा था—श्री चन्द्रशेखर ने श्री इन्द्रजीत गुप्त के सुझाव को पुन: दोहराया था—कि वह श्री चन्द्रशेखर के सुझाव की ओर ध्यान देंगे। वह ऐसा कर रहे हैं। अब, मेरा सुझाव है—क्योंकि श्री साठे ने कहा है -- हमें इन बातों को सम्मानजनक ढंग से करना चाहिए। इन्हें उन पर छोड़ दीजिए। यदि आपको लगता है कि जिन बातों का आपने सुझाव दिया है, अगर उसका कोई हल नहीं होता, तो कल का दिन है जोकि इस अधिवेशन का अन्तिम दिन है।

श्री वसंत साठे : हम कल सुबह तक प्रतीक्षा करेंगे।

महाराष्ट्र में विदर्भ, मराठवाड़ा और अन्य क्षेत्रों के लिए विकास बोर्डों का गठन किए जाने के बारे में

[हिन्दी]

श्री बनवारी लाल पुरोहित (नागपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, डैवलपमेण्ट बोर्ड के बारे में मेरा नोटिस है। इसलिए कृपया मुझे दो मिनट दे दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप बोलिए।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं। इस तरह से तो यह री-ओपन हो जाएगा। पुरोहित जी आप बोलिए, लेकिन संक्षेप में।

श्री बनवारी लाल पुरोहित : उपाध्यक्ष महोदय, जब स्टेट्स का रीआर्गेनाइजेशन हुआ था उस समय पं० जवाहर लाल नेहरू, प्रधान मंत्री थे और श्री गोविन्द बल्लभ जी पन्त, गृह मंत्री थे। उन्होंने विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता को महाराष्ट्र स्टेट में मिलाते समय यह आश्वासन दिया था कि जो उनका बैकलॉग है वह भी दूर होगा और यहां तक कहा था कि उनको झुकता हुआ नाप दिया जायेगा।

मान्यवर, आज हमने एक कांस्टीट्यूशन अमेण्डमेण्ट किया, उसका एक परपज रहता है। उसी तरह से 1956 में भारत के संविधान में धारा 371(2) डालकर विदर्भ और मराठवाड़ा की जनता को आश्वासन दिया गया था कि उनके लिए डैवलपमेण्ट बोर्ड बनाएंगे जिससे उनके साथ जितना भी अन्याय है, इम्बैलेंस है, उसको दूर किया जाएगा, परन्तु वह अभी तक नहीं बना है। यहां पर प्रधान मंत्री बैठे हुए हैं, मैं उनके समक्ष निवेदन करना चाहता हूं कि गृह मंत्री जी ने पिछले सत्र में मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा था कि 7 तारीख तक डवलपमेण्ट बोर्ड बना दिए जाएंगे, लेकिन वह 7 तारीख भी खत्म हो गई और दूसरा अधिवेशन आ रहा है और डैवलपमेण्ट बोर्ड मराठवाड़ा और विदर्भ के लिए अभी तक नहीं बना।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां पर आंदोलन तेज हो रहे हैं और यदि ऐसे ही चलता रहा, तो वहां स्थिति खराब हो जाएगी। पंजाब की हालत खराब हो गई है, कश्मीर की हालत खराब हो गई है, आसाम की हालत पहले से खराब है। क्या आप विदर्भ और मराठवाड़ा को भी उसी श्रेणी में लाना चाहते हैं? वे सिर्फ हाथ जोड़कर आपसे न्याय मांग रहे हैं। संविधान के अंदर सन् 1956 में जो आपने आश्वासन दिया है, आज उसको 35 साल हो गये, वह पूरा नहीं किया है। आज वहां की जनता पिस रही है। 500 करोड़ रुपए के बदले मात्र उनको 180 करोड़ रुपया ही अवेलेबल होता है। जब कि उनको सारे बजट का 25 परसेण्ट मिलना चाहिए। आज वहां की जनता को उसका हिस्सा नहीं मिल रहा है जिससे वहां की जनता में रोष और क्षोभ है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से और माननीय गृह मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कल का दिन बाकी है, जैसा कि आपने कहा—सारी तैयारी है, विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए डैवलपमेंट बोर्ड बनाने के लिए प्रैसीडेंश्यल आर्डर की जरूरत है। कोंकण के लिए आप अमेण्डमेण्ट लाइए। यदि अमेण्डमेण्ट लाने में देरी होती है, तो विदर्भ और मराठवाड़ा के लिए डैवलपमेंट बोर्ड को बनाने में देरी मत कीजिए और अड़चन पैदा मत होने दीजिए।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, तो विदर्भ और महाराष्ट्र के लिए बोर्ड बनाने की कोई समस्या नहीं है। हमने कोंकण के लिए आश्वासन दिया है। लेकिन राज्यों से विभिन्न प्रस्ताव आते रहे हैं।

प्रथम, राज्यपाल की वहां कुछ कठिनाई थी। उन्होंने प्रस्ताव दिया क्योंकि उसके पास सभी अधिकार हैं। उन्होने कहा, लोकतंत्र में यह सही बात नहीं हैं। अत: हमें अपने मस्तिष्क का इस्तेमाल करना होगा।

इसके बाद, महाराष्ट्र राज्य से विदर्भ, मराठवाड़ा, कोंकण और शेष महाराष्ट्र के लिए एक अन्य प्रस्ताव आया है। इस बारे में—एक क्षण रुकिये—मैं संसद सदस्यों से मिला था। यहां विचारों में कुछ मतभेद थे। मैंने कहा था मैं सभी संसद सदस्यों को तथा मुख्य मन्त्री को भी बुलाऊंगा और तब प्रत्येक को तथा मुख्य मन्त्री को सुनने के बाद निर्णय लेंगे। मैं इस वचनबद्धता पर कायम हूं, और हम संसद सदस्यों तथा मुख्य मन्त्री को इसी महीने बुलाएंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया नहीं।

(व्यवधान)

श्री कमल नाथ : महोदय, यह ऐसा प्रश्न है जिसका संबंध आप से है। यह सरकार त्यागपत्र-ग्रस्त रही है तथा नवीं लोक सभा भी त्यागपत्र-ग्रस्त रही है। हम सुनते रहे हैं कि प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया है, उन्होंने कहा कि वह त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। कुछ मन्त्री त्यागपत्र दे रहे हैं और तब उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। कुछ संसद सदस्य त्यागपत्र दे रहे हैं। अब हमने समाचार पत्रों के माध्यम से सुना कि श्री देवी लाल ने त्यागपत्र दे दिया है। अत: महोदय, मेरा आपसे प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन है। श्री देवी लाल के त्यागपत्र का क्या हुआ? इसके बारे में बहुत बड़ा ड्रामा तैयार किया गया था। उनकी पार्टी की बैठक में, वह गये और उन्होंने प्रधान मन्त्री को अपना त्यागपत्र दिया। अत: श्री देवी लाल ने त्यागपत्र दे दिया है अथवा नहीं दिया है? हमने मन्त्रियों के बारे में सुना जिन्होंने त्यागपत्र दे दिये हैं, और प्रधान मन्त्री त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं। हमने सुना कि प्रधान मन्त्री ने त्यागपत्र दे दिया है, और संसद सदस्यों ने त्यागपत्र नहीं दिये है, और वास्तव में, किसी ने भी त्यागपत्र नहीं दिया है। अत: श्री देवी लाल की कहानी के बारे में क्या कहना है? क्या आप कृपया इस सभा को बताएंगे? हम अपने साथी के बारे में जानना चाहते है कि उनका क्या हुआ। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : क्या इस प्रकार प्रश्न पूछे जा सकते हैं? इसकी एक सीमा है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री के० डी० सुल्तानपुरी (शिमला) : उपाध्यक्ष महोदय, रेलगाड़ियां बंद हो गई हैं।... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी ऐडजोर्नमैंट मोशन है, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री वसंत साठे (वर्धा) : स्थगन प्रस्ताव से पहले, यहां मैंने एक विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया था।

उपाध्यक्ष महोदय : यह विचाराधीन है।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : महोदय आपने मुझे अनुमति दी थी । आपने कहा था कि आप मुझे अनुमति देंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ । दुर्भाग्यवश, यह प्रचार माध्यम और माननीय श्री उपेन्द्र के बारे में है। यह कभी नहीं किया गया : संसद का अधिवेशन चल रहा है, संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा की जानी है···

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे, आपने यह दिया है और यह विचाराधीन है ।

(व्यवधान)

श्री बसंत साठे : मैंने उन्हें पहले ही बता दिया है; मैं माननीय अध्यक्ष से सुबह पहले ही बात कर चुका हूं। नियम में इसकी व्यवस्था है। वह मेरे से सहमत है। उन्होंने कहा : 'ठीक है, इस मामले की अनुमति दी जाए।' उन्होंने कहा है कि संविधान संशोधन विधेयक के बाद तत्काल इस पर चर्चा की जाएगी। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्होंने ऐसा कहा ?

श्री बसंत साठे : जी हां, स्थगन प्रस्ताव से पहले । इसी वजह से मैं इसे उठा रहा हूं। मुद्दा यह है : हमें बहुत ही खेद है। एक प्रस्ताव और वह भी, संविधान संशोधन विधेयक सभा के समक्ष है जिस पर चर्चा शुरू की जाती है। सभा में क्या कार्य किया जाने वाला है उनके बारे में, आप उसे रोक नहीं सकते और कोई भी इसे पहले ही से अधिकृत नहीं कर सकता और इसकी दूरदर्शन पर घोषणा नहीं कर सकता कि सभा यह अर्थात अध्यक्ष उसपर जोर नहीं देंगे···शब्दों को देखिए, 'वह नियम पर जोर नहीं देंगे।' मंत्री महोदय ने स्वयं इसकी घोषणा की थी। यह माननीय अध्यक्ष के स्वविवेक पर निर्भर करता है। तत्पश्चात् उन्होंने कहा "सदन···" महोदय, कृपया इसे देखिए। मैंने इसे तीन बार सुना है। उनका कहना है कि सदन इसे बिना चर्चा किए पारित करे । उन्होंने ऐसी ही घोषणा की थी। अतः कृपया देखिए कि कोई मन्त्री अथवा विशेष रूप से मीडिया यह न करे। उन्होंने दोनों सदनों के बारे में कहा है।

मैं यह नहीं समझता हूं : एक मन्त्री महोदय कहते हैं कि वह स्वायत्तता चाहते हैं; उन्होंने पहले ही यह दे दी है। क्या स्वायत्तता ऐसी अवस्था में आ गई है कि उनके अनुदेशों तथा वक्तव्य का ही आकाशवाणी और दूरदर्शन पालन करेंगे ? मैं यह समझ नहीं सका हूं। (व्यवधान) यह सदन की कार्यवाही के विशेषाधिकार की प्रत्यक्ष रूप से अवमानना है। कोई मन्त्री ऐसा नहीं कर सकता है। अतः कृपया हमें उनके विरुद्ध विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दें ।

उपाध्यक्ष महोदय : समुचित कार्यवाही करने के लिए श्री चिदम्बरम द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की जांच की जाएगी ।

(व्यवधान)

———

3.10 म० प०

स्थगन प्रस्ताव

मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सरकार के निर्णय के विरोध में देश में विभिन्न भागों में छात्रों द्वारा किए गए आंदोलन से निपटने के लिए पुलिस द्वारा किए गए अत्याचार तथा इस निर्णय के विरोध में छात्रों द्वारा आत्मदाह किया जाना

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेंगे।

श्री बी० शंकरानंद।

श्री बी० शंकरानन्द (चिक्कोड़ी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सभा अब स्थगित हो।"

मैं बहुत दुःख के साथ इस स्थगन प्रस्ताव को प्रस्तुत करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : नियम 377 का क्या हुआ ?

उपाध्यक्ष महोदय : हम इसे इस प्रस्ताव को निपटाने के बाद लेंगे।

श्री बी० शंकरानंद : आज लगभग पूरा उत्तर भारत आंसुओं में डूबा हुआ है। उन माताओं और पिताओं की आंखों में आंसू है जिनके पुत्र और पुत्रियों ने आरक्षण कोटे के विरोध में अपनी जान दे दी है। इस प्रकार की दयनीय स्थिति में हम इस स्थगन प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले को गम्भीरता से लें क्योंकि यह एक साधारण मामला नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : इससे आपका क्या मतलब है ? क्या वे गम्भीर नहीं हैं ?

श्री बी० शंकरानंद : मैं आप सहित माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं···

श्री सोमनाथ चटर्जी : हम चाहते हैं कि आप इस बारे में कुछ कहें लेकिन आप इस बारे में कुछ नहीं कर रहे है।

श्री बी० शंकरानंद : विद्यार्थी आत्मदाह कर रहे हैं, वे जहर खा रहे हैं। विद्यालय और शैक्षिक संस्थाएं बंद हैं। माता-पिता अपने बच्चों को विद्यालय भेजने से डर रहे हैं। बहुत-सी बसें जला दी गई हैं। लाखों रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हो गया है। सभी व्यक्ति एक-दूसरे को शक की निगाह से देख रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : आप भी। आप मुझे देख रहे हैं और मैं आपको देख रहा हूं।

श्री बी० शंकरानंद : मैं आपको नहीं देख रहा हूं। शायद मैं इस बारे में बाद में बताऊंगा कि मैं आपको कैसे देखता हूं। क्या मैं यह बात कह सकता हूं कि आज बहुत बड़ा खतरा है क्योंकि देश

[श्री वी० शंकरानन्द]

भावनात्मक रूप से विघटित हो रहा है। एक जाति को दूसरी जाति के विरुद्ध भड़का दिया गया है। समाज जाति के नाम पर विभाजित हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री द्वारा अचानक ही पिछड़े वर्गों के प्रति सहानुभूति दर्शाने के कारण पूरा राष्ट्र अंधेरे में डूब गया है।

आगे और विचार प्रकट करने से पहले मैं माननीय सदस्यों को एक बात स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि मंडल आयोग रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण को जान-बूझकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के साथ जोड़ दिया है। मैं किसी विशेष मंत्री अथवा अन्य किसी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं लेकिन सरकार ने जान-बूझकर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण, जैसा कि मण्डल आयोग रिपोर्ट में कहा गया है, के साथ जोड़ दिया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण का एक इतिहास है।

मैं अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के इतिहास के बारे में सभा का कुछ समय लूंगा ताकि इस आरक्षण को पिछड़े वर्गों के आरक्षण के साथ जोड़ने की सरकार की योजना और नीति स्पष्ट हो सके।

स्वतंत्रता से बहुत पहले वर्ष 1932 में डा० अम्बेडकर अछूतों के प्रतिनिधि थे, आज उन्हें अनुसूचित जाति कहा जाता है और उन्होंने गोल मेज सम्मेलन में अछूतों का प्रतिनिधित्व किया था। तत्कालीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री श्री मैकडोनाल्ड ने एक योजना बनाई जिसे 'कम्यूनल एवार्ड' कहा गया। ब्रिटेन ने आत्म-निर्णय की नीति घोषित की, आत्म-निर्णय का अधिकार धार्मिक अल्पसंख्यकों, हिन्दुओं, मुसलमानों और अछूतों को दिया गया। अछूतों को वैसे ही आत्म-निर्णय का अधिकार दिया गया जैसे मुसलमानों और हिन्दुओं को दिया गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह अलग था।

श्री वी० शंकरानंद : मैं उसी के बारे में बताने जा रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : वह अन्य लोगों के लिए था।

श्री वी० शंकरानंद : मेरे ख्याल से आप वह सुनना नहीं चाहते हैं जो मैं कह रहा हूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूं।

श्री वी० शंकरानंद : वह वकील हैं और जो मैं कह रहा हूं उसे वह नहीं समझेंगे। (व्यवधान) मैं आपसे बेहतर अंग्रेजी जानने का दावा नहीं करता हूं। (व्यवधान)

यह साम्प्रदायिक निर्णय 17 अगस्त, 1932 को दिया गया था और जैसा मैंने कहा था, उस समय के अछूतों को जिनका बाबा साहेब अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में प्रतिनिधित्व किया था, उन्हें आत्म-निर्णय का यह अधिकार मिला था। अलग निर्वाचन क्षेत्र इसलिए बनाए गए थे कि अछूत, हिन्दू और मुसलमानों को अपना-अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया था। इसके साथ अछूत व्यक्ति को एक हिन्दू के रूप में भी अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। इस प्रकार अछूतों को दो वोट देने का अधिकार था।

गांधी जी ने लंदन से वापिस आने के बाद यह प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया। उन्होंने तत्काल

ब्रिटिश प्रधान मंत्री को लिखा और पुणे में कहा, "मैं इस साम्प्रदायिक निर्णय को स्वीकार नहीं कर सकता हूं।" उन्होंने कहा, "जब तक ब्रिटिश सरकार इसे वापिस नहीं ले लेती मैं आमरण अनशन करूंगा।" यह डा० अम्बेडकर को भी एक चुनौती थी और 20 सितम्बर, 1932 को पुणे में येरवाड़ा जेल में अनशन शुरू हो गया। डा० अम्बेडकर पर यह जोर डाला गया कि वह अछूतों के अधिकारों पर बल न दें और वह गांधी जी के प्रस्ताव से सहमत हो गए तथा गांधी जी के जीवन की रक्षा करें। चार दिन बाद डा० अम्बेडकर ने कहा था, "गांधी जी का जीवन बहुमूल्य है, हिन्दुओं को अपने आप में सुधार करने का एक और अवसर मिला है तथा अस्पृश्यों को समान रूप से देखा जाए।" उन्होंने गांधी जी के जीवन की रक्षा के लिए पृथक मताधिकार दिया। ऐसा 1932 में किया गया था।

उसके बाद गांधी जी और डा० अम्बेडकर के बीच एक समझौता हुआ था जिसे पूना समझौता कहा जाता है। कुछ राजनैतिक नेताओं के हस्तक्षेप के कारण डा० अम्बेडकर अनुसूचित जातियों-अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों के चुनाव से पहले प्राथमिक चुनाव के लिए सहमत हो गए। उस प्राथमिक चुनाव में दोनों पक्षों के लोग इस बात पर सहमत हो गए कि चार व्यक्तियों की समिति बनाई जाए और शेष हिन्दू मतदाताओं को अस्पृश्यों के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए वोट देना चाहिए। डा० अम्बेडकर इस बात पर भी सहमत हो गए। अस्पृश्यों को कुछ रियायतें दी गई थीं। डा० अम्बेडकर ने जब तक संविधान सभा के समक्ष प्रस्ताव नहीं रखे थे तब तक उन्होंने इसका पालन किया, इसके बाद अस्पृश्यों के आरक्षण के लिए योजना बनाई और संविधान में व्यवस्था की। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का एक विचित्र इतिहास है। अल्पसंख्यकों, सिखों, पारसियों और मुसलमानों के लिए जो आरक्षण किये गये उन्हें वापस ले लिया गया···(व्यवधान)···मैं स्वतंत्रता और संविधान निर्माण से पहले की बात कर रहा हूं।

एक अल्पसंख्यक समिति बनाई गई थी जिसके डा० अम्बेडकर और सरदार बल्लभभाई पटेल सदस्य थे। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद और अल्पसंख्यकों के नेता भी इसके सदस्य थे। 1947-48 में अल्पसंख्यक नेताओं ने अपने आरक्षण वापस लेने की मांग की। परन्तु डा० अम्बेडकर ने कहा, "जी, नहीं। मैं इस दबाव में ऐसा नहीं करूंगा। मैं अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का समर्थन करता हूं।" उसके बाद अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अस्पृश्य कहा गया। इस प्रकार संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों के अन्तर्गत आरक्षण की व्यवस्था की गई। इस प्रकार आरक्षण का एक इतिहास है। इसके बाद आरक्षण केवल नौकरियों में ही नहीं दिया गया बल्कि राज्य विधान सभाओं और संसद में भी स्थान आरक्षित रखे गए। राजनैतिक आरक्षण दिया गया। शिक्षा संबंधी रियायतें दी गईं। नौकरी के लिए आयु सीमा में छूट दी गई। शिक्षा संस्थाओं में शुल्क कम किया गया। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को अनेक रियायतें दी गईं। मुझे संविधान के उन सब उपबन्धों का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का एक इतिहास है और इसे संविधान में बताया गया है। यदि मैं इस संदर्भ में इसका उल्लेख करूं तो मण्डल आयोग के निदेशक पद क्या थे? मण्डल आयोग ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण का उल्लेख नहीं किया है। इसलिए हमें इन विषयों को मिलाना नहीं चाहिए और देश की जनता में भ्रांति पैदा नहीं करनी चाहिए।···(व्यवधान)···मैं बताना चाहता हूं कि भ्रांति किस प्रकार पैदा की जा रही है। मैं उस बात पर अभी आ रहा हूं।···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : शंका उस पक्ष के बीच है।

श्री बी० शंकरानंद : जी, नहीं। 27 अगस्त, 1990 को संसद में प्रधान मंत्री के भाषण से शंका पैदा हुई थी। लोग इस बात को महसूस कर रहे हैं कि पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण के इस मुद्दे का अनुसूचित जातियों के आरक्षण से भी संबंध है···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : स्थगन प्रस्ताव का विषय क्या है ? (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : इससे भ्रांति पैदा हो रही है···(व्यवधान)···क्या हम देश को इस भ्रांति से नहीं बचा सकते ? कृपया इसे और मत बढ़ाइए···(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : भ्रांति उस ओर है। इस ओर कोई भ्रांति नहीं है।(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : इस भ्रांति से आक्रोश बढ़ रहा है···(व्यवधान)···यह इस देश की अनुसूचित जातियों के लिए है और इसे पिछड़े वर्ग के आरक्षण के साथ नहीं मिलाना चाहिए।

अनुसूचित जाति के लोग पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के विरुद्ध नहीं हैं। कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के विरुद्ध नहीं है। हम आरक्षण का थोड़ा भी विरोध नहीं करते । हम इन लोगों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं···।(व्यवधान)

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिकिशोर सिंह) : आपके इस स्पष्ट वक्तव्य को सुनकर अच्छा लगा।

श्री बी० शंकरानंद : पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण का समर्थन हम सभी करते हैं। हम अपनी पार्टी की यह छवि प्रस्तुत नहीं करना चाहते कि हम इसका विरोध करते हैं।

श्री हरि किशोर सिंह : हम चाहते हैं कि आप अपने दृष्टिकोण हमें बताएं।···(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : क्या हम उन युवकों के जीवन की रक्षा नहीं कर सकते थे।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम) : अपने तीन घण्टे के भाषण में आपके नेता ने इसका विरोध किया है। हम जानते हैं कि आपमें से सभी लोग उनके विचार से सहमत नहीं हैं लेकिन यह और बात है···(व्यवधान)

श्री खेमचन्दभाई सोमाभाई चावड़ा (पाटण) : कल कांग्रेस पार्टी के नेता ने मण्डल आयोग का विरोध किया था।

यह 'नेशनल हेराल्ड' में प्रकाशित हुआ है···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आपस में बात न करें। श्री शंकरानंद, आपसे निवेदन है कि आप पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करें अन्यथा आपको उस पक्ष से जवाब मिलेगा।

श्री बी० शंकरानंद : मैं फिर यह जोर देकर कहता हूं कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं।···(व्यवधान)

श्री हरि किशोर सिंह : आप या आपकी पार्टी। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : आरक्षण विरोधी आंदोलन की शुरूआत गैर-कांग्रेस शासित राज्यों से हुई। कांग्रेस शासित राज्यों से नहीं। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य आरक्षण

विरोधी हैं। कांग्रेस आरक्षण का विरोधी नहीं है। क्या वे इससे इन्कार कर सकते हैं ? क्या आपकी पार्टी या आपके प्रधान मंत्री में से किसी में भी इतनी ताकत है कि उड़ीसा और गुजरात के मुख्य मंत्रियों को कुछ कहें ?

एक माननीय सदस्य : ज्योति बसु ?

श्री बी० शंकरानंद : ज्योति बसु उनके अधीन नहीं हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय : देखिए इस विषय को 2 बजे शुरू करके 3 बजे खत्म करना था, लेकिन 3 बजे इसको शुरू किया जा सका है। बहुत से मेंबर्स इस पर बोलने वाले हैं। शंकरानन्द जी अभी तक 20 मिनट बोल चुके हैं, अभी और समय भी वे लेंगे। इसलिये अगर सब लोगों को इस पर बोलना है तो इस तरह से इंटरप्ट मत कीजिए, बाद में आपको जो कुछ बोलना हो बोलिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

डा० विप्लवदास गुप्त (कलकत्ता दक्षिण) : क्या यह सत्य नहीं है कि दो अक्तूबर को जब आरक्षण विरोधी रैली का आयोजन किया गया था तो कांग्रेस पार्टी के छात्र वर्ग विशेषकर एन०एस०-यू०आई० के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन के दौरान सक्रिय भूमिका निभाई ? क्या आप इस तथ्य से इन्कार कर सकते हैं कि वास्तव में कांग्रेस पार्टी के छात्र वर्ग ने इसमें भाग नहीं लिया था ?··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठ जाइए।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप बैठ जाएं। मैं बोल रहा हूं। यह प्रश्नोत्तर-काल नहीं है। आप न तो प्रश्न पूछ सकते हैं और न उत्तर पाने की आशा कर सकते हैं। अब यदि आपको कुछ कहना है तो उस समय कहें जब आप बोल रहे हों। आप कृपया सदन का समय इस तरह बर्बाद नहीं करें चूंकि कई अन्य सदस्यों को भी बोलना है। कृपया आप हमारी सहायता और सहयोग करें।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाएं। खड़े होकर अन्य सदस्यों से बातचीत कर आप अपने सदस्यों को परेशान कर रहे हैं। आप कृपया इस बात को महसूस करें। आप अपने ही सदस्यों की सहायता नहीं कर रहे हैं। कृपया शांत रहें। कृपया बैठ जाइए।

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : उन्हें अपने स्थगन प्रस्ताव पर बोलने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री शंकरानंद, क्या मैं आपसे पुनः निवेदन करूं कि आप पीठासीन अधिकारी को ही संबोधित करें।

(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानंद : महोदय, मैं दूसरे पक्ष में बैठे अपने मित्रों का अपमान नहीं कर सकता। ···(व्यवधान)

[श्री बी० शंकरानन्द]

महोदय, चर्चा किसने शुरू की थी ? छात्र आंदोलन का उत्तरदायी कौन है ? मैं प्रधान मंत्री के सिवा अन्य किसी को इसका उत्तरदायी नहीं मानता ? पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने के लिये मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने सम्बन्धी लिया गया निर्णय इतना आकस्मिक था कि इनके सहयोगियों को भी इस पर आश्चर्य है। मेरे पास श्री देवीलाल के त्याग पत्र की एक प्रति है···(व्यवधान)। उन्होंने पूछा है कि किस तरह···(व्यवधान)। प्रश्न यह है कि प्रधान मंत्री ने अपने सहयोगियों से भी मंत्रणा नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के नेताओं ने कहा है कि उनसे इस विषय पर मंत्रणा नहीं की गई।

मेरा यह कहना है कि यह जो धन-जन की हानि हुई है इसे बचाया जा सकता था यदि प्रधान मंत्री ने सभी को विश्वास में लिया होता और एक आम राय बनाकर यह कार्य किया होता। मेरी यह चुनौती है कि उन्होंने पिछड़े वर्ग को सबसे अधिक हानि पहुंचाया है और गैर-पिछड़ा वर्ग अब पिछड़े वर्ग को अपना विरोधी समझ रहा है। पिछड़े वर्ग के लोगों में उच्च जाति के लोगों के प्रति सहानुभूति समाप्त हो गई है। उनके हितों की भी बलि दे दी जाएगी चाहे वे नौकरियों में हों या शिक्षण संस्थानों में। मैं पिछड़े वर्ग के नेताओं को कह रहा हूं कि वे देश को अत्यधिक हानि पहुंचा रहे हैं।··· (व्यवधान)

श्री पी० एम० सईद (लक्षद्वीप) : महोदय, आप उन्हें नियन्त्रित क्यों नहीं करते ? जब भी वे खड़े होते हैं और उन्हें परेशान करते हैं तो आप उन्हें कुछ भी नहीं कहते।

उपाध्यक्ष महोदय : यह गलत है और आप अपने स्थान से आदेश नहीं दे सकते।

श्री पी० एम० सईद : यह आदेश देने की बात नहीं है। लेकिन महोदय, आपको निष्पक्ष होना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : ऐसी बात मत कहिये। मैंने वक्ताओं को पीठासीन अधिकारी को सम्बोधित करने के लिए कहा है। यदि वे ऐसा नहीं करते तो मैं लाचार हूं।

श्री संतोष मोहन देब (त्रिपुरा पश्चिम) : नौवीं लोकसभा के ये अन्तिम दो दिन है। महोदय आप क्रुद्ध क्यों हो रहे है ?

श्री बी० शंकरानन्द : महोदय, इसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्य शैली से सभी को आश्चर्यचकित कर दिया है और देश में विनाश की ऐसी स्थिति पैदा किया है जिसमें देश में हर व्यक्ति एक दूसरे को संदेह की दृष्टि से देख रहा है। मैं पिछड़े वर्ग के नेताओं को चेतावनी देता हूं कि उन्होंने अन्य सभी की सहानुभूति खो दी है। इसे लागू करने के लिये उन्हें उन लोगों की सहानुभूति की आवश्यकता है जिनके हाथों में इसे लागू करने की शक्ति निहित है। संवैधानिक अधिकार तो हैं परन्तु लागू करने वाला तंत्र नहीं है। आप इसे केवल पुस्तकों में लिख कर और संकल्प पारित कर लागू नहीं कर सकते। आपको उन लोगों की सहानुभूति प्राप्त करनी होगी जो इसे लागू करने के लिए बाध्य हैं। संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 15 और 16 में जानबूझ कर शामिल किया था। इसमें करीब 3000 जातियां हैं। क्या आप इन तीन हजार जातियों के लोगों को सरकार में नौकरियां दे सकते हैं ? और प्रधानमंत्री ने पिछड़ा वर्ग को क्या दिया है ? वे पिछड़ा वर्ग को बेवकूफ बना रहे हैं। वह कहते हैं, "52 प्रतिशत पिछड़े वर्ग के लिए केन्द्र सरकार की नौकरियों तथा सरकारी उपक्रमों में 27 प्रतिशत आरक्षण है।" उनका कहना है कि उन्होंने प्रोन्नति के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। उनका कहना है कि राज्य सरकारें अपनी ओर से आरक्षण लागू करने के लिये स्वतंत्र हैं। उनका कहना

है कि उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों को इसमें शामिल नहीं किया है। तो आपने पिछड़े वर्ग को क्या दिया है ? आपने पिछड़े वर्ग को उन लोगों का कोप भाजन बनाया है जो इसे लागू करने वाले हैं। आपने पिछड़ी जातियों को अगड़ी जातियों की दया पर छोड़ दिया है जो हर क्षेत्र में अनुशंसाओं को लागू करने वाले हैं। अब आपके पास अपने जनता दल शासित राज्यों को यह कहने का साहस नहीं है जहां पर स्कूल जल रहे हैं, रेलगाड़ियां जल रही हैं, बसें जल रही हैं, विद्यार्थी अपनी जानें गंवा रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। आपने पिछड़ी जातियों की क्या दिया है और आप कहते हैं कि आप जो कहना चाहते हैं, उसे आपने समझा नहीं है। प्रधान मन्त्री कहते हैं कि जो वे कहना चाहते हैं, उसे उन्होंने समझा नहीं है। वे कहते हैं, उन्हें अपने बारे में चिन्ता नहीं करनी चाहिए क्योंकि आखिरकार, उन्होंने इन लोगों को क्या दिया है। वे कहते हैं कि उन्होंने पिछड़ी जातियों को कुछ अधिक नहीं दिया है, इसलिए लोगों को इसकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए। दूसरी ओर, वे अन्य लोगों को प्रसन्न रखना चाहते हैं। वे पिछड़ी जाति के लोगों को यह कहकर प्रसन्न रखना चाहते हैं कि, "देखो, मैंने आपको कितना अधिक दिया है" और वे अन्य लोगों को भी यह कहकर प्रसन्न रखना चाहते है कि, "मैंने उन्हें अधिक नहीं दिया है, इसलिए, चिन्ता न करें।" वे यही कह रहे हैं। इस दोहरी बात ने देश में संभ्रम फैला दिया है। मैं इन पिछड़ी जाति के मन्त्रियों को आगाह करता हूं कि वे आरक्षण के नाम पर वे धोखा खा रहे हैं। यदि ऐसा एकमत, सहानुभूति और विचार-विमर्श से किया जाता तो उन्हें कुछ नुकसान नहीं होता। पिछड़ी जातियों की मदद करने की उनकी नीयत केवल श्री देवीलाल से झगड़ा करने के लिए तो उन्होंने दिखाई। ऐसा सभी जानते हैं। श्री देवी लाल ने स्वयं कहा था, "आप इसे इस प्रकार सामने लाए है"। मेरे पास यहां एक पत्र है। मैं उनके पत्र की केवल दो पंक्तियां पढ़ूंगा। (व्यवधान) श्री देवी लाल ने श्री बोम्मई को एक पत्र लिखा है और वे कहते हैं :

> "इन सिफारिशों को सात अगस्त को स्वीकृति देने की उद्घोषणा इसलिए की गई थी कि बोट क्लब पर नौ अगस्त को होने वाली रैली की सफलता के अवसरों को कम किया जाए।"

श्री देवी लाल ने यह कहा था। उनके सहयोगी दल कहते हैं कि उनसे विचार-विमर्श नहीं किया गया था। मुझे उन पर तरस आता है, मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं। (व्यवधान)

डा० शैलेन्द्रनाथ श्रीवास्तव (पटना) : आप वह कहिए जो आप कहना चाहते हैं न कि वह जो अन्य कहते हैं। (व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : यदि प्रधानमंत्री किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति को नियुक्त करके उसे पूरा मन्त्रालय सौंप देते, तो मैं इसे भली प्रकार समझ सकता था। कल्याण मन्त्रालय देना--इससे सहानुभूति उपजती है। सरकार में उन्होंने ऐसा ही किया है। वे कौन से पिछड़ी जाति के मन्त्री हैं, जिन्हें एक महत्वपूर्ण मन्त्रालय सौंपा गया है ? आप क्या सोचते हैं कि हम अपनी आंखें बन्द कर सकते हैं ? श्री राम विलास पासवान बहुत प्रसन्न रहते हैं जब वे आपके साथ रहते हैं, किन्तु वे बहुत अप्रसन्न रहते हैं जब वे बाहर किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति के साथ होते हैं। वे कहते हैं, "मैं क्या कर सकता हूं ? मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। प्रधानमंत्री पिछड़ी जाति वालों के लिए दिखावटी आंसू, बहा रहे हैं। उन्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि कमजोर वर्ग के लोगों को कोई जानकारी नहीं है।

महोदय, मैं कहना नहीं चाहता, किन्तु एक बात अवश्य कहना चाहता हूं।

श्री हरि किशोर सिंह : ऐसा क्या है जो आप कहना नहीं चाहते, वह हम सुनेंगे।

श्री बी० शंकरानन्द : प्रधानमंत्री के निर्णय ने देश को आज इतनी खतरनाक स्थिति पर पहुंचा दिया है। अब, पंजाब जल रहा है। वहां पर उन्हें पुलिस बलों की आवश्यकता है। मुझे बताया गया है कि पंजाब से 50 कम्पनियों को हटा लिया गया है और उन्हें उनकी सुरक्षा व्यवस्था, शैक्षणिक संस्थाओं, विशेषतया दिल्ली के लिए और यदि मैं कह सकता हूं तो, कुछ कम्पनियों को वहां पर रथ-यात्रा की व्यवस्था के लिए भेज दिया गया है। आप यह कर रहे हैं। आपने पंजाब की उपेक्षा की है, आपने कश्मीर की उपेक्षा की है, और आपने पिछड़ी जाति के लोगों की भावनाओं में आग लगा दी है और उन्होंने तथाकथित ऊंची जाति वाले लोगों के विरुद्ध गदा उठा ली है। क्या आप जनता को जातियों के आधार पर बांटकर पिछड़े वर्गों को सहानुभूति और मदद दे सकते हैं। विशेष तौर पर हरिजन लोग यह मांग कर रहे हैं। जहां तक अनुसूचित जातियों के आरक्षण का सम्बन्ध है, भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। किन्तु अपने मंत्रालय में, अपनी सरकार में अनुसूचित जाति के मंत्रियों को भड़कने न दें। हमें अनुसूचित जाति के लोगों को भड़कने नहीं देना चाहिए क्योंकि अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण आवश्यक है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की गई है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। उनके आरक्षण प्रभावित हो रहे हैं, कुछ मंत्री ऐसा ही कर रहे हैं, वे संभ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न कर रहे हैं, इसी कारण कई विद्यार्थी, जो अनुसूचित जातियों से सम्बन्ध रखते हैं, वे भी आत्म-हत्या कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ है कि हरियाणा का सम्पूर्ण अनुसूचित जाति सम्प्रदाय भय-ग्रसित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि···(व्यवधान)।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती (बिजनौर) : आप शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को बदनाम कर रहे हैं··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : उपाध्यक्ष महोदय, माननीया महिला सदस्या इसे नहीं समझेंगी और मैं उनसे सहानुभूति रखता हूं।

[हिन्दी]

कुमारी मायावती : आपको गलत बात नहीं कहनी चाहिए···(व्यवधान) आपको सोच-समझ-कर बात कहनी चाहिए। आप अनुसूचित जाति के लोगों को बदनाम कर रहे हैं···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री बी० शंकरानन्द : हमने सोचा था कि उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए स्थगन आदेश से कुछ राहत मिलेगी और मेरे विचार में यह स्वयं प्रधान मंत्री के लिए भी एक राहत के रूप में था।

किन्तु ऐसा नहीं हुआ क्योंकि स्थगन आदेश के पश्चात् भी शैक्षणिक संस्थाओं में आत्म-दाह और आत्म-हत्याएं जारी हैं। दिनांक 2 अक्तूबर को मैं राजघाट पर था और मैंने प्रदर्शनकारियों को देखा जो बसों, ट्रकों और ट्रालियों में हाथों में बड़ी-बड़ी लाठियां हिलाते हुए ऐसे आ रहे थे मानो किसी पर हमला करने वाले हों। दिल्ली पुलिस उनसे बहुत भयभीत थी। पुलिस ने भी कुछ नहीं किया; उन्होंने बस यही किया कि उन्होंने जान-बूझकर कुछ नहीं किया। केवल प्रधान मन्त्री जवाब दें। सम्पूर्ण कानून और व्यवस्था मशीनरी असफल हो रही है। प्रधान मंत्री जी, ऐसा क्यों हो रहा है?

आपने क्या किया है ? जो कुछ हो रहा है वह क्या आपके कारण नहीं हो रहा है ? बिना कुछ किये हुए पिछड़े वर्गों की सहानुभूति प्राप्त करने का प्रयत्न करके उन्हें इस प्रकार की ताकत की राजनीति में नहीं पड़ना चाहिए। यदि उन्होंने मण्डल आयोग की अन्य सिफारिशों को लागू किया होता तो शायद लोग उनकी प्रशंसा करते। उन्होंने अभी शैक्षणिक संस्थाओं के दरवाजें बन्द कर दिए हैं और उन्होंने शैक्षणिक संस्थाओं संबंधी कोई आरक्षण नहीं दिया है। मण्डल आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए वित्तीय सहायता की सिफारिश की है, किन्तु उनके पास इसकी कोई योजना नहीं है।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : इस संबंध में आपकी क्या स्थिति है ?

श्री बी० शंकरानंद : हम इसका समर्थन करते हैं। हमने कांग्रेस शासित राज्यों में ऐसा किया है। कर्नाटक में कोई आंदोलन नहीं है; आन्ध्र प्रदेश में कोई आंदोलन नहीं है और तमिलनाडु में कोई आंदोलन नहीं है। हमने जो कुछ भी किया है, प्रधान मंत्री भी उत्तरी राज्यों में ऐसा कर सकते थे और इस प्रकार शान्तिपूर्ण पिछड़े वर्गों की मदद कर सकते थे। हमने ऐसा किया है; हम ऐसा करते आ रहे हैं और इसे करने का हमारा आशय है। किंतु आपने इसके बिलकुल विपरीत किया है। मैं प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं ? क्या उड़ीसा के मुख्य मंत्री को आप अपने पदचिन्हों पर चलने को कहेंगे ? यदि आपके दल की नीति यही है, तो क्या आप अपने दल द्वारा शासित राज्यों को पिछड़े वर्गों की मदद करने के लिए कहेंगे जैसा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में किया गया है? (व्यवधान) हिमाचल प्रदेश और मध्य प्रदेश के राज्य उनके हाथ से निकल चुके हैं और वे उनकी बात नहीं सुनते हैं। वे पिछली सीट के चालक हैं। वे पीछे बैठे हुए हैं और चालक से अपनी इच्छा के अनुसार चलाने को कहते हैं। उन्हें हाथ लगाने का साहस भी उन्हें नहीं है। हम यह जानते हैं। उन्होंने बस यही पूछा था कि हमने क्या किया है और हम क्या करेंगे। आप जानते हैं कि हमने क्या किया है क्योंकि कल तक आप हमारे साथ थे। कृपया ऐसा व्यवहार न करें जैसे कि आप कुछ नहीं जानते क्योंकि कल तक आप कांग्रेस में थे।··· (व्यवधान) अब, हर कोई उनके इस्तीफे की मांग कर रहा है। मैंने सोचा था कि वे इसे बहुत गम्भीरता से लेंगे। और पिछड़े वर्गों के आरक्षण की मण्डल आयोग की रिपोर्ट शांति से लागू करने का रास्ता खोजेंगे।

महोदय, मण्डल आयोग की रिपोर्ट में बहुत-सी कमियां हैं। ऐसी बात नहीं है, कि इसे पूरी तरह से कार्यान्वित किया जा सके। लेकिन पिछड़े वर्ग आरक्षण के योग्य हैं और उनके लिए हमें एक साथ बैठना होगा और ऐसे हल खोजने होंगे, जोकि हम सभी को स्वीकार्य हों और उनसे पिछड़े वर्गों को फायदा हो। अन्यथा, आप देश को और विनाश की ओर ले जाएंगे।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : आपने कहा कि हमें मण्डल आयोग की सिफारिशों के बारे में एक साथ बैठना होगा। हम गत 10 वर्षों से एक साथ ही बैठे हैं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री आर०एन० राकेश (चेल) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वायंट ऑफ आर्डर है। इसी सदन में प्रधान मंत्री ने मण्डल कमीशन के टाइम कहा था कि जब वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री थे तो इलाहाबाद में पिछड़ी जाति के अध्यक्ष बनाए गए जो इंदिरा जी की रेकेमेंडेशन्स पर था। इन्होंने सदन को गुमराह किया है क्योंकि जब मुख्य मंत्री थे तो कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया और जब श्री श्रीपत मिश्रा मुख्य मंत्री थे··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : यहां व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाएं, शंकरानंद जी बोल रहे हैं।

श्री आर० एन० राकेश : दूसरे जब पहले जज बने थे श्री श्याम सुन्दर···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आपकी बात नहीं सुन रहे हैं।

श्री बी० शंकरानंद : मैं एक अन्तिम बात कहूंगा और तब अपनी बात को यहां समाप्त कर दूंगा। राष्ट्रीय मतैक्य का रूप तैयार करने तक मैं प्रधान मंत्री की निराशाजनक असफलता की वजह से, उनकी अपने वरिष्ठ साथियों तथा उनका समर्थन करने वाले मित्र-दलों के लिए प्रत्यक्ष रूप से उनकी अवमानना, उनके सलाहकारों के लिए खुलेआम और अन्यथा निरादर करना, यहां तक कि पिछड़े वर्गों को नुकसान पहुंचाकर, जानबूझकर राजनीतिक लाभ उठाने की उनकी धारणा से वह इस देश में शासन करने की वैधता खो चुके हैं। क्या मैं यह मांग कर सकता हूं कि उन्हें तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए और नये नेता के लिए मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : क्या मैं माननीय सदस्य श्री शंकरानन्द जी से पूछ सकता हूं, क्या मैं उन्हीं के इन शब्दों को उद्धृत कर सकता हूं कि सरकार ने जो कार्यवाही की है, उनके विचार के अनुसार, इससे पिछड़े वर्गों को नुकसान पहुंचा है?

श्री बी० शंकरानंद : जिस तरीके से उन्होंने निर्णय लिया है, जिस तरीके से वह इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, उससे निश्चित रूप से, पिछड़े वर्गों को नुकसान पहुंचा है। (व्यवधान)

श्री वसंत साठे (वर्धा) : अब आप केवल श्री शरद यादव को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। श्री राम विलास पासवान चले गए हैं। (व्यवधान)

श्री भवानी शंकर होटा (सम्बलपुर) : आपको कांग्रेस पार्टी का कभी भी प्रधान मंत्री नहीं बनाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री वसंत साठे : मुझे जरूरत ही नहीं बनने की।···(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपसे स्पष्टीकरण चाहता हूं। हमें थोड़ी कठिनाई अथवा उलझन है। क्या हम से श्री बी० शंकरानन्द द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर, जैसा कि उन्होंने पढ़ा है, बोलने की अपेक्षा की जाती है—क्या हमें इस विषय से संबंधित मामले पर बोलना है—अथवा क्या हमें उनके इस भाषण पर बोलना है, जिसका इस प्रस्ताव से कुछ लेना-देना नहीं है।

एक माननीय सदस्य : यह आप पर निर्भर है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे कुछ कहने की अनुमति दीजिए। इस स्थगन प्रस्ताव के लिए 3 घंटे का समय नियत किया गया है। कांग्रेस पार्टी के लिए 51 मिनट का समय दिया गया था, जिसमें से 41 मिनट का समय श्री शंकरानन्द ने ले लिया है। जनता दल के लिए केवल 38 मिनट का समय नियत है; भारतीय जनता पार्टी के लिए 22 मिनट; सी०पी०एम० के लिए 8 मिनट; सी०पी०आई० के लिए 4 मिनट का समय नियत है।

श्री संतोष मोहन देव : आप अपने स्वविवेक से कितना समय दे सकते हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : जब मुझे स्वविवेक का इस्तेमाल करना होगा, तो मैं इस बारे में निर्णय लूंगा। मैं इसे आपकी जानकारी में, इसलिए ला रहा हूं, क्योंकि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को कुछ तो कहना होता है और उन्हें बोलने के लिए समय दिया गया था। लेकिन विपक्षी दलों से शेष सदस्य जिन्हें समय आवंटित किया गया है, उसे ध्यान में रखकर वे अपने स्वविवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अन्य सदस्य भी अपनी बात को कहते हुए समय का ध्यान रखें। अब श्री समरेन्द्र कुन्डू बोलेंगे।

श्री समरेन्द्र कुन्डू (बालासोर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ही दिलचस्पी से अपने मित्र श्री वी० शंकरानन्द को सुन रहा था, जिसे स्वाभाविक रूप से अपने कमजोर मामले की जोरदार पैरवी के लिए राजीव गांधी ने खड़ा किया है। यह मामला बहुत कमजोर है और इसकी पैरवी करने वाला वकील भी एक ऐसा वकील है जिसके पास कोई अन्य मुकदमा नहीं है। अतः जब दोनों ही जुड़ जाएं, तो अन्त में···

उपाध्यक्ष महोदय : यह राजनीतिक लोगों के लिए सम्मान है।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : और सबसे बढ़कर बात यह है कि वह इतनी उलझन में थे कि उन्हें प्रधान मंत्री के सुझाव से सहमत होना पड़ा था। लेकिन वह शायद अनजाने में इस जाल में फंस गये कि इस मण्डल आयोग से भी कमजोर वर्गों तथा पिछड़ी श्रेणियों के लिए कोई फायदा होने वाला नहीं है। इसी बात से कांग्रेस (इ०) का भण्डाफोड़ हो गया है। हालांकि, मेरे मित्र श्री वसंत साठे उपवास शुरू कर देते हैं। किस उद्देश्य के लिए ? क्या यह उपवास केवल चर्चा कराने के लिए है ? नहीं। विपक्ष में मेरे मित्र, 40 वर्ष पहले संविधान में अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत दी गई रियायतों को जिनकी बाबा साहेब अम्बेडकर ने व्यवस्था की है, पूरी तरह से समाप्त करना चाहते थे, लेकिन इस अल्पमत सरकार ने— जिसके बारे में हम कुछ बढ़-चढ़कर नहीं बोलना चाहते—इसे कार्यान्वित करने का उत्साह और बुद्ध विश्वास दर्शाया है।

यह बहुत ही उपयुक्त बात होती, यदि वे वास्तव में गांधी का, जवाहरलाल नेहरू का अनुकरण करते, तो वे खुलकर आगे आते और इसका समर्थन करते।

यह बहुत ही खेद की बात है कि मुझे उन्हें बताना पड़ा कि आपके नेता ने इसका समर्थन किया है। उन्हें यह बताना मेरे लिए खेद की बात है कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमने इसका वचन दिया था। यह बात संविधान में आज नहीं आई है और न ही यह ऐसी बात है कि जो हमने कल ही की है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में हमने इसका वचन दिया था। गांधी और अन्य लोगों के साथ हुए इस समझौते को थोड़ा नया रूप दिया गया है और आत्म-निर्णय के सम्पूर्ण उद्देश्य को हल्की-सी नई दिशा दी गई है। उत्पीड़ित लोगों को जो यह वचन दिया गया था कि जब हमें सत्ता मिलेगी तो हम उनके साथ उचित व्यवहार करेंगे और हम उनके साथ न्याय करेंगे तथा हम उन्हें समानता का दर्जा देंगे। यह कहकर हम उनके साथ वर्ष-दर-वर्ष विश्वासघात करते चले आ रहे हैं। इसके बाद ऐसी स्थिति

[श्री समरेन्द्र कुन्डू]

आई जब हमने हिम्मत दिखाई और सम्पूर्ण बात को स्पष्ट किया। अनुच्छेद 340 में यह व्यवस्था है कि सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों की पहचान करने के लिए एक आयोग का गठन किया जाना चाहिए। अब इस आयोग ने क्या पहचान की है ? इस आयोग द्वारा पिछड़े लोगों की पहचान किये जाने का सार यह है कि भारत में कुछ ऐसी जातियां हैं, जिन्होंने लगातार फायदा उठाया है और कुछ ऐसी जातियां हैं जिन्हें हमेशा पिछड़ा बनाकर रखा गया है और उन्हें फायदा उठाने वाले लोगों द्वारा दबा कर रखा गया है।

मैं इस बुनियादी बात को समझ नहीं पाया। पार्टी के नेता, विपक्ष में, और यहां मेरे मित्र श्री शंकरानन्द कहते हैं कि "हम समर्थन करते हैं। हम इसका समर्थन करते हैं।"

4.00 म० प०

उपाध्यक्ष महोदय, वे जितना कुछ भी कहें, "हम इसका समर्थन करते हैं।" दुनिया में, विशेषकर भारत में पिछड़े वर्गों के गरीब तथा दलित लोगों में से कोई भी अब उनका विश्वास नहीं करेगा। श्री राजीव गांधी ने चर्चा के दौरान क्या कहा ? श्री राजीव गांधी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। उन्होंने दो बार चर्चा के दौरान बोलते हुए जो कुछ कहा, उससे मुझे बड़ा धक्का लगा। उनका यह कहना था कि इससे जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा; जनता दल अथवा प्रधान मंत्री जाति-युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं। यह जब उन्होंने कहा···(व्यवधान)। आप सहमत हो गए हैं। अगर आप वस्तु-स्थिति से अवगत नहीं हैं, तो इस संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। कृपया कुछ अच्छी पुस्तकें पढ़िए। यह कहा गया है कि जातिवाद के कारण पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को बहुत उत्पीड़न सहना पड़ा है तथा उनका आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक पतन हुआ है। मण्डल आयोग ने इन सब तथ्यों का पता लगाया है। इन लोगों को कुछ सुरक्षा प्रदान करके आप क्या यह समझते हैं कि प्रधान मंत्री जाति-युद्ध को बढ़ावा दे रहे हैं ? आप इसका समर्थन कर रहे हैं। फिर, श्री राजीव गांधी ने एक और बात कही। जब यह सुझाव दिया गया तो मैं भी वहां पर उपस्थित था। श्री राजीव गांधी ने कहा कि उनके राजनीति में आने से पहले ही अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण की धारणा बन चुकी थी। वह अपनी माता जी तथा स्वर्गवासी पिता से भिन्न हैं। बेशक, उनके नाम के साथ 'गांधी' उपनाम जुड़ा हुआ है। कई बार वे ऐसा समझते हैं कि वे सचमुच महात्मा गांधी हैं। हम वास्तविक चर्चा से भटक गए हैं। चर्चा उन लोगों के उत्पीड़न के संबंध में थी, जो आंदोलन कर रहे हैं और उन युवकों और विद्यार्थियों के संबंध में थी, जो आत्मदाह कर रहे हैं। हमें इस संबंध में बहुत खेद है। उन्हें गुमराह किया जा रहा है। गलत दिशा की ओर अग्रसर हो रहे हैं। हम इस संबंध में क्या कर सकते हैं ? यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हमें संयुक्त रूप से इस समस्या का समाधान करना चाहिए। मुझे यह सूचना मिली है कि ऐसे युवकों तथा विद्यार्थियों को लाकर उन पर मिट्टी का तेल छिड़क दिया जाता है। (व्यवधान)

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : बात मत कीजिए*···*।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, इसे कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

**अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मुझे यह कहते हुए बड़ा खेद है कि इस गैर-कानूनी कार्यवाही में कांग्रेस (इ) का साफ हाथ था। (व्यवधान) केवल इतना ही नहीं। मेरे पास समाचार पत्रों की कतरनें भी हैं। मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। वास्तविकता यह है कि एकाधिकार प्राप्त कराने तथा श्री राजीव गांधी, दोनों एक ही हैं···(व्यवधान)। श्री पालकीवाला जो टाटा घराने का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह कहना है कि मण्डल आयोग को लागू करने से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा। आपको यह पता चलेगा कि जातिवाद के सिद्धांत के संबंध में श्री पालकीवाला और श्री राजीव गांधी के विचार एक जैसे हैं। धन के जरिए भी इस आंदोलन को हवा दी जा रही है। विपक्ष में हमारे मित्र इससे सहमत नहीं होंगे। परन्तु मैं संबंधित हिस्सों को पढ़ता हूं। मैं एक नोट पढ़ रहा हूं। बिहार में क्या हुआ ? (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, वे आधारहीन आरोप लगा रहे हैं। (व्यवधान)

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मैं एक प्रैस कतरन से यह पंक्ति उद्धृत कर रहा हूं जो इस प्रकार है :

"सरकारी सूत्रों ने आज यह दावा किया कि एक व्यक्ति, जिसका कोल डम्प लाइसैंस रद्द कर दिया गया था, एक मुखिया जिससे भूकम्प राहत की वह राशि वापस ले ली गई थी जिसका उसने गलत प्रयोग किया था, तथा एक ठेकेदार जो घटिया सामग्री प्रयोग करता हुआ पकड़ा गया था, इन सबने झंझारपुर में हिंसा भड़काई, क्योंकि इन सबने स्थानीय उप-मंडलीय अधिकारी से व्यक्तिगत रूप में बदला लेना था।"

फिर आगे कहा गया है :

"···बैंक डकैती के मामले में पकड़ा गया एक व्यक्ति पटना में आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था, जबकि एक कांग्रेस (इ) के विधायक ने मोतीपुर में आगजनी की घटनाएं करवाने के लिए कथित रूप से दो बसें भरकर लोगों को वहां भेजा।"

उपाध्यक्ष महोदय : आप इस तरह से समाचारपत्रों से उद्धरण नहीं दे सकते।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : मेरे पास समाचार पत्र की कतरन है। (व्यवधान) हमें इसे हल्के-फुल्के ढंग से नहीं लेना चाहिए। हमारे भी कुछ लोग गलत कार्यवाही कर रहे होंगे। मैं इसे मानता हूं। उन्हें मजे लेने दीजिए, जैसा कि श्री देवी लाल जी ने कहा है। (व्यवधान) क्या हमारी कोई राष्ट्रीय विचारधारा है अथवा नहीं ? क्या ऐसे मुद्दों पर हमारी कोई राष्ट्रीय आम सहमति की नीति है अथवा नहीं ? हमें इस दिशा में अग्रसर होना चाहिए और इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। अगर कोई आगजनी, लूटपाट अथवा हत्या की घटना होती है तो क्या वे इसमें शामिल होंगे ? (व्यवधान) उस समय तक आपको यह पता नहीं था कि क्या हो रहा है। आपके पैरों के नीचे से जमीन फिसल रही है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप 15 मिनट बोल चुके हैं।

श्री समरेन्द्र कुन्डू : इसलिए मैं आप सबसे यह अपील करता हूं कि आप सब इस सम्बन्ध में अपने सुझाव दीजिए कि मण्डल आयोग की रिपोर्ट को किस प्रकार बेहतर तरीके से लागू किया जा सकता है। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली) : उपाध्यक्ष जी, आज हम यह चर्चा बहुत गम्भीर स्थिति में कर रहे हैं। परिस्थिति विस्फोटक और नाजुक है। यह अतिश्योक्ति नहीं होगी अगर मैं यह कहूं कि ये आत्मदाह की जो घटनाएं यहां हो रही हैं, ये पहले दक्षिण भारत के अन्दर तो सुनने में आती थीं, लेकिन उत्तर भारत में आजादी के बाद पहली बार हुई हैं। आन्दोलन के पीछे किसका हाथ है, उस पर मैं बाद में आऊंगा। लेकिन एक निवेदन मैं यहां करना चाहता हूं कि ये आत्मदाह की घटनाएं जो हो रही हैं और जिनमें 18, 16 और 14 साल के बच्चे आत्मदाह कर रहे हैं, इनके पीछे किसी पालिटिकल पार्टी का हाथ है, यह मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। क्योंकि इसके पीछे कोई प्रमाण सरकार के पास नहीं है कि किसी पालिटिकल पार्टी का हाथ है। मुझे लगता है कि उनके मन के अन्दर जो एक गलत तरीके से यह निराशा बैठ गई है कि हमारा जीवन अन्धकारमय हो गया है, इसलिए वे इस प्रकार के आत्मदाह कर रहे हैं। हम शुरू से इस बात को कहते आ रहे हैं कि इसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, एक आम-सहमति होनी चाहिए थी, उपाध्यक्ष महोदय, अगर वह होती, तो शायद आज यह स्थिति नहीं होती। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, अगर हमारी आवाज इस तरीके से दबाई जाएगी, तो सरकार को यह भी सोचना चाहिए कि हमारी पार्टी सरकार की सहयोगी है।

कोई ऐसी बात तो जरूर उन नौजवानों के मन में और उन कम उम्र के लोगों के अन्दर है जिससे इस तरह की भावनाएं फैलीं और अब आवश्यकता इस बात की है कि उनको कैसे ठीक किया जाए और उनको कैसे समझाया जाए। यह एक प्रजातांत्रिक सरकार का काम है कि समाज में पिछड़े वर्गों को विशेष सुविधाएं मिलें।

उपाध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की तरह हम आज ही इस बात को नहीं कह रहे हैं बल्कि शुरू से हमारी एक ही नीति रही है और भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर से कहा है और अच्छी तरह से सोच-विचार करके आरक्षण के बारे में क्या नीति है, वह हमने अपने मैनीफेस्टो में लिखी है। उस समय हमारे कांग्रेस के नेता ने कहा कि हमने मैनीफेस्टो में कहा है। मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि आप अपने यानि कांग्रेस पार्टी के मैनीफैस्टो में दिखा दीजिए —आपने कहां कहा है ?

उपाध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय जनता पार्टी के मैनीफेस्टो में से आपको पढ़कर सुनाता हूं। आरक्षण नीति--भारतीय जनता पार्टी की राय में आरक्षण के प्रश्न पर सभी प्रकार के पक्षपात से मुक्त होकर खुले दिमाग से विचार करना होगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की निम्नलिखित सिफारिशें तीन हिस्सों में हैं :—

1. अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण पहले की तरह जारी रहने चाहिएं।

2. मोटे रूप में मंडल आयोग की रिपोर्ट के आधार पर अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण होना चाहिए। इन वर्गों में भी गरीबों को प्राथमिकता देनी चाहिए।

3. चूंकि गरीबी पिछड़ेपन के लिए एक महत्वपूर्ण कारण है, अन्य जाति के लोगों के लिए भी उनकी आर्थिक दशा के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जानी चाहिए। (व्यवधान)

मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आर्थिक आधार पर भी आरक्षण दिया जाए, कोई एतराज नहीं है लेकिन अगर धर्म के आधार पर कोई आरक्षण किया गया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अगर बातचीत होती, अगर सहयोगी दलों से राय ली होती, उदाहरण के लिए कर्पूरी ठाकुर फार्मूला। कर्पूरी ठाकुर बहुत बड़े पिछड़े वर्ग के नेता थे। जब वे बिहार के मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने भी एक फार्मूला निकाला था। उनका कहना था :

[अनुवाद]

कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में अन्य पिछड़े वर्गों में से सबसे अधिक पिछड़े वर्गों को प्राथमिकता दी।

[हिन्दी]

उन्होंने इस तरह रिजर्वेशन किया : बैकवर्ड—8 प्रतिशत, मोस्ट बैकवर्ड—12 प्रतिशत, शैड्यूल कास्ट —14 प्रतिशत, शैड्यूल ट्राईब्स —10 प्रतिशत, वूमैन—? प्रतिशत, इकोनौमीकली बैकवर्ड —3 प्रतिशत। इस मुद्दे के आधार पर राय हुई होती तो मुझे लगता है कि कोई रास्ता निकल सकता था। (व्यवधान) मेरी पार्टी के नेता ने यह कहा कि इसको कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। मेरा यह कहना है, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं। (व्यवधान) मुश्किल यह हो रही है कि यह कहा जा रहा है कि या तो हां कहिए या ना कहिए, या ब्लैक या वाईट। मेरा कहना है कि ब्लैक और वाईट के बीच में ब्राउन भी होता है। आज हालत यह हो गई है कि ब्लैक कहेंगे तब भी ये देश को बांटना चाहेंगे, वाईट कहेंगे तब भी देश को बांटेंगे, इसलिए बीच का रास्ता हमें अपनाना होगा तभी देश बचेगा। दूसरा यह है कि जिस प्रकार से आन्दोलन किया गया। मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, कहिये तो नाम ले लूं। प्रारम्भ में आंदोलन पूरी तरह से क्षुब्ध छात्रों का था लेकिन कांग्रेस ने राजनीति की रोटी सेंकने के लिए इसको जिस तरह से···(व्यवधान)

हम दिल्ली में सबसे पहले उस बेचारे एक नौजवान को देखने के लिए गए। आडवाणी जी और मैं उसे देखने के लिये गये थे। जिस तरह से वहां पर हुआ, यदि के०के० तिवारी जाते तो कुछ नहीं होता, कांग्रेस के एम०पी० जाते तो कुछ नहीं होता। आडवाणी जी जब गये उस समय जो किया गया। मैंने एक सोने की जंजीर पहनी हुई थी। कपड़े फाड़ना तो समझ में आता है लेकिन अन्दर हाथ डालकर जिस तरह से जंजीर को तोड़ा गया उससे साफ लगता था कि इनमें कोई प्रोफैशनल लोग हैं जोकि यह कर रहे हैं। (व्यवधान) दिल्ली में बी०जे०पी० को टारगैट बनाया जाता है और हमें कहा जाता है कि आप इसको विदड्रा क्यों नहीं करते। सहयोग तो इस सरकार का सी०पी०आई०, सी०पी०एम० भी दे रहे हैं। केवल दिल्ली में बी०जे०पी० के खिलाफ प्रदर्शन करना, उसके दफ्तरों को घेरना, यह क्या दिखाता है ? क्योंकि इनको लगता है कि दिल्ली में बी०जे०पी० से असली लड़ाई है, सी०पी०आई०, सी०पी०एम० से नहीं है। इसलिए आप यह कहते हैं कि एक-दूसरे के खिलाफ दफ्तरों में प्रदर्शन हो, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। अगर यह हो जायेगा—(व्यवधान)—

वित्त मंत्री (प्रो० मधु दंडवते) : कलकत्ता में सी०पी०एम० के खिलाफ।

श्री प्रकाश कोको ब्रह्ममट्ट (बड़ौदा) : बड़ौदा में हमारे खिलाफ। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : अगर इनोसैंट छात्र होते तो जितने भी सहयोगी दल हैं सब के खिलाफ करते। यह शो करता है कि वह केवल बी०जे०पी० को ही निशाना बना रहे थे—(व्यवधान)

[श्री मदन लाल खुराना]

— मैं इसको सिद्धांतों के खिलाफ मानता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह से पर्दे के पीछे दिल्ली में आप हमसे बाजी नहीं ले पाओगे। हमने पहले भी आपको देखा है और आगे भी आपको देख सकते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो दिल्ली में मैदान में आकर सामने लड़िए। हमने पहले भी लड़ा है और आगे भी लड़ेंगे—(व्यवधान)—

उपाध्यक्ष महोदय, दो अक्तूबर को जो कुछ हुआ उसमें किस तरह के टिकैत के भाषण हुए, किस तरह से हिंसा को भड़काने वाले भाषण हुए, उन सबकी जांच होनी चाहिए।

अन्त में मैं दो बातें कहना चाहता हूं। ये जितनी भी हिंसा की घटनायें हुई विशेषकर दो अक्तूबर को, उनकी सुप्रीम कोर्ट के जज से न्यायिक जांच कराई जाये। दूसरा मेरा सरकार से निवेदन है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा मौका दिया, एक ऐसा स्टे दिया, आप उसका पूरी तरह से उपयोग करके शांति का वातावरण पैदा करें। आप छात्रों को यह मत समझें कि वे कोई विदेशी हैं, वे अपने लोग हैं, अपने छात्र हैं और अपने ही बच्चे हैं। आप एक गोलमेज कान्फ्रेंस बुलायें जिसमें छात्र, युवक, वाईस-चांसलर्स और पालिटिकल पार्टीज के लोग हों। प्रधानमंत्री उनसे सीधे बात करें। अगर प्रधान मंत्री सीधे उनसे बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कोई न कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। एक स्वर्ण अवसर फिर से सुप्रीम कोर्ट ने हमें दिया है। अत: आप अवश्य ही कोई न कोई रास्ता निकालें। जैसा कि मैंने पहले कहा कि केवल काला कहने से बात नहीं बनेगी, केवल सफेद कहने से बात नहीं बनेगी, कोई बीच का रास्ता अपनाया जाए। इतना ही मुझे कहना है।...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिकिहो सेमा (नागालैंड) : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि इस पर आज भारतीय जनता पार्टी का अपना क्या रवैया है ? उन्हें अब इसे बताना चाहिए। (व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : मान्यवर, जैसा कि खुराना साहब ने सुझाव दिया कि सरकार नौजवानों, वाईस चांसलर, समाज सेवी लोगों और विभिन्न दलों के साथ बैठक करे सरकार उनके इस विचार का समर्थन करती है। हम लोग इसको क्रियान्वित भी करेंगे। यह बात सही है कि नौजवान कोई भी हो, उसके प्रति हम सब की जिम्मेदारी है। हमारी जो नई पीढ़ी है उससे हम मुंह नहीं फेर सकते हैं।

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रधान मंत्री द्वारा दिए गये इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि सरकार इस बात की इच्छुक है और वह छात्रों, शिक्षकों, उपकुलपतियों और अन्य संबद्ध लोगों के साथ उन वर्तमान कठिनाइयों का हल ढूंढने जिनका देश मंडल आयोग की सिफारिशों के सन्दर्भ में सामना कर रहा है, बातचीत आरम्भ करेगी।

महोदय, मैं स्थगन प्रस्ताव के विषय में श्री शंकरानन्द की टिप्पणियों को सुनने का इन्तजार कर रहा था। परन्तु वह बुद्धिमता पूर्वक इस बात को टाल गए। संभवत: उनका कोई नियंत्रण नहीं

था। स्वाभाविक रूप से उनका अपने नेता पर कोई नियंत्रण नहीं था जिन्होंने हाल ही में 3 घंटे तक हमें निरर्थक भाषण सुनाया और श्री शंकरानन्द ने अपने नेता का सर्वप्रथम खण्डन किया और मंडल आयोग की सिफारिशों का पुरजोर अनुमोदन किया। इसीलिए उन्हें स्थगन प्रस्ताव की विषय वस्तु ढालनी पड़ी थी।

मैं समझता हूं कि जो घटनायें हो रही हैं उन्हें देखते हुए यह हमारे लिए और सबके लिए बहुत खेद और दुख का विषय है। हमारे युवा लड़के आत्मदाह कर रहे हैं। इस तरह की घटनायें घट रही हैं। अब यूं लगता है कि असमाजिक तत्व भी इस आन्दोलन का फायदा उठा रहे हैं जोकि छात्रों ने शुरू किया था। अब तो इस तथाकथित आन्दोलन का लगभग अपराधीकरण हो चुका है। और जो कुछ भी 2 अक्तूबर को भारत की राजधानी में हुआ वह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आंखें खोलने वाली बात है। मैं गम्भीरतापूर्वक छात्रों और उन लोगों से अपील करता हूं जो इस आंदोलन से जुड़े हैं कि उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि जो आंदोलन उन्होंने शुरू किया है उसे गलत ढंग से या सही ढंग से कैसे असमाजिक तत्वों और अपराधिक तत्वों ने हथिया लिया। आज इसे पूरी तरह से एक अलग ही दिशा दी जा रही है। हमें आश्चर्य है कि इस देश की राजधानी में कोई भी कैसे खुलेआम यह कह सकता है कि "जो संसद सदस्य और विधान सभा सदस्य मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन करते हैं उनका घेराव करो। उन पर मिट्टी का तेल छिड़को और जिन्दा जला डालो।" (व्यवधान) इस तरह से जानबूझकर भावनायें भड़काई जा रही हैं।

जहां तक हमारे दल का सवाल है हमने मंडल आयोग की सिफारिशों का समर्थन किया है। हमने प्रधानमंत्री की घोषणा का समर्थन किया है। (व्यवधान)

श्री वक्कम पुरुषोत्तमन (अलेप्पी) : आपने पश्चिम बंगाल में इसे लागू क्यों नहीं किया है? (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कांग्रेस सरकार ने 10 वर्ष तक इस रिपोर्ट को दबा कर रखा यद्यपि मंडल आयोग की सिफारिशों पर सभा में दो बार चर्चा हुई थी। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की यद्यपि तत्कालीन गृहमंत्री ने आश्वासन दिये थे कि वे इस पर गौर कर रहे हैं और कुछ कार्यवाही की जाएगी। (व्यवधान) हमने भी इस सम्बन्ध में हमें जो आपत्तियां थी जाहिर की थी। हमने कहा था कि हम इस पर विस्तार में पहले एक चर्चा और वार्तालाप चाहते हैं ताकि ज्यादा स्वीकार्य हल पता लगाए जा सकें ताकि इसमें रुचि दिखाने वाले और षडयन्त्रकारी दल इसका फायदा न उठा सकें। आज यह बहुत स्पष्ट है कि 2 अक्तूबर को इन गड़बड़ियों में किसने हिस्सा लिया। (व्यवधान) क्या कांग्रेस दल की छात्र शाखा ने इसमें भाग लिया था या नहीं? (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव (त्रिपुरा पश्चिम) : यह सफेद झूठ है। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं समझता हूं कि इन लोगों की भूमिका जो दोहरे आवरण को ओढ़े है—कांग्रेस पार्टी जो दोहरे आवरण को ओढ़े है—का 2 अक्तूबर, 1990 की घटनाओं की जांच से जो उस दिन हुई थी पर्दाफाश हो जायेगा। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी हिंसा की वकालत नहीं की है। (व्यवधान) हम हमेशा हिंसा के विरुद्ध हैं। (व्यवधान) हमने कभी हिंसा नहीं की। (व्यवधान) हिंसा में तो मार्क्सवादी लिप्त रहते हैं। (व्यवधान)

श्री मदन लाल खुराना : करतार सिंह कौन है ? (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मंडल कमीशन का जो छात्र मोर्चा है, उसमें एक-चौथाई कम्युनिस्ट पार्टी, सी०पी०एम०, के लोग हैं··· (व्यवधान)···

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : एन०एस०यू०आई० के लोगों ने आत्म-दाह का निर्णय लिया था। एन०एस०यू०आई० किस की संस्था है, यह कृपा कर कांग्रेस (आई) के लोग बतायें ? एन०एस०-यू०आई० कांग्रेस की राष्ट्रीय छात्र संस्था है। उन्होंने आत्म-हत्या करने की कोशिश की। आत्म-दाह करने की घोषणा की··· (व्यवधान)···

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, यदि जांच से पता चला कि वे जिम्मेदार नहीं है तो उन्हें निर्दोष माना जायेगा। वे क्यों दुखी हैं ? मैं नहीं जानता कि वे जांच का सामना करने से क्यों डरते हैं। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : हम नहीं डरते हैं। आप उस जांच समिति के चेयरमैन बन जाइए। (व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : मैं समझता हूं कि इस मामले में सभा का प्रत्येक वर्ग बहुत चिन्तित है। हमें वास्तव में चोट पहुंचती है जब किसी छात्र या व्यक्ति का जीवन इस देश में इस तरह से नष्ट हो जाता है। स्वाभाविक रूप से हम बहुत अप्रसन्न हैं और इन दिनों बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन छात्रों ने, जिनके प्रति हमारा इतना अधिक स्नेह है, मंडल आयोग रिपोर्ट की सिफारिशों की सीमा को मालूम किया है या नहीं।

मुझे नहीं मालूम कि उनके माता-पिता भी उसे समझ पाये हैं या नहीं। महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि देश की जनता को इसकी सिफारिशों और आपत्तियों दोनों ही पक्षों से अवगत कराने में संचार माध्यम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते थे, ताकि लोग उसकी सिफारिशों को निष्पक्ष दृष्टि से देखकर अपने आप निर्णय कर सकते थे। मेरी समझ में नहीं आता कि किस तरह एक बारह वर्ष के बालक की भावना को इस हद तक भड़का दिया गया कि वह आत्मदाह करने की धमकी दे रहा है। मैंने समाचार पत्रों में छपे ऐसे चित्रों को देखा है जिसमें छोटे लड़के और आठ से दस वर्ष के स्कूली बच्चों को बसों के टायरों की हवा निकालते हुए दिखाया गया है। वे मण्डल आयोग और इसके आशय के बारे में कैसे समझ सकते हैं जब तक कि उनका दूसरों के द्वारा लाभ न उठाया जा रहा हो। मुझे यह कहते हुए दुख हो रहा है लेकिन मैं इसे अनदेखा भी नहीं कर सकता। माता-पिता, अध्यापक और अभिभावक क्या कर रहे हैं। मुझे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं दीख रहा है जो धैर्य से काम ले और इस मुद्दे पर बातचीत, विचार-विमर्श और चर्चा करे। हमने अपनी पार्टी की ओर से सदन में लोगों से अपील की और अन्य लोगों ने भी ऐसा किया है। हमने छात्रों और सरकार से अपील की है कि वे आपस में विचार-विमर्श और बातचीत करें क्योंकि टकराव से हमें कुछ नहीं मिलेगा तथा बातचीत

और विचार-विमर्श से सभी कुछ हल किया जा सकता है। इसलिए महोदय, मैं सभी से विशेषकर छात्रों से यह अपील करता हूं कि वे भड़काऊ तत्वों से सावधान रहें। हमें इस पहलू पर गम्भीरता-पूर्वक विचार करना होगा। यह देश आपका भी उतना ही है जितना अन्य लोगों का। इसलिए छात्रों को इसके प्रति उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और प्रधान मंत्री द्वारा आज दिए गए आश्वासन के प्रति प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए।

उच्चतम न्यायालय ने इसे लागू करने पर स्थगन आदेश दिया है और अभी पिछड़े वर्ग की जातियों की पहचान और उन्हें सूचीबद्ध करने के सिवा तब तक कुछ नहीं किया जा सकता जब तक कि उच्चतम न्यायालय ऐसा करने के लिए अनुमति न दे। बिना किसी शर्त के खुले दिमाग से विचार-विमर्श और बातचीत करने का उपयुक्त समय है लेकिन कुछ बुनियादी बातों को स्वीकार करना होगा। इस बारे में हमें कोई शक नहीं है। देश लोगों के बीच असमानता है। देश के लोगों के बीच मतभेद हैं। इस देश में मुट्ठी भर लोग ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। विगत चालीस वर्षों के दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियां और उसके कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं, उन्होंने देश के सभी लाभों पर अपना एकाधिकार कायम कर लिया है। इसीलिए इस देश के मुट्ठी भर लोगों ने अपार धन अर्जित कर लिया है और बहुत बड़ी संख्या में लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। अब भी इस देश की 75 प्रतिशत महिलाएं अशिक्षित हैं। क्या आपको शर्म नहीं आती है? इतने वर्षों तक आप सत्ता में थे। आपके अधीन अनेकों योजनाएं थीं। चालीस वर्षों तक देश में अबाध शासन करने के बावजूद देश की यह स्थिति है इसके लिए आप कांग्रेस के लोगों को शर्म नहीं आती है?

करीब चार करोड़ शिक्षित लोगों का नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है। यह स्थिति है। उन सभी को मद्देनजर रखते हुए हमने इसका समर्थन किया है।

यद्यपि संविधान में सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की चर्चा की गई है, लेकिन हमने यह कठोर सत्य देखा है कि इस देश में जनता के कुछ वर्ग, हो सकता है वे किसी जाति विशेष के हों, वे स्वतंत्रता के बाद से यानि करीब चवालिस वर्षों से बर्दाश्त करते आ रहे हैं, परन्तु उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। यहां तक कि प्रथम श्रेणी के केन्द्रीय सरकार की सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व मात्र 4.5 प्रतिशत है। इस देश में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का अभिप्राय क्या है? आखिर संविधान निर्माताओं और संविधान के जनकों ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की आवश्यकता क्यों अनुभव की। ऐसा इसलिए किया क्योंकि यह महसूस किया गया कि जब तक उन्हें कुछ सहायता और अतिरिक्त लाभ नहीं दिया जाएगा उनका ऊपर उठना कठिन है। चूंकि उन्हें वर्षों और युगों तक दबाया गया है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्हें लाभ से वंचित रखा जा रहा है। विचार यह किया गया था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण को दस वर्ष की अवधि के बाद समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी की नीतियां और कार्यक्रम उल्लेखनीय हैं जिनकी वजह से यह चालीस वर्षों तक जारी रखा गया है। लेकिन क्या कारण है कि वे उन्नति नहीं कर पाये? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए आज भी आरक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? हम इस तथ्य के इन्कार नहीं कर सकते, हमारे देश में अधिकतर लोगों को विरोध, विषमता और अभावों का सामना करना पड़ रहा है। मण्डल आयोग रिपोर्ट पर चर्चा के दौरान जैसा कि मैंने कहा कि हम तथ्य को नकार नहीं सकते कि कांग्रेस पार्टी का एकाधिकारियों, कालाबाजारियों और समाज के अमीर वर्ग के लिए आरक्षण की नीति में विश्वास किया है और इसका अनुसरण भी किया है और ऐसे लोगों को उनके शासन के चालीस वर्षों में पूरा लाभ मिला है।

[श्री सोम नाथ चटर्जी]

मैं स्थगन प्रस्ताव के विषय से हटना नहीं चाहता। शांति स्थापित करना आवश्यक है। इस सदन के माध्यम से हम हर एक व्यक्ति से अपील करें कि वे आंदोलन और कम से कम हिंसात्मक आंदोलन नहीं करें। प्रत्येक व्यक्ति को आंदोलन करने का अधिकार है परन्तु उन्हें हिंसा में संलग्न नहीं होना चाहिए। ऐसी हृदय-विदारक बातें नहीं होनी चाहिए। हमारे अभिभावक, शिक्षक और प्रत्येक व्यक्ति का यह विशेष उत्तरदायित्व है और समाज कल्याण का कार्य करने वाले संगठनों का भी यह विशेष उत्तरदायित्व है। उन्हें प्रत्येक व्यक्ति को सलाह देनी चाहिए, विशेषकर ऐसी स्थिति में जबकि उच्चतम न्यायालय आदेश के कारण उसे लागू नहीं किया जा सकता है। इस समय का उपयोग सार्थक बातचीत और विचार-विमर्श के लिए किया जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी द्वारा भड़काए जाने के बावजूद मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों की सद्भावना इस मुद्दे पर होगी, विशेषकर प्रधान मंत्री की इस घोषणा के बाद आशा है कि अधिकतर लोगों को मान्य एक हल ढूंढ़ लिया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने हमारे दल को चार मिनट का समय दिया है। मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं श्री शंकरानन्द के प्रस्ताव पर बोलूं अथवा उनके भाषण पर जो उन्होंने यहां दिया है या अभी कुछ देर पहले ही उनके नेता ने जो तीन घण्टे तक भाषण दिया है उस पर बोलूं···(व्यवधान) निश्चित रूप से मैं निर्णय करूंगा। मैं जो कुछ कहना चाहता हूं आप उसका निर्णय नहीं करेंगे।

महोदय, श्री शंकरानन्द का प्रस्ताव पिछले कुछ सप्ताहों की घटनाओं के बारे में है। मुझे प्रतीत होता है कि वे एक बार फिर मण्डल आयोग की सिफारिशों के गुण-दोषों के बारे में, जिनकी चर्चा हम पहले ही सभा में कर चुके हैं, भटक रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस विषय पर पुनः चर्चा की जाए। यदि आप चाहते हैं कि मण्डल आयोग पर चर्चा फिर से की जाए तो हम इसे अपने आप शुरू करें। परन्तु ऐसा उद्देश्य नहीं है श्री शंकरानन्द का प्रस्ताव पूरी तरह इसके विपरीत है क्योंकि इस प्रस्ताव में उन्होंने कुछ घटनाओं, उपद्रवों, कानून और व्यवस्था तथा प्रशासन की स्थिति बिगड़ने का उल्लेख किया है। यद्यपि वह इसके बारे में बहुत कम बोले हैं। उनके प्रस्ताव में इस बात का उल्लेख नहीं है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन था परन्तु अब उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि सरकार की घोषणा से एक जाति दूसरी जाति के विरुद्ध खड़ी हो गई है इसके कारण ही यह गड़बड़ी हुई है। सरकार की इस घोषणा से पहले जैसे हम जाति मुक्त समाज में रह रहे थे। कोई जाति पूर्वाग्रह नहीं था, कोई जाति भेदभाव नहीं था, किसी जाति के प्रति अन्याय अथवा अत्याचार नहीं होता था। यह सब कुछ सरकार के इस ऐतिहासिक निर्णय के कारण हुआ है। हमें देश के ऐसे समाज को सहन करना ही पड़ेगा जहां विगत तीन हजार वर्षों से जाति प्रथा के अलावा कुछ नहीं सिखाया गया है। मैं उस बात को दोहराना नहीं चाहता जिसके कारण यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हुई है। परन्तु यह वास्तव में बड़े दुख की बात है कि ये लड़के लड़कियां अपना जीवन समाप्त कर रहे हैं, मैं इसकी वजह नहीं जानता। मुझे विश्वास है कि इन युवा लड़के-लड़कियों में से अधिकांश यह नहीं जानते कि मण्डल आयोग की सिफारिशों अथवा सरकार के निर्णय या इसके संबंध में संविधान के अनुच्छेदों में क्या कहा गया है। यदि हम उनसे शान्तिपूर्ण वातावरण में बातचीत करते तो हम यह जान जाते कि वे इस निर्णय और घोषणा के बारे में कितना समझते हैं। किसी ने उन्हें समझाने का प्रयास नहीं किया। मैं सरकार की मुख्य रूप से इस बात के लिए आलोचना करता हूं कि इस निर्णय को, जिसका मेरी पार्टी ने पूरी तरह से समर्थन किया था, लेने के पश्चात् उन्हें सभी संचार माध्यमों का, प्रेस, रेडियो और दूरदर्शन का उपयोग करना चाहिए था। उन्हें प्रतिदिन देश की जनता को विस्तार से यह बताने का प्रयास करना चाहिए था कि इस निर्णय का

वास्तव में अभिप्राय क्या है, इसमें कितनी सच्चाई है और कितनी कल्पना की जा रही है। ऐसा नहीं किया गया मेरे विचार से इसलिए उन लोगों को मौका मिल गया जो इन युवा लड़के-लड़कियों को गुमराह और उत्तेजित करना चाहते थे। इन लोगों ने इसे गलत समझकर आंदोलन शुरू किया था परन्तु ऐसा नहीं था।

श्री शंकरानन्द ने कहा है कि प्रधान मंत्री ने पिछड़े वर्गों के लिए कुछ नहीं किया है। यदि उनके लिए कुछ नहीं किया गया है तो उच्च वर्ग के लोग यह शोरगुल और कोलाहल क्यों मचा रहे हैं ? यदि उनके लिए कुछ नहीं किया गया है तो यह आक्रोश क्यों फैल रहा है ? करोड़ों रुपये की सार्वजनिक सम्पत्ति नष्ट हो गई है। रेलगाड़ियों के डिब्बे नष्ट कर दिये गये हैं। एक या दो डिब्बे ही नहीं बल्कि पूरी गाड़ी ही जला दी गई है। मैं नहीं सोचता हूं कि यह सब इन युवा लड़के-लड़कियों ने किया है। ऐसा किसी और ने किया है।

इस प्रकार मैं समझता हूं कि सरकार ने सैद्धांतिक रूप से मण्डल आयोग की एकाध सिफारिश मंजूर की है और उसकी घोषणा की है जिसके कारण जान-माल का इतना नुकसान हुआ है। इससे बहुत अधिक उन्माद पैदा हो गया है। उन्होंने कहा है कि इस निर्णय के कारण पिछड़े वर्ग ने जनता की सहानुभूति खो दी है। क्या इससे पहले सहानुभूति थी ? उनके प्रति किसी की सहानुभूति थी ? उच्च वर्ग के लोगों की, जो इतने वर्षों से अकथित, अलिखित और अघोषित आरक्षण का लाभ अपने लिए उठा रहे थे, उनके प्रति सहानुभूति थी, मैं यह जानना चाहता हूं। उनकी सहानुभूति किस प्रकार थी ? लेकिन एक बात यह स्वीकार की गई है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र समेत सरकारी नौकरियों और सेवाओं में पिछड़ी जातियों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित किया जाए। ऐसा लगता है कि सारा विश्व ही समाप्त हो गया है केवल सरकारी नौकरियां ही बची हैं जो इन सब लड़के-लड़कियों को मिलेंगी। क्या यह हमारे लिए सम्भव नहीं है ? प्रत्येक वर्ष सरकारी नौकरियों के कितने स्थान रिक्त होते हैं ? मैं यह जानना चाहता हूं। इसके लिए आंकड़े एकत्रित किए जाएं। कुछ जिम्मेदार एजेंसियां सही आंकड़े एकत्रित करें और इसके आधार पर लोगों को जानकारी दें। लोग यह समझ रहे हैं कि यदि सरकार ऐसा नहीं करती तो प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाती। विगत चार-पांच वर्षों से भर्ती पर रोक लगाने के कारण कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिल रही हैं ? प्रथम और द्वितीय श्रेणी में कितने लोगों को प्रत्येक वर्ष नौकरी मिलती हैं अथवा कितने लोगों को मिल सकती हैं ? लोग इसे तिल का ताड़ बना रहे है। राज्य प्रशासनिक सेवाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। आरक्षण के बारे में उनका अपना फार्मूला है और इसे वर्षों से अपनाया जा रहा है। कुछ मामलों में यह ब्रिटिश काल से अपनाया जा रहा है। केरल में आरक्षण की नीति को स्वतंत्रता से पहले अपनाया जा रहा है। इस प्रकार उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। शिक्षण संस्थाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है। इन्जीनियरी और मेडिकल कालेजों के बारे में सभी लड़के सोच रहे हैं कि अब वे सरकार की इस घोषित नीति के कारण इन कालेजों में प्रवेश नहीं पा सकते हैं। यह सही नहीं है। उन्हें आरक्षण से अलग रखा गया है। सशस्त्र बलों, सभी विज्ञान प्रौद्योगिकी, नाभिकीय ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा संस्थाओं को आरक्षण से अलग रखा गया है। पदोन्नतियों को भी इससे अलग रखा गया है। इस भावना से यदि श्री शंकरानन्द यह कहना चाहते हैं कि मण्डल आयोग की सिफारिशों को पूरी तरह स्वीकार और कार्यान्वित किया जाना चाहिए था, तो वह समझ जायेंगे कि पिछड़े वर्गों के साथ न्याय हुआ है···

एक माननीय सदस्य : हम ऐसा ही चाहते हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : आप यही चाहते हैं। इस छोटी-सी बात के कारण आपने अनेक गाड़ियां और बसें जला दीं।

श्री संतोष मोहन देव : यह किसने किया है ? ऐसा आपने किया है। यह सब क्या है ? वह यह कैसे कह सकते हैं कि हमने उन्हें जलाया है। उन्हें यह सिद्ध करना पड़ेगा। उनके जैसे वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं कि "हमने उन्हें जलाया है।" वह इसे प्रमाणित करें। यह बड़ी बुरी बात है। आप संसद का उपहास कर रहे हैं। महोदय, वे पश्चिमी बंगाल में लोगों की हत्या कर रहे हैं। वह यह कैसे कह सकते हैं कि हमारा इससे संबंध है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बातचीत का एक तरीका है। जब आप कहते हैं कि हमने ऐसा किया है तो इसका तात्पर्य उनसे नहीं है। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहद देव : उनका तात्पर्य हमारी पार्टी से है। ये ही पार्टियां लोगों की हत्या करती हैं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : श्री इन्द्रजीत गुप्त, हमारी पार्टी ने ऐसा नहीं किया है।

श्री संतोष मोहन देव : वे कुमारी ममता बनर्जी की हत्या करना चाहते थे। उनके गुण्डों ने उन्हें पीटा। उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। यह सार्वजनिक घटना थी। उन्हें इस तरह से कहने का कोई अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : हम इस बात को समझें कि सदस्यगण इस सभा में अपने विचार व्यक्त करते रहे हैं। यदि अन्य सदस्य इससे सहमत नहीं होते अथवा यदि अन्य सदस्य यह महसूस नहीं करते कि जो वे कह रहे हैं सही नहीं हैं, तब अपने भाषणों में वे निश्चित रूप से इसका विरोध कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : उस पार्टी की चापलूसी की भी यहां कोई सीमा है। (व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे पास केवल चार मिनट का समय है। कृपया बैठ जाइये। (व्यवधान) मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। (व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : पूर्व अनुमति के बिना आरोप नहीं लगाए जाने चाहिए। (व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : यहां एक भी वक्ता ने दिल्ली पुलिस की भर्त्सना नहीं की है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपमें से कुछ अब भर्त्सना कर सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हम यहां त्रिपुरा के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि श्री संतोष मोहन देव की बात से उत्तेजित नहीं होने जा रहा हूं। (व्यवधान) यहां सभा की पुरानी परिपाटी है, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को सुने, कि जो लोग सभा में उपस्थित नहीं होते उनका नाम नहीं लिया जाना चाहिए अथवा उन पर दोष नहीं लगाया जाना चाहिए··· (व्यवधान)·· इसीलिए, मैं नामों का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। मैं नामों का उल्लेख कर सकता था

क्योंकि मेरे पास ऐसे लोगों के नामों की सूचियां हैं जिन्हें इन लड़कों और लड़कियों को गलियों में सक्रिय रूप से भड़काते हुए देखा गया···

श्री सन्तोष मोहन देव : आपकी पुलिस क्या कर रही है ? आप उनको गिरफ्तार क्यों नहीं करते ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरा मतलब है कि जो लोग धन बांट रहे थे, जो लोग खाना बांट रहे थे, जो खाने के पैकेट भेज रहे थे, खाने के पैकेट तैयार कर रहे थे, क्या मैं उन लोगों के नाम बताऊं—मैं उस परम्परा को नहीं तोड़ना चाहता—जिन लोगों ने इश्तहार छपवाएं हैं, जिन्होंने मोटर कार के सामने वाले शीशों पर लगाने के लिए स्टिकर्स छपवाए है जिनमें यह लिखवाया, 'मुझे दोष न दीजिए; मैंने वी० पी० सिंह को वोट नहीं दिया।' क्या ये सभी चीजें इन निर्धन विद्यार्थियों, लड़कों और लड़कियों द्वारा छपवाई जा रही है ? (व्यवधान) हम जानते हैं यह सब किसने किया। मैं उन नामों का उल्लेख कर सकता हूं, लेकिन मैं उनका उल्लेख नहीं करूंगा ((व्यवधान)

श्री अन्बारासु इरा (मद्रास मध्य) : यह भारतीय जनता पार्टी है, आपके अपने लोग हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं किसी पार्टी का उल्लेख नहीं कर रहा हूं। यह भारतीय जनता पार्टी हो सकती है, यह आप हो सकते हैं। (व्यवधान) मैं जो यह सब कह रहा हूं वह यह कि जो तोड़ फोड़ हुई, जैसाकि हमने कहा, वह दुर्भाग्यपूर्ण थी। बसों को ठीक किया जा सकता है और रेलगाड़ियों को भी ठीक किया जा सकता है जबकि इसमें अर्थ व्यवस्था पर काफी बोझ पड़ेगा। लेकिन इन युवा लड़कों और लड़कियों, इन बच्चों ने जो किसी न किसी रूप में आत्म हत्या की है उनके जीवन को वापस नहीं लाया जा सकता। मुझे तमिलनाडु में केवल उस समय की याद आ रही है जब कुछ वर्षों पहले जब वहां हिन्दी के विरोध में बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ (व्यवधान) और वहां बहुत से लोगों ने स्वयं को जला लिया या स्वयं आत्मदाह कर लिया था। कुछ अन्य देशों में, हमें याद है कि बुद्ध धर्म को मानने वाले भिक्षुओं ने स्वयं पर पेट्रोल डाल कर और जिस बात का वह विरोध करना चाहते थे उसके लिए स्वयं को जलाया था।

हमारे देश में यह एक पहली बार है कि हमने यह घटना देखी है, और मैं यह बात बहुत ही अच्छी तरह समझता हूं कि कोई लड़का जो निष्ठुरता से अपने स्वयं के ऊपर पेट्रोल डाल सकता है और अपने को आग लगा सकता है, वह अवश्य ही किसी अत्याधिक भावुक उत्तेजना से पीड़ित होगा। अन्यथा वह ऐसा नहीं कर सकता, वह ऐसी बात नहीं कर सकता।

इसका अर्थ है कि वास्तव में, उन्होंने इसे समझा नहीं अथवा वे जानबूझकर गुमराह हुए हैं, सरकार ने जो निर्णय लिया है वास्तव में उसका अर्थ क्या है, जिसका श्री शंकरानन्द ने यह कहकर बहुत ही सुन्दर तरीके से सार प्रस्तुत किया है, कि उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया है; पिछड़ी श्रेणियों को कुछ भी नहीं दिया गया है। तब यह सब हो-हल्ला कैसा है ? (व्यवधान) आप जाकर यह स्पष्ट क्यों नहीं करते कि वास्तव में, कुछ भी नहीं दिया गया और उन्हें उत्तेजित नहीं होना चाहिए और अशान्त नहीं होना चाहिए क्योंकि वी० पी० सिंह एक बड़ा धोखा है और उन्होंने उनको कुछ नहीं दिया है ? (व्यवधान)

अतः वास्तव में वह बात नहीं है। कई वर्षों के बाद, ये पिछड़ी श्रेणियों के लोग, हालांकि वह एक छोटा कदम आगे बढ़ाया गया है—वे यह महसूस करते हैं कि कम से कम उनके साथ कुछ न्याय

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किया जा रहा है, और उनमें उन्हें कुछ भागीदार बनाया जा रहा है, हालांकि प्रशासन में यह हिस्सा थोड़ा ही है।

और यही वजह है कि अन्य पक्ष इतना गुस्से में है क्योंकि वे नहीं चाहते कि ऐसा हो। मुझे अपने मित्रों को बताने दीजिए कि पिछड़ी श्रेणियों ने यह पूछना शुरू कर दिया है कि क्या हम भारतीय नहीं हैं ? क्या हमारा इस देश से संबंध नहीं है ? क्या हम भारतीय लोगों का हिस्सा नहीं हैं कि बहुत से वर्षों के बाद हमारे लिए कुछ रियायतें रखी गई है और इसके बाद तत्काल ही बसों को जलाकर, रेलगाड़ियों को जलाकर, दुकानों को लूटकर, गोली चलाकर और यह सभी बातें करके यह हिंसा पैदा की गई है। क्यों ? क्या हम इस देश का हिस्सा नहीं हैं ? क्या हम कुछ रियायतें प्राप्त करने के भी हकदार नहीं हैं ? क्या हम यह महसूस करने के हकदार नहीं हैं कि हमारे अपने लोगों की प्रशासन में भागीदारी होगी ? क्या यह एक ऐसा बड़ा अपराध है जो हमने किया है कि हर कोई हमसे इस प्रकार व्यवहार करे ? कृपया शांति रखें, कृपया उचित व्यवहार करें।

यहां तक कि 3 सितम्बर को जब पहली सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी और यह बैठक इस भवन में ऊपर हुई थी, उस दिन सभी ने यही कहा था, और प्रधान मन्त्री ने कहा था और सभी दलों के नेताओं ने यह सलाह दी थी कि विद्यार्थियों के साथ बातचीत शुरू की जानी चाहिए। लेकिन यह बात किससे की जाए ? नेता कौन है ? यह आंदोलन ऐसा है जिसका कोई नेता नहीं है, यह एक ऐसा आंदोलन है जिसमें नेता की कोई पहचान नहीं है, यह एक असंगठित आंदोलन है। किसको बुलाया जाए ? किससे बातचीत की जाए ? और इसके बाद उन्होंने समाचार पत्रों में यह वक्तव्य देकर एक मत बनाया कि वे तब तक बिल्कुल बातचीत नहीं करेंगे जब तक कि मण्डल आयोग का निर्णय वापस नहीं ले लिया जाता। इसका अर्थ है कि प्रधान मन्त्री अवश्य त्यागपत्र दें; इसका अर्थ है कि प्रधान मंत्री को जाना चाहिए, इसका अर्थ है कि उन्होंने जो नीति संबंधी निर्णय लिया है वह भी वापस होना चाहिए। मैं जानता हूं कि वह एक खेल था। अतः हम कभी भी उस स्थिति को स्वीकार नहीं कर सकते। (व्यवधान) लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि उन्हें अवश्य त्यागपत्र देना चाहिए और यह नीति संबंधी घोषणा वापस ली जानी चाहिए। अनावश्यक रूप से, इतना नुकसान किया गया। और सम्पूर्ण बात की चरम सीमा यह है, जैसाकि अन्य लोगों ने कहा, कि यह थोड़ा और अधिक समय तक जारी रहना था। मान लो उच्चतम न्यायालय का स्थगन आदेश न आया होता। वे कहते हैं कि इससे प्रधान मंत्री बच गए हैं। मान लो यह स्थगन आदेश न आया होता। हमने 2 अक्तूबर को देखा कि इस आंदोलन का क्या होने जा रहा था। यह कुछ और अधिक दिनों के लिए जारी रहा होता है। मान लो इसके लिए स्थगन आदेश न आया होता। तो आन्दोलन जारी रहता।

एक माननीय सदस्य : यह अभी भी जारी है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : लेकिन अब यह पुराने तरीके से जारी नहीं रह सकता। आपने देखा 2 अक्तूबर को क्या हुआ था। एक इस प्रकार का आंदोलन जिसका कोई स्पष्ट विचार नहीं है वह किसके लिए संघर्ष कर रहे थे, वे जो यह नहीं समझते कि वास्तव में क्या किया गया है, जिनका कोई नेता नहीं, वे इन लोगों के हाथों में चले गये होते। मैं नहीं जानता कि वे कौन थे। वे कोई भी हो सकते हैं। मुझे नहीं मालूम कि दिल्ली में कौन आए, जिन्होंने खाने पीने की चीजों को बेचने वाले छोटे दुकानदारों को लूटा, जिन्होंने बहुत सी बसों के, घरों और वाहनों आदि के शीशे तोड़े और बोट क्लब पर उन्हें पानी उपलब्ध कराने के लिए जो पानी के टैंकर भेजे गये थे उन्होंने उन्हें भी आग लगा दी,

उन्होंने लोगों से धन भी छीना। यदि यह आन्दोलन कुछ और दिन तक जारी रहा होता, मुझे नहीं मालूम यह हमें कहां ले गया होता। यह पूर्ण बर्बरता और अपराधिक व्यवहार है और कुछ नहीं है। मैं चाहता हूं कि विद्यार्थियों को स्वयं को इस प्रकार की गुण्डागर्दी से अलग रखना चाहिए। हम नहीं चाहते कि विद्यार्थी और युवक इस प्रकार के लोगों के हाथों में पड़े। इसीलिए, हम उनसे अपील करते हैं—जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें बहुत अफसोस है। वास्तव में हमें आत्मदाह के इन कार्यों से दुख हुआ है—हम युवा लड़कों और लड़कियों से इस रास्ते को छोड़ देने के लिए अपील करते हैं। इससे कोई समस्या हल नहीं होगी। अन्ततः यदि आप इस समस्या को हल करना चाहते हैं, किस प्रकार से यह आरक्षण की व्यवस्था आदि की जाए, आपको एक दूसरे के आमने सामने बैठकर एक दूसरे से सभ्य तरीके से बातचीत करनी होगी। आप इस तरह नहीं कर सकते। अतः मैं आशा करता हूं कि सारा माहौल ठीक हो जायेगा और प्रत्येक व्यक्ति अपने प्रयासों से यह सुनिश्चित करने में सहयोग देगा कि भावनायें शांत हो जायें। प्रत्येक व्यक्ति को वास्तविक स्थिति से अवगत कराया जाना चाहिए। हमें बैठकर बात करनी चाहिए। निःसंदेह औपचारिकताओं के बारे में बातचीत की काफी गुंजाइश है। हम किस चीज के बारे में शिकायत कर रहे हैं यही कि हमसे परामर्श नहीं किया गया लेकिन, किस चीज के बारे में? क्या नीति के बारे में? सिद्धांत के बारे में? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा था और मैं अभी तक समझता हूं कि हमसे इसकी कार्यान्वयन संबंधी औपचारिकताओं तथा प्रक्रिया के बारे में विस्तार से परामर्श लिया जाना चाहिए था। लेकिन, खैर प्रधान मंत्री जी की कुछ अपनी मजबूरियां रही होंगी। उन्होंने कहा था कि परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह वही बात है जिसकी कई बार घोषणा की गई है। यदि उन्होंने यह घोषणा 30 अक्तूबर, 1990 के बाद की होती तो मैं इसे ज्यादा पसंद करता। आप अपनी प्लेट में इतनी अधिक चीजें नहीं रख सकते और उन्हें एक साथ पचा नहीं सकते। वहां कुछ चल रहा है। प्रत्येक दिन साम्प्रदायिक दंगों की खबरें आ रही है; यह गाजीपुर में हुआ, गोंडा में हुआ, उदयपुर में हुआ, पाली में हुआ, गुजरात में बड़ौदा में घटित हुआ और मुम्बई में महम में हुआ। किसी तरह इन्हें रोक लिया गया। अब हर रोज ऐसा होता रहता है तथा 30 अक्तूबर को ये घटनायें अपनी चरम सीमा पर थीं। यह सारे देश के लिए प्रमुख संकट है और साथ ही हमें इससे निपटना है तथा हमने इन्हें भी निपटाया है। यदि इन समस्याओं से एक-एक करके निपटा जाय बजाय इसके कि सबको एक साथ ही निपटायें, विशेषकर हमारे जैसे देश में, तो मैंने इसे ज्यादा पसंद किया होता, वैसे प्रधानमंत्री जी के लिए हमारे मन में पूरी इज्जत है। मैं कश्मीर और पंजाब को छोड़ रहा हूं। वे समस्याएं हमेशा ही से बनी हुई हैं।

इसलिए महोदय, मैं श्री शंकरानन्द से आग्रह करूंगा कि वह अपने प्रस्ताव पर विचार करें और इसके लिए अथवा किसी अन्य बात के लिए जिद न करें या दबाव न डालें। कुछ भी हो यह स्वीकार नहीं होगा लेकिन यह अच्छा होगा यदि वह यह महसूस करें कि यह गलत दिशा में ले जाने वाला प्रस्ताव है। वह वास्तविक मुद्दे को छुपाना चाहते हैं। मैं सहमत हूं कि वह केवल छिछोरी बातें करते हैं जैसे कि कितनी बसें जलाई गयीं, कितनी जानें गयीं, कितनी गोलियां चलाई गयीं आदि ये सभी शोचनीय बातें हैं। लेकिन, यह सब लोगों के मन में जो कुछ घट रहा है, उसके केवल बाह्य लक्षण हैं और इन सब बातों के सम्बन्ध में उन्हें गुमराह किया गया तथा गलत और अपर्याप्त जानकारी दी गई तथा अनभिज्ञता की वजह से लोग वे कार्य कर रहे हैं, जिनकी वे कल्पना करते हैं तथा जिनमें जरा भी वास्तविकता नहीं है। हम सब का यह कर्तव्य है। हम अपने आपको संसद सदस्य कहते हैं; हम संसद सदस्य हैं तो निश्चित रूप से लोगों को वास्तविक स्थिति से अवगत कराना हमारा काम है न कि वे कार्य करना जिनसे अधिक उन्माद भड़के तथा जिससे कोई समस्या हल न हो।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

अत: महोदय, मैं नहीं समझता कि श्री शंकरानन्द के प्रस्ताव की यहां कोई जरूरत है। यह पूरी तरह से गुमराह करने वाली बात है और या तो वे इसे वापस लें या सभा इसे रद्द करे इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।

4.58 म०प०

[डा० तम्बि दुरै पीठासीन हुए]

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने श्री खुराना का भाषण, श्री कुन्दू का भाषण, माननीय श्री सोमनाथ चटर्जी का भाषण और श्री इन्द्रजीत गुप्त का भाषण बहुत ध्यान से सुना है।

हम पूरे देश में क्या दृश्य देख रहे हैं ? देश में हम जो कुछ दृश्य देख रहे हैं, वह सब क्या है ? पिछले तीन सप्ताह में हमने आत्मदाह देखे, पुलिस की गोली से मौतें देखीं, हमने स्कूल, महाविद्यालय और सड़कें बंद देखीं, हमने पंजाब और कश्मीर को जलते देखा अब हम साम्प्रदायिक भावनायें भड़कती देख रहे हैं जैसे कि अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने गोंडा और उदयपुर का उल्लेख किया है। आज यह सब नजारा हम देश में देख रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : हमने यह पहले भी देखा है।

श्री कमल नाथ : यह प्रस्ताव जो श्री शंकरानन्द ने पेश किया है, वह लोगों की आवाज को और उनके गुस्से को बयान करता है। एक ज्वालामुखी फटने जा रहा है और यदि हम इसे महसूस नहीं करेंगे तो यह ज्वालामुखी फट जाएगा और इस सरकार की नीतियों के छोटे-छोटे टुकड़े कर चकनाचूर कर देगा।

हमें याद रखना चाहिए—और शुरू में ही मैं इसे बहुत स्पष्ट कर देना चाहूंगा—कि हम पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का समर्थन कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में कोई भ्रांति नहीं होनी चाहिए। यह लगता है कि इस सम्बन्ध में सत्तारूढ़ दल के मन में कुछ भ्रांतियां हैं।

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : जी हां, जी हां हैं।

श्री कमलनाथ : जो कुछ कहा गया है, वह उनकी समझ के परे है। हम उन्हें दोष नहीं देते क्योंकि कई बातें उनकी समझ से परे हैं। जिस तरह से इसे लाया गया है, हम इसके विरोधी हैं। जब से प्रधान मंत्री ने 7 अगस्त को इसकी घोषणा की, तबसे वह जब भी लोगों के विभिन्न वर्गों से मिलते हैं, भिन्न-भिन्न बातें करते हैं। यह उनकी समस्या रही है और प्रधान मंत्री ने यह सब लोकप्रियता हासिल करने के बतौर किया है। हमारे लिए तो यह पिछड़े वर्गों के प्रति चिन्ता की बात है। यह वास्तविक रूप से चिन्ता का विषय है न कि लोकप्रियता बटोरने का उपाय है। पिछले 40 वर्षों से यह कांग्रेस पार्टी की नीति रही है और जो कुछ प्रधान मंत्री ने अभी स्वयं कहा है, मैं उन्हें वह याद दिलाऊंगा।

5.00 म० प०

महोदय, पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण देना कांग्रेस सरकार की नीति रही है और कांग्रेस पार्टी की तो पिछले 40 वर्ष से यह नीति रही है। इसमें कुछ भी नई बात नहीं है। दक्षिण राज्यों में

कांग्रेस पार्टी ने यह आरक्षण दिलवाया। परन्तु जिस ढंग से और जिस तरह से यह सब 7 अगस्त को किया गया, हम उसका विरोध करते हैं। जैसे श्री शंकरानन्द ने कहा है इससे देश में जातीय झगड़े शुरू हो गए हैं। हमें उन घटनाओं पर गौर करना चाहिए जो घटित हुयीं और जिनकी वजह से 7 अगस्त को यह घोषणा हुई। इतनी बल्दबाजी की क्या आवश्यकता थी। यह सरकार जोकि भारतीय जनता पार्टी, भारतीय साम्यवादी दल और भारतीय साम्यवादी दल (मार्क्सवादी) के समर्थन से चल रही है, जब उनसे परामर्श नहीं किया गया तो कांग्रेस पार्टी की क्या बिसात। हमसे तो कोई भी परामर्श नहीं किया गया। अब प्रधान मंत्री पिछड़े वर्गों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। कई वर्षों से उन्होंने कांग्रेस पार्टी के मसीहा बनने की भी कोशिश की। मैं उस बात पर सभा का ध्यान दिलाना चाहता हूं, जिसे कहे उन्हें ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी में थे, तो उन्होंने कहा था, "मुझे अपनी पार्टी पर नाज है। क्या सारे विश्व में ऐसी कोई पार्टी है जिसका ऐसा शानदार इतिहास रहा हो।" महोदय ये टिप्पणियां उन्होंने तब की थीं, जब वह कांग्रेस पार्टी के मसीहा थे। अब वह पिछड़े वर्गों के मसीहा बनने की कोशिश कर रहे हैं। यह तो केवल कांग्रेस पार्टी ही है, जो पिछड़े वर्गों की शुभचिन्तक है, और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह कौन सी टोपी पहनें भले ही वह जनता दल की हो लेकिन वह पिछड़े वर्गों के मसीहा नहीं बन सकते।

महोदय, यह प्रस्ताव प्रधान मंत्री की अदूरदर्शिता के बारे में है, वास्तव में यह उसी ओर संकेत करता है। जिन घटनाओं से देश की स्थिति इतनी शोचनीय हो गई है, वह उनकी इस अदूरदर्शिता के कारण ही है। क्या हम उनसे वास्तव में कुछ उम्मीद कर सकते हैं?···(व्यवधान) क्या हम वास्तव में सदन के नेता से, सत्तारूढ़ दल के नेता से, जिन्होंने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न वक्तव्य दिए हैं, किसी बात की उम्मीद कर सकते हैं? जब उन्होंने रक्षा मंत्री के पद से इस्तीफा दिया था, तो उन्होंने कहा था: "मैं कभी कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा"। तब उन्होंने कहा, "मैं किसी निर्वाचित पद पर नहीं आऊंगा।" फिर उन्होंने कहा था, "मैं प्रधान मन्त्री नहीं बनूंगा और यह कि "मैं विनाशकारी सिद्ध होऊंगा।" अपने प्रथम संवाददाता सम्मेलन में इस आशय के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने यह कहा था: "यह एक ऐसा खतरा या जोखिम है, जो देश को उठाना ही पड़ेगा।" अब हमें इस जोखिम को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि वे विनाशकारी सिद्ध होंगे और वे अब विनाशकारी सिद्ध हो चुके हैं···(व्यवधान)

हमें अपने आप से पूछना है कि देश में ऐसी स्थिति क्यों आई है। श्री समरेन्द्र कुन्डू, जो इस पर पहले बोले थे, ने उड़ीसा के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा है। उनके दल का रवैया क्या है, उड़ीसा में पिछड़े वर्गों के आरक्षण के लिए वहां पर कौन-सा दल सत्तारूढ़ है? उनमें यह कहने का साहस है कि आत्म-दाह के लिए छात्रों को उकसाया गया है और विद्यार्थियों पर किन्हीं और लोगों ने पेट्रोल या मिट्टी का तेल छिड़का है। मेरे विचार में, यह उन लोगों की भावनाओं के प्रति अपमान है, जिन्होंने विभ्रमित भावावेश में आत्मदाह करने का प्रयास किया। श्री समरेन्द्र कुन्डू, श्री खुराना और श्री सोमनाथ चटर्जी ने 2 अक्तूबर की घटना में कांग्रेस का हाथ बताया। महोदय, दिल्ली पुलिस ने कहा है कि हरियाणा से शस्त्रधारी लोगों को बुलाया गया था। हरियाणा में सत्तारूढ़ दल कौन सा है? अखबारों में चित्र छपे हैं···(व्यवधान) हरियाणा में सत्तारूढ़ दल कौन सा है? और कांग्रेस पर यह आरोप लगाया गया है। देश में कहीं भी कुछ भी हो रहा हो उन्हें केवल कांग्रेस का ही हाथ दिखाई देता है। यह सच है क्योंकि अगले चुनावों में वे केवल कांग्रेस का हाथ देखेंगे।

श्री खुराना ने—दुर्भाग्यवश, वे यहां नहीं हैं—अपने निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस द्वारा उकसाए

[श्री कमलनाथ]

जाने के बारे में कहा है। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि दिल्ली से केवल दो संसद सदस्य कांग्रेस के हैं। बाकी सभी संसद सदस्य भाजपा के हैं। वे दिल्ली के मुख्य मन्त्री बनना चाहते हैं। लेकिन यह एक अलग कहानी है। किन्तु जब वे अपने निर्वाचन क्षेत्र में जाते हैं, वह निर्वाचन क्षेत्र अपने आपको जिसका वे सर्वेसर्वा बताते हैं, और जहां के उनके अनुसार, सभी लोग उनके साथ हैं, तब वे मैदान में मुकाबले की बात करते हैं। हम उन्हें मैदान में मिलेंगे और देखेंगे कि वे मैदान में क्या कर रहे हैं। इस बार उनकी कमीज खींची गई थी। अगली बार उनकी पैंट उतारी जाएगी।

कांग्रेस पर जो यह आरोप लगातार लगाया जाता है, वह स्थिति की गम्भीरता को कम कर रहा है। जो स्थिति इस समय बाहर व्याप्त है, उससे हमारा ध्यान हटाने का ही यह प्रयास है।

हम कार्यान्वयन के उस तरीके की बात कर रहे हैं, जिसमें इसे लागू किया गया था। हम यह भी कहते हैं कि विद्यार्थियों को दिशा-भ्रमित किया जा सकता है। किन्तु सरकार के साथ अपना प्रचार-तन्त्र था। किन्तु पहले प्रधान मन्त्री ने यह रवैया अपनाया कि वह किसी के साथ बात नहीं करेंगे। इस घोषणा पर तुरन्त पूर्वानुमान कर लेना चाहिए था कि इससे कुछ गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और लोग गुमराह हो सकते हैं। मीडिया इसमें बहुत रचनात्मक भूमिका अदा कर सकता था। प्रधान मंत्री 9 अगस्त को ही या इसके एक सप्ताह बाद तक वार्ता शुरू कर सकते थे। जब स्थिति हाथ से बाहर हो गई, जब भावनाओं का ज्वार उफन आया, जब लोग सड़कों पर निकल आए, जब आत्मदाह हो रहे थे, तब उन्होंने विद्यार्थियों को वार्त्ता के लिए आमंत्रित किया; जिसे विद्यार्थियों ने नकार दिया। गोली चलाये जाने की घटना के बाद सरकारी मीडिया ने इसमें क्या भूमिका निभाई? पहले पन्द्रह दिन तक मीडिया इस बारे में बिलकुल निष्क्रिय रहा। सरकारी मीडिया के रूप में रेडियो और टेलीविजन विद्यार्थियों को यह बताते रहे कि उन्हें गुमराह किया जा रहा है और उनकी आशंकाएं गलत हैं। यह सरकार की पूर्णतः असफलता थी। अब जब स्थिति हाथ से निकल गई है तो प्रधानमंत्री ने विद्यार्थियों से बात करने का निर्णय लिया है। उन्होंने अपने दल के अध्यक्ष को यह कार्य सौंप दिया। उन्होंने एक बीच का रास्ता निकाल लिया और दल के अध्यक्ष को ही सारा मामला सौंप दिया। इस प्रकार यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई और देश के युवा-वर्ग के सामने बहुत बड़ी और गम्भीर समस्या आन पड़ी।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। किन्तु श्री सोमनाथ चटर्जी और इन्द्रजीत गुप्त ने जो कहा है उसकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दोनों ही बहुत वरिष्ठ संसद-विद हैं। मैं स्वयं उन्हें यहां ग्यारह वर्षों से देख रहा हूं। किन्तु, मेरे विचार में, जबसे प्रधान मंत्री ने उन्हें रात्रि-भोज पर आमंत्रित करना आरम्भ किया है, वे अपना विवेक और निर्णय लेने की क्षमता खो रहे हैं। मुझे इस बात का दुःख है कि सिर्फ इसलिए कि वे प्रधान मंत्री द्वारा रात्रि-भोज पर आमन्त्रित किए जाते हैं, वे उन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं और तब भी जबकि उनसे इसके बारे में कहा तक नहीं जाता। सी०पी०एम० कभी-कभी उस समय भी उछल-कूद मचाता है, जबकि सत्तारूढ़ दल को कोई आपत्ति नहीं होती है। यह प्रस्ताव लोगों की आवाज, गूंज और भावनायें दर्शाता है। मैं जानता हूं कि प्रधान मंत्री स्थगन प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं करेंगे। किन्तु उन्हें यह अवश्य याद रखना चाहिए कि जब वह वित्त मंत्री थे तो स्वयं उनकी पत्नी ने मूल्यों में वृद्धि के लिए उनकी आलोचना की थी। मुझे उम्मीद है कि यदि देश की इस स्थिति पर उन्हें मतदान करना होता, तो वे इस प्रस्ताव के पक्ष में मतदान करतीं। वह उनके विरोध में मतदान नहीं करतीं। मैं यह नहीं कह रहा कि वह अपने पति के विरोध में मतदान नहीं करेंगी, किन्तु वह इस सरकार के विरोध में अवश्य मतदान करेंगी। इसलिए मैं

इस सदन से निवेदन करता हूं कि वह अपने विवेक से यह समझें कि देश में क्या हो रहा है, यह देखें कि ज्वालामुखी किस प्रकार फटने वाला है और इस स्थगन प्रस्ताव का समर्थन करें।

श्री चित्त बसु (बारसाट) : श्री बी० शंकरानन्द द्वारा लाये गये स्थगन प्रस्ताव का विरोध करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस मुद्दे पर अपने विचार रखने से पहले मैं उन दुखद घटनाओं पर अपना आक्रोश और चिन्ता जताना चाहता हूं, जिनमें कई अमूल्य जानें गई हैं। हम उन दुखद घटनाओं की भी निंदा करते हैं, जिनके कारण देश के अनेक नवयुवकों तथा नवयुवतियों को आत्मदाह करना पड़ा। जब मैं उनके लिए दुख तथा शोक प्रकट कर रहा हूं, तो मेरे विचार में इस बारे में सारा सदन मेरे साथ है।

स्थगन प्रस्ताव के संबंध में मेरा विचार यह है कि मुद्दा मण्डल आयोग की रिपोर्ट के औचित्य अथवा अनौचित्य का नहीं है। हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम मण्डल आयोग की रिपोर्ट से सहमत हैं और अगर कोई आपत्ति हो तो वह केवल उसके लागू करने के ढंग के बारे में है।

मैं इस अवसर पर इस सदन के बाहर कुछ लोगों तथा यहां मौजूद कुछ लोगों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि संविधान में हमसे यह आशा की गई है कि हम सामाजिक तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लोगों को न्याय उपलब्ध कराएं। यह एक सांविधानिक प्रावधान है और इसकी अवहेलना नहीं कर सकते। मेरा कांग्रेस (इ) पर यह आरोप है कि उन्होंने पिछले बारह वर्षों में अपने सांविधिक उत्तरदायित्वों को पूरा नहीं किया। इसका उनके पास क्या स्पष्टीकरण है? कुछ लोग यह समझते हैं कि यह सत्ताइस प्रतिशत आरक्षण पिछड़े वर्गों के लिए एक प्रकार की रियायत है। मैं अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करना चाहूंगा कि यह आरक्षण हमारे देश के एक वर्ग के साथ सदियों से किये जा रहे अन्याय को कम करने की दिशा में एक कदम मात्र है। इस आरक्षण से यह सुनिश्चित करना है कि हमारे देश में कोई भी समुदाय, लोकतंत्र और प्रशासन की भागीदारी से वंचित न रह जाए। यह कोई रियायत नहीं है क्योंकि यह हमारे देश में जातिप्रथा के कारण पैदा हुई विषमता को दूर करने की दिशा में एक कदम है। कुछ वर्ग के लोगों का यह सोचना अनावश्यक है कि इससे जाति युद्ध फैलेगा, जैसा कि श्री वसंत साठे ने इस सभा में कहा है। जातियां हर जगह हैं। जातीय घृणा भी है। परन्तु इन निर्णयों के कारण जातीय घृणा स्वत: ही पैदा हो गई है। इसका तात्पर्य यह है कि समाज के एक विशेष वर्ग ने यह साबित किया है कि जातीय घृणा फैल रही है, और इसे समाप्त करना हम सब का कर्तव्य है।

मैं श्री शंकरानन्द का आभारी हूं कि उन्होंने कांग्रेस की स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया। जहां तक मैं समझता हूं, उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के पक्ष में हैं। क्या ऐसा ही है? उन्होंने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि मैं श्री हनुमनथप्पा, जो राज्य सभा में कांग्रेस (इ) के सदस्य हैं, के पत्र को उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष तथा विपक्ष के नेता को एक पत्र लिखा है। मैं उस पत्र में कुछ बातें उद्धृत करना चाहता हूं :

> "आम आदमी यह समझ रहा है कि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए आरक्षण चाहती है, लेकिन कांग्रेस और श्री राजीव गांधी इसके विरोधी हैं।"

श्री के० हनुमनथप्पा ने अपने पत्र में यही बात लिखी है। इसीलिये आपने यह शंका पैदा कर दी है। आपके दल के नेता ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण नहीं चाहती है, जबकि राष्ट्रीय मोर्चा सरकार इसके पक्ष में है। उन्होंने श्री राजीव गांधी को जिम्मेदार ठहराया है और हम सब इस बात के गवाह हैं कि उन्होंने तीन घण्टे से अधिक समय तक अड़चन डाल रखी थी। आपकी

[श्री चित्त बसु]

तरफ से अच्छी भावना पैदा की जानी चाहिए। मैं श्री शंकरानन्द का आभारी हूं कि उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह और उनकी पार्टी – मैं उनकी पार्टी के बारे में नहीं जानता परन्तु उनका कहना है कि वह मण्डल आयोग की रिपोर्ट के पक्ष में हैं। मैं आशा करता हूं कि आपकी पार्टी में उन्हें मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन के बारे में समझाया है।

प्रचार माध्यमों की भूमिका के आधार पर सरकार की आलोचना की गई है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि कुछ समय पहले मुझे दूरदर्शन ने मण्डल आयोग की रिपोर्ट के बारे में अपने विचार व्यक्त करने के लिए आमंत्रित किया था। वे मेरे पास आए और कहा कि मैं दो मिनट में अपनी पूरी बात कह दूं। वास्तव मे मैंने कहा कि यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में मुझे अपने विचार जनता के समक्ष खुलकर करने चाहिए। दो मिनट पच्चीस सैकिंड का समय मुझे दिया गया और फिर उन्होंने कहा कि मेरी बात पुन: रिकार्ड की जाएगी, क्योंकि मैंने पच्चीस सैकिंड का समय अधिक ले लिया था। क्या देश के महत्वपूर्ण प्रचार माध्यम जो कि लोगों को जानकारी देता है, का उपयोग करने का यही तरीका है? इसीलिए मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री इस पर गौर करें। यदि दूरदर्शन द्वारा विभिन्न दृष्टिकोण कुछ अधिक समय तक प्रसारित किये जाते, तो इससे क्या नुकसान हो जाता? इससे लोग समझ सकते थे कि सरकार की अधिसूचना और मण्डल आयोग की रिपोर्ट वास्तव में क्या है तथा इसके बारे में क्या किया जाना चाहिए तथा अब तक क्या नहीं किया गया है। बजाय इसके, मुझ जैसे व्यक्ति के प्रति, जो कि इस संसद का सदस्य है। ऐसा रवैया अपनाया गया था। आशा की जाती है कि पार्टी को उचित तरीके से अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करना चाहिए।

अन्त में मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आवेश में देश के छात्रों ने – मैं नहीं जानता कि ये कौन हैं और उनके नेता कौन हैं – कहा था कि वे सरकार तथा प्रधान मंत्री के साथ बातचीत के लिए तैयार नहीं हैं, जब तक कि उनकी कुछ शर्तें पूरी न कर दी जायें। मेरे विचार से उन्होंने आवेश में ही ऐसा कहा था। परन्तु, जैसा कि मैंने सर्वदलीय बैठक में पहले भी कहा है कि देश के युवक तथा युवतियों को जानकारी देना, समझना और उनमें विश्वास पैदा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। इसलिए मेरे विचार में बातचीत के लिए नया प्रयास किया जाना चाहिए। हमें उन लोगों को जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि हम अन्याय को समाप्त करना आवश्यक समझते हैं। हम यह नहीं देख सकते कि यह सामाजिक अन्याय और अधिक समय तक जारी रहे। और इस सामाजिक अन्याय को खत्म करने के लिए सामाजिक रवैये में परिवर्तन होना चाहिए। मुझे खेद है कि जो लोग आरक्षण विरोधी आंदोलन को भड़का रहे है उनमें से कई लोगों ने अपना सामाजिक रवैया नहीं बदला है। 'सामाजिक रवैये' से मेरा तात्पर्य यह है कि वस्तु-स्थिति बनाये रखने वाले रवैया बनाये रखने से इस वर्षों पुराने अन्याय को खत्म नहीं किया जा सकता। इस आरक्षण को एक रियायत के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे समाज के एक काफी बड़े भाग को प्रशासन में भागीदार बनाने, निर्णय लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनाने तथा देश का शासन चलाने में भागीदार बनाने हेतु, इसे एक अधिमान्य पक्षपात के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए। यह समाज के एक वर्ग को एक लाख केन्द्र सरकार की नौकरियों में से 27000 नौकरियां देने का ही प्रश्न नहीं है। यह सरकार से संबंध रखने का प्रश्न है, यह सहभागिता प्रजातंत्र से सम्बन्ध रखने की अनुभूति है, यह प्रशासन से संबंध रखने की अनुभूति है।

उस दृष्टिकोण से हमें यह कहना चाहिए कि अब समय आ गया है जब हमें उन लोगों के साथ न्याय करना होगा जो वर्षों से उपेक्षित हैं और मुझे आशा है कि श्री शंकरानन्द इस बात

को समझेंगे और सभा के अनुरोध पर अन्ना वह स्थगन प्रस्ताव वापस ले लेंगे, जिसका तात्पर्य सरकार की निन्दा करना है। इस विषय पर सरकार निन्दा की पात्र नहीं है। सरकार पूरी सभा के समर्थन की पात्र है, और केवल पूरी सभा के समर्थन की पात्र ही नहीं, अपितु बाहर सभी लोगों के समर्थन की पात्र है और मैं राष्ट्रीय मोर्चा सरकार से निवेदन करता हूं कि यहां संख्या का महत्व है, बाहर असंख्य लोग हैं जिनके विश्वास और समर्थन से आप सत्तारूढ़ हो सकते हैं या सत्ता में नहीं रह सकते। इसलिए, आप यहां सदस्यों की संख्या की बजाय बाहर अनगिनत लोगों पर विश्वास कर सकते हैं।

*श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : माननीय सभापति महोदय, मैं अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम की ओर से माननीय सदस्य श्री बी० शंकरानन्द द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव पर बोलूंगा।

यह आरक्षण का मुद्दा, जिसकी गिरफ्त में अब सारा देश है, उससे तमिलनाडु के लोग काफी पहले से पेरियार पेरारिगनार (प्रबुद्ध) अन्ना तथा पुराची थलैवर (क्रांतिकारी नेता) एम०जी०आर० के समय से भिज्ञ हैं।

यह मुद्दा 1927 से चल रहा है यहां तक कि मेरे जन्म के 2 वर्ष पूर्व से है। अब मेरी आयु 61 वर्ष है।

तमिलनाडु में, जहां पेरियार पेरारिगानार (प्रबुद्ध) अन्ना, जिन्होंने महात्मा गांधी के साथ समाज के दलितों को ऊपर उठाने में कार्य किया था, डा० एम० जी० आर० के समय से पिछड़े वर्गों के लिए 50% आरक्षण है। इसलिए आरक्षण का यह मुद्दा हमारे लिए नया नहीं है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु 1927 से आरक्षण के बारे में जानते हैं। इसलिए आरक्षण का यह प्रावधान हमारे लिए और अधिक उत्साहवर्धक है। 1927 से आरक्षण की इस तरह की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से हमें गर्व है कि हम आरक्षण की धारणा के अग्रदूत हैं।

महोदय, माननीय सदस्य श्री शंकरानन्द द्वारा लाया गया यह प्रस्ताव किसी राजनैतिक दल के विरुद्ध नहीं है। यह जनता दल या भारतीय जनता पार्टी अथवा भारतीय समाजवादी दल (मार्क्सवादी) के विरुद्ध नहीं है।

महोदय, चारों ओर हो रही रक्तरंजित घटनाओं की ओर देखिए। तेरह जानें जा चुकी हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मंत्रिमंडल में कुछ मंत्रियों ने अपने भाषणों द्वारा समाज को 'मण्डल-विरोधी तथा मण्डल के पक्ष में' बांटने की कोशिश की है। क्या यह बात सही थी? ऐसे भाषणों ने केवल देश को बांटा ही नहीं है, अपितु युवकों के मन को भी विषाक्त कर दिया है। यह युवकों के मस्तिष्क दूषित कर रहा है। इसी प्रकार युवकों के मन दूषित कर दिए गए हैं।

माननीय सदस्य, जो मेरे से ठीक पहले बोले हैं ने कहा है कि तमिलनाडु हिन्दी आंदोलन के समय ऐसे आत्मदाह से होने वाली घटनाएं बहुत सामान्य थीं। तमिल भाषा के सम्मान को बचाने के लिए, आम आदमी ने नहीं, पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने आत्मदाह करके अपनी जानें कुर्बान कर दी थीं। ऐसा एक उद्देश्य हेतु किया गया था। जब श्री अन्ना को इस बात से दुख पहुंचा तो उन्होंने आह्वान किया था कि 'मैं आंदोलन वापस लेता हूं।' आंदोलन तथा आत्मदाह से होने वाली मौतें तत्काल बन्द हो गईं। हमारी ऐसी परम्परा है।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतरण।

[श्री कावम्बुर एम०आर० जनार्दनन]

महोदय, 14 सितम्बर को, मेरे विचार में फैरारिगनार अन्ना की वर्षगांठ पर माननीय प्रधान मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह मद्रास आये थे और पेंटाफेस्ट में भाग लिया था। वह समारोह भारतीयसन, अम्बेडकर, पेरारिगानार अन्ना, पेरियार का जन्मदिन मनाने तथा मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने में मिली सफलता को मनाने के लिए आयोजित किया गया था। इसका आयोजन मुख्य मंत्री द्वारा राजनैतिक लाभ उठाने के लिए किया गया था।

मैं प्रधान मंत्री से निवेदन करता हूं कि जब उत्तरी भारत मण्डल आयोग की आग में जल रहा है तो आप इसका जश्न मनाने आए हैं। तमिलनाडु के मुख्य मंत्री के लिए यह सम्भव हो सकता है, परन्तु भारत के प्रधान मंत्री के लिए यह सम्भव नहीं होगा। यह मेरा विनम्र निवेदन है।

मैं ऐसा क्यों कहता हूं? इस वर्ष राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान एक सदस्य उनके अभिभाषण में हस्तक्षेप करने के लिए खड़े हुए और जोर से चिल्लाए कि मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने हेतु सरकार की मंशा का इस अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है। यह परम्परा है कि राष्ट्रपति का अभिभाषण बिना किसी व्यवधान से सुना जाना चाहिए। उस समय सरकार को मण्डल आयोग की सिफारिशें लागू करने के बारे में चिन्ता नहीं थी। परन्तु आज जब कश्मीर, पंजाब तथा असम में आग लगी हुई है, इसे आप अब लाए हैं। क्या यह उचित समय है? आपने देश को, आधार को तैयार नहीं किया। आपने संचार माध्यमों के द्वारा लोगों में जागृति पैदा नहीं की।

उदाहरण के तौर पर, मैं आपको बताता हूं। मैं एक पिछड़े निर्वाचन क्षेत्र से हूं। 1967 में इस निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कौन करते थे? एक हरिजन ईसाई थे, जिनका नाम जेवियर था। 1971 में एक साम्यवादी इसका प्रतिनिधित्व करते थे, जिनका नाम गुरुगनन्दन था और वह हिन्दू थे। 1976-77 में एक नाडार थे, जिनका नाम अरुणा था। 1984 से मैं यहां हूं। इससे यह साबित होता है कि तमिलनाडु जातियों तथा धर्मों से ऊपर है। ऐसा पेरियार तथा अन्ना द्वारा किए गए कठिन परिश्रम के कारण है।

इस चर्चा का उद्देश्य एक दूसरे पर दोष लगाना नहीं है। जब श्री इन्द्रजीत गुप्त बोल रहे थे तो वह अप्रत्यक्ष रूप से आप पर दोष लगा रहे थे। उन्होंने कहा था कि आपने इस हेतु देश को तैयार नहीं किया है। आपने आरक्षण को पचाने हेतु लोगों को तैयार नहीं किया है। आपने संचार माध्यमों द्वारा लोगों को इस बारे में शिक्षित नहीं किया। उनका यह दावा था। इस प्रकार उन्होंने सरकार को दोषी ठहराया।

आपकी सरकार में उच्च पदों पर वो ऐसे जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जिन्होंने एक जाति-युद्ध का आह्वान किया है जिससे धीरे-धीरे यह स्थिति पैदा हो गई है। अपने उत्तेजक भाषणों से उन्होंने युवाओं के मानस को चोट पहुंचाई है। लोगों, विशेष तौर पर गरीब बच्चों के माता-पिता ने पूछना आरम्भ कर दिया है कि उन्होंने किन लोगों को वोट दिए थे। उन्हें अपने मतदान के रुझान का 'पोस्ट मार्टम' करने की स्थिति में धकेल दिया गया है। इस तरह की स्थिति किसने पैदा की है?

मैं माननीय प्रधान मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। यह आंदोलन आखिर क्यों? आपने आंदोलन शुरू किया और इसे रोकने हेतु आपको प्रयास करने चाहिए। ऐसी स्थिति में आपने विद्यार्थियों के लिए अपील प्रसारित करना शुरू कर दी है। आपकी अपीलें वास्तव में हृदय को द्रवित करने वाली हैं। परन्तु अब तक आपने विद्यार्थियों के मानस को भी समझ लिया होगा। यदि आपने

विद्यार्थियों के मानस को समझा होता तो त्यागने के सिवाय आपके पास कोई रास्ता नहीं है। किसी और के लिए आपको नेतृत्व छोड़ देना चाहिए। प्रधान मंत्री के समक्ष यह पहला काम है। केवल इससे ही वर्तमान संकट हल होगा, जो देश के समक्ष है।

अन्त में, मैं अपने दल अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की मण्डल आयोग की सिफारिशों तथा गरीबों और दलितों के उत्थान हेतु उठाये जाने वाले अन्य कदमों के प्रति वचनबद्धता फिर दोहराता हूं।

[हिन्दी]

विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री हरि किशोर सिंह) : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने इस गम्भीर विषय पर बोलने के लिए अवसर दिया। मैं भाई शंकरानन्द जी का भी आभार मानता हूं कि उन्होंने इस गम्भीर मुद्दे को इस सदन के समक्ष रखा और सदन से यह आग्रह किया कि उनकी बातों को गम्भीरता से सुनें।

जहां तक सदन के अन्य सदस्य हैं, उनकी बातों को सुनने के लिए गम्भीरता से यहां बैठे हुए हैं, प्रधान मंत्री जी हैं, कैबिनेट के अधिकतर वरिष्ठ सदस्य यहां मौजूद हैं, लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ उनके स्वयं दल के नेता उनका भाषण सुनने के लिए यहां उपस्थित नहीं थे। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि उनका दल और उनके नेता इस विषय पर उनकी बातों को कितनी गम्भीरता से लेते हैं। मैं यह भी सोच रहा था कि क्यों कांग्रेस (आई) दल ने शंकरानन्द जी को इस काम के लिए चुना है? मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि अगर सामाजिक न्याय और पिछड़ा वर्ग लोगों को सामाजिक न्याय मिले, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको विशेष अवसर मिले और वे अपने दल के नेता की बात को कहना चाहें, जो सारे देश में कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तो शंकरानन्द जी उसके लिए उपयुक्त पात्र नहीं थे। मैं उनके विचारों को जानता हूं और मैं उनका आदर करता हूं। मैं यह भी सोच रहा था कि आखिर क्यों बार-बार शंकरानंद जी को ही सुना जाता है···(व्यवधान)···कुछ दिन पहले दूरदर्शन पर महाभारत और रामायण आ रही थी। उसमें जब भी देखा, जब एक राजा पर संकट आता था तो वह बार-बार भगवान शंकर को याद करता था। ऐसा लगता है कि कांग्रेस (आई) के दल के नेता भी चाहे बोफोर्स हो, चाहे मण्डल कमीशन की रिपोर्ट का हो, जब भी उन पर संकट आया, तो वे शंकरानंद जी को याद करते हैं। किस लिए याद करते हैं—जब ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट लेने के लिए याद करते हैं या जो गलत काम कर रहे हैं। इस देश में सामाजिक न्याय की प्रक्रिया चल रही है, उसमें उसके तरीके पर मतभेद हो सकता है, लेकिन सामाजिक न्याय लोगों को मिले, पिछड़े वर्ग को विशेष अवसर मिले। इसमें शंकरानंद जी के विचारों को अगर उनके नेता नहीं मानना चाहते हैं और उनको मुखौटा बना करके, मैं उस महाभारत के चरित्र का नाम नहीं लूंगा, क्योंकि मैं शंकरानंद जी के प्रति आदर की भावना रखता हूं, लेकिन उस तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए, उनको शिखण्डी नहीं बनाना चाहिए। मैं सोच रहा था कि क्यों बार-बार मण्डल कमीशन के संदर्भ में प्रधान मंत्री जी के इस्तीफे की मांग की चर्चा की जाती है। क्या इस देश में साधारण लोग, जो दूसरे परिवारों में पैदा हुए हैं, उनको देश का प्रधान मंत्री बनने का अधिकार नहीं है? क्यों बार-बार मण्डल कमीशन के नाम पर देश में हिंसा हो रही है, कौन भड़का रहा है, यह कौन कर रहा है? अरे भाई—क्या 1984 की घटना को आप भूल गए हैं? इसी दिल्ली शहर में जिस समय युवराज को गद्दी मिली थी, क्या नहीं हुआ था? मुझे याद है वह समय, तत्कालीन गृह मंत्री, श्री नरसिंह राव जी, जिनके लिए मुझे बहुत आदर है, तीन दिन के बाद टी० वी० पर कहा कि अब बहुत हो गया। इस शहर में नरसंहार तीन

[श्री हरि किशोर सिंह]

दिन क्या काफी नहीं था ? हजारों-लाखों लोगों की जानें गईं, कत्ले-आम हुआ, जिन्दा लोग जलाये गये, उस समय राजकुमार जिनको कि किसी तरह से गद्दीनशीन किया गया था, उस वक्त उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं सोची। आज सामाजिक न्याय की गाड़ी थोड़ी बढ़ रही है, खिसकनी शुरू हुई है, तो प्रधान मंत्री जी के इस्तीफे की मांग करते हैं। जैसा श्री इन्द्रजीत जी ने कहा, आज भी जलाने वाले वही लोग हैं, मैं भी उस परम्परा का पालन करना चाहता हूं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। कोई सुप्रीम कोर्ट के जज इंक्वायरी करें, इस देश के महाविधिवेत्ता इंक्वायरी करें, सांसद और राजनीतिक जीवन में रहने वाले लोग इसकी इंक्वायरी करें—शंकरपुर बस्ती के लोग मण्डल कमीशन की सिफारिश के विरुद्ध आंदोलन करेंगे, आगजनी करेंगे, ऐसा किसी के जहन में भी नहीं आ सकता है। जिसकी उल्टी खोपड़ी होगी, उसी के जेहन में आएगा। झुग्गी-झोंपड़ी वासी, जो रिसेटलमेंट कालोनी है वहां से लोग जा करके आगजनी करें, क्या वे लोग मण्डल कमीशन के खिलाफ हैं ? क्या वे मण्डल कमीशन की सिफारिशों को लागू करना नहीं चाहते हैं ? हम और आपसे वे इसको ज्यादा लागू करना चाहेंगे। ऐसा क्यों हो रहा है, यह स्पष्ट हो जाना चाहिए।

जब भी सामाजिक न्याय की प्रक्रिया थोड़ी तेज की जाती है तो क्यों इस तरह के कार्य होते हैं या इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है ?

आज जैसे कि खुराना जी के सुझाव पर प्रधान मंत्री जी ने मण्डल कमीशन पर विचार करने के लिए अपनी सहमति जाहिर की है, बातचीत करने की सहमति जाहिर की है। यह आज की बात नहीं है पहले भी उन्होंने कई बार इस पर बातचीत करने के लिए आह्वान किया है। जनतंत्र में अगर बातचीत करने की प्रक्रिया बन्द हो जायेगी तो जनतंत्र क्या रहेगा ? हुकुम सुनाने वाले या हुकुम बजाने वाले बहुत से लोग होते हैं लेकिन जनतांत्रिक प्रक्रिया को, उसको तरजीह देने के लिए, बातचीत के लिए जो आह्वान किया जाता है, न्यौता दिया जाता है, दूसरी ओर से कहा जाता है कि हम बातचीत नहीं करेंगे, तो फिर जनतंत्र कैसे चलेगा ? आज हम बातचीत कर रहे हैं, इससे हमें सहारा भी मिल रहा है, रास्ता भी निकल रहा है और मुझे विश्वास है कि आगे भी इसके लिए कोई न कोई रास्ता अवश्य ही निकलेगा और जो सामाजिक न्याय की प्रक्रिया चालू हुई है वह एक ठोस रूप लेगी। इसमें जो तनाव पैदा हो गया है वह तनाव दूर होगा।

मुझे अफसोस है कि हमारे कुछ बच्चे, भाइयों और परिवार के लोगों को कुछ गलत और सही धारणाओं से तकलीफ पहुंची है, उन्होंने अपने आपको जला दिया है उनके प्रति हमारी संवेदना है और आज सदन का यह परम कर्त्तव्य है कि एकमत से देश का आह्वान करें कि मण्डल कमीशन के संबंध में कोई तनाव और आंदोलन नहीं करेंगे और बातचीत के जरिये से ही इसमें फैसला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने आदरणीय मित्र माननीय सदस्य शंकरानंद जी से आग्रह करूंगा कि अगर मण्डल कमीशन की सामाजिक प्रक्रिया, सामाजिक न्याय की व्यवस्था की दिशा में एक छोटा कदम प्रधान मंत्री जी ने उठाया है तो उसका सम्मान करना चाहिए और अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अत्यंत संक्षेप में बोलें क्योंकि हम पहले ही यह तय कर चुके हैं कि यह वाद-विवाद 6 बजे तक समाप्त हो जाना चाहिए अत: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे सहयोग दें और अपनी बात केवल कुछ मिनटों में ही कहें।

प्रो० मधु दंडवते : मतदान ठीक 6 बजे होगा।

सभापति महोदय : इसीलिए मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वे अत्यंत संक्षेप में बोलें और मैं चाहता हूं कि सभा की यही भावना हो।

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : अनेक माननीय सदस्यगण बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि समय और बढ़ाया जाए ताकि सभी इच्छुक सदस्यों को बोलने की अनुमति दी जा सके।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

सभापति महोदय : अगर आप सब सहमत नहीं है तो मैं अनुरोध करता हूं कि माननीय सदस्यगण अपनी बात कहने के लिए एक या दो मिनट और ले लें क्योंकि प्रधान मंत्री को भी उत्तर देना है और उनके हस्तक्षेप के बाद श्री सी० सुब्रह्मण्यम को भी अन्त में उत्तर देना है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि सभी माननीय सदस्यगण अत्यन्त संक्षेप में बोलें और अपना सहयोग दें।

प्रो० मधु दण्डवते : आप और अधिक भाषणों द्वारा इस कार्य को क्यों बिगाड़ना चाहते हैं ? (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा) : अब सदन के सदस्यों के विचार आ चुके हैं, कृपा करके अब आप मंत्री जी की बात को सुन लीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम बोलना चाहते हैं। यही मुद्दा है। मैं सभा के नेता से अपील करता हूं··· (व्यवधान)

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सत्यपाल मलिक) : सभापति महोदय, इस विषय पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब इस तरफ से कोई नहीं बोलेगा। सिर्फ माननीय प्रधान मंत्री जी बोलेंगे। दूसरी तरफ से अगर कुछ और लोग बोलना चाहें तो उनके लिए आधा घंटा समय और बढ़ा दिया जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या हम आधा घंटा समय और बढ़ाएं ? ठीक है, हम आधा घंटा और बढ़ाते हैं। सभा आज 6.30 म० प० तक कार्य करेगी।

(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य : नहीं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री दाऊ दयाल जोशी : सदन के सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं, प्रधान मंत्री जी की स्पीच के बाद सारी बातें स्पष्ट की जाएंगी। मैं समझता हूं कि अब किसी प्रकार से भी समय बढ़ाना उचित नहीं होगा। कांग्रेस के भी सभी माननीय सदस्य बोल चुके हैं। (व्यवधान)

श्री सत्पाल मलिक : सभापति महोदय, थ्री लाइन व्हिप इशू किया गया है, मेम्बर्स सुबह से बैठे हुए हैं, इसलिए आधे घंटे से अधिक समय बढ़ाना उचित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री राम लाल राही (मिसरिख) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ आर्डर है। मेरा कहना यह है कि लिस्ट में मेरा नाम भी था, वह ठीक है कि माननीय शंकरानन्द जी ने इसको मूव किया है, लेकिन हम लोगों को भी अपने विचार रखने का अवसर दिया जाना चाहिए, इसलिए मेरी प्रार्थना है कि एक घंटा सदन का समय बढ़ाया जाए। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : समय न बढ़ाया जाए, 6 बजे वोटिंग करवा दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया मेरी बात सुनिए। आप अपने स्थानों पर बैठ जाइए। मैं यह कह रहा हूं कि संसदीय कार्य मंत्री के सुझाव के मुताबिक हम समय आधा घंटा और बढ़ायेंगे।

(व्यवधान)

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : सभापति महोदय, मुझे व्यवस्था सम्बन्धी एक प्रश्न करना है। उपाध्यक्ष महोदय यहां पर प्रतिनिधित्व कर रहे सभी राजनैतिक गुटों के लिए मिनटों के हिसाब से पहले ही समय आबंटित करने की घोषणा कर चुके हैं और इस समय का सही उपयोग किया गया है; अब एक वाद-विवाद के लिए समय सभा की आम सहमति से ही बढ़ाया जा सकता है। एक वाद-विवाद का समय बढ़ाया जा सकता है। अत: व्यवस्था संबंधी मेरा प्रश्न यह है : अब एक मिनट को भी व्यर्थ करने की क्या जरूरत है ? इसलिए, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वाद-विवाद का उत्तर देने के लिए प्रधान मंत्री को बुलाएं। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : सभापति महोदय, पहले हाउस में उपाध्यक्ष महोदय द्वारा अनाउंस किया गया था कि इस पर बहस 2 बजे से 6 बजे तक चलेगी, 6 बजे वोटिंग होगी, इस तरह से 4 घंटे का समय अनाउंस किया गया था। सदन में यह आश्वासन दिया गया था कि बहस 2 बजे शुरू होगी और 6 बजे समाप्त होगी। लेकिन अभी 4 घंटे का समय पूरा नहीं हुआ है। इसलिए हाउस का समय एक घंटा और बढ़ा दीजिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

5.45 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रधान मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, आपको याद होगा कि जब इस विषय के लिए समय निर्धारण पर विचार किया जा रहा था तो प्रारम्भ में सुझाव तीन से पांच घंटे का था। (व्यवधान) फिर विपक्ष की ओर से मांग की गई कि इसके लिए और अधिक समय चाहिए। तब अध्यक्षपीठ ने समय बढ़ाकर 2 बजे से 6 बजे कर दिया। अब विपक्ष की मांग है कि एक घंटे या अधिक समय और बढ़ाया जाए। दूसरे पक्ष की मांग है कि और अधिक अवधि न बढ़ाई जाए। अध्यक्षपीठ ने

आधा घंटा बढ़ाने के लिए कहा है। मेरे विचार से हम आधे घंटे की अवधि बढ़ाने पर सहमत हो सकते हैं। (व्यवधान)

श्री पी० आर० कुमारमंगलम (सलेम) : क्या मैं प्रधानमंत्री का ध्यान आकर्षित कर सकता हूं ? प्रधानमंत्री के शब्दों के अनुसार ही 2 बजे से 6 बजे तक चार घंटे हैं। कम से कम, हमें चार घंटे तो दीजिए। अन्यथा, स्थगन प्रस्ताव रखने का क्या उद्देश्य है। अगर इस सभा में भी हमें नहीं सुना जाएगा तो सभा से बाहर हमें कैसे सुना जाएगा। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने दोनों पक्षों की बातें सुनी हैं। हम इस बारे में यथा सम्भव दोनों पक्षों का सम्मान करने का प्रयास करेंगे।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा। अब श्री जगपाल सिंह बोलें।

[हिन्दी]

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : उपाध्यक्ष महोदय, आजादी के बाद जितना जातिवाद वैमनस्य इस सरकार के कार्यकाल में बढ़ा है उतना कभी नहीं बढ़ा।...(व्यवधान)...

श्री उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : किस प्रक्रिया का उल्लंघन हुआ है ? पहले ही समय बहुत कम है।

[हिन्दी]

श्री उदय प्रताप सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है कि जब पार्टीवाइज समय का बंटवारा कर चुके हैं और 30 मिनट के लिए हाउस बढ़ाया गया है तो इस 30 मिनट का भी पार्टीवाइज, ग्रुपवाइज बंटवारा करें। ये बोलते रहेंगे तो ठीक नहीं रहेगा। (व्यवधान)

श्री जगपाल सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, सात तारीख के बाद पूरे उत्तर भारत का प्रशासन ठप्प हो गया है। रेलें बन्द हो गयीं, बस सेवाएं बन्द हो गयीं, अन्य सेवायें बन्द हो गयीं, शिक्षा संस्थायें बन्द हो गयीं, यहां तक कि आरक्षण विरोधी विद्यार्थियों के द्वारा छोटा से आकाशवाणी केन्द्र का प्रशासन ठप्प कर दिया गया। यह सरकार आरक्षण विरोधियों का तमाशा देखती रही।

मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं और मेरी पार्टी के नेता राजीव गांधी आरक्षण के खिलाफ नहीं हैं। हम मण्डल कमीशन की सिफारिशों के पक्ष में हैं। 32 साल से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा है कि आरक्षण चाहे हरिजनों का हो, चाहे आरक्षण पिछड़े वर्गों का हो, कांग्रेस पार्टी ने कभी आरक्षण का विरोध नहीं किया और न ही आगे करेंगे। लेकिन जिस ढंग से इस सरकार ने मण्डल कमीशन की सिफारिशों को सदन में लागू करने के लिए रखा, उस तरीके का मैं विरोध करता हूं। श्री देवीलाल जी को उप-प्रधान मंत्री पद से हटाने के बाद प्रधान मंत्री जी के सामने एक संकट आया कि उनकी पार्टी के जो मौजूदा संसद सदस्य हैं उनमें पिछड़े वर्ग का बहुमत है। उनमें दो कैबिनेट मंत्रियों का दबाव पड़ा कि अगर आप अपनी कुर्सी बचाना चाहते हैं...(व्यवधान) और देवी लाल जी को आइसोलेट करना चाहते हैं तो मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू कर दो। इससे पिछड़े वर्ग के

[श्री जगपाल सिंह]

संसद सदस्य देवीलाल जी के साथ नहीं रहेंगे इसलिए मंडल कमीशन की सिफारिशों को सात तारीख को सदन में पेश किया गया और देवी लाल जी ने नौ तारीख को बोट क्लब पर किसानों की रैली बुलाई थी। आपका यह भी सोचना था कि मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के बाद देवी लाल जी की बोट क्लब पर रैली विफल हो जायेगी इसलिए प्रधान मंत्रीजी ने अपने सहयोगी दलों के विचार-विमर्श के बगैर ही और कांग्रेस पार्टी को छोड़कर पेश कर दिया। अपने को सरकार आम सहमति की कहती है और आम सहमति लिए बगैर ही मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर दी जिसका नतीजा यह हुआ कि उनके सहयोगी दस नौ तारीख के बाद मंडल कमीशन की सिफारिशों के खिलाफ छात्रों को भड़काने में लग गए।

दो तारीख की रैली में पूरी दिल्ली में बजरंग दल और शिव सेना···(व्यवधान) के लोग भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भगवे झंडे लगाकर घूमते रहे और नारे लगाते हुए तनाव पैदा कर दिया। क्या सरकार को यह मालूम नहीं है कि ट्रैम्पों में, ट्रकों में, बसों में डंडे, लाठियां, बल्लम, भाले लेकर ये तो आंदोलनकारी कहां से आए।···(व्यवधान) मेरा आरोप है कि देवी लाल जी ने इस सरकार के खिलाफ भारी मात्रा में हरियाणा से असामाजिक तत्व के लोग भेजे। मैं प्रधान मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि आपकी सहयोगी पार्टियां आपकी नीति का समर्थन नहीं करती हैं चाहे वह मामला नई औद्योगिक नीति का हो, राम जन्म भूमि का हो या बजट का हो। ऐसी पार्टियों का समर्थन क्यों ले रहे हैं। कुर्सी की खातिर आप इस मुल्क को इस तरह का सहयोग लेकर आग में झोंक रहे हैं। इस मुल्क के जो आंदोलनकारी हैं वे पन्द्रह प्रतिशत हैं और वे ही लोग सन् 47 के बाद 85 प्रतिशत इस देश की नौकरियों में काबिज हैं। उन 85 प्रतिशत लोगों को इस देश की नौकरियों में 4.7 प्रतिशत मिला है। कल को यह सवाल उठने लगेगा कि जो पन्द्रह प्रतिशत लोग हैं उनकी पापुलेशन के हिसाब से आरक्षण कर दिया जाए तो, तब आंदोलनकारी कहां जायेंगे।(व्यवधान) यह तो यही हुआ कि कोई सोया हुआ आदमी है और उसके घर में जगा हुआ आदमी कहने लगे कि मैं तुमको घर नहीं दूंगा। यही काम आंदोलनकारी कर रहे हैं। उपाध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक आदमी अपने को सन्त कहता था, पंजाब की धरती पर फैनेटिज्म, कम्युनलिज्म और खालिस्तान के नाम पर पैदा किया था जिसका अंजाम हम आज तक भुगत रहे हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री लाल कृष्ण आडवाणी महाराष्ट्र और गुजरात में अपनी यात्रा कर रहे है और हिन्दू नौजवान अपने त्रिशूल से अपने सिर का खून निकालकर उनके माथे पर खून का तिलक लगा रहे हैं··· (व्यवधान)। श्री आडवाणी जी ने कई बार कहा कि चाहे कुछ भी हो और हम मस्जिद तोड़कर मंदिर जरूर बनाएंगे।···(व्यवधान) मैं यह पूछना चाहता हूं कि अगर इस देश को हिन्दू राष्ट्र बनायें तो दूसरे तबके के लोग कहां जाएंगे।

अपने माथे पर तिलक करा रहे हैं, यह मुल्क को तोड़ने की साजिश है (व्यवधान) मैं खत्म कर रहा हूं। महाराष्ट्र से लेकर गुजरात तक में हिन्दुत्व का नारा लगाया गया, हिन्दू राष्ट्र का नारा लगाया गया, यह इस मुल्क के लिए खतरे की बात है। श्री आडवाणी जी को वहां पर त्रिशूल, फरसे, भाले और बल्लम इत्यादि पेश किये जा रहे हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो पार्टी आपकी बात को नहीं मानती कि बाबरी मस्जिद फैसले का हल बातचीत से निकले या जो कोर्ट के फैसले को नहीं मानती उस पार्टी को वे अपने साथ न लें। हम लोग राजीव जी के नेतृत्व में, कांग्रेस पार्टी के लोग यह वादा करते हैं कि आतंकवाद, साम्प्रदायिकता, संकीर्णतावाद जहां कहीं भी फैलेगा कांग्रेस पार्टी का एक-एक कार्यकर्ता इसका मुकाबला करेगा।

कुमारी मायावती (बिजनौर) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मण्डल कमीशन के सम्बन्ध में कांग्रेस पार्टी की ओर से स्थगन प्रस्ताव लाया गया है, इसका मैं विरोध करती हूं और इसके साथ ही आपकी मार्फत मैं पूरे सदन को यह बताना चाहती हूं कि 10 अगस्त, 1985 से लेकर 31 मई, 1990 तक बहुजन समाज पार्टी की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण कोटे को पूरा कराने के लिए, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को लागू कराने के लिए हमने लम्बे समय तक संघर्ष किया। बड़ी खुशी की बात है कि 7 अगस्त, 1990 को राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार ने पिछड़े वर्ग के हित के लिए मण्डल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनको कुछ लागू कराने के लिए फैसला लिया। उसका बहुजन समाज पार्टी तहेदिल से शुक्रिया अदा करती है। इसके साथ ही मैं पूरे सदन को यह बताना चाहती हूं कि जो संकीर्ण विचारधारा के लोग मण्डल कमीशन की जो सिफारिशें हैं उनका विरोध करते हैं कि आरक्षण का आधार जाति न होकर आर्थिक होना चाहिए और बहुत से संकीर्ण विचारधारा के लोग इस मुद्दे को भी लेकर विरोध कर रहे हैं कि इस देश के अन्दर आरक्षण के आधार पर जातिवाद को बढ़ावा मिल रहा है, ऐसे लोगों को मैं यह बताना चाहती हूं कि इस देश के अन्दर जातिवाद आज पैदा नहीं हुआ है बल्कि इस देश के अन्दर ब्राह्मणवादी व्यवस्था को बढ़ावा देने वाले लोगों ने बहुत पहले जातिवाद को बढ़ावा दिया है। यदि भारत के अंदर जातिवाद को बढ़ावा नहीं दिया होता तो बाबासाहेब अंबेडकर को दबे-कुचले लोगों के हित के लिए आरक्षण का सहारा नहीं लेना पड़ता। मैं यह बताना चाहती हूं कि आरक्षण ने जातिवाद को जन्म नहीं दिया है, बल्कि जातिवाद ने आरक्षण को जन्म दिया है।

मैं यह भी आपको बताना चाहती हूं कि आज देश के कोने-कोने में जो आरक्षण विरोधी आंदोलन चल रहा है उसके पीछे किसका हाथ है। मैं बहुत स्पष्टवादी हूं, मैं किसी की बुराई या सराहना नहीं करना चाहती, जो सही बात है वह बात सदन के सामने रखना चाहूंगी। जो मण्डल कमीशन की सिफारिशें हैं उनको लागू करने के विरोध में जो आंदोलन देश के कोने-कोने में छिड़ा हुआ है उसके पीछे सही बात तो यह है कि आंदोलन खुद नहीं हो रहा है, नौजवान और विद्यार्थी खुद सड़कों पर नहीं उतरे हैं, उसके पीछे किसी-न-किसी का हाथ है तो वह कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का है।

6.00 म० प०

ऐसा मैं क्यों बता रही हूं ? आपको मेरी बात सुननी चाहिए और इसे तसल्ली से सुनना चाहिए क्योंकि बी० जे० पी० की बातों से आज मुझे बाबासाहब डा० अम्बेडकर के भाषण याद आ रहे हैं। जब बाबासाहब ने भारत का संविधान तैयार किया था और उसे भारत के प्रथम राष्ट्रपति को सौंप रहे थे उस समय उन्होंने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना बढ़िया से बढ़िया क्यों न हो, कितना गरीबों और मजलूमों के हित में क्यों न हो, यदि संविधान को लागू करने वाले लोगों की नियत साफ नहीं है तो यह संविधान गरीब और मजलूम लोगों के हित में सही साबित नहीं हो सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय, अभी मुझ से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री मदन लाल खुराना अपनी पार्टी के मैनिफैस्टो की तारीफ कर रहे थे कि हमने अपने मैनिफैस्टो में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के संबंध में और आरक्षण के संबंध में उसके समर्थन में लम्बी-चौड़ी बातें लिखी हैं लेकिन सवाल तो उस मैनिफैस्टो को इम्प्लीमेंट करने का है न कि मैनिफैस्टो में रखने का है। आपको यह भी बताना चाहती हूं कि जब तक इस देश के अन्दर ब्राह्मणवादी संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोगों की नियत साफ नहीं होगी तब तक इस देश के अन्दर चाहे आप अपने मैनिफैस्टो में

[कुमारी मायावती]

बढ़िया से बढ़िया बातें लिख लो, उसमें गरीब और मजलूमों का हित नहीं हो सकता है। आज पूरे देश के सामने दो बड़ी गम्भीर समस्यायें हैं। एक तो पंजाब और दूसरे जम्मू-कश्मीर की समस्या पहले से है,लेकिन आज इस समय मौजूदा गम्भीर समस्या तो उन संकीर्ण विचारधारा के लोगों ने पैदा की है जो आरक्षण के विरोध में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देकर न केवल गरीब और मुसलमानों को बल्कि पूरे देश की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा अभी 30 अक्तूबर आने वाला है। राम जन्म भूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर एक तरफ तो हम साम्प्रदायिक हिंसा को खत्म करना चाहते हैं लेकिन दूसरी तरफ संकीर्ण विचारधारा रखने वाले लोग धर्मनिर्पेक्ष भारत में कोर्ट के फैसले का इन्तजार नहीं कर रहे हैं। यह बड़े दुख की बात है कि हम कोर्ट के फैसले का इन्तजार नहीं कर रहे हैं। इसलिए इस देश के अन्दर जो सबसे बड़ी अदालत है, जब तक उसका फैसला नहीं आ जाता तब तक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री आडवाणी जी मुट्ठीभर लोगों को साथ लेकर अयोध्या में राम के मन्दिर का निर्माण करने के नाम पर···(व्यवधान)···देश के अन्दर मुसलमान भी नागरिक हैं। वे सभी चाहते है कि उन्हें न्याय मिले···(व्यवधान)···यदि आप लोग कोर्ट के फैसले का इन्तजार नहीं कर सकते तो मैं दावे के साथ कहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुसलमानों···(व्यवधान) ···यदि आप लोग कोर्ट के फैसले को इग्नोर करते हो और मन्दिर का निर्माण करना चाहते हैं तो मुसलमान भी इस देश के अन्दर न्याय चाहते है और हम मुसलमानों के साथ हैं···(व्यवधान)···मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि मुसलमान भी अपनी मस्जिद···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप जल्दी समाप्त करें।

कुमारी मायावती : यदि भारतीय जनता पार्टी के लोग कोर्ट के फैसले का इन्तजार नहीं करते हैं तो मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को बताना चाहती हूं···

उपाध्यक्ष महोदय : आप समाप्त करें।

कुमारी मायावती : माननीय प्रधान मंत्री जी को बहुत दुख है और वे सोच रहे है कि क्या फैसला लिया जाए। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री बहुत दुखी है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा मैम्बर्स चुनकर क्या आ गए कि वे जनता दल पर हावी हो गए हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप समाप्त करें।

कुमारी मायावती : आज समाज के जो दलित लोग हैं, उनको आप न्याय नहीं देना चाहते हैं लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूं कि इस देश के अन्दर दबे-कुचले, पिछड़े वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों की संख्या 100 में से 85 के लगभग बनती है। यदि मुट्ठीभर ब्राह्मणवादी लोगों ने जिनकी आबादी इस देश के अन्दर 100 में से केवल 15 प्रतिशत है। जो महात्मा गांधी के उसूलों पर चलते हैं और अपने इस देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी, आप कृपया बैठ जाइए, अब खत्म करें।

कुमारी मायावती : आज 100 में से 85 प्रतिशत लोग बाबा साहब अम्बेडकर को रामास्वामी नायकर, साहू जी महाराज व महात्मा ज्योति फुले को मानने वाले लोग जब उठकर खड़े हो जाएंगे, तो मुट्ठीभर लोग देश के अन्दर मनमानी नहीं कर सकते। इसलिए मैं आज माननीय उपाध्यक्ष जी से

यह गुजारिश कर रही थी कि आप लोग यदि मेरी इस बात को कार्यवाही से निकालने की कोशिश करेंगे तो उससे आपका हित नहीं होगा और कार्यवाही से अगर आप निकालेंगे। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मायावती जी आप बैठ जाइए, आप इसके बाद नहीं बोलेंगी।

कुमारी मायावती : आप कार्यवाही में से निकाल दो, आप दूरदर्शन में आने से रोक दो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप दूसरे विषय पर जा रही हैं, आप समाप्त कीजिए।

कुमारी मायावती : मैं सदन से अनुरोध करती हूं कि गरीब लोगों की आवाज को न दबाया जाए, विरोधी लोगों के दबाव में आपको नहीं आना चाहिए। गरीब और मजलूमों के हित में आपने जो कदम उठाया है, सही दबाव उठाया है, पिछड़े वर्ग के लोगों को आरक्षण दिया है, इसी बात के साथ मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : उदय प्रताप सिंह जी, आप अपनी बात दो-तीन मिनट में बोलेंगे।

उदय प्रताप सिंह (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, यह बहस जिस प्रकार चल रही है; इस बहस के संदर्भ में मैं आपके माध्यम से सारे सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। आजादी की लड़ाई के समय जब महात्मा गांधी जी से कुछ लोगों ने यह कहा था कि यदि आप हरिजन उद्धार का अपना मुद्दा छोड़ दें तो हम आजादी की लड़ाई में आपको सहयोग देने की कोशिश करेंगे। गांधी जी ने कहा था – साफ शब्दों में कहा था, आज वही संदेश मैं पूरे सदन को देना चाहता हूं, सदन के माध्यम से देश को देना चाहता हूं कि जो गांधी जी ने रेखांकित किया था कि ऐसी आजादी जो हमें हरिजन उद्धार को रोककर मिलेगी, उसको हम चिमटे की नोक से भी नहीं छुएंगे। मान्यवर, अगर "हरिजन" और "यंग इंडिया" के पुराने अंक निकाल लिए जाएं और उन्हें पढ़ा जाए तो आज ये लोग जो गांधी जी का नाम ले-लेकर वोट लेते हैं और यहां आते हैं, वे लोग गांधी जी के फर्जी भक्त हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं कि "हरिजन" और "यंग इंडिया" में गांधी जी ने लिखा कि आजादी अपने आप में साध्य नहीं है, यह साधन है। आजादी के लिए गांधी जी ने कहा कि :

[अनुवाद]

"यह अपने अप में साध्य नहीं है यह एक महान साध्य प्राप्त करने का साधन है।" यह महान साध्य क्या था ? यह महान साध्य सामाजिक न्याय था।

[हिन्दी]

सामाजिक अन्याय जो था—विद्रूपता, विसंगतियां, गरीबी, उसे दूर करेंगे। तो मान्यवर मैं यह कहना चाहता हूं जो बहुत जरूरी है कि आज 40 साल तक जो आजादी का लक्ष्य था उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दिया गया, कोई विसंगतियां दूर नहीं की गईं, सामाजिक अन्याय के प्रति कोई आंदोलन नहीं किया गया। आज पहली बार अगर कोई छोटी-सी कोशिश की गई है तो उसकी शुरूआत में ही इतना यह जो दंगा हो रहा है यह सब करवाया जा रहा है उन्हीं लोगों के द्वारा जो गांधी जी का नाम लेते हैं। मैं यह कहता हूं कि "कुछ गर्द उड़ती ही है जब कारवां चलता है।" जब कोई बहुत बड़ी विसंगति, जब कोई बहुत बड़ा सामाजिक अन्याय दूर किया जाता है तो उन लोगों को तकलीफ होती है जो लोग उन सुविधाओं के आदी हो चुके हैं। मुझे दुख इस बात का है कि वह लोग स्वयं सामने नहीं आए, उन्होंने

[श्री उदय प्रताप सिंह]

छोटे-छोटे बच्चे सामने कर दिए और उन बच्चों को बहकाया गया। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि इस प्रकार के यह जो प्रस्ताव लाए जाते हैं, इनका केवल एक मकसद है कि किसी तरह से जो थोड़ी-बहुत हिंसा दब जाती है, किसी तरह से थोड़ी-बहुत शांति हो जाती है, उसको फिर एक बार भड़काया जाए, इसलिए ये प्रस्ताव आ जाते हैं। इनको आप देखिए। इसलिए मैं सदन से निवेदन करूंगा कि इन लोगों की बातों में न आएं और मान्यवर इससे अधिक इनका कोई लक्ष्य नहीं है, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब बोलेंगे और बहस समाप्त हो जाएगी। श्री डी०डी० खनोरिया।

(व्यवधान)

श्री भजन लाल (फरीदाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें भी अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलना चाहिए, हमारे पास भी कई ऐसे प्वाइंट्स हैं, जिन्हें हम रखना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री डी०डी० खनोरिया (कांगड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन के अन्दर कई माननीय सदस्यों ने आरक्षण के सवाल पर अपने-अपने विचार रखे। मैं समझता हूं कि सिवाय कांग्रेस पार्टी के किसी अन्य दल के माननीय सदस्य ने इस आरक्षण का विरोध नहीं किया है। आरक्षण को लेकर, जहां तक मेरा विचार है और मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी का ताल्लुक है, हम लोग किसी तरह के आरक्षण के विरोध में नहीं हैं, हम इसके पक्ष में हैं कि आरक्षण होना चाहिए, रिजर्वेशन होनी चाहिए। मगर चन्द एक बातें इस सम्बन्ध में हमारे सामने आ रही हैं, जिन पर सम्मीरता से विचार करना अति आवश्यक है। हम समझते हैं कि आज रिजर्वेशन उन लोगों के लिए होना चाहिए जो गरीब हैं। नौकरियां उन लोगों को मिलनी चाहिए जो गरीब हैं और जिन्हें जरूरत है। यदि कोई आदमी अमीर है, धन-दौलत वाला है, बड़ा उद्योगपति है, चाहे वह किसी भी जाति का हो, उनको किसी भी तरह का रिजर्वेशन दिये जाने का कोई मतलब नहीं होता है। हमारे देश में अनेक बड़े-बड़े जमींदार हैं, नौकरियों में आई०ए०एस० और आई०पी०एस० आफिसर्स हैं उन्हें रिजर्वेशन देने से हम इस देश के गरीबों का हित नहीं कर पायेंगे। मैं हिमाचल प्रदेश का उदाहरण आपके सामने रखना चाहता हूं जहां हमारी सरकार ने अन्त्योदय स्कीम को लागू किया है। अन्त्योदय की स्कीम को लागू करने से हमें यह पता चल गया है कि हिमाचल प्रदेश में कितने परिवार ऐसे हैं जो गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन-यापन कर रहे हैं। यदि उसी आधार पर हम सारे देश में रिजर्वेशन की नीति अपनायें, उसी तरह से सोचें तो सारे देश में हमें यह पता लग जाएगा कि कितने परिवार गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे हैं। इस देश से गरीबी को दूर करने का एक लक्ष्य होना चाहिए और उसी के आधार पर समाम योजनाएं बनायी जानी चाहिए। गरीबी के आधार पर हमें आरक्षण देने की व्यवस्था करनी चाहिए, नौकरियां देने की व्यवस्था करनी चाहिए। इस देश से गरीबी को हटाना हमारा पहला लक्ष्य होना चाहिए। हिमाचल प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री ने कहा है कि हम अपने यहां अन्त्योदय स्कीम को पूरी दृढ़ता से लागू करेंगे और हमने उसे लागू भी कर दिया है। इलैक्शन के दौरान हमने हिमाचल प्रदेश की जनता से जो वायदे किए थे कि सस्ते भावों पर आटा, चावल और नमक उपलब्ध करायेंगे। 15 अगस्त से हमने हिमाचल प्रदेश में उसे लागू कर दिया है और अन्त्योदय स्कीम के अन्तर्गत आने वाले परिवारों को वे चीजें मिल भी रही हैं। हिमाचल के गरीब लोगों को उसका फायदा पहुंच रहा है। इसमें जाति-पांति का कोई सवाल नहीं है। हमारी मान्यता है कि जन्म के आधार पर यहां रिजर्वेशन नहीं होना

चाहिए बल्कि कर्म के आधार पर रिजर्वेशन देने की आज ज्यादा आवश्यकता है। इस देश के गरीब व्यक्ति को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, गरीब की सहायता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो। हमारी मान्यता है कि अगर जाति-पांति को आगे लेकर हम कोई कदम उठाते हैं, रिजर्वेशन देते हैं तो वह किसी के हित में नहीं है··· (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य सदन में पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए इन्हें डिस्टर्ब न किया जाये, यह उनकी मेडन स्पीच है, आप लोग शांत रहिये।

(व्यवधान)

श्री डी०डी० खनोरिया : मैं आपको हिमाचल प्रदेश का उदाहरण देकर बताना चाहता हूं कि जाति-पांति के आधार पर रिजर्वेशन नहीं दिया जाना चाहिए बल्कि जो लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उनके लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की जानी चाहिए, उनकी गरीबी हटाये जाने के लिए योजनाएं बनाई जानी चाहिए, उन्हें ऊपर लाने के लिए काम होना चाहिए। इसके साथ-साथ जिस व्यक्ति को, जिस परिवार को एक बार आरक्षण का फायदा मिल चुका हो, उसे दोबारा आरक्षण का फायदा न मिलने पाये, इसकी भी पक्की व्यवस्था होनी चाहिए, किसी भी स्थिति में उसे आरक्षण का दोबारा फायदा न मिलने पाए। जितने बड़े-बड़े लोग इस देश में हैं, चाहे वे किसी भी जाति के हों, यदि वे आरक्षण कोटे के अन्तर्गत आते हैं तो उन्हें आरक्षण की लिस्ट से एकदम निकाल देना चाहिए। हम रिजर्वेशन दिये जाने के खिलाफ नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता दल की सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही है। हम सब इसके पक्ष में हैं और हम आगे भी साथ चलेंगे लेकिन हम इतना अवश्य चाहते हैं कि हमें सबसे पहले अपना ध्यान इस देश से गरीबी हटाओ के कार्यक्रम पर केन्द्रित करना चाहिए, इस देश से गरीबी हटाने के लिए कदम उठाने चाहिए, गरीबों की सहायता के लिए आरक्षण देना चाहिए, इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का समय दिया। (व्यवधान)

[अनुवाद]

प्रधान मन्त्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह) : महोदय, हम सब इस गहन वेदना के सहभागी हैं।

अनेक माननीय सदस्य : हिन्दी, हिन्दी।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह दोनों भाषाओं में बोल सकते हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : हां, मैं बोल सकता हूं लेकिन एक साथ आधा वाक्य हिन्दी और आधा अंग्रेजी में नहीं बोल सकता।

उपाध्यक्ष महोदय : अंग्रेजी में भाषण की मांग भी हो सकती है।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय निःसन्देह यह बात अत्यन्त वेदनापूर्ण है कि अनेक युवा जीवन समाप्त हो गए हैं। हम सब इस वेदना के सहभागी हैं और मैं इस सम्बन्ध में अपनी निजी वेदना भी प्रकट करता हूं।

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

6.16 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जिन माता-पिता के बच्चों का जीवन समाप्त हुआ है हम उनकी व्यथा जानते हैं। मैं इस बारे में किसी तर्क वितर्क में नहीं जाना चाहता। तर्क-वितर्क और वाद-विवाद चलते रहते हैं और अनेक माननीय सदस्यों ने यह बहुत अच्छी तरह किया है। लेकिन मैं एक अपील करना चाहता हूं और मैं समझता हूं कि इस मुद्दे पर मैं सभा की भावनाएं व्यक्त कर रहा हूं। मैं युवा पीढ़ी से अपील करता हूं कि वे जीवन समाप्त करने का अन्तिम बलिदान न करें। यदि उन्हें संघर्ष करना है या इसे जारी रखना है तो उन्हें अपना जीवन समाप्त करने की बजाय जीवित रहकर ही इसे जारी रखना है। एक लोकतांत्रिक प्रणाली में सहमति और असहमति होती है और अपना जीवन समाप्त करके एक वाद-विवाद को जारी नहीं रखा जा सकता। मैं इस मामले पर युवा पीढ़ी से अपील करना चाहता हूं।

हम अगली पीढ़ी पर गर्व कर सकते हैं कि उनमें काम पूरा करने, लक्ष्य प्राप्त करने और सहयोग करने की भावना है तथा वह हताश और निराश नहीं है। वैसे भी युवा पीढ़ी में जीवन के प्रति आशा होनी ही चाहिए।

साथ ही साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि हमने पुलिस को कड़ी हिदायतें दी थीं। गृह मंत्री जी ने उन्हें अधिक शक्ति प्रयोग न करने के अनुदेश दिए थे। केवल तब ही, जब जान की हानि का खतरा हो, उन्हें कार्यवाही करनी चाहिए, अन्यथा यदि माल का नुकसान हो, तो हम उसे बर्दाश्त कर लेंगे। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने ठीक ही कहा है कि माल के नुकसान को पूरा किया जा सकता है, लेकिन जान के नुकसान का नहीं। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि—जैसाकि 2 अक्तूबर को देखा गया, उन्होंने जितना संभव हुआ संयम बरता।

इस सभा में एक बात बहुत उत्साहवर्धक है। सरकार की जितनी भी आलोचना की गई, लेकिन विपक्ष के माननीय सदस्यों ने भी पहली बात जो कही···।

एक माननीय सदस्य : आपका यह कहने का क्या अर्थ है ?

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यदि आप मेरी बात सुनें तो आप जान जाएंगे कि मेरे कहने का क्या अर्थ है।

वे समाज में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का समर्थन करते हैं। जहां तक इस बारे में प्रावधानों का सम्बन्ध हैं, यह बहुत उत्साहवर्धक बात है, और इन सभी बातों के बावजूद इस सभा में आम सहमति है कि समाज के पिछड़े वर्गों को उचित स्थान और यहां तक कि नौकरियों में आरक्षण के लिए विशेष समर्थन दिया जाना चाहिए।

ऐसे अनेक मुद्दे उठाए गए हैं कि यह कैसे किया गया, क्या किया गया, लेकिन कम से कम इस मुद्दे पर विचारों में कोई भिन्नता नहीं है और यह कोई मामूली बात नहीं है। जब हमें सामाजिक, आर्थिक अथवा राजनीतिक ढांचे में कोई परिवर्तन करने का प्रयास करना होता है, तो यह सरकार के बारे में कोई विधान बनाने से अथवा सरकार बदलने से भी बड़ा कार्य होता है। किसी प्रणाली-विशेष में सरकार तो बदल सकती है लेकिन उस प्रणाली का अपने आप में परिवर्तन करना मुश्किल होता है। जब आप ढांचे को बदलने का प्रयास करते हैं तो यह अपने बचाव के लिए संघर्ष करता है।

जब पूरे सदन की यह राय है कि समाज के उपेक्षित वर्ग के लिए कुछ किया जाना है, तो दलितों और उन व्यक्तियों के लिए जिनका देश के काम-काज में कोई सहयोग नहीं लिया जाता है, बड़ी आशा की बात है। अत: इस विषय पर आज के वाद-विवाद में यह अत्यन्त उत्साहवर्धक बात है। मैं अपने सहयोगी दलों, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के इस सुझाव से सहमत हूं कि बातचीत शुरू की जाय। महोदय, जब पहली बार सर्वदलीय बैठक हुई थी, उस समय भी मैंने विद्यार्थियों से अपील की थी और इसे मैंने बाद में अनेक बार दोहराया है। बार्ता की बात अभी सिरे नहीं चढ़ी है, लेकिन मैंने आशा नहीं छोड़ी है। हम युवा पीढ़ी से आशा छोड़ भी नहीं सकते हैं। चाहे कुछ भी हो, हमें उनसे आशा है। जैसा कि हमारे सहयोगी दलों द्वारा सुझाव दिया गया है, हम बातचीत करने के लिए जोर देंगे, तथा कुलपतियों, विद्यार्थियों और अन्य व्यक्तियों को जिनके विद्यार्थियों और युवा वर्ग से घनिष्ठ संबंध हैं, उन्हें भी इस बातचीत में शामिल करने के लिए गंभीर प्रयास करेंगे।

इस पर सरकार पहले ही विचार कर चुकी है कि युवा वर्ग के प्रति हमारा क्या रवैया होना चाहिए। युवा पीढ़ी के समक्ष एक समस्या रोजगार की है। लेकिन केवल रोजगार प्राप्त करने वालों के रूप में हम सम्पूर्ण युवाओं की शक्ति का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, राष्ट्र के लिए त्याग करने की उनकी क्षमता का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, उनकी उस भावनात्मक शक्ति का अन्दाजा नहीं लगा सकते हैं जो राष्ट्र को परिवर्तित कर सकती है। हमने अभी तक इस पर दस्तक नहीं दी है, हमें इसे सामने लाना है। जब देश की एकता और सुरक्षा को खतरा पैदा होता है, तो यही युवा वर्ग बर्फीले पर्वतों को तथा जो भी कुछ बाधाएं उसके रास्ते में आती हैं, उन्हें पार करता हुआ अपना जीवन बलिदान करने के लिए तत्पर रहता है। शायद कोई गुमराह युवक खालिस्तान के लिए अपना जीवन बलिदान कर दे, लेकिन युवाओं में जो देशभक्ति की भावना है, उसे उजागर करने की आवश्यकता है; उनमें देशभक्ति की कोई कमी नहीं है। यदि कमी है तो वह हम में है कि हमने उन्हें अपेक्षित दिशा में नेतृत्व नहीं दिया। युवाओं में किसी बात की कमी नहीं है। मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि जब देश की एकता और सुरक्षा का सवाल होगा, तो वे पीछे नहीं रहेंगे। उन्हें राह दिखाना हमारा दायित्व है। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि यह युवाओं को शामिल कर इस दिशा में कदम उठाएगी, सरकारी अधिकारी ऐसी योजना की घोषणा नहीं करेंगे बल्कि इस वाद-विवाद में राष्ट्रीय युवा परिषद के माध्यम से युवाओं को शामिल किया जाएगा। वे अपने प्रस्ताव रखेंगे और हम उन पर कार्यवाही करेंगे।

रोजगार की समस्या एक मुख्य समस्या है। हमने बताया है कि औषधि विज्ञान, इंजीनियरिंग अथवा विभिन्न व्यवसायों के व्यक्तियों के लिए, इसी वर्ष के दौरान 120 करोड़ रुपये के ऋण देने की एक योजना बनाई गई है ताकि ऐसे लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकें। इसी प्रकार आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के युवाओं के लिए अन्य योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें उच्च शिक्षा के लिए ऋण देने का प्रावधान है, ताकि चाहे वे गरीब हों, उन्हें उच्च शिक्षा से लाभ प्राप्त हो सके।

इस वाद-विवाद में एक अन्य मुद्दा यह भी उठा है कि योग्यता का क्या होगा और उन व्यक्तियों का क्या होगा जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं? हमने इस पर भी विचार किया है। सरकार पेट्रोल पम्प, गैस एजेंसी, उर्वरक एजेंसी जैसी अनेक एजेंसियां आवंटित करती है। यह उन लोगों के पास हैं, जिनका कुछ प्रभाव है अथवा जिनके पास निर्णयों को प्रभावित करने के साधन हैं। हमने यह निर्णय लिया है कि यह लाभ उन योग्य युवाओं को दिया जाएगा, जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर हैं और इसके साथ योग्यता के लिए वस्तुनिष्ठ मानदंड भी होगा, जो अंकों के आधार पर अथवा अन्यथा होगा;

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

आर्थिक मानदंड आयकर आदि के आधार पर होगा; और वास्तव में इस मानदंडों के आधार पर क्षेत्रीय वितरण किया जाएगा। असम, कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात अथवा पूरे देश के युवा इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं जो सरकार द्वारा दी जाती हैं। इसके लिए बैंकों द्वारा ऋण दिया जाएगा। आखिरकार एक वर्ष में हम भारतीय प्रशासनिक सेवा में कितनी भर्ती कर सकते हैं? इसमें लगभग 150 अधिकारियों की ही भर्ती हो सकती है। यदि हम केन्द्र सरकार में श्रेणी-एक के पदों की बात करें, तो यह एक हजार से करीबन 200 कम या ज्यादा होगी। इस पद्धति से हम युवाओं को आत्म-निर्भर बना सकते हैं, जो दूसरों के अधीन न रहकर स्वयं अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। इसके साथ-साथ हम काम के अधिकार को लागू करने की पद्धति और व्यवहारिक तरीकों पर भी चर्चा कर रहे हैं। निश्चित रूप से इसे अपने पास उपलब्ध संसाधनों के अनुसार ही करना होगा, क्योंकि यदि संसाधन नहीं होंगे तो इसे कार्यान्वित करने का कोई लाभ नहीं है। इसके लिए कार्यवाही करना आवश्यक है जो हम कर रहे हैं और हम इसी दिशा में कदम उठाएंगे।

इस समय मैं कुछ ऐसे मुद्दे उठाना चाहता हूं जिन पर हमें और अधिक गहराई से विचार करना है। प्रशासनिक सेवाओं में शैक्षणिक योग्यताओं का मानदंड है। शिक्षा में योग्यता अथवा कुछ विषयों में विशेष योग्यता की बात होती है और वह एक विशेष व्यक्ति की अपनी योग्यता से संबंधित है। लेकिन हमारी शैक्षणिक व्यवस्था में जो कमियां हैं, वह हमारी प्रशासनिक व्यवस्था में भी झलकती है। एक व्यक्ति की निजी योग्यता से क्या होने वाला है? इससे कोई अन्तर नहीं पड़ता है कि कोई व्यक्ति विशेष कितना प्रबुद्ध है, बल्कि आम व्यक्तियों के साथ इसके व्यवहार के सन्दर्भ में उसकी परख होती है। यही हमारे प्रशासन की सामाजिक योग्यता कहलाती है, आज प्रशासन अथवा नौकरशाही के बारे में लोग क्या कहते हैं? यह आलोचना तो नहीं की जाती है कि वह प्रबुद्ध नहीं है या वह औसत वर्ग की है।

वर्तमान प्रशासन की आलोचना यह कह कर की जाती है कि इसे जनता की चिन्ता ही नहीं है। एक मां, मां होती है वह इसलिए नहीं कि वह बुद्धिजीवी है। एक मां इसलिए मां कहलाती है क्योंकि वह ख्याल रखती है तथा यही बात जनता प्रशासन में भी चाहती है और यदि ऐसा हो जाता है तब हमें पुनः यह निश्चित करना होगा कि प्रशासनिक क्षमता क्या होती है। हमें इसे समाज कल्याण से जोड़ना होगा। अतएव, जिन व्यक्तियों ने कठिनाइयां झेली हैं, तथा जिन्हें पीड़ा का एहसास है, यदि ऐसे व्यक्ति प्रशासन में हैं, तब ऐसे दलित वर्ग तथा कमजोर वर्ग से संबंधित व्यक्ति, जो अधिकारी तंत्र में है, वे अधिक उत्तरदायी होंगे।

अतः यह किसी के भी खिलाफ नहीं है, यह सत्ता के स्वरूप, अधिकारी तंत्र, वास्तविकता, भारतीय समाज तथा उन व्यक्तियों से संबंधित है जो दलित हैं तथा अपने अधिकारों से वंचित हैं।

अब एक बात यह कही गई है कि यह बात विभाजित करने वाली है तथा यह देश की एकता भावनात्मक एकता को विभाजित कर देगा। सम्भवतः समाचारपत्रों तथा संचार माध्यम से हम केवल इसके एक पक्ष को देख रहे हैं तथा हो सकता है कि यह सही हो, मैं इसे चुनौती नहीं दे रहा हूं अथवा इस पर प्रश्न नहीं कर रहा हूं। मैं आज तर्क-वितर्क करना नहीं चाहता। परन्तु, मैं आपको पिछड़ी जातियों के उन युवकों की एक कहानी बताना चाहता हूं जो मेरे पास आए थे। उनका हाल सुनकर मेरा हृदय व्यथित हो गया। उन्होंने कहा था, "महोदय, हम आन्दोलन नहीं कर रहे हैं अथवा इन सब गतिविधियों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम जानते हैं कि सरकार हमारे पक्ष में है परन्तु अब

युवाओं तथा छात्रों के सम्बन्ध में जिक्र किया जाता है तब हमें ऐसा प्रतीत होता है, जैसे कि हम युवा नहीं हैं हम छात्र नहीं हैं, हम इस भारतमाता की संतान नहीं हैं। जैसे कि हमारा कोई अस्तित्व ही न हो तथा जैसे कि हमारी प्रेरणाओं का कार्य सूची में कोई स्थान ही न हो।" उन्होंने कहा था कि जो थोड़ा-बहुत भी इस सरकार ने किया है, ऐसा लगता है कि सरकार ने यह सब किसी विदेशी को दिया है। क्या यह सब इसी भूमि की संतानों को नहीं दिया गया है? क्या कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो इन सब बातों को समझ सके? अतः जिन छात्रों तथा वर्गों को मंडल आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन से चोट पहुंची है अथवा समाज के पिछड़े वर्गों को कुछ दे दिए जाने पर ठेस पहुंची है, उन्हें यह नहीं समझना चाहिए कि यह सब उनके हिस्से में से दिया गया है, निश्चित रूप से कभी ऐसा किया गया हो परन्तु उन्हें इस रूप में इसे अधिक लेना चाहिए कि वे उनके अपने भाई-बन्धु हैं, उनकी अपनी बहिनें हैं तथा हमें भी उनके लिए कुछ करना है। अतएव, हमें इसे समझ-बूझ तथा स्नेह की भावना से लेना चाहिए। हमारा त्याग एक-दूसरे के हिस्से से काट-छांट करने की अपेक्षा अपने अधिकारों से वंचित भाइयों तथा बहिनों को समृद्ध करने के लिए होना चाहिए। मेरे विचार से इसी भावना से ही देश की एकता तथा सुरक्षा में और वृद्धि होगी जिससे अन्याय को दूर किया जा सके। इससे देश विभाजित नहीं होगा बल्कि इससे देश की एकता मजबूत होगी क्योंकि कोई भी परिवार इस बात से नहीं चलता है कि उसके प्रत्येक सदस्य को सम्पत्ति का कितना हिस्सा दिया गया है। अगर आप इसकी गणना करना आरम्भ करते हैं, तब यह विभाजित होना शुरू हो जाता है परन्तु कोई परिवार स्नेह तथा ईमानदारी की भावना से ही बना रहता है तथा यही ईमानदारी का तत्व है जो देश को एक करता है तथा हम इसी ईमानदारी, समानता के तत्व को लाना चाहते है।

एक प्रश्न किया गया है कि "ठीक है, आपको जाति का ध्यान दिलाया जाएगा तथा आपको जाति को याद रखना होगा तथा यही बात सम्पूर्ण देश के मानस को ठेस पहुंचाएगी। ठीक है, हमारे अपने घरों में जब कभी भी विवाह सम्बन्धी विषय उठता है, हमने जाति को कभी नहीं भुलाया है, कोई भी व्यक्ति जो अपनी जाति से बाहर विवाह करता है अथवा वे छात्र भी जो आंदोलन कर रहे हैं, यदि वे अपनी जाति से बाहर विवाह करेंगे, तो उन्हें अपने ही घरों में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। परन्तु यह इस मुद्दे से अलग विषय है। मैं उस संबंध में नहीं कहूंगा।

जिस प्रकार से सम्पूर्ण सत्ता अथवा अन्य बातों में वर्तमान सामाजिक व्यवस्था की भागीदारी होती है, उसमें कुछ सुधार करके हम इसे सामाजिक रूप से सभी के लिए समान बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः यह एक साधन हो सकता है, जाति प्रथा को तोड़ने का मंडल आयोग एक साधन हो सकता है तथा यदि वह प्रथा टूट जाती है, तब साधन को भी तोड़ा जा सकता है क्योंकि मैं आपको आश्वासन देता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि यह हमेशा के लिए होने जा रहा है। यह बात नहीं है। यदि ऐसा हमेशा के लिए होने जा रहा है, तब इसका अभिप्राय यह है कि अन्याय हमेशा किया जा रहा है। हम यही देखना चाहते हैं। परन्तु, यदि जाति प्रथा को कमजोर किया जाता है और यदि सामाजिक तथा आर्थिक व्यवस्था को और अधिक समान बनाया जाता है, तब इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी तथा मैंने कहा था कि अब अन्तिम बार यह किया जा रहा है। जब सभी को समान आवास, वस्त्र तथा भोजन समान रूप से मिलने लगेगा तभी आरक्षण की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। अतः जैसे-जैसे ये वर्ग ऊपर उठ जाते हैं तथा जैसा कि हमने कहा है कि हम दस वर्ष पश्चात् इसकी पुनरीक्षा करें तथा एक तरीका हो सकता है जिस पर हम विचार कर सकते हैं कि इसे किस प्रकार समाप्त किया जाए, ताकि एक और बेहतर सामाजिक व्यवस्था स्थापित हो सके। परन्तु आज कुछ देने से पूर्व ही यदि आप कहते हैं, "ठीक है, आप इतना अधिक व्यय कर रहे हैं" तो मैं समझता हूं कि उनका कुछ भी देने का इरादा नहीं है। उन्हें भी कुछ मिल जाने दीजिए। यदि हमने

[श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह]

उन्हें आवश्यकता से अधिक दे दिया है अथवा उन्होंने अत्यधिक ले लिया है, तब हम इस बारे में विचार कर सकते हैं। परन्तु आज उनके साथ यह न्याय किया जाना आवश्यक है।

एक बात, जो कि यह वर्तमान राष्ट्रीय मोर्चा सरकार लाना चाहती है, वह यह है कि राष्ट्रीय चर्चा में सामाजिक समानता के पहलू पर चर्चा की जानी चाहिए। इस पहलू पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हम केवल विकास की बात करते हैं। परन्तु जो राष्ट्रीय रूप से समानता लाने की जो भावना थी, वह अब समाप्त हो गई है तथा यदि आप इस बात पर ध्यान नहीं देंगे तब कोई भी व्यवस्था स्थिर नहीं हो सकती। एक दिन यह हम पर आघात करेगी तथा हमें ठेस पहुंचाएगी तथा हमें यह पता भी नहीं लगेगा कि हमें यहां ठेस पहुंची है तथा हमें यह आघात कैसे लगा। यह हमें ठेस पहुंचा रहा है। यदि हम विभिन्न उपलब्धियों को देखें, तब हम पायेंगे कि उनमें कहीं-न-कहीं पर कुछ असमानता बरती गई है जिसे हमने मानने से इन्कार किया है तथा जिसे हम सुधारना नहीं चाहते। आज हम जो विभिन्न उपलब्धियां देख रहे हैं, उनमें यही सब दिखाई पड़ता है।

अतएव, यदि मैं कह सकता हूं तथा यदि मेरे से पूछा जाए कि वर्तमान सरकार तथा इसके उद्देश्य को एक शब्द में बताया जाए तब मैं यही कहूंगा कि 'समानता' ही वह शब्द है तथा इससे हमारा पूरा कार्यक्रम जोड़ा जा सकता है। राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक, समानता आए तथा राजनैतिक समानता ही हमारा विकेन्द्रीकरण है तथा अन्तर्राज्यीय परिषद, संघीय स्वरूप, न्यायिक सुधार, दूरदर्शन तथा रेडियो के लिए स्वायत्तता की प्राप्ति ये सभी हमारे राजनैतिक समानता लाने के उपाय हैं। इसी के साथ-साथ आर्थिक समानता लाने के लिए हमारे उपाय ग्रामीण क्षेत्रों को दिए जाने वाले संसाधनों के पचास प्रतिशत हैं तथा प्रबन्ध में मजदूरों की भागीदारी, कृषि पर आधारित उद्योगों के प्रति हमारी वचनबद्धता, लघु, कुटीर उद्योग इत्यादि ये सब आर्थिक समानता लाने के विभिन्न उपाय हैं, जिनकी तरफ हम ध्यान दे रहे हैं।

सामाजिक समानता के सम्बन्ध में शहरी अधिकतम भूमि सीमा और विभिन्न सुधार आदि हैं। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा हूं। मैं आपको केवल एक शब्द बता रहा हूं। ये सभी कोई असंगत कार्यक्रम नहीं हैं। सामाजिक समानता बनाते हुए निश्चित रूप से हमने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण बढ़ाया है। तत्पश्चात् अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग, महिलाओं के लिए आयोग तथा पिछड़ी जातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आयोग इत्यादि भी हैं। मैं स्वीकार करता हूं कि मंडल आयोग की लागू की जा रही सिफारिशों का यह एक छोटा-सा हिस्सा है।

शंकरानन्द जी, मैं बहुत ही खुश होता यदि आपने दल के साथ आपने यह कहकर मेरी आलोचना की होती कि यह मंडल आयोग का बहुत ही छोटा भाग है और हमें इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आपमें यह कहने का साहस नहीं है। आपका प्रस्ताव बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पता नहीं चलता है कि आप क्या कहना चाहते थे। (व्यवधान)

हम सामाजिक समानता चाहते हैं और बाबासाहब भीमराव अम्बेडकर की स्मृति में हमने यह कदम उठाए हैं। महान पेरियार जी, डा० लोहिया, चौधरी चरण सिंह जी के सपने इससे पूरे हो पाए हैं। (व्यवधान)

जी हां, वे इसके लिए डटे रहे··· (व्यवधान)

वे मंडल आयोग के लिए डटे रहे। (व्यवधान) अब बार-बार विपक्ष द्वारा मेरे त्यागपत्र की मांग की जाती रही है। मैं समझता हूं कि प्रत्येक वाद-विवाद का यह पहला वाक्य बन गया है। क्या मैं यह कह सकता हूं कि राष्ट्रीय मोर्चे के प्रति वचनबद्धता से आप मुझसे त्यागपत्र नहीं ले सकते हैं···(व्यवधान)

श्री बी० शंकरानन्द : आपके साथी इसकी मांग कर रहे हैं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : यह व्यक्तिगत नहीं है। मैं जानता हूं कि यह व्यक्तिगत नहीं है। (व्यवधान) ठीक है, यह व्यक्तिगत है। आप इस बात को अलग रखिए। (व्यवधान) मैं इन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। जब मैं वित्त मंत्रालय में था, मैंने इस पद्धति में सुधार लाने की कोशिश की थी। मैं जानता हूं इन लोगों ने क्या किया। जब कोई भी व्यक्ति इस पद्धति में सुधार लाने की कोशिश करता है, मैं जानता हूं क्या होगा और जो लोग इससे लाभ उठा रहे हैं वे प्रतिक्रिया व्यक्त करेंगे। यह कोई नई बात नहीं है। जब हम इस दिशा में कोई साहसपूर्ण कदम उठाने की कोशिश करते हैं तो हमें इस दिशा में कोई भी परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना चाहिए और हम यह स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। साथ ही माननीय सदस्यों को परामर्श देने के लिए तथा यह कहने के लिए कि पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया जाना चाहिए मैं धन्यवाद देता हूं।

श्री बी० शंकरानन्द : हम जानते हैं कि प्रत्येक दल के संसद सदस्य और माननीय मंत्रियों ने कुछ जातियों को पिछड़े वर्ग में सम्मिलित किए जाने का प्रतिवेदन दिया है। क्या वे इन बातों को स्वीकार करेंगे ?···(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन (मवेलीकारा) : मुझे सिर्फ एक निवेदन करना है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया शान्त हो जाइए। मैं उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं। वे एक निवेदन करना चाहते हैं।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं नहीं समझता हूं कि हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसकी महत्ता का इस सभा में कोई भी खंडन करेगा···(व्यवधान)···हमारे अनेक युवा मारे गए हैं। यह एक गम्भीर मुद्दा है। आपके पास इसकी एक लम्बी सूची है। महोदय, आपके माध्यम से सभा की बैठक का समय बढ़ाये जाने में दूसरे पक्ष के सदस्यों से सहयोग देने का मैं अनुरोध करूंगा।

अनेक माननीय सदस्य : नहीं।

प्रो० पी० जे० कुरियन : प्रसार भारती विधेयक पारित करने के लिए हम इस सभा में 10.30 बजे, म० प० तक बैठे हैं। आज हम सभा में देर तक क्यों नहीं बैठ सकते हैं ?···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुरियन जी, मैंने आपकी बात सुन ली। आप कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : पंजाब विधेयक पारित कराने के लिए आज वे हमारा सहयोग चाहते हैं और हमने सहयोग भी दिया। (व्यवधान) क्या आप इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर सदस्यों को बोलने की अनुमति नहीं देंगे ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको याद होगा कि सुबह मैंने स्वयं 6 बजे म० प० का समय निर्धारित किया था। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय ने आधे घंटे के लिए समय को बढ़ा दिया और उन्होंने एक अच्छा कार्य किया है। मुख्य बात यह है कि प्रधान मंत्री जी के हस्तक्षेप के पश्चात् मैं समझता हूं कि प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले को जवाब देने के लिए बुलाना उचित होगा···

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपका विनिर्णय क्या है ? (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस पर विनिर्णय का कोई प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे आपके मुख्य व्हीप की बात सुन लेने दीजिए। कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये।

(व्यवधान)

प्रो० पी० जे० कुरियन : हम 7.30 म० प० के बाद 10.30 बजे रात तक और उसके बाद भी कई बार देर तक बैठे हैं। (व्यवधान) यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमारे अनेक माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि समय बढ़ाया जाए ताकि हमारे जो भी सदस्य बोलना चाहते हैं, उन्हें बोलने का अवसर दिया जा सके। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इस सभा में एक आम सहमति होनी चाहिए।

प्रो० पी० जे० कुरियन : मैं अनुरोध करता हूं कि सभा का समय बढ़ाया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहूंगा कि समय बढ़ाने के लिए एक आम सहमति होनी चाहिए। समय बढ़ाये बिना कैसे हम यह कर सकते हैं ?

[हिन्दी]

श्री भजन लाल : अध्यक्ष महोदय, दो बजे इस विषय को लेना था और छः बजे इसको समाप्त करना था। लेकिन 3 बजे इसे लिया गया और 7 बजे खत्म करना चाहिए था। उपाध्यक्ष महोदय ने 30 मिनट का समय बढ़ाया था, इसलिए इस विषय को 7.30 बजे तक खत्म करना चाहिए। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी।

प्रो० पी० जे० कुरियन : आपका विनिर्णय क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : विनिर्णय का कोई प्रश्न ही नहीं है।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम उनकी उत्सुकता समझ सकते हैं।···(व्यवधान) आधे घंटे के लिए समय बढ़ाया जा सकता है।

प्रो० पी० जे० कुरियन : नहीं, महोदय, यदि आप समय नहीं बढ़ा रहे हैं तो हम बाहर जा रहे हैं।

इस समय प्रो० पी० जे० कुरियन और कुछ अन्य सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य आप खड़े क्यों हैं ? बैठ जाइये।

[अनुवाद]

कृपया अपनी जगह पर बैठ जाइये। मैं चाहता हूं श्री बी० शंकरानन्द जी वाद-विवाद का जवाब दें। लेकिन वे यहां नहीं हैं।

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। हम बाहर नहीं गए हैं। हम यहां उपस्थित हैं। हम सहयोग कर रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बताइए, आपका प्वाइंट क्या है ?

[अनुवाद]

यदि माननीय प्रधान मंत्री महोदय आपके प्रश्न का जवाब देना चाहते हैं तो मैं आपको अनुमति देने के लिए तैयार हूं। मैं नहीं जानता हूं कि प्रश्न क्या है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे सही प्रक्रिया का पालन करने दें। इसके पहले यदि आप एक प्रश्न करना चाहते हैं तो आप प्रश्न कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : अध्यक्ष महोदय, आपकी रूलिंग है कि छः बजे वोटिंग होगी··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : एक बजे की बजाय हमने 1.45 पर एडजर्न किया था।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, इतनी अधिक संख्या में लोगों की मृत्यु से हमें गहरा

[श्री जी० एम० बनातवाला]

दुख है और हम सभी इस पर अपनी वेदना और दुःख प्रकट करते हैं लेकिन मैं माननीय प्रधान मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस पूरे विवाद में मुसलमानों को, अल्पसंख्यकों को पूर्णतः भुला दिया गया है। यह आवश्यक है ···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखिए। यह क्या हो रहा है ? वह एक प्रश्न पूछ रहे हैं···

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सवाल पूछने की इजाजत दी है, आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री जी०एम० बनातवाला : इसलिए मैं सभी विस्तृत आंकड़े देने में सभा का समय बर्बाद नहीं करूंगा। लेकिन आज यदि किसी वर्ग को आरक्षण की सबसे अधिक आवश्यकता है तो वह भारत के मुसलमानों को है।···(व्यवधान) लेकिन महोदय, मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को उसी रूप में कोई आरक्षण नहीं दिया गया है···(व्यवधान)···हमने अनेक बार सरकार का ध्यान इस मामले की ओर दिलाया है और हमने मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण की मांग को बार-बार दोहराया है। हमने बार-बार इस मामले को दोहराया है और उठाया है। लेकिन, दुर्भाग्यवश यह अन्याय जारी है। आप समानता की बात करते हैं फिर हमें वह समानता क्यों नहीं दी जा रही है ?

अध्यक्ष महोदय : बनातवाला जी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री जी० एम० बनातवाला : महोदय, मैं सभा का समय नष्ट नहीं करूंगा। मैंने वाद-विवाद में भी भाग नहीं लिया था। इस बात को भी ध्यान में रखा जाए। मैंने इतना सहयोग किया है। मैंने सदन से बहिर्गमन भी नहीं किया। मैं यहां उचित और लाभप्रद चर्चा चाहता हूं। महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी समानता की बात करते हैं। लेकिन हम मुसलमानों को यह समानता का अधिकार क्यों नहीं दिया गया है ? यही मेरा प्रश्न है। अब हमें बताया गया है कि कथित पिछड़ी जातियों में मुसलमान भी शामिल हैं। लेकिन मुसलमानों के साथ यह धोखा किया गया है (व्यवधान) इन वर्षों में राज्यों में मुसलमानों को पिछड़ी जातियों में शामिल किया गया था लेकिन इससे उनकी स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। इसलिए, कम से कम आप यह नहीं कहें कि जब सभी दल सहमत होंगें तो आप आवश्यक आरक्षण करेंगे। पर आपने सभी दलों के समर्थन की प्रतीक्षा किए बिना ही पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण कर दिया है तो आप मुसलमानों के साथ न्याय करने के लिए वैसा ही कदम क्यों नहीं उठा रहे हैं ? महोदय मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से मुस्लिम समुदाय के लिए स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं। यदि उस ओर से कोई उत्तर नहीं मिलता है तो मुझे सदन से बहिर्गमन करना पड़ेगा।

अध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य, श्री शंकरानन्द, यहां उपस्थित नहीं हैं। माननीय प्रधान मंत्री जी।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : महोदय, मंडल आयोग ने स्वयं ही उन व्यक्तियों का पता लगाया है जो सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हैं। मंडल आयोग के बारे में एक भ्रम यह है

कि इसमें आर्थिक पहलू को शामिल नहीं किया गया है। इसमें चार तथ्य शामिल किए गए हैं : जिनकी परिसंपत्तियां राज्य औसत से 25 प्रतिशत कम हैं; जो व्यक्ति राज्य औसत से 25 प्रतिशत अधिक परिसम्पत्ति वाले हैं और कच्चे तथा मिट्टी से बने घरों में रहते हैं; और जो शारीरिक श्रम से अपना निर्वाह करते हैं। इन सभी आर्थिक तथ्यों पर मंडल आयोग की रिपोर्ट में एक शीर्षक के अन्तर्गत विचार किया गया है।

7.0ʋ म०प०

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : यह संसद सदस्यों को भी नहीं दिए गए हैं !

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वह ऐसा प्रत्येक राज्य में कर रहे हैं। इस मानदंड के अन्तर्गत मंडल आयोग ने मुसलमानों को भी आरक्षण के योग्य माना है।

श्री जी० एम० बनातवाला : लेकिन फिर भी वही स्थिति है। यह समस्या का समाधान नहीं है। (व्यवधान)

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह : वास्तव में, मंडल आयोग के माध्यम से मुस्लिम समुदाय के विभिन्न वर्गों को लाभ प्राप्त हुआ है। पहली बार मंडल आयोग में यह लाभ दिया गया है। आपने जो प्रश्न पूछा है, उसमें तत्काल कुछ नहीं कहा जा सकता है और आप द्वारा उठाए गए प्रश्न के संबंध में निश्चित रूप से मतैक्य बनाना होगा।

श्री जी० एम० बनातवाला : आप इस पर मतैक्य की बात कर रहे हैं और अन्य मामलों पर आपने मतैक्य को नकार दिया है।

महोदय, मैं सदन से बाहर जा रहा हूं। मुझको संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है।

7.02 म०प०

तत्पश्चात् श्री जी० एम० बनातवाला सभा-भवन से बाहर चले गए।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि संकल्प प्रस्तुत करने वाले सदस्य श्री शंकरानन्द जी, उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं···

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, विपक्ष की यह लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही है कि वह इस महत्त्वपूर्ण मामले पर स्थगन प्रस्ताव लेकर आए हैं लेकिन उत्तर देने के लिए यहां उपस्थित नहीं हैं (व्यवधान) महोदय, मैं इसका कारण जानता हूं। उन्हें सभा-भवन से बहिर्गमन करना ही पड़ा क्योंकि श्री शंकरानन्द जी वाद-विवाद का उत्तर नहीं दे सकते थे। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : आपने प्रधान मंत्री जी के बाद उनका नाम लिया, वह खड़े हुए और एक वाक्य उन्होंने बोला, उसके बाद वह बैठ गए। उन्होंने जवाब दे दिया इसलिए वोटिंग होगी।··· (व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह विपक्ष का तमाशा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रस्ताव को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि सभा अब स्थगित होती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

7.04 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा ने 4 अक्तूबर, 1990 को हुई अपनी बैठक में भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के उपबंधों के अनुसार संविधान (76वां संशोधन) विधेयक, 1990 को बिना किसी संशोधन के पारित कर दिया है जिसे लोक सभा में 4 अक्तूबर, 1990 को हुई अपनी बैठक में पारित किया था।"

अध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर चर्चा करेंगे।

7.05 म० प०

नियम 377 के अधीन मामले

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

(एक) गांवों में न्यूनतम नागरिक सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को अनुदेश दिए जाने की मांग

श्री मान्धाता सिंह (लखनऊ) : महोदय, विश्व बैंक द्वारा देश में बड़े नगरों में नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मंजूर किए गए प्रस्तावित 200 करोड़ रुपये के ऋण के संदर्भ में यह आवश्यक हो जाता है कि हम गांवों की दयनीय दशा की ओर सरकार का ध्यान दिलाएं। ऐसे गांवों को सभी शहरों के नगर निगमों के विस्तारित क्षेत्रों में लगभग दो दशक पहले शामिल किया गया था जिन्हें शहरी और ग्रामीण दोनों की विकास एजेन्सियों ने अभी तक न्यूनतम सुविधाएं भी प्रदान नहीं की हैं। उत्तर प्रदेश में अकेले लखनऊ में वर्ष 1967 में एक सौ से अधिक गांवों को नगर निगम में

शामिल किया गया था और तब से ग्रामीण विकास एजेंसियों के पास संसाधनों की कमी की वजह से पेयजल, प्राथमिक स्कूलों, अस्पतालों और सड़कों की मरम्मत जैसी न्यूनतम नागरिक सुविधायें भी उपलब्ध नहीं कराई गई है। इसलिए शहरी एजेंसियों पर बोझ बढ़ गया है। यह एक दिलचस्प स्थिति है और किन्हीं स्पष्ट मार्गनिर्देशों के न होने पर लाखों लोग दुखी हैं। अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह विभिन्न राज्यों के सम्बन्धित अधिकारियों को तुरन्त अनुदेश दे कि जिन निर्दोष नागरिकों को आवश्यक नागरिक सुविधायें उपलब्ध नहीं कराई जा रही हैं उन्हें वे ऐसी सुविधायें तत्काल उपलब्ध करायें।

(दो) जेनिथ कार्बन, मनियार मैटल्स आदि जैसी लघु इकाइयों को अधिक कच्चे माल की आपूर्ति किए जाने की मांग

श्रीमती वसुन्धरा राजे (झालावाड़) : महोदय, यह बड़ी चिन्ता का विषय है कि असम, बिहार और उत्तर प्रदेश में लघु क्षेत्र में स्थापित 'कैलसाइन्ड पेट्रोलियम कोक' (सी०पी०सी०) इकाइयां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं। बोंगाईगांव और बरौनी में सरकारी क्षेत्र में भारतीय तेल निगम के बड़े उद्योग हैं तथा पेट्रोलियम एण्ड कैमिकल्स लिमिटेड नामक एक बड़ा उद्योग निजी क्षेत्र में है। इन बड़ी इकाइयों को कोई समस्या नहीं है क्योंकि उन्हें पर्याप्त मात्रा में कच्चा माल मिल रहा है। हल्दिया के लिए कच्चे माल का आबंटन 50,000 से बढ़ाकर 75,000 टन प्रति मास कर दिया गया है। लेकिन यह खेद की बात है कि पेट्रोलियम और रसायन मंत्रालय द्वारा लघु इकाइयों को प्रोत्साहन देने के लिए उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने घोषणा की है कि लघु इकाइयों को प्रोत्साहन देने में प्राथमिकता दी जाएगी। लघु इकाइयों की प्रभावित इकाइयों में जेनिथ कार्बन, मनियार मेटल्स, न्यू कार्बन, बिहार कार्बन और पेट्री-कार्बन (वाराणसी) प्रमुख हैं। इन लघु इकाइयों को 2000 से 2500 टन प्रतिमास कच्चे माल की आवश्यकता है जबकि इनको बड़ी मुश्किल से 40 से 45 टन का उन्हें आबंटित कोटा दिया जाता है। इस प्रकार ये इकाइयां गंभीर संकट का सामना कर रही हैं और उनमें से अधिकतर के बन्द हो जाने की आशंका है। इस स्थिति में काफी संख्या में लोग बेरोजगार हो जायेंगे।

इस स्थिति को देखते हुए, मेरी मांग है कि उल्लिखित लघु इकाइयों को कच्चे माल के अधिक आबंटन के लिए उपयुक्त रूप से विचार किया जाए जिससे कि वे बिना किसी बाधा के कार्य कर सकें और बड़ी संख्या में कर्मचारियों और श्रमिकों को बचाया जा सके जिनमें से छंटनी किए गए अधिकतर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं।

(तीन) पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र का समग्र विकास करने के लिए आवश्यक उपाय किए जाने की मांग

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रकृति ने पश्चिम बंगाल में सुन्दरबन क्षेत्र को हर तरह से समृद्ध बनाया है; वहां प्राकृतिक छटा देखते ही बनती है, भांति-भांति के पेड़ पौधे हैं तथा भांति-भांति के वन्य प्राणी हैं; परन्तु वहां के लोग अति निर्धन हैं जिनके पास न खाने को भोजन है, न तन ढकने को कपड़े हैं बल्कि बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पास पेट भरने का दो वक्त का भोजन भी नहीं है। उनका मुख्य पेशा वनों से लकड़ी काटना और मछली पालन है। वहां वनों में लकड़ी काटने के लिए जाते हुए काफी संख्या में लोग शेर का शिकार हो जाते हैं तथा वहां कोई भी झोपड़ी ऐसी नहीं है जिसका कोई न कोई व्यक्ति कभी न कभी शेर का शिकार न हुआ हो। मेरा सरकार से अनुरोध है

[श्री सनत कुमार मंडल]

कि वहां राज्य सरकार के सहयोग से लघु उद्योग स्थापित किया जाए और इस कार्य में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग का सहयोग लिया जाए। सरकार को राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक अथवा किसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को इस क्षेत्र में अपनी शाखायें खोलने के लिए कहना चाहिए जिससे वह वहां कुछ कुटीर उद्योग स्थापित करने के लिए निर्धन लोगों को ऋण दे सकें।

इसके अलावा, वहां मत्स्य उत्पादन बढ़ाने की काफी गुंजाइश है जोकि इस क्षेत्र में अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। सरकार को सुन्दरबन क्षेत्र में भी "स्माल स्केल फिशरफोक कम्यूनिटीज इन बे आफ बंगाल" को "बे आफ बंगाल प्रोग्राम" शुरू करने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए।

(चार) पंजाब में सिखों में व्याप्त असंतोष को दूर किए जाने की मांग

[हिन्दी]

श्री अतिन्दर पाल सिंह (पटियाला) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन निम्नलिखित सूचना देना चाहता हूं। पंजाब में पंजाब पुलिस और केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों द्वारा अनगिनत सिक्ख नौजवानों को असंवैधानिक रूप से कई-कई महीने मजिस्ट्रेट के समक्ष सांवैधानिक प्रावधानों के अन्तर्गत पेश किए बिना हिरासत में रखा जाता है। नौजवानों को अमानवीय यातनायें दी जा रही हैं। इन यातनाओं की वजह से अगर नौजवान हिरासत में ही मर जाते है तो उनको बाद में कथित मुठभेड़ दिखा दी जाती है। इससे सिक्ख समुदाय में गहरा असंतोष व विद्रोह भड़क रहा है तथा सम्पूर्ण सिक्ख कौम में अलगाववाद की भावना जन्म ले रही है। मेरा सरकार से निवेदन है कि देश की एकता एवं सद्भावना को बनाए रखने के लिए सरकार ठोस व्यावहारिक कदम उठाए तथा इस निर्मम कृत्य के दोषी अधिकारियों के विरुद्ध उचित कार्यवाही की जाए। जो नौजवान इससे प्रभावित हैं, हो रहे हैं, उन सभी को मुआवजा दिया जाए। जो सिक्ख नौजवान अभी भी पंजाब पुलिस की असंवैधानिक तौर पर कैद में हैं उन सभी को तुरन्त रिहा किया जाए।

(पांच) देश में, विशेषकर उड़ीसा में शैक्षणिक संस्थाओं के छात्रावासों में रह रहे अनुसूचित जातियों/जनजातियों के छात्रों के लिए अधिक धन दिए जाने की मांग

[अनुवाद]

श्री के० प्रधानी (नौरंगपुर) : महोदय, देश में विशेषकर उड़ीसा में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए अनेक छात्रावास हैं। इन छात्रावासों में छात्रों को भोजन, कपड़े तथा साबुन, आटे, तेल आदि के लिए 100 रुपये प्रतिमाह की छात्रवृत्ति दी जाती है। यह छात्रवृत्ति प्रतिदिन 3/- रुपये बैठती है अर्थात यह 1.50 रुपये प्रति खुराक है। घटिया खुराक और छात्रावासों की बुरी स्थिति के कारण, विद्यार्थी इन छात्रावासों में उनको मिलने वाले इस प्रकार के भोजन की वजह से स्कूल छोड़कर वापस अपने घरों को चले जाते हैं और इस प्रकार स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों का, विशेषकर उड़ीसा में, प्रतिशत बहुत अधिक है। उड़ीसा सरकार को इस तथ्य की जानकारी है परन्तु धन के अभाव में वह अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अधिक राशि देने में असमर्थ है।

चूंकि 'शिक्षा' संविधान की समवर्ती सूची में है तथा शिक्षा का प्रसार विशेषकर पिछड़ी जातियों में, राज्य तथा केन्द्रीय दोनों सरकारों की जिम्मेदारी है।

इसलिए मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि इसके लिए समुचित धनराशि उपलब्ध कराई जाए ताकि ये संस्थायें, जो धन के अभाव में ठीक ढंग से कार्य नहीं कर पा रहीं है, सही रूप से कार्य कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : सभा कल 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित होती है।

7.15 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 5 अक्तूबर, 1990/13 आश्विन, 1912 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

मुद्रक : चिन्मयवासिनी पैकेजिंग्स, न्यू सीलमपुर, दिल्ली-53